औद्योगिक रुग्णता :
उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलासफी (डी० फिल०)
उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

Ayogic Rugnita Uttar Pradesh Kay
Vishesh Sandharbh may

निर्देशक :
डॉ० राधेश्याम सिंह
वरिष्ठ प्रवक्ता
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शोधकर्ता :
आशीष कुमार शुक्ल
(एम० काम०)

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2002

प्राक्कथन

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के मेरूदण्ड होते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी उपलब्धि, उदारीकरण तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के युग में औद्योगिक आधार देश की अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से इन उद्योगों की महती भूमिका होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश के उद्योगों का विशेष महत्त्व है, क्योंकि आर्थिक विकास के संसाधनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ प्रदेशों में से एक है। विगत वर्षो में इस प्रदेश का कोई विशेष औद्योगिक आधार नही रहा है, परन्तु वर्तमान में इसके विकास की सम्भावनायें बढ़ती जा रही हैं। वर्ष 1991 से 2000 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश उन चार राज्यों में से है, जहाँ कुल विदेशी निवेश का 52 प्रतिशत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विकास के साथ ही उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के कारण उद्योगों में रूग्ण होने की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है, जो चिन्ताजनक है। औद्योगिक रूग्णता के प्रमुख कारणों में कच्चे माल का अभाव, प्रबन्धकीय अकुशलता, पुरानी तकनीक का होना, वित्त की कमी तथा आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों का होना है।

इन पारम्परिक कारणों के अतिरिक्त वर्तमान वैश्वीकृत एवं उदारीकृत अर्थव्यवस्था से भारतीय उद्योग भी प्रभावित हुए हैं। अधिकांश उद्योगों में पुरानी मशीनें एवं तकनीक है। जहाँ से अचानक संरक्षण हटा लिया गया है। बहुराष्ट्रीय निगमों की खुली प्रतिस्पर्धा से भी भारतीय वृहद तथा लघु दोनों ही प्रकार के उद्योग प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को अपर्याप्त मात्रा में विलम्ब से वित्त प्रदान किया जाना भी एक कारण है। रूग्णता निवारण के लिए

राष्ट्रीय नीति का अभाव है। इन कारणों को दूर करने पर ही देश की औद्योगिक रूग्णता से मुक्ति सम्भव है। इसी विषय का अध्ययन, विवेचन और विश्लेषण प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का अध्ययन निम्न सात अध्यायों में किया गया है :

1. उत्तर प्रदेश : सामान्य परिचय
2. भारत का औद्योगिक विकास
3. उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास
4. औद्योगिक रूग्णता : संकल्पना, कारण एवं परिणाम
5. औद्योगिक रूग्णता के निदान में वित्तीय संस्थाओं का योगदान
6. औद्योगिक रूग्णता के सम्बन्ध में सरकारी नीति
7. निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रथम अध्याय में उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय दिया गया है। जिसमें प्रदेश की सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक, भौगोलिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्थितियों का उल्लेख है।

द्वितीय अध्याय भारत में उद्योगों के विकास से सम्बन्धित है। इसमें भारत में उद्योगों का इतिहास, समय–समय पर भारत सरकार द्वारा लागू की गयी औद्योगिक नीतियाँ तथा उद्योगों का पंचवर्षीय योजना अवधि में विकास आदि को सम्मिलित किया गया है।

तृतीय अध्याय में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रदेश में वृहद एवं मध्यम तथा लघु उद्योगों के पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं में हुए विकास का वर्णन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में औद्योगिक रूग्णता का आशय, व्याप्ति, कारण एवं परिणाम का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत एवं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक रूग्णता का क्षेत्रवार तथा उद्योगवार विश्लेषण किया गया है।

पंचम अध्याय में औद्योगिक रूग्णता के निवारण में विभिन्न भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए योगदान का उल्लेख किया गया है। इन वित्तीय संस्थाओं में भारतीय रिजर्व बैंक, आई०डी०बी०आई० तथा औद्योगिक एवं वित्तीय निर्माण बोर्ड द्वारा किए गए कार्यो का विशेष उल्लेख किया गया है।

षष्टम् अध्याय में औद्योगिक रूग्णता निवारण में भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अपनायी गयी नीतियों का अध्ययन किया गया है।

इसके अतिरिक्त समय–समय पर सरकार द्वारा गठित समितियों का भी उल्लेख किया गया है।

सातवें एवं अन्तिम अध्याय में शोध प्रबन्ध से प्राप्त निष्कर्ष तथा रूग्णता के निवारण के लिए सुझाव दिए गए हैं।

साभार :

प्रस्तुत शोध को इस रूप में पूरा करने में सर्वप्रथम मैं, आदरणीय गुरूवर **डा० राधेश्याम सिंह जी**, वरिष्ठ प्रवक्ता, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे शोध अध्ययन के प्रत्येक स्तर पर दिशा निर्देश, सहयोग और उत्साह प्रदान किया। वास्तव में उनकी प्रेरणा के परिणाम स्वरूप मैं इस कार्य को पूर्ण कर सका, जिन्होंने मेरे शोध प्रबन्ध को सांगोपांग पढ़कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मैं वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्रद्धेय गुरूवर **प्रो० कृष्णमूर्ति जी शर्मा** के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने शोध कार्य करने

का शुभ अवसर तथा समय–समय पर मुझे शोध कार्य को पूरा करने में उत्साह प्रदान किया। वास्तव में उन्हीं की कृपा से मुझे गुरूवर डा० राधेश्याम सिंह जी मिले।

गुरू गोविन्द दोऊ खड़े, का के लागौं पाय।

मै वाणिज्य विभाग के अधिष्ठाता प्रो० पी०एन० मेहरोत्रा का आभारी हूँ जिनके आर्शिर्वाद से शोध कार्य पूरा कर सका हूँ। मैं अपने गुरूजन वृन्द डा० रामेन्दु राय, डा० एस०ए० अन्सारी, डा० प्रदीप जैन, डा० जे०एन० मिश्रा तथा डा० अरूण कुमार का आभारी हूँ। जिन्होंने समय–समय पर शोध कार्य के सम्बन्ध में बहुमूल्य सुझाव दिए।

मैं अपने मित्र डा० श्यामकृष्ण पाण्डेय का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने कार्यभार से व्यस्त होते हुए भी अनेक प्रकार से सहायता की। मैं अपने मित्रगण डा० जितेन्द्र नाथ द्विवेदी (सहायक विकास अधिकारी), प्रबल प्रताप सिंह तोमर, राजेन्द्र मिश्र, डा० राजेश केसरी, अमित सिन्हा तथा रोहित सिंह का आभारी हूँ, जिन्होंने शोध कार्य के संदर्भ में मेरी हर तरह से सहायता की।

मैं विषय सामग्री को अद्यतन और बोधगम्य बनाने के लिए जिन विभिन्न प्रतिवेदनों, प्रत्रिकाओं और संदर्भ ग्रन्थों का प्रयोग किया गया है, उनके प्रकाशकों के प्रति भी मैं आभार ज्ञापित करना चाहूँगा।

मैं अपने पूजनीय पिता जी **डा० श्याम नारायण शुक्ल**, (भूतपूर्व प्रवाचक, सी०एम०पी० डिग्री कालेज, इलाहाबाद) तथा पूजनीया माता जी **श्रीमती शशिप्रभा शुक्ला** के श्रीचरणों में अपना कोटिशः प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनकी शुभाशंसा और आर्शिर्वचन से ही मैं यह कार्य पूर्ण कर सका।

मेरे शोध कार्य में सहयोग के लिए मैं अपने अनुज ऋषि कुमार शुक्ल को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस भाग–दौड़ के कार्य में मेरी सहायता की।

मैं अपनी पत्नी श्रीमती अर्चना शुक्ला को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शोध कार्य पूर्ण करने में सहयोग किया।

अन्त में मैं इस शोध प्रबन्ध को इतने सुन्दर ढंग से तथा समय पर मुद्रित करने के लिए 'पिटमैन्स कम्प्यूटर सेण्टर', पुराना कटरा, इलाहाबाद को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कार्य में राम प्रताप यादव और उनके अनुज शिव प्रसाद यादव का श्रम और सहयोग विशेष सराहनीय है, जिन्होंने बड़ी चिन्ता एवं लगन से इस शोध प्रबन्ध को समापित किया।

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

दिनांक :

आशीष कुमार शुक्ल

(आशीष कुमार शुक्ल)

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्रम		पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		i - v
अध्याय 1	उत्तर प्रदेश : एक परिचय	1 - 26
अध्याय 2	भारत का औद्योगिक विकास	27 - 53
अध्याय 3	उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास	54 - 77
अध्याय 4	औद्योगिक रूग्णता : संकल्पना, व्याप्ति, कारण एवं सुझाव	78 - 114
अध्याय 5	औद्योगिक रूग्णता के निवारण में वित्तीय संस्थाओं का योगदान	115 - 139
अध्याय 6	औद्योगिक रूग्णता के सम्बन्ध में सरकारी नीति	140 -172
अध्याय 7	निष्कर्ष एवं सुझाव	173 - 201

अध्याय 1

उत्तर प्रदेश : एक परिचय

परिचय :

आज जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है, वह युगों से इतिहास के खण्डन और मण्डन का परिणाम है। इसकी मिट्टी में वे घटनाएँ और व्यक्ति पले और बढ़े हैं जिन्होंने भारत के भाग्य का निर्माण किया है। इसमें नई संस्कृति, सभ्यता एवं मानवता पनपी है। यहीं ऋषियों और मुनियों ने सघन जंगलों एवं कन्दराओं में गहन तपस्या की थी। उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित वाणी आज करोड़ों भारतवासियों के जीवन नियम बन चुके हैं।

उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र गंगा–यमुना नदियों के विशाल मैदान का मुख्य भाग है, जिसे कभी आर्यावर्त , कभी मध्य देश, तो कभी हिन्दुस्तान के नाम से जाना जाता रहा है। पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार उत्तरांचल के हरिद्वार के निकट स्थित कनखल में ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मानव वंश की शुरूआत की तथा वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने फैजाबाद के निकट स्थित अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में आगे चलकर सगर, मान्धाता, दिलीप, रघु, दशरथ एवं राम जैसे महान राजा पैदा हुए। प्रयाग के निकट चन्द्र वंश के पुरूरवा ने अपना राज्य स्थापित किया, पुरूरवा के द्वितीय पुत्र अमावसु ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और अमावसु के पुत्र नहुष ने प्रतिष्ठानपुर एवं कन्नौज पर संयुक्त रूप से शासन किया। नहुष के पुत्र ययाति प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत के प्रथम चकवर्ती सम्राट कहलाये। ययाति के पाँच पुत्रों ने दक्षिण–पश्चिम तथा पूर्वी भारत में अपने राज्यों का विस्तार किया। कुरू वंश ने मेरठ के पास हस्तिनापुर, यदुवंश ने मथुरा में, गाधिवंश ने कन्नौज में, वत्सवंश ने कौशाम्बी में तथा क्षात्रवृद्ध ने वाराणसी में अपनी राजधानी स्थापित की। कुरूवंश के राजा दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इसी वंश ने बरेली के निकट अहिच्छत्रा में पांचालों का राज्य कायम किया। पुरातत्व विभाग की नवीन खोजों ने हस्तिनापुर, क़न्नौज, कौशाम्बी, मथुरा एवं अहिच्छत्र के गौरवपूर्ण इतिहास की पुष्टि कर दी है।[1]

---

1. स्रोत : उत्तर प्रदेश, डा० जैन एवं सोलंकी, पृष्ठ 1

उत्तर प्रदेश के कई प्राचीन स्थलों का उत्खनन ब्रिटिश काल में ही आरम्भ हो गया था। विभिन्न उत्खननों एवं सर्वेक्षणों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल में कई सांस्कृतिक क्षेत्र रहे हैं। सामान्य तौर पर पाषाण युगीन उपकरणों की बनावट, उनमें प्रयुक्त पत्थर और विभिन्न प्राचीन जमावों के अध्ययन के आधार पर तिथिबद्ध किया जाता है।

गंगा घाटी में अश्वपाद सदृश झीलों के किनारे तथा विंध्य पर्वत पाद में की गयी पुरातात्विक खोजों से आदि मानव द्वारा अस्थाईवास के प्रारम्भ तथा जीवन के प्रति उसके विश्वासों पर भी प्रकाश पड़ा है। मैदान के अलावा लघु पाषाण उपकरण संस्कृतिकाल में शैलाक्षय गुफाएँ भी आवासित हुए। इन गुफाओं में अनेक भित्ति चित्र भी पाये गए हैं। कोल्डिहवा, मगहरा तथा पंचोह के उत्खनन से धान की खेती, पशुपालन तथा चिकनी पाषाण कुल्हाड़ियों के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में प्रागैतिहासिक सम्पदा कई संस्कृतियों के संग का परिणाम है, जिससे उत्तर प्रदेश के सार्वभौम व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक मिलती है तथा इसे यहाँ के धर्मों, संस्कृतियों तथा विभिन्न जातियों में देखा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग के उत्खननों में प्राचीन काल मेंविद्यमान पाषाण युगीन संस्कृति से लेकर ताम्रयुगीन, सिन्धु सभ्यताकालीन धूसर चित्रित मृदभाण्ड जैसी अनेक संस्कृतियों के अवशेष प्रकाश में आये हैं। वास्तु एवं कला के क्षेत्र में मौर्यकालीन स्तूप, जैनों के स्तूप, बौद्ध बिहार, कुषाण सम्राटों, देवकुल तथा नागों के प्रसिद्ध मन्दिरों से प्राचीन काल की सभ्यता का आभास होता है।[2]

जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को ही अपना कार्यस्थल बनाया। यहीं राम और कृष्ण की जन्म स्थली है। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों की रचना इसी धरती पर हुई। गीता के कर्मोपदेश, आज जो सम्पूर्ण भारत की धरोहर है, यहीं से पनपे। विश्व में रामायण और महाभारत के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रन्थ नहीं, जिसने व्यक्ति, समाज और जीवन को इतना प्रभावित किया हो। ये ग्रन्थ हिन्दुओं के जीवन, नैतिकता और दर्शन के आधार स्तम्भ हैं। इन्हीं दो ग्रन्थों ने

---

2. स्रोत : उत्तर प्रदेश का इतिहास, डा० जैन एवं सोलंकी, पृष्ठ 3 - 4

भारतवासियों को जाति, भाषा और दूरियों को लाँघकर एक सूत्र में बाँधा है।[3]

सम्पूर्ण राज्य में ऐसे स्थल बिखरे पड़े हैं, जो कि ऐतिहासिक घटनाओं से गुँथे हुए हैं और हिन्दू, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई सन्त पुरूषों से सम्बन्धित है। यहाँ के अनेक तीर्थ स्थान, पर्व और मेले समस्त भारतवासियों के आकर्षण का केन्द्र बन चुके हैं। ऐसा हजारों वर्षो से होता चला आ रहा है। प्रदेश में स्थित गंगा–यमुना दोआब ही राम कृष्ण की लीलाभूमि, भगवान बुद्ध तथा वर्द्धमान की कार्यस्थली रही है।

1 नवम्बर 1858 ई० को एक शाही घोषणा द्वारा सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी से हटकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आई। इसी वर्ष दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया तथा प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कर दी गयी। सन् 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक कर दिया गया। उसी समय से उक्त वृहत्तर क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रदेश आगरा तथा अवध कहा जाने लगा। सन् 1902 में इसे आगरा तथा संयुक्त प्रान्त कहा जाने लगा। सन् 1921 में एक गवर्नर की नियुक्ति हुई तथा इसकी राजधानी लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी। सन् 1937 से इसको संक्षिप्त कर संयुक्त प्रान्त कहा जाने लगा। इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 12 जनवरी 1950 ई० से हुआ। स्ववंत्र भारत का संविधान लागू होने पर उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक महत्वपूर्ण राज्य बना। सम्पूर्ण भारतीय राजनीतिक इतिहास तथा राष्ट्रीय आन्दोलनों में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त प्रान्त का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश रखा गया। 1 नवम्बर 1956 को यह वर्तमान रूप में अस्तित्व में आया। 9 नवम्बर 2000 ई० को उत्तरांचल नामक राज्य उत्तर प्रदेश के कुछ पर्वतीय भाग को लेकर अस्तित्व में आया।

---

3. वही

भौगोलिक स्थिति :

उत्तर प्रदेश भारत के सीमान्त प्रदेशों में से एक है। इसके उत्तर में नेपाल व तिब्बत की सीमा है। इसके उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में उत्तरांचल, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान है तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं पूर्व में बिहार तथा झारखण्ड की सीमा इसे स्पर्श करती है। भौगोलिक दृष्टि से यह 77°-3' तथा 84°-39' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। इसका पूर्व – पश्चिम का विस्तार 650 कि०मी० है। उत्तर से दक्षिण तक यह 23°-52' तथा 30°-25' उत्तरी अक्षांशों के मध्य है तथा उत्तर से दक्षिण के मध्य इसका प्रसार 240 कि०मी० है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,36,286 वर्ग कि०मी० है।[4]

जलवायु :

उत्तर प्रदेश की जलवायु ऊष्ण कटिबन्धीय तथा मानसूनी हैं प्रदेश में धरातलीय विषमताओं, समुद्र तल से दूरी, समुद्र से ऊँचाई व स्थल की विशालता के कारण जलवायु में अन्तर आ जाता है।। समान्यतः उत्तर प्रदेश में तीन ऋतुएँ होती है – 1. शीत ऋतु (नवम्बर से फरवरी तक) 2. ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मध्य जून तक) 3. वर्षा ऋतु (मध्य जून से अक्टूबर तक)

उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में इसके दक्षिण पहाड़ी तथा पठारी भाग में सर्वाधिक औसत तापमान 28.3° सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 13.3° सेल्सियस रहता है। प्रदेश के पर्वतीय व मैदानी भागों में औसत तापमान सबसे कम 10° सेल्सियस रहता है। मध्य मैदानी क्षेत्र में औसत तापमान 27.2° सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 11.7° सेल्सियस रहता है। शीतकालीन चक्रवातों द्वारा प्रदेश में 7 - 10 से० मी० वर्षा होती है।

ग्रीष्म ऋतु से अधिकतम तापमान 36° सेल्सियस से 39° तथा न्यूनतम तापमान 21° से 23° सेल्सियस तक रहता है। कई नगरों का तापमान 40° सेल्सियस से 46° सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इनमें कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, उरई आदि प्रमुख है।

---

4. स्रोत : उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, 2000 पृष्ठ 1

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट रहने के कारण सर्वाधिक औसत तापमान बना रहता है। मई–जून में यहाँ लू चलती है जो कभी–कभी समुद्री हवाओं के मिल जाने से 100 कि०मी० से 115 कि०मी० प्रतिघंटा के तूफान को जन्म देती हैं गर्मी की वर्षा का औसत 10 से 25 से०मी० तक रहता है।[5]

प्रथम मानसूनी वर्षा जून के अन्तिम सप्ताह में होती है। जुलाई तथा अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में प्रदेश में औसत उच्च तापमान 32^0 सेल्सियस से 34^0 तक, औसत न्यूनतम तापमान 25^0 सेल्सियस तथा तापान्तर 7^0 सेल्सियस से 8^0 सल्सियस तक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी मानसून के हिमालय पर्वत के टकराने के परिणामस्वरूप होती है। प्रदेश में वर्षा का वितरण असमान है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में औसत वर्षा 170 से०मी०, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 112 से०मी०, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों में 94 से०मी०, पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में 84 से०मी० तथा दक्षिणी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में 91 से०मी० अंकित की जाती है। इसका मुख्य कारण वर्षा का मानसून पर निर्भर होना है। उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण वर्षा का 75% से 80% भाग वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है। प्रदेश में वर्षा का स्वरूप मुख्य रूप से मानसूनी है। परन्तु यह वर्षा पर्वतीय चक्रवातीय तथा संवहनीय रूप में होती है।

नदियाँ, झीलें तथा बाँध :

उत्तर प्रदेश में अनेक नदियाँ है जिनमें गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चम्बल, सोन आदि प्रमुख है। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उद्गम स्थल भी भिन्न–भिन्न है।[6]

1. हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ :

इनमें गंगा, यमुना, काली, शारदा तथा गण्डक आदि प्रमुख नदियाँ है। इन नदियों में गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री, काली शारदा का उद्गम स्थल पूर्वोत्तर कूमायुँ क्षेत्र का मिलाम हिमनद तथा

---

5. स्रोत : उत्तर प्रदेश की जलवायु, जैन एवं डा० सोलंकी 2000 पृष्ठ 28 - 30
6. स्रोत : जैन एवं सोलंकी, उत्तर प्रदेश 2000 पृष्ठ 24

गण्डक महान हिमालय से निकलती है। राम गंगा व आरती लघु हिमालय क्षेत्र से निकलती है।

2. गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ :

इन नदियों में गोमती, वरूणा, रिहन्द, पाण्डो, ईसन आदि प्रमुख है। इन नदियों का उद्‌गम स्थल झीलें व अन्य दलीय क्षेत्र है।

3. दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ :

इन नदियों में चम्बल, बेतवा, सोन, रिहन्द तथा कन्हार आदि प्रमुख है। ये नदियाँ दक्षिण के पठारी क्षेत्र निकलती है तथा गंगा या यमुना में मिल जाती है।

उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है। झीलों का निर्माण भू–गर्भिक हलचलों, गर्तो के जल प्लावित होने से तथा नदियों के मोड़ों से होता है। प्रदेश में मिर्जापुर की सण्डादरी झील, लखनऊ में करेला, मोहना के समीप इतौंजा, रायबरेली की भगेताल तथा विर्शया, प्रतापगढ़ की बेंती तथा नैया, सुल्तानपुर की लोधीताल व भोजनपुर, रामपुर की मोती व गौर, उन्नाव की कुन्द्रासमुन्दर, कानपुर की बलहापारा, फतेहपुर की मुराय, वाराणसी की ऑधीताल तथ आगरा गी रूमझील आदि उल्लेखनीय है।

उत्तर प्रदेश में कुल 8 बाँध हैं। इनमें सबसे बड़ा बाँध रिहन्द बाँध या गोविन्द बल्लभ पन्त बाँध है जिसकी कुल ऊँचाई 93 मीटर है। यह मिर्जापुर का मेजा बाँध निर्माणाधीन है।

मिट्टियाँ :

मिट्टियाँ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित् पदार्थो की ऊपरी परत, जो चट्टानों के विखण्डन या वनस्पति के अवसादों के योग से बनती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रो० वाडिया, कृष्णन् तथा मुखर्जी के अध्ययनों के आधार पर निम्न भागों में बाँटा जा सकता है।[7]

---

7. स्रोत : उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, उपकार प्रकाशन, 2000 पृष्ठ 32।

(1) गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ :

प्रदेश के इस भाग में जलोढ़ तथा कॉप मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की नवीनता एवं प्राचीनता के आधार पर दो भागों में बाँटा जा सकता है :

(क) बॉगर मिट्टी :– यह मिट्टी उन ऊँचे मैदानी भागों में पाई जाती है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। बॉगर मिट्टी क्षेत्र में मिट्टियाँ परिपक्व तथा गहरी होती है। इन्हें दोमट, मटियार दोमट, उपरहार मिट्टी तथा भूढ़ आदि नामों से जाना जाता है।

(ख) खादर मिट्टी :– यह मिट्टी नदियों की बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। यह मिट्टी हल्के हरे रंग की तथा बॉगर की अपेक्षा अधिक जल शक्ति धारण कर सकने की क्षमता वाली होती है। इसमें चूना, पोटाश, मैगनीशियम तथा जीवांशों की मात्रा अधिक होती है। इसकी उर्वरा शक्ति होती है, अतः इसमें खाद देने की आवश्यकता नही होती है।

(2) दक्षिण के पठार की मिट्टियाँ :

यहाँ की मिट्टी को बुन्देलखण्डी मिट्टी कहते हैं, जिसमें अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के कारण भिन्नता आ गयी है। अतः भोण्टा, माड, कामड, पर्वा, राकड़ तथा रेगुर आदि नामों से जाना जाता है।

भोण्टा मिट्टी विन्ध्य पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत टूटे–फूटे प्रस्तरों के रूप में पाई जाती है। इसमें मोटे अनाज उगाए जाते है। माड मिट्टी काली मिट्टी के समान चिकनी होती है, जिसमें सिलीकेट, लोहा एवं एल्युमिनियम होता है। इस मिट्टी में कृषि कार्य दुर्लभ है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा के जिलों में पायी जाती है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी है जो हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के बीहड़ों के ऊपरी भागों में मिलती है। इसमें खाद व जल की सहायता से कृषि की जा सकती है। राकड़ मिट्टी सामान्यतः पर्वतीय एवं पठारी ढालों में पायी जाती है। खाद के अधिक उपयोग से इसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। लाल मिट्टी

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में पायी जाती है। इसमें नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस तथा चूने की मात्रा की कमी है। अतः यहाँ गेहूँ, चना तथा दालें उगाई जाती है।

मृदा अपरदन :

जल के बहाव से अथवा वायु के वेग से अथवा हिमपात एवं हिम पिघलने के फलस्वरूप एक स्थान विशेष की मिट्टी के अन्य स्थान पर चले जाने पर मृदा अपरदन कहा जाता है। प्रदेश के विभिन्न भागों में परत अपरदन पाया जाता है। इसको रोकने के लिए प्रदेश के सभी भागों में वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इसके साथ--साथ उपयुक्त भूमि उपयोग, पर्वतीय क्षेत्र की सीढ़ीदार खेती,बाढ़ वाली नदियों पर बाँध का निर्माण तथा पशुचारागाहों का निर्माण आदि किया जाना चाहिए।

वानिकी :

उत्तर प्रदेश के अधिकांश वन तराई तथा भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के 33.3% भूभाग पर वन होना चाहिए। वर्तमान में प्रदेश में वनों से लगभग 19259 वर्ग कि०मी० भूमि आच्छादित है। प्रदेश में तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं :

(1) ऊष्णकटिबन्धीय नम पर्णपाती वन

प्रदेश की तराई व भावर क्षेत्रों में जहाँ वर्षा का औसत 100 से 150 से०मी० है, नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें वृक्ष झाड़ियाँ, बॉस के झुरमुट, साल, बेर, गूलर, पलाश तथा महुआ आदि उल्लेखनीय है।

(2) ऊष्ण कटिबन्धीय शुष्क पर्णपाती वन

प्रदेश के पूर्व मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में इन वनो का विस्तार है। प्रमुख वृक्षों में साल, पलाश, अमलताश, बेल, अंजीर आदि है। नदी के किनारे पर नीम, पीपल, शीशम, आम, महुआ तथा जामुन आदि उल्लेखनीय है।

(3) ऊष्ण कटिबन्धीय कटीली झाड़ियाँः

प्रदेश के दक्षिणी भाग में जहाँ वर्षा का औसत 50 से 75 से०मी० रहता है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। इन वनों में कत्था, थार, नीम तथा अकेसिया आदि उल्लेखनीय हैं।

उपर्युक्त वन क्षेत्र के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में वन उगने की सीमा समुद्र तल से 3950 मीटर की ऊँचाई तक की है। एक आधिकारिक गणना के अनुसार राज्य में 1000 प्रकार की लकड़ी के वृक्ष है, जिसमें 300 वृक्ष, 400 झाड़ियाँ तथा 100 काष्ठीय लताएँ हैं।

वन्य जीव परिरक्षण संगठन :

अपनी भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु के कारण उत्तर प्रदेश जैव विविधता में अत्यन्त समृद्ध तथा सम्पन्न है। उत्तर प्रदेश में कुल 11 वन्य जीव विहार केन्द्र हैं, निमें चन्द्रप्रभा, किशपुर, कतर, रानीपुर, महावीर स्वामी, चम्बल तथा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार प्रमुख है। इसमें सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है जो मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद तथा मुजफ्फरनगर तक 2073 वर्ग कि०मी० में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की संख्या 12 है जिसमें सुरहताल पक्षी विहार, जो बलिया में है, 34 वर्ग कि०मी० में फैला हुआ है, सबसे बड़ा है।[8]

वर्तमान में प्रदेश में कुल 17259 वर्ग कि०मी० वन में एक राष्ट्रीय पार्क, 11 वन्य जीव विहार तथा 12 पक्षी विहार स्थापित है। राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है जो 490 वर्ग कि०मी० में विस्तृत है जिसका नाम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है।

जनसंख्या एवं क्षेत्रफल :

वर्ष 2001 की अनन्तिम जनगणना के ऑकड़ों के अनुसार देश के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 16,60,52,859 है, जो देश की जनसंख्या का 16.17% है। 1991-2001 के दशक में प्रदेश की कुल जनसंख्या में

---

8. स्रोत : जैन एवं डा० सोलंकी, उत्तर प्रदेश के वन पशुपक्षी तथा पार्क, 2001 पृष्ठ 34।

3.40 करोड़ से भी अधिक की वृद्धि हुई है, जो कनाडा की कुल जनसंख्या से अधिक है। 1991-2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 25.55% से भी अधिक रही है।

17 मण्डल, 70 जिलों तथा 300 तहसीलों वाले 2,40,928 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में फैले उत्तर प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार पुरूषों की संख्या 8,74,66,301 तथा महिलाओं की संख्या 7,85,86,558 रही है। इस प्रकार प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या प्रदेश में 898 है जो 1991 में 876 थी। प्रदेश में यह लिंग अनुपात 1901 में 942, 1931 में 903, 1971 में 876 तथा 1981 में 882 था। उत्तर प्रदेश में प्रति हजारा पुरूषों पर महिलाओं की सर्वाधिक संख्या 1026 आजमगढ़ जिले में थी तथा महिलाओं की न्यूनतम संख्या 838 शाहजहाँपुर में पायी गयी है।

प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 689 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है जो 1991 में 548 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० था। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में अग्रणी स्थान वाराणसी जिले का है। जहाँ 1995 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० में निवास करते है तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ललितपुर जिले का मात्र 194 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले के रूप में इलाहाबाद 49,41,510 तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा 7,08,831 रहा है। वर्तमान में नगरों की कुल संख्या 631 हो गयी है जिसमें 38 नगर ऐसे हैं, जिनकी जनसंख्या 100,000 से अधिक है।[9] वर्ष 1901 में नगरों की कुल जनसंख्या पूरे प्रदेश की जनसंख्या का 11.09% थी, जो 1991 तक 19.89% हो गयी है। यद्यपि प्रदेश में नगर काफी संख्या में है, परन्तु जनसंख्या को देखते हुए नगरीकरण की गति धीमी है।[10]

---

9. जैन एवं डा० सोलंकी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल, 2002 पृष्ठ 44
10. स्रोत: जैन एवं डा० सोलंकी, उत्तर प्रदेश में कृषि, 2001 पृष्ठ 50

कृषि :

कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं सम्पन्नता का आधार रही है। यह प्रदेश देश का 18.6% खाद्यान्न उत्पादित करता है। आलू, गन्ना तथा तिलहन का देश में सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। गेहूँ, चावल, जौ, चना तथा मक्का व बाजरा भी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। कपास, अलसी, मूँगफली, गन्ना, चाय, तिल, सरसों तथा तम्बाकू प्रदेश की महत्वपूर्ण नकद फसले है। यह देश का प्रमुख अफीम उत्पादक राज्य है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 20% भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिससे प्रदेश के 78% व्यक्तियों का भरण-पोषण होता है। कृषि द्वारा राज्य की कुल आय का 68% भाग प्राप्त होता है तथा कुल भूमि के 88% भाग पर खाद्यान्न उत्पादित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित क्रान्ति में सफलता प्राप्त कर कृषि वैज्ञानिकों को एक नयी दिशा प्रदान की है। यहाँ वर्ष भर में रबी, खरीफ तथा जायद तीन फसलें होती है। रबी में गेहूँ, जौ, मटर तथा चना, खरीफ में धान, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना तथा जायद के अन्तर्गत तम्बाकू, खरबूज, ककड़ी, प्याज एवं आलू आदि आते हैं। इनके अतिरिक्त केला, आम, अमरूद, नींबू, लीची आदि फल भी अच्छी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उद्यान विकास कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया है। इससे फल, साग-सब्जियाँ आदि के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1996-97 में 423.78 लाख मीट्रिक टन था। किन्तु वर्ष 1997-98 में यह 1.6% गिरकर 416.79 लाख मीट्रिक टन हो गया। 1999-2000 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 21.7% था।[11]

---

11. शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, अर्थ एवं जनसंख्या प्रभाग (सांख्यिकीय डायरी) लखनऊ - 2000 पृष्ठ 44।

सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएँ :

उत्तर प्रदश की भूमि उपजाऊ तथा जलवायु संयत है। यह प्रदेश खाद्यान्न में आत्म निर्भर ही नहीं, बल्कि अन्य प्रदेशों को भी खाद्यान्न उपलब्ध करता है। उपज में वृद्धि के लिए यहाँ सिंचाई के अन्य साधनों की आवश्यकता है। यह कार्य कुएँ, नलकूप, तालाब, झील तथा नहरों आदि से किया जाता है।

. प्रदेश में बड़ी–बड़ी नदियों के होने के कारण नहरों से सिंचाई होती है। पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर, चिली गंगा नहर, शारदा, बेतवा, केन, धसान, घाघरा आदि नहरों से सिंचाई की जाती है तथा ललितपुर, मोहदा, रानी लक्ष्मीबाई, अर्जुन, रंगवा, नगवा, नौगढ़ आदि बाँधों से भी नहरे निकाली गयी है। नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है।

प्रदेश में बाढ़ के कारण धन–जन हानि होती है। इसके लिए बाढ़ पूर्व सूचना संगठन के मण्डल कार्यालयों की स्थापना लखनऊ, झाँसी आदि मण्डलों में की गयी है। मानसून की अनिश्चितता के कारण बहुउद्देशीय परियोजना को महत्व दिया गया है जिनमें शारदा नहर परियोजना, रिहन्द घाटी परियोजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनायें है। इनके अतिरिक्त ओबरा जल विद्युत केन्द्र, माताटीला बाँध, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह आदि की स्थापना की गयी है। इनके अतिरिक्त खेदड़ी विद्युत केन्द्र, परीक्षा विद्युत केन्द्र, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, टाण्डा, ऊँचाहार, दोहरीघाट, मुरादनगर, कोटेश्वर, वदरपुर आदि परियोजनाओं का निर्माण हुआ। रामगंगा, शारदा, गोविन्द बल्लभसागर, राजघाट, नरौरा, गण्डक, सिंगरौली आदि में भी परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई विद्युत तथा ताप के कार्य किए जाते हैं।

ग्राम्य विकास :

ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर प्रदेश के निर्धन परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है। इसके लिए कृषि, सहकारिता, पशुपालन उद्योग, पंचायत, लघु सिंचाई, युवा कल्याण, प्रादेशिक

विकास दर, भू–गर्भ जल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय बचत, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, निर्बल वर्ग विकास, क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण पेयजल, महिलाओं व बच्चों का उत्थान तथा जवाहर रोजगार योजना आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसके लिए एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ट्राइसम योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना, विशेष पुष्टाहार योजना, इन्दिरा आवास योजना, दीनदयाल आवास योजना, पशु विकास योजना, रेशम विकास योजना आदि कार्यक्रम चलाए गए हैं। इनके अतिरिक्त राज्य में अन्य नवीन योजनाओं एवं परियोजनाओं की स्थापना की गयी है। जैसे मेट्रोरेल सेवा योजना, विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना, टिहरी बाँध योजना, टर्म लोन योजना, नलकूप योजना तथा छात्रवृत्ति योजना आदि उल्लेखनीय है।

शिक्षा

यद्यपि उत्तर प्रदेश राष्ट्र का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, किन्तु साक्षरता की दृष्टि से इसका 31वाँ स्थान है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की अनुमानित साक्षरता 41.60% थी, जिसमें पुरूष 55.73% तथा स्त्री 25.1% साक्षर थे। प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला देहरादून 69.5% तथा न्यूनतम साक्षर जिला बहराइच 24.39% पाए गए। 1976 के संशोधन के माध्यम से तकनीकी, डाक्टरी तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का दायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकार को सौंपा गया है।[12]

देश की भाँति प्रदेश में भी जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है, वह अधिकांशतः कोठारी आयोग की संस्तुतियों पर आधारित है। विशिष्ट शैक्षिक उत्तरदायित्वों को उठाने के लिए केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् जैसे स्वायत्त संगठनों की स्थापना की है। प्रदेश में 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा का ढाँचा मौजूद है तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पहुँचने के पूर्व 2 वर्ष की शिक्षा का प्राविधान है। सम्पूर्ण देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ

---

12. प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, सांख्यिकी डायरी, अर्थ एवं जनसंख्या विभाग लखनऊ - 2002

सर्वाधिक मात्रा में शिक्षण संस्थायें है। 1999-2000 में उत्तर प्रदेश में 27 विश्वविद्यालय, 676 महाविद्यालय, 8549 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 21,678 सीनियर बेसिक स्कूल, 96,764 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 45 नर्सरी स्कूल थे जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 1.91 लाख, 9.96 लाख, 57.96 लाख, 31.82 लाख, 1.34 करोड़ तथा 12,000 थी।[13]

वर्तमान में प्रदेश में 9 मेडिकल कालेज, 9 आयुर्वेदिक कालेज तथा 3 यूनानी कालेज है। एक आयुर्वेदिक विभाग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का अंग है। इस क्षेत्र में 246 होम्योपैथिक औषधालय कार्य कर रहे हैं, जिनमें 15 आशासकीय है। प्रदेश में महिला महाविद्यालयों की संख्या 95 है। सेन्ट्रल काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के भारतीय औषधियों के लिएं निम्न शोध केन्द्र राज्य में खोले है :

1. फैमिली प्लानिंग रिसर्च इकाई, स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ।
2. इफेक्ट ऑफ आरोग्यवर्धनी, स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ।
3. ड्रग कम्पोजिट रिसर्च यूनिट, स्टेट आयुर्वेरिक कालेज, लखनऊ।
4. लिटरेरी रिसर्च यूनिट, आयुर्वेदिक विभाग, संस्कृत महाविद्यालय।

प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में 1990-2000 में 12 इंजीनियरिंग कालेज है। इसमें 2 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं तथा 95 डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें हैं। इंजीनियरिंग कालेज में विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता 2422 तथा डिप्लोमा संस्थाओं में 9040 है।[14]

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उच्च शिक्षा का संचालन किया जाता है। विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सेवाओं का केन्द्रीयकरण कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के निदेशक हैं। कुलपति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है तथा अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। इलाहाबाद, लखनऊ तथा गोरखुर विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति की भी व्यवस्था है।

---

13. बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (सांख्यिकीय डायरी) लखनऊ - 2000 पृष्ठ 152
14. संस्थागत वित्त निदेशालय, लखनऊ - 2000 पृष्ठ - 151

माध्यमिक शिक्षां परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से बहुत से बालक अपनी प्राइमरी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे 11-14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा योजना फरवरी, 1975 से प्रारम्भ की गयी है। माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 5 राजकीय तथा 7 अशासकीय एल०टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। इनमें से 2 महिलाओं के लिए हैं जो इलाहाबाद में हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रदेश में शिक्षा की पर्याप्त प्रगति हुई है।

प्रसिद्ध नगर, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल :

उत्तर प्रदेश धार्मिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह स्थान निम्नलिखित है : आगरा में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, सारनाथ, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, मिर्जापुर, कन्नौज, फर्रूखाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, हापुड़, अयोध्या, बिठूर, बहराइच, बरसाना, बागरमऊ, देवीपाटन, गढ़मुक्तेश्वर, गोलागोकर्णनाथ, मगहर, नैमिषारण्य, शाकम्भरीदेवी, प्रयाग, श्रृंगीरामपुरम्, झाँसी, श्रृंगवेरपुरम्, श्रावस्ती, विन्ध्याचल, वृन्दावन, शूकरक्षेत्र आदि हैं। प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए भारत सरकार ने 3 यात्री परिपथों का निर्माण किया है, जिनके अन्तर्गत बौद्ध तीर्थ, वन्य जीव पर्यटन स्थल तथा टैकिंग स्थल आते हैं। इनके विकास के लिए पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में की गयी है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है।

संस्थागत वित्त :

31 मार्च 2000 को भारत में अनुसूचित व्यवसायिक बैंक कार्यालयों की संख्या 65521 थी, जिनमें प्रदेश में 8905 बैंक कार्यालय थे। प्रति बैंक कार्यालय पर भारत में 1500 व्यक्ति तथा प्रदेश में 19000 व्यक्ति थे।[15] मार्च 2000 को प्रदेश में अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों द्वारा 2253842 करोड़ रूपये ऋण तथा 81960.32 करोड़ रूपये जमा राशि थी। इस प्रकार प्रदेश में ऋण जमा अनुपात 27.50 था।[16] 1999-2000 को प्रदेश में कुल जमा धनराशि 981829 लाख रूपये थी तथा निष्कासित धनराशि 484756 लाख रूपये थी। इस प्रकार शुद्ध जमा धनराशि 497073 लाख रूपये थी। इसी अवधि में प्रदेश में कुल 20233 डाकघर थे, जिनमें से 2160 नगरीय तथा 18073 ग्रामीण क्षेत्र में थे।

---

15. निदेशक, राष्ट्रीय बचत, उत्तर प्रदेश
16. पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश

सहकारिता :

सहकारी आन्दोलन एक ऐसा संगठन है जो समस्याओं का सामूहिक एवं प्रभावशाली समाधान करता हैं सर्वप्रथम कृषि ऋण सहकारी समितियों का गठन प्रदेश में हुआ, जिनसे किसानों तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को बीज, खाद, ऋण तथा कीटनाशक दवाइयों की आपूर्ति की जाती है। इन समितियों द्वारा लघु बैंक रूप में कृषकों को ऋण भी प्रदान किया जाता हैं इन समितियों में शीर्ष एवं केन्द्रीय समितियों, सहकारी बैंक, नगरीय बैंक, यू०पी० को–आपरेटिव फेडरेशन तथा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का गठन किया गया है। इनमें वित्तीय आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए ऋण की वसूली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा सम्बन्धित शाखाओं की ऋण क्षमता प्रतिबन्धित कर दी जाती है। 1999-2000 में एक उत्तर प्रदेश सरकारी बैंक, 4 प्रारम्भिक भूमि बॅधक बैंक तथा 60 केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक थे।[17] 1999-2000 में 15908 प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियाँ थी।[18] इसी अवधि में प्रदेश में सहकारी आवास समितियों की संख्या 2547 थी।[19]

श्रम एवं रोजगार :

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को अनुकूल रोजगार प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार विभाग की स्थापना की गयी है। 1937 के पूर्व प्रदेश में औद्योगिक विवादों की रोकथाम तथा निपटारे के लिए पृथक राजकीय संगठन नहीं था। अतः कानपुर में प्रथम बार श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गयी। वर्तमान में इनकी संख्या 80 से अधिक है। इन केन्द्रों द्वारा मद्यनिषेध, छुआछूत निवारण, राष्ट्रीय एकता, सहकारिता तथा परिवार कल्याण के कार्य किए जाते हैं। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है। श्रम संघों का निर्माण, वृद्धावस्था पेंशन योजना, बंधक श्रमिक प्रथा की समाप्ति, श्रमिकों के लिए आवास, श्रम अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद एवं सेवायोजन आदि के कार्य किए जाते हैं।

---

17. निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश
18. दुग्ध आयुक्त,उत्तर प्रदेश
19. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश

31 मार्च, 1999 को प्रदेश में 2065000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था, जिनमें 21.1% केन्द्र सरकार, 36.8% राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी कार्यालयों में तथा 6.7% व्यक्ति निकायों में कार्यरत थे।[20]

यातायात एवं संचार :

उत्तर प्रदेश में परिवहन के मुख्य साधनों में सड़क, रेल, वायु तथा जल परिवहन आते हैं। यहाँ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित हैं :

1. दिल्ली – मथुरा – आगरा – कानपुर – इलाहाबाद – वाराणसी – कलकत्ता
2. आगरा – ग्वालियर – इन्दौर – नासिक – मुम्बई
3. वाराणसी – मंगवाना – रीवॉ – कन्याकुमारी
4. आगरा – जयपुर – बीकानेर
5. दिल्ली – बरेली – लखनऊ
6. लखनऊ – कानपुर, – झाँसी – शिवपुरी
7. झाँसी – लखनादेव
8. इलाहाबाद – मॅगवाना
9. बरौनी – मुजफ्फरनगर – पिपरा – गोरखपुर – लखनऊ
10. गोरखपुर – गाजीपुर – वाराणसी
11. लखनऊ – वाराणसी

परिवहन विकास के साथ–साथ उत्तर प्रदेश में संचार साधनों का भी तीव्र गति से विकास हुआ है, जिनमें डाक तथा दूरभाष सेवाएँ मुख्य हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के अन्त तक प्रदेश में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 97219 कि०मी० थी,

---

20. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, सांख्यिकीय डायरी - 2000, पृष्ठ 186, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, लखनऊ

जिसमें 3083 कि०मी० (3.2%) राष्ट्रीय मार्ग, 9444 कि०मी० (9.7%) राज्य मार्ग तथा 84692 कि०मी० (87.1%) अन्य जिला मार्ग थे। प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम" की स्थापना की गयी है। निगम द्वारा 1998-99 में औसत परिचालित बसों की संख्या 7159 थी। परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई 203 कि०मी० थी। प्रदेश के मार्गों पर चलने वाली राष्ट्रीय तथा निजी क्षेत्रों की कुल गाड़ियों की संख्या वर्ष 1997-98 में 3782000 थी जो 6.7% बढ़कर वर्ष 1998-99 में 4035000 हो गयी। वर्ष 1997-99 की अवधि में कार के अंश 4.8% से 5.2%, टैक्सी में 2% से 2.3%, तथा अन्य गाड़ियों में 3.4% से 3.5% की वृद्धि हुई है। वहीं मोटर साइकिल में 72.3% से 72%, बस में 1% से 0.9%, ट्रक में 2.7% से 2.4% तथा ट्रैक्टर में 13.8% से 13.7% की गिरावट आयी है।[21]

---

21. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, 1999 - 2000 पृष्ठ 22 - 25, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश

उद्योग :

उत्तर प्रदेश में खनिजों का अभाव है, अतः यहाँ खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास नहीं हो सका है। कृषि आधारित तथा अन्य उद्योगों का समुचित विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में से एक है। हथकरघा उद्योग यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है। यहाँ सूती व ऊनी कपड़ा, चमड़ा और जूता, शराब, कागज रासायनिक पदार्थ, कृषि उपकरण तथा काँच का सामान बनाने के उद्योग उन्नत दशा में है।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख ओद्योगिक नगरों में कानपुर का नाम अग्रणी है। अन्य औद्योगिक नगरों में आगरा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मोदीनगर, वाराणसी तथा बरेली है। प्रदेश में 1999-2000 में औद्योगिक उत्पादक सूचकांक 1999-94=100 के आधार पर खाद्य निर्माण में 113.30 पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद में 126.27 सूती कपड़ा 54.87, रसायन (पेट्रों एवं कोयले के अतिरिक्त) 256.37, मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग 235.68, यातायात उपकरण एवं पुर्जे 151.67, तथा अन्य विनिर्माण सूचकांक 170.41 रहा है। प्रदेश में 1999-2000 में 91 औद्योगिक स्थान, 1060 शेड जिनमें 1051 आबंटित तथा 699 कार्यरत थे तथा 3861 प्लाट थे।[22]

1999-2000 में वृहद उद्योगों को 334 आशय पत्र जारी किए गए, जिनमें 19200 करोड़ रूपये की पूँजी थी तथा 96184 व्यक्तियों को रोजगार मिलना था, जिसका कार्यान्वयन क्रमशः 422638 करोड़ रूपये तथा 17351 व्यक्ति था। 31 मार्च 2000 को प्रदेश में निबन्धित लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 4,05,158 थी, जिनमें कुल पूँजी विनियोजन 4001 करोड़ रूपये तथा 6572 हजार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। इन इकाईयों का कुल उत्पादन 1374 करोड़ रूपयो का था।[23]

भारत में उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान हैं। प्रदेश में चीनी की कार्यरत कुल मिलों की संख्या 109 थी। जिनकी रजिस्टर्ड पेराई क्षमता 388588 मीट्रिक टन थी। जबकि पेरे गए गन्ने की मात्रा 4875.10 लाख कुन्तल थी। इससे

---

22. उद्योग निदेशालय, सांख्यिकीय डायरी 2000 नियोजन प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृष्ठ 192
23. चीनी आयुक्त, सांख्यिकीय डायरी - 2000 नियोजन प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्पादित चीनी की मात्रा 455.63 लाख कुन्तल थी।[24] चीनी की मिलें मुख्यतः गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहाँपुर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, बस्ती तथा बरेली में है। गुड़ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान मुख्य है। सीतापुर, बरेली, मेरठ तथा मुजफ्फनगर गुड़ बनाने के प्रमुख केन्द्र है।

वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की तृतीय स्थान है। यहाँ सूती वस्र की 60 मिले हैं जिनमें 14 मिले कानपुर में हैं, जो उत्तर भारत का मानचेस्टर कहलाता है। इसके अतिरिक्त मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूँ, इलाहाबाद, वाराणसी, मऊ, मिर्जापुर आदि प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा प्रदेश में 13 कताई मिलों का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कताई संघ द्वारा 11 कताई मिलों का संचालन किया जा रहा है। दरी निर्माण करने के प्रमुख केन्द्रो मिर्जापुर, मुरादाबाद इटावा, सीतापुर, बरेली, आगरा तथा अलीगढ़ आदि हैं। गलीचों के उत्पादन में आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, तथा मिर्जापुर का प्रमुख स्थान है। कानपुर तथा मिर्जापुर में ऊनी कपड़ों की मिलें हैं। कानपुर का लाल इमली कारखाना भारत का प्रमुख ऊनी वस्त्र कारखाना है। रेशमी वस्त्र उद्योग वाराणसी तथा इटावा में केन्द्रित है।

इनके अतिरिक्त ऊनी व रेशमी वस्त्र, जूट, कागज, काँच, एल्युमिनियम, वनस्पति घी, दियासलाई, चमड़ा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स, साइकिल, कृषियंत्र, सीमेण्ट, साबुन, स्प्रिट एवं शराब, रासायनिक खाद आदि के उद्योग उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों में हथकरघा, लकड़ी व फर्नीचर पीतल व अन्य धातु आदि के उद्योग भी उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में स्थापित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठान भी उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए है, जिनमें डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, वाराणसी, उर्वरक कारखाना, गोरखपुर तथा इलाहाबाद, सिंगरौली कोयला खान, मार्डन बेकरीज कानपुर, बी०पी०सी०एल० तथा आई०टी०आई० इलाहाबाद एवं रायबरेली, टी०एस०एल० नैनी, एच०ए०एल० कानपुर, अपट्रान, स्कूटर इण्डिया लि०, लखनऊ, सीमेण्ट कारखाना चुर्क व डाला आदि मुख्य हैं।

---

24. उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, डा० सोलंकी एवं जैन पृष्ठ 84

शासन व्यवस्था :

उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक प्रमुख इकाई राज्य है। भारतीय संविधान में इकाई राज्यों के लिए जो व्यवस्था की गयी है, उत्तर प्रदेश इसका अपवाद नहीं है। प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली है। शासन के तीन प्रमुख अंग है जो निम्न है :

1. कार्यपालिका :

प्रदेश का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम 5 वर्ष या उसके प्रसाद–पर्यन्त तक के लिए की जाती है। राज्यपाल मंत्रिमण्डल के परामर्श से तथा स्वविवेकानुसार कार्य करता है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल में निहित होती है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता हैं मुख्यमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल के सदस्यों को विधान सभा या विधान परिषद् दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्रिमण्डल का कार्य राज्य की नीतियों का निर्धारण, राज्य कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा विविध विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक मंत्री अथवा राज्य मंत्री होता है। ये विधान सभा के प्रति सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं।

विभागाध्यक्ष (मंत्री या राज्य मंत्री)

सचिव या अतिरिक्त या संयुक्त सचिव

उप–सचिव (सम्भाग)

अपर सचिव (उप–सम्भाग)

सेक्शन अधिकारी (सेक्शन)

असिस्टेंट

अपर डिवीजन क्लर्क

लोवर डिवीजन क्लर्क

यह सभी पदाधिकारी पद सोपान प्रक्रिया में संगठित रहते है। प्रत्येक सम्भाग में एक इन्स्पेक्टर ज़नरल होता है। राज्य सत्ता सम्भागों में विभक्त है। सम्भाग प्रमुख को आयुक्त तथा जिले का अधिकारी जिलाधिकारी होता है। अन्य पदाधिकारी जैसे ए०डी०एम० आदि इसकी सहायता के लिए होते हैं।

2. व्यवस्थापिका :

उत्तर प्रदेश में इसके दो सदन है। विधान सभा एवं विधान परिषद्। इनके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। प्रत्येक निर्वाचन से एक सदस्य बहुमत के आधार पर चुना जाता है। बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। इसमें प्रत्याशी को न्यूनतम 25 तथा मतदाता को 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। इसमें 403 सदस्य होते हैं।

विधान परिषद् में 99 सदस्य है। 1/3 सदस्य विधानसभा से, 1/3 स्थानीय संस्था से, 1/12 तीन वर्ष के अध्यापन अनुभव से, 1/12 तीन वर्ष के स्नातकों से चुने जाते हैं तथा 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है।

3. न्यायपालिका :

न्याय व्यवस्था के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है तथा एक खण्डपीठ लखनऊ में भी है। उच्च न्यायालय की अधीनता में जिला न्यायालय व अन्य न्यायालय है। न्यायिक सेवा को 2 भागों में बाँटा गया है :

1. उत्तर प्रदेश सिविल (न्यायिक) सर्विस
2. हायर जुडिसियल सर्विस।

सिविल सर्विस में मुंसिफ तथा सिविल जज एवं हायर सर्विस में सिविल तथा सेशन ज़ज आते हैं। जिले का न्याय जिला न्याधीश द्वारा होता है।

पंचायत राज्य अधिनियम के अन्तर्गत न्याय पंचायतों को गठन किया गया है। इनका कार्यक्षेत्र सिविल है। कुछ मामलों में 500 रूपये तक के वादों की भी सुनवाई होती है तथा फौजदारी के छोटे मामलों को भी निपटाती है। यह कारावास तथा दण्ड नही दे सकती बल्कि 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है। [25]

लोकायुक्त :

इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश विशम्भर दयाल को इस पद पर 14 सितम्बर 1977 को नियुक्त किया गया। यह प्रदेश के मंत्रियों विधानमण्डल सदस्यों, शासन के अधिकारियों की जाँच करता है। जिला परिषदों, नगरपालिकाओं आदि के अधिकारी भी इसकी जाँच सीमा में आते हैं। न्यायालय महालेखाकार, लोकसेवा आयोग, ग्राम प्रधान, राज्यपाल तथा सचिवालय के कर्मचारी मुख्यमंत्री को इसकी कार्यपरिधि से मुक्त रखा गया है।

स्वतंत्रता के पश्चात जन साधारण को न्याय सुलभ कराने के लिए न्याय पंचायतों को महत्व दिया गया जिसका उल्लेख संविधान के 40 वें अनुच्छेद तथा पंचायत राज्य अधिनियम में है। न्याय में अधिक समय तथा धन लगने के उपाय के रूप में लोक अदालतों की स्थापना की गयी है। इनमें दीवानी, फौजदारी, चकबन्दी, राजस्व तथा विवाह आदि मामलों पर विचार किया जाता है तथा अधिक धन का व्यय नहीं होता है।

---

25. भारत का संविधान, एस०एन० श्रीवास्तव

शोध के उद्देश्य :-

प्रस्तुत शोध विषय में निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है :

1. भारत तथा उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूग्णता की स्थिति, व्याप्ति तथा कारण को स्थापित करना।

2. औद्योगिक रूग्णता के निवारण में वित्तीय संस्थाओं के योगदान की समीक्षा करना।

3. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के रूग्णता निवारण में योगदान का अध्ययन करना।

4. औद्योगिक रूग्णता को दूर करने में सरकारी नीतियों तथा गठित समितियों का मूल्यांकन करना।

5. भारत तथा उत्तर प्रदेश के योजनाकाल में औद्योगिक विकास का अध्ययन करना।

6. औद्योगिक रूग्णता को दूर करने के लिए कुछ उपायों तथा सुझावों को प्रस्तुत करना।

शोध की परिकल्पनायें :

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में निम्न परिकल्पना की गयी हैं :

1. भारत तथा उत्तर प्रदेश में पंचवर्षीय योजनावधि में उद्योगों का निरन्तर विकास हुआ है।
2. औद्योगिक रूग्णता में निरन्तर वृद्धि हुई है।
3. वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक रूग्णता के निवारण में योगदान के बावजूद असंतोषजनक स्थिति विद्यमान है।
4. सरकारी नियमों के परिणामस्वरूप रूग्णता की स्थिति में आशाजनक सुधार नही हुआ है।

शोध का कार्यक्षेत्र :

उत्तर प्रदेश की औद्योगिक रूग्णता सम्बन्धी अध्ययन के लिए मुख्यतः प्राथमिक तथा द्वितीयक आँकड़े, अवलोकन, साक्षात्कार तथा पुस्तकालय पद्धति का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक आँकड़े विभिन्न संस्थाओं से प्रकाशित बुलेटिनों, पत्रिकाओं यथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, योजना भवन लखनऊ, गोविन्द बल्लभ पंत संस्थान इलाहाबाद, गाँधी भवन इलाहाबाद तथा उद्योग निदेशालय के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त किया गया है।

शोध की सीमा :

वर्तमान अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक समंकों पर आधारित है, अतएव गौण समंक आधारित शोध की समस्त सीमाएँ इस शोध प्रबन्ध में भी विद्यमान हैं।

अध्याय 2

भारत में औद्योगिक विकास

भूमिका :

भारत में जीवन का एक बुनियादी तथ्य है – गरीबी। वैसे कुछ और भी समस्याएँ हैं, जो इससे भी जटिल तथा वास्तविकतापूर्ण हैं तथा जिसे निश्चय ही समृद्ध वर्ग को भी सामनां करना पड़ता है। गरीबी मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाती है तथा उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुँचती है। अतः हमारी सभी आर्थिक गतिविधियों का औचित्य गरीबी दूर करने के प्रयासों में है, जिसमें हमारे उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज विश्व के देश औद्योगिक विकास के तत्पर हैं, क्योंकि औद्योगीकरण को राष्ट्र विशेष की भौतिक उन्नति के रूप में माना जाता है। [1] औद्योगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विकासशील देश अपने औद्योगिक ढाँचे की कमियों को दूर करते हैं। इसीलिए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संसद में कहा था कि "किसी देश की वास्तविक उन्नति उसके औद्योगीकरण पर निर्भर करती है।" औद्योगीकरण के बारे में पी. काँगचाँग ने कहा कि "यह वह प्रक्रिया है, जिसमें उत्पादन कार्य में परिवर्तन होते हैं। इसके साथ–साथ आधारभूत परिवर्तन भी शामिल होते हैं, जिसमें औद्योगिक उपकरण का यंत्रीकरण, नवीन उद्योग का निर्माण आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार औद्योगीकरण एक ऐसी विधि है, जिसमें पूँजी की व्यापकता होती है।"

भारत में उद्योगों का इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि सिन्धु सभ्यता के समय उद्योगों का प्रचलन हो चुका था क्योंकि उस समय के कपड़ों के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि कपड़ा ही प्रमुख उद्योग था। रँगाई करना, चाक पर मिट्टी के वर्तन बनाना, खिलौने बनाना, आभूषणों एवं गुरियों का निर्माण करना आदि सिन्धु घाटी के लोगों का प्रमुख उद्योग था। [2]

इसी प्रकार वैदिक युग के आते ही बढ़ई, लकड़ी के सभी प्रकार की वस्तुओं, विशेषकर रथ गाड़ियों का निर्माण करता था। इस काल में कपड़ा उद्योग अत्यधिक विकसित अवस्था में था क्योंकि गान्धार प्रदेश अपने चिकने ऊन के लिए विश्वविख्यात था। वैदिक काल में सूत, रेशम तथा ऊन के वस्त्र बनाए जाते थे। इस काल में चर्म उद्योग के होने का भी पता चलता है क्योंकि बैल आदि पशुओं के चमड़े से कोड़े, लगाम, डोरी, थैले आदि बनाए जाते थे। जैसे–जैसे समय बीतता गया, सभ्यता का विकास होता गया। व्यक्तियों की आवश्यकताएँ तथा इच्छाएँ बढ़ी, श्रमिक उनकी माँग

---

1. उद्योग व्यापार पत्रिका अगस्त, 2001
2. प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, के०सी० श्रीवास्वत, पृ० 34

के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करने लगे। सड़कों तथा अन्य सुविधाओं का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप थोड़ी मात्रा में विशिष्टीकरण को भी महत्व दिया जाने लगा।

समय बीतने के साथ–साथ मनुष्य के सभ्य होने से उद्योगों के विकास में काफी मदद मिली। इसका उल्लेख मेहरौली में स्थापित लौह स्तम्भ में देखा जा सकता है। जातक ग्रन्थों से पता चलता है कि मौर्य काल में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेणी, उद्योग की समस्याओं को कहा जाता था। मौर्य काल में उद्योग काफी विकसित अवस्था में था। बढ़ईगीरी एक प्रमुख व्यवसाय था। कुम्भहार की खुदाई में 7 बड़े एवं आश्चर्यजनक ढंग से निर्मित लकड़ी के चश्तरे प्राप्त हुए हैं। मौर्यो के समय पाषाण तराशने की कला भी अपने चरम स्तर पर थी।[3]

भारत में समय–समय पर आक्रमण होते रहे, जिससे भारत में रहने वाले तथा आक्रमणकारियों के आपस में सम्पर्क में आने से एक–दूसरे की सभ्यता को अपनाने लगे। सभ्यता एवं संस्कृतियों में परिवर्तन के तारतम्य में उद्योगों में भी परिवर्तन होने लगे। 1367 ई० में विजय नगर व बहमनी शासकों के मध्य युद्ध में पहली बार तोपों के प्रयोग होने का प्रमाण मिलता है, जिसका असली प्रयोग बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया था।

मुगलों के आने से भारतीयों पर कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा, जिनमें हिन्दुओं एवं मुसलमानों ने एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति तथा जीवनशैली अपनायी। मुगल काल में विभिन्न उद्योग धन्धों का भी विकास हुआ। अधिकतर उद्योग व्यक्तिगत प्रयासों से चलते थे। इस काल में राजकीय नियंत्रण में अनेक कारखाने स्थापित किए गए थे। सूत्री वस्त्रों का पारू तथा जौनपुर प्रमुख केन्द्र थे। ढाका में एक विशेष प्रकार का मलमल तैयार किया जाता था। आइने अकबरी के अनुसार हर गाँव आत्मनिर्भर था। गाँव में माली, बढ़ई आदि में आराम एवं विलासिता की वस्तुओं की माँग बढ़ती गयी, जिनकी पूर्ति लघु उद्योगों द्वारा की जाती थी। यह लघु उद्योगों का स्वर्णिम काल था।

आइने अकबरी के अनुसार आगरा व फतेहपुर सीकरी सिल्क उद्योग तथा शाल आदि के लिए प्रसिद्ध था। बनारस, पटना आदि स्थानों पर बुनाई का कार्य होता था। अकबर के समय में उद्योगों को अधिक संरक्षण प्राप्त हुआ। अकबर अपने कारखानों में

---

3. प्राचीन भारत का इतिहास - विमल चन्द्र पाण्डेय, पृ० 45

विभिन्न देशों के कुशल कारीगरों की भर्ती तथा स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करवाता था। इसका उल्लेख आइने अकबरी में भी मिलता है। यहाँ के लिए शाहजहाँ ने भी उद्योगों को संरक्षण दिया। जहाँगीर के समय अनूठी वस्तुओं का बनाने तथा कारीगरों को पारितोषिक दिए जाने के विषय में प्रमाण मिलता है, जिसने 100 तोले के उल्का पत्थर तथा सामान्य काँसे के मिश्रण से उस्ताद दाउद की तलवार, एक छूरी तथा एक चाकू बनवाया था। शाहजहाँ के समय में कश्मीर तथा लाहौर में कालीन उद्योग विश्वप्रसिद्ध था। 100 रूपये प्रति गज के हिसाब से बनने वाले ऊनी कालीन टाट प्रतीत होते थे। औरंगजेब मछली पट्टनम से कुशल कारीगरों को जबरदस्ती आगरा एवं दिल्ली में बुलवाता था। मंनूकी के अनुसार "मुगल काल में बादशाह तथा शहजादे इनमें से प्रत्येक प्रान्त में अपने करिन्दे रखते थे, जिनका कार्य विभिन्न स्थानों से सर्वोत्तम वस्तुएँ लाकर उन्हें सौंपना था।" अकबर के समय में दीवान–ए–वयूतात को सम्पूर्ण भारत का दायित्व सौंपा गया, जिसे आगे चलकर मीर–ए–सामान कहा जाने लगा। सोने तथा चाँदी के सामान, ताँबे के पात्र, कपड़ा तथा कालीन उद्योग तथा हाथी दाँत के काम में मुगल उद्योग की मिसाल नही मिलती है।

17 वीं शताब्दी के अन्त तक शाही कारखानों की संख्या 69 थी। शोरा उद्योग, जिसका उपयोग बारूद बनाने में होता था, अत्यन्त विकसित अवस्था में था। इसका निर्माण बिहार में होता था। चीनी एवं खॉडसरी उद्योग बंगाल, बिहार तथा पंजाब में थे। धातु उद्योग (वस्त्र एवं अस्त्र–शस्त्र) एवं नौका तथा जहाज बनाने के उद्योग उन्नत अवस्था में थे। पंजाव में लोहे के अस्त्र तथा सोमनाथ में अच्छी किस्म की तलवारें तैयार की जाती थीं। इन बड़े उद्योगों के अतिरिक्त लघु उद्योगों में हाथी दाँत का काम, लकड़ी का सामान, धातु एवं मिट्टी की मूर्तियाँ, कागज, काँच, चमड़ा, सुगन्धित इत्र, पत्थर तराशना, आभूषण बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता था।[4]

औद्योगीकरण की प्रक्रिया केवल निर्माण उद्योगों की स्थापना तक ही सीमित नही है। वरन् इसके द्वारा किसी देश के सम्पूर्ण आर्थिक कलेवर को परिवर्तित किया जाता है। औद्योगीकरण के अन्तर्गत कृषि के औद्योगीकरण को शामिल किया जाता है। वास्तव में, औद्योगीकरण को सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र की व्यापक एवं तीब्र गति होने से अन्य क्षेत्रों – जैसे यातातात

---

4. मध्यकालीन भारत का इतिहास , हरिश्चन्द्र वर्मा, पृ० 410

एवं संचार साधनों, वित्त प्रबन्ध, तकनीक, प्रशासन आदि क्षेत्रों में प्रगति करना आवश्यक होता है। आज सर्वत्र औद्योगीकरण का बोलबाला है। परन्तु, इतिहास को देखने से यह पता चलता है कि औद्योगीकरण का जन्म 18 वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैण्ड में हुई औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् परिवर्तन आया। 1701 में टल नामक व्यक्ति ने एक वायुयन्त्र "ड्रिल मशीन" का निर्माण किया। इसके पश्चात् जर्मनी में रसायन शास्त्रियों ने रासायनिक खाद का अविष्कार किया। ओद्योगीकरण का सबसे अधिक प्रभाव वस्त्र उद्योग में पड़ा, जिसमें सबसे पहले 1733 में जान के०डे० ने "फ्लाइंग शटल" का आविष्कार किया। इसी प्रकार 1764 जेम्स ने "स्पिनिंग जेनी" चर्खा, 1807 में राबर्टफुल ने वाष्पचालित नौका, 1814 में जार्ज स्टीफेंन्सन ने वाष्पचालित रेल का आविष्कार किया। जिसके फलस्वरूप मैनचेस्टर तथा लीबरपूल के मध्य 1930 में प्रथम रेलगाड़ी चली।[5]

इस प्रकार औद्योगीकरण की सफलता काफी सीमा तक कृषि के विकास पर निर्भर करती है। अतः तीव्र आर्थिक विकास के लिए कृषि के विकास को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कृषि का विकास तथा औद्योगीकरण दो विरोधी होकर भी परस्पर पूरक है। यूजीन स्टैनले के अनुसार "कृषि की उत्पादकता में वृद्धि किए बिना औद्योगिक विकास सम्भव नहीं है तथा औद्योगीकरण के आभाव में कृषि का विकास एक मिथ्या सत्य है।" कृषि विकास एवं औद्योगीकरण में घनिष्ठ सम्बन्ध पर संयुक्त राष्ट्र संघ की विकास नियोजन समिति 1974 ने लिखा है कि "औद्योगीकरण को मुख्य रूप से विश्व के विभिन्न भागों में निर्धनों के जीवनस्तर तथा कार्य की दशा में सुधार करने वाले साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए औद्योगीकरण को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रो–विशेषतः कृषि के साथ घनिष्ठता से अन्तर्सम्बन्धित करना होगा।"

इसी प्रकार पं० नेहरू ने कहा था, "बिना कृषि विकास के औद्योगिक प्रगति नहीं की जा सकती है क्योंकि दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। भारत इस तथ्य को जानता है। इसलिए आर्थिक नियोजन की व्यवस्था में दोनों को संतुलित स्थान दिया गया है।"

---

5. आधुनिक भारत का इतिहास, रमेश चन्द्र मजूमदार, हेम चन्द्र राय चौधरी तथा काली किंकत दत्त, पृ० 135

भारत में आधुनिक उद्यागों का विकास 1850 ई० के बाद प्रारम्भ हुआ। यह कार्य दो रूपों में हुआ। बागान उद्योगों का स्वामित्व एवं नियंत्रण ईस्ट इंडिया कम्पनी के पास था। अंग्रेजों ने नील, चाय तथा काफी के बागान में रूचि ली। चूँकि इसमें किए गए निवेश से आसानी से अधिक लाभ प्राप्त जाता था। 19 वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों ने भारतीय कारखाना उद्योग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1833 के अधिनियम से व्यापार पर कम्पनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। 19 वीं शताब्दी तक बड़े उद्योगों की स्थापना के कार्य में आने वाली सारी बाधायें समाप्त हो गयी थी।[6]

कारखाना उद्योग की वास्तविक प्रगति 1875 में हुई। इसके पश्चात् सूती एवं जूट उद्योग की विशेष उन्नति हुई। न्यायाधीश रानाडे के अनुसार "1875 में इन उद्योगों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी, लेकिन 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सम्पूर्ण भारत में औद्योगिक प्रगति हुई। 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में खनिज तथा लघु उद्योगों की प्रगति हुई। लेकिन कुछ वर्षो के पश्चात् छोटी–छोटी मशीनों का प्रयोग होने लगा।" भारत में धीरे–धीरे नगरों का विकास हुआ, जिससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। बम्बई तथा अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग, कानपुर में ऊनी तथा चमड़ा उद्योग, हुगली में जूट उद्योग की स्थापना हुई।

लार्ड डलहौजी के समय में औद्योगीकरण में काफी प्रगति हुई। परन्तु, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय औद्योगीकरण के विकास में अवरोध उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात् आर्थिक परिस्थितियाँ दिनोदिन बिगड़ती गयीं, जिससे लघु उद्योग की दशा और भी दयनीय हो गयी। सूती वस्त्र उद्योग का बुरा हाल था। आयातित समान पर कर हटा देने से विदेशों से आयातित कपड़े सस्ते हो गए और भारतीय वस्त्र उद्योग बन्द होने लगे। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया, जिसमें कार्य के घण्टे, आयु तथा मजदूरी की दर निर्धारित की गयी। परन्तु लघु उद्योगों को छोड़ दिया गया।

19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में गाँधी जी के पदार्पण के साथ देश के विकास के लिए लघु उद्योगों की स्थापना पर अधिक बल दिया गया। गाँधी जी ने असहयोग आन्दोलन चलाया, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया। उस समय देश में उद्योगों की स्थापना के लिए होड़ मच गयी तथा अगले 2 वर्षो में अनेक उद्योग स्थापित हुए। इसी

---

6. स्रोत - स्वतंत्रता संघर्ष - विपिन चन्द्रा, पृ० 215

समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ। 1930 की विश्वव्यापी मन्दी के समय उद्योगों की स्थिति पुनः खराब हो गयी। इसके बाद 1935 का अधिनियम आया तथा 1937 में चुनाव हुए, जिसमें अनेक राज्यों कांग्रेस की सरकार बनीं, जिससे उद्योगों की प्रगति हुई तथा अनेक समितियों का गठन किया गया। [7]

भारत में उद्योगों को समुचित प्रोत्साहन दूसरे विश्व युद्ध के आरम्भ से हुआ। जिसमें औद्योगिक वस्तुओं की माँग बढ़ने लगी एवं अनेक उद्योग स्थापित हुए तथा उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गयी। इस काल में बड़े पैमाने पर आधुनिक यंत्रों तथा मशीनों के उत्पादन के लिए नए उद्योगों को अधिक से अधिक धन उपलब्ध करया गया। 1945 में देश में उद्योगों की संख्या बढ़कर 14859 हो गयी, जिनकी प्रदत्त पूँजी 384 करोड़ रूपये थी जबकि 1939 में इनकी संख्या 11114 तथा प्रदत्त पूँजी 290 करोड़ रूपये थी।

भारत को स्वतंत्रता लम्बे संघर्ष के बाद मिली। परन्तु यह स्वतंत्रता राजनैतिक थी। भारत आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेजों द्वारा अनेक कम्पनियाँ स्थापित की गयी थी। चाय बागान एवं जमीनें खरीदी गयी थी, जिनका सम्पूर्ण लाभ इंग्लैण्ड जाता था। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसका कार्य देश की पूँजी, श्रम तथा अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए योजना का निर्माण करना था। भारत एक विकासशील देश है, जिसकी 70 प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती है तथा कृषि पर निर्भर है। इसलिए जो भी योजनाएँ बनायी जाती थीं, उनमें गाँवों के विकास को ध्यान में रखा जाता था। इसके पश्चात् 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। इस योजना में उद्योगों के साथ–साथ कृषि पर अधिक बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः उद्योगों को ही ध्यान में रखकर बनाई गयी, जो पी०सी० महालनवीस माडल पर आधारित थी। अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। सभी योजनाओं में उद्योगों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। 90 के दशक से आर्थिक उदारीकरण तथा बहुराष्ट्रीयकरण का युग प्रारम्भ हुआ। इसके पश्चात् 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद से उद्योगों की स्थापना में तेजी आयी है। जब से भारत सरकार द्वारा विदेशियों को भारतीय उद्योगों में पूँजी निवेश करने की छूट प्रदान

---

7. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रा एवं पुरी, पृ० 381

कर दी गयी है। तब से उद्योगों में बाढ़ सी आ गयी है। उदारीकरण के इस दौर में कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को लाइसेन्स से मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधिकांश उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, जिसमें विदेशी पूँजी भी लगाई जा सकती है।

विकासशील अर्थव्यवस्था में औद्योगीकरण का महत्व :

विकासशील एवं अल्प विकसित राष्ट्र, जो औद्योगिक विकास करना चाहते है, वहाँ पर निर्माण उद्योगों के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए औद्योगीकरण से विशेष सहायता मिलती है। औद्योगीकरण के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न हैं :

1. अतिरिक्त जनसंख्या को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
2. राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके सामान्य्य जीवन स्तर को ऊँचा उठाना।
3. भुगतान संतुलन की अवस्था को ठीक करना, जिससे विदेशी विनियम तथा निर्यातों में स्थिरता बनी रहे।

यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो प्रायः सभी देशों में औद्योगिक विकास तीन अवस्थाओं से गुजरता है। औद्योगिक विकास की प्रथम अवस्था में उद्योग प्रायः प्राथमिक उत्पादन के परिष्करण तक ही सीमित होता है, जिसमें कृषि, वन, पशु, खनन में ही अधिकांश व्यक्ति लगे रहते है। दूसरी अवस्था में ऐसे उद्योग पनपने लगते हैं, जो प्राथमिक उत्पादों का रूपान्तरण करके नवीन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तृतीय अवस्था में मशीन, इंजीनियरिंग, यातायात, बैंकिंग आदि का विकास होता है जिससे ऐसी वस्तुएँ एवं सेवाओं का सृजन किया जा सके, जो उत्पादन में सहभागिता सुनिश्चित करे, ताकि औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से अग्रसर किया जा सके।

किसी भी राष्ट्र में औद्योगीकरण की प्रक्रिया पर दो तत्वों का प्रभाव पड़ता है – आर्थिक तत्व एवं अनार्थिक तत्व। आर्थिक तत्वों में कई प्रकार के साधन निहित होते हैं, जिनके द्वारा देश का औद्योगिक विकास होता है। प्रत्येक देश का औद्योगिक विकास उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की मात्र पर निर्भर करता है, जिनमें भूमि, जल,

खनिज पदार्थ, समुद्री साधन, वन, जलवायु, शक्ति, देश का क्षेत्रफल एवं भौगोलिक बनावट तथा वर्षा आदि को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। प्रो० डब्ल्यू० लुईस के अनुसार, "औद्योगिक विकास एवं प्राकृतिक साधन एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। मनुष्य निर्धन संसाधनों की अपेक्षा सम्पन्न संसाधनों को अधिक महत्व देते हैं। यही कारण है कि वही देश विकास की ऊँची दर की आशा करते हैं, जिन्हें सर्वाधिक अवसर प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से प्राप्त हों। औद्योगिक विकास में जनसंख्या का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या जहाँ एक ओर माँग को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन में वृद्धि कर पूर्ति में वृद्धि करती है। परन्तु, अल्प विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि अभिशाप होती है क्योंकि इन राष्ट्रों में जनसंख्या पहले से ही अधिक होती है। अतः जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में बेराजगारी की समस्या और विकराल रूप धारण कर लेती है। संसाधनों का उचित उपयोग नही हो पाता है एवं पूर्ति भी उसी अनुपात में नही बढ़ पाती है। परिणम स्वरूप वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तथा विनियोग की मात्रा कम हो जाती है। पूँजी आधुनिक औद्योगिक विकास का मूल आधार है। पूँजी निर्माण की गति को तेज किए बिना औद्योगिक विकास असम्भव है।"

पूँजी उत्पाद अनुपात भी औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण तत्व है। भारत स्वतंत्रता के बाद से औद्योगीकरण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहा। परन्तु, कृषि प्रधान होने के कारण पूर्ण औद्योगीकरण के अवसर सुगमता से प्राप्त नहीं हो सके। अतः भारत के सम्पूर्ण आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण को अपनाया, क्योंकि इसी के माध्यम से देश का आर्थिक विकास सम्भव है।

भारत में औद्योगिक संवृद्धि दर :

अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक रूप से पश्चिम यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं से अधिक विकसित थी। अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय उद्योगों को तहस–नहस कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आजादी के समय भारत को कमजोर औद्योगिक आधार, अल्पविकसित आधारित संरचना तथा गतिहीन अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। सरकार ने दिसम्बर 1947 में उद्योग सम्मेलन बुलाया, ताकिं विद्यमान औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सके और व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास हो। इस सम्मेलन में

प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के मध्य बेहतर सम्बन्ध बनाने के दृष्टिकोण से एक त्रि–दलीय समझौता किया गया, जिसमें निवेशकों तथा श्रमिकों के बीच तीन वर्ष के लिए शान्ति का प्रस्ताव रखा गया। इसके पश्चात् 1948 तथा 1956 में औद्योगिक नीति पारित की गयी। इसके बाद भी कई औद्योगिक नीतियाँ पारित की गयीं, जो उद्योगों के विकास में सहायक थी।[8]

योजनाकाल में औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो महालनवीस माडल पर आधारित थी, में पूँजीगत उद्योगों एवं मूलभूत उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी, जो दूसरी में बढ़कर 7.2 प्रतिशत तथा तीसरी में 9 प्रतिशत हो गयी। 1965 से 1976 के मध्य औद्योगिक संवृद्धि की दर गिरकर 4.1 प्रतिशत रह गयी। इसके पश्चात् पाँचवी योजना काल में संवृद्धि दर 6.1 प्रतिशत तक पहुँच गयी। वर्ष 1979-80 में औद्योगिक संवृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गयी। इसके पश्चात् छठीं योजना में 6.4 प्रतिशत, सातवीं में 8.5 प्रतिशत, आठवीं में 7.24 प्रतिशत तथा इसी प्रकार नवीं योजना में विकास की दर 8.2 प्रतिशत रखी गयी थी।

नियोजन काल में भारतमें उद्योगों का विकास :

भारत प्राचीन काल से ही औद्योगिक क्षेत्र में विश्व का अग्रणी राष्ट्र रहा है। साथ ही विश्व का "वर्कशाप" कहलाता था। 18 वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो में भारतकी औद्योगिक ख्याति कम होने लगी। भारत ने औद्योगिक उत्पादों के निर्यात के स्थान पर विदेशी वस्तुओं का आयात प्रारम्भ कर दिया। ब्रिटिश शासन में 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कुछ विदेशियों तथा कुछ भारतीय उद्यमियों ने आधुनिक ढंग के उद्योगों में रूचि लेना प्रारम्भ किया। जिससे सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग आदि के क्षेत्र में आधुनिक इकाइयों की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के पश्चात् सर्वप्रथम 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी। आर्थिक विकास की दर को तीव्र करने के लिए सरकार ने नियोजित आर्थिक विकास की पद्धति को 1 अप्रैल 1951 से अपनाया, जो निरन्तर जारी है।

---

8. भारतीय अर्थव्यवस्था, जे०एन० मिश्रा, पृ० 441

सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर विनियोग :

भारतीय नियोजन काल में सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए अधिक व्यय किया गया है। परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता आयी तथा औद्योगिक ढाँचे के अनुकूल परिवर्तन हुए। विनियोग की प्रगति निम्न है :

तालिका संख्या - 2.1

सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर विनियोग (करोड़ रू० में)

पंचवर्षीय योजना	संगठित एवं खनिज उद्योग	कुटीर एवं लघु उद्योग	अन्य
प्रथम	55	22	97
द्वितीय	938	187	1125
तृतीय	1726	241	1967
चतुर्थ	2864	243	3107
पंचम	6888	376	7264
षष्ठम्	14790	1945	16948
सप्तम्	14708	2753	22461
अष्टम्	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	47888
नवम्	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	65148

स्रोत : इकोनामिक सर्वे, 1987-88, 2000-2001

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल विनियोग 97 करोड़ रूपये था, जो द्वितीय योजना में बढ़कर 1125 करोड़ रूपये हो गया। तृतीय योजना में 1967 करोड़ रूपये, पाँचवी में 7264 करोड़ रूपये तथा सातवीं में कुल पूँजी निवेश बढ़कर 22461 करोड़ रूपये हो गया। 1991 के उदारीकरण का दौर प्रारम्भ हुआ, जिसमें विदेशी पूँजी को काफी रियायत दी गयी। आठवीं योजना में कुल पूँजी निवेश 47887 करोड़ रूपये का रहा, जो नवीं योजना में बढ़कर 65148 करोड़ रूपये हो गया। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न योजनाओं में पूँजी निवेश लगातार बढ़ रहा है, जो औद्योगीकरण में काफी सहायक है।

भारत की औद्योगिक नीति

किसी भी देश के विकास के लिए औद्योगीकरण नितान्त आवश्यक है। औद्योगीकरण एक उपयुक्त औद्योगिक नीति के सृजन तथा क्रियान्वयन पर निर्भर होता है। औद्योगिक नीति से देश के भावी औद्योगिक विकास के स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार किसी भी देश के औद्योगिक नीति के दो प्रमुख अंग होते हैं। प्रथम, उस देश की चिन्तनधारा, जो भावी औद्योगिक विकास का स्वरूप निर्धारित करती है और द्वितीय, एक उपयुक्त कार्यान्वयन योग्य योजना, जो औद्योगिक विकास के स्वरूप को ठोस रूप प्रदान करती है। यदि किसी देश में औद्योगिक विकास स्वरूप से सम्बद्ध विचारधारा पूर्व निर्धारित हो, तो वहाँ की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य उस विचारधारा को कार्यान्वित करने के लिए एक उपयुक्त ढाँचा तैयार करना रह जाता है, जिसके प्रयोग के लिए समुचित औद्योगिक विकास किया जा सके। भारत जैसे विकासशील देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तथा देश के विकास के लिए नियोजन का मार्ग चुना। इस अर्थव्यवस्था में सरकार को कुछ आर्थिक क्रियाकलाप अपने लिए निर्धारित करने पड़ते हैं तथा कुछ पूँजीपतियों पर छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए भारत के सन्दर्भ में वह नीति औद्योगिक नीति कही जाती है जो उद्योगों को सरकारी, निजी तथा संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित करने, उनके उपयुक्त प्रबन्धन, नियन्त्रण, कार्यप्रणाली एवं विनिमय हेतु मार्गदर्शन सिद्धान्त प्रस्तुत करने तथा औद्योगिक विकास में विदेशी सहयोग और उसके सम्बद्ध नियमों एवं सृजन से सम्बन्धित होती है। [9]

प्रत्येक देश की विकास प्रक्रिया की विकास में औद्योगिक नीति की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में तो औद्योगिक नीति को देश के आर्थिक संविधान के रूप में स्थान प्राप्त है।

1948 की औद्योगिक नीति :

औद्योगिक नीति 1948 की व्याख्या के पहले पिछली नीतियों का अवलोकन किया जाय तो 1923 से पूर्व भारत की नीति स्वतन्त्र नीति थी, जिसके अन्तर्गत कोई भी माल विदेश से आ सकता था और भारतीय माल से प्रतियोगिता कर सकता था। परन्तु, 1923 से संरक्षण के लिए अपनाई गई तथा कुछ देशी उद्योगों को विदेशी

---

9 भारतीय अर्थव्यवस्था, डा० जे०एन० मिश्रा, पृष्ठ 448

प्रतियोगिता से बचाने का प्रयत्न किया गया। लेकिन यह प्रयत्न विकास के लिए पर्याप्त नहीं थे। ब्रिटिश सरकार ने जो नीतियाँ अपनाई, वे उनके लिए हितकर थीं। देश का औद्योगिक ढाँचा उचित नहीं था। पूँजी विनियोजन की गति मन्द थी।[10]

अतः 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसकी विशेषताएँ निम्न हैं :

1. औद्योगिक नीति में उद्योगों को चार वर्गो में रखा गया है :

    (क) प्रथम वर्ग में सैनिक एवं राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को रखा गया है, जिनकी स्थापना एवं विकास का पूर्ण अधिकार सरकार के पास है। इनमें अस्त्र-शस्त्र, अणुशक्ति, रेलवे, डाकतार आदि को शामिल किया गया है।

    (ख) द्वितीय वर्ग में लोहा एवं इस्पात, कोयला, हवाई जहाज, तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, बेतार के उपकरणों का निर्माण सहित छः उद्योगों को रखा गया है।

    (ग) तृतीय वर्ग में राष्ट्रीय महत्व के कुछ आधारभूत उद्योग एवं कुछ उपभोक्ता वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिसमें सरकार को राष्ट्रीय हित में नियमन एवं नियन्त्रण करने का अधिकार दिया गया है।

    (घ) चतुर्थ वर्ग में शेष सभी उद्योगों को शामिल किया गया है, जिनकी स्थापना एवं संचालन निजी क्षेत्र को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

2. कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया एवं सहायता के लिए विशेष संस्थाओं के निर्माण पर जोर दिया गया।

3. इस नीति में विदेशी पूँजी एवं तकनीकी ज्ञान को देश में लाने की अनुमति दी गयी।

4. इस नीति के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए मधुर औद्योगिक सम्बन्धों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।

---

10. भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ० चतुर्भुज मेमोरिया एवं डॉ० एस०सी० जैन।

इस नीति की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्तियों ने इसे देशहित में बताया, जबकि उद्योगपतियों एवं पूँजीपतियों ने इसे दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि यह नीति निजी क्षेत्र के हितों के विरूद्ध थी, क्योंकि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने से उद्योगों में पूँजी विनियोजन रूक जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नीति में उद्योगों के विकास की प्राथमिकता को भी निश्चित नहीं किया गया।

1956 की औद्योगिक नीति :

1956 की औद्योगिक नीति अपनाए जाने के उपरान्त देश में अनेक राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता के पश्चात् प्रथम आम चुनाव हुआ तथा भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया। अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई और भारतीय संसद ने एक समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया। इन सबके बाद 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गयी। इस नीति में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज करना, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास, भारी उद्योगों की स्थापना, सम्पत्ति एवं आय की असमानता को कम करना, आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए निजी एकाधिकारियों को नियन्त्रित करना आदि शामिल किया गया।

औद्योगिक नीति 1956 की कुछ विशेषताएँ निम्नवत् थीं :

इस नीति में उद्योगों को तीन वर्गो में रखा गया। प्रथम वर्ग में, 17 उद्योगों को रखा गया, जिनके विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार के पास था। द्वितीय वर्ग में उन 12 उद्योगों को रखा गया था, जिनके विकास में सरकार उत्तरोत्तर अधिक भाग लेगी। तृतीय वर्ग में शेष उद्योगों को रखा गया। इसके अतिरिक्त लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सेवाओं की व्यवस्था तथा विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन दिया गया।

इस औद्योगिक नीति की आलोचना की गयी, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों की तुलना में भारी उद्योगों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसके अतिरिक्त इस नीति में कृषि को उद्योगों के विकास से अलग रखा गया।

नयी औद्योगिक नीति 1991 :

90 के दशक में भारत में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया, जब 24 जुलाई 1991 को संसद ने नयी औद्योगिक नीति की घोषण की। नये औद्योगिक नीति में बहुत से उदारवादी कदम उठाए गये हैं एवं उद्योगों को कानूनी नियंत्रण से मुक्त करनेका प्रावधान किया गया है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिल सके। नयी नीति मे कुछ उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों को औद्योगिक लाइसेन्स से मुक्त रखा गया है। एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम से प्रभावित कम्पनियों के पूँजी पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है। इसके अतिरिक्त विदेशी पूँजी निवेश की सीमा जो 40 प्रतिशत थी, बढ़ाकर 51 प्रतिशत कर दी गयी है। [11]

इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिरक्षा एवं परमाणु ऊर्जा, खनन एवं रेल परिवहन को ही शामिल किया गया है। शेष सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। पूँजीगत साधन तथा जनता की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी शेयरों के एक हिस्से को बेचने की व्यवस्था की गयी है। इसे विनिवेश नीति के नाम से जाना जाता है।

इस नीति में एम०आर०टी०पी० अधिनियम में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे नई कम्पनियो को स्थापित करने, एक कम्पनी का दूसरी कम्पनी मे विलय करने, एक कम्पनी द्वारा दूसरे कम्पनी को खरीदनें तथा कुछ मामलों में निदेशकों की नियुक्ति में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होगी। कुल मिलाकर इस का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना है। इसकी मुख्य बातें निम्न है :

1. उद्योगों पर लगे कानूनी एवं प्रशासनिक नियन्त्रणों में ढील दी गयी है।
2. पूँजीगत वस्तुओं के आयात को स्वतंत्र अनुमति प्रदान की गयी है।
3. विदेशी पूँजी निवेश के प्रस्ताव के साथ विदेशी तकनीक प्राप्त करना अब आवश्यक नहीं है तथा उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए विदेशी तकनीक को स्वतः अनुमति प्रदान की गयी है।
4. छः उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योग लाइसेन्स मुक्त कर दिए गये है एवं सभी वर्तमान स्थापित इकाइयों की विस्तार परियोजना लागू करने के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

---

11. भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ बद्री विशाल त्रिपाठी।

5. एम०आर०टी०पी०. अधिनियम में कम्पनियों की सम्पत्ति की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गयी है।
6. अब नये प्रबन्ध स्वरूप में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ने की सम्भावना है।
7. छँटनी किए गये मजदूरों एवं कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गयी है।
8. डी०जी०टी०डी० तकनीकी विकास निदेशालय सहित सभी मौजूदा पंजीकरण योजनाएँ रद्द कर दी गयी है।
9. सार्वजनिक कम्पनियों की शेयर पूँजी का कुछ भाग म्यूचुअल फण्डों, वित्तीय संस्थाओं तथा सीधे निवेशकों को बेचने की योजना है।
10. निजी क्षेत्रों को पूर्व में वर्जित क्षेत्रों में विस्तार की खुली छूट प्रदान की गयी है।
11. बीमार उद्योगों के पुनर्वासन का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को दिया गया है।

नयी औद्योगिक नीति में कुछ सकारात्मक पहलू अवश्य है किन्तु, इसके दूरगामी परिणाम अधिक घातक हो सकते है। इस प्रकार की नीति अर्थव्यवस्था को पूर्णतः गुलाम बना देगी क्योंकि इस नीति में विदेशी पूँजी निवेश को खुली छूट दे दी गयी है। इसके अतिरिक्त एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के तहत निवेश सीमा को छूट प्रदान करने से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार होने की आशंका है। इस नीति से रोजगार के अवसरों का सृजन न होकर ह्रास होगा, क्योंकि विदेशी तकनीक पूँजी प्रधान है। भारत में जनसंख्या की अधिकता को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में श्रम प्रधान तकनीक की आवश्यकता है।

नियोजन काल में औद्योगिक विकास :

अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के साथ देश में औद्योगिक विकास के नये आयाम स्थापित किए। नियोजन काल के दौरान देश औद्योगिक आधार पर मजबूत हुआ ही साथ ही साथ औद्योगिक स्तर भी ऊँचा उठा है। नियोजन काल में हुई औद्योगिक प्रगति निम्नवत् है :

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-55) :

इस योजना का उद्देश्य द्वितीय महायुद्ध एवं देश के विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलित परिस्थितियों में सुधार करना, कृषि व्यवस्था में सुधार लाना, परिवहन तथा संचार माध्यमों का विस्तार आदि को शामिल किया गया है। इस योजना में औद्योगिक विकास की अपेक्षा कृषि को प्राथमिकता दी गयी, फिर भी सिन्दरी उर्वरक, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हिन्दुस्तान एन्टिबॉयोटिक लिमिटेड, हिन्दुस्तान टेलीफोन, फैक्ट्री आदि को इस योजना में स्थापित किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 55 करोड़ रूपये तथा निजी क्षेत्र में 233 करोड़ रूपये का विनियोग किया गया। इस योजना में औद्योगिक उत्पादन 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्पादन सूचकाँक (आधार वर्ष 1960 = 100) 1951 के आधार 54.8 प्रतिशत से बढ़कर 1955 में 72.7 प्रतिशत हो गया। कुछ उद्योगों की प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका सं० 2.2

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ चुने हुए उद्योगों का विकास

क्रमाँक	उद्योग	इकाई	1950-51	1955-56
1.	कच्चा लोहा	लाख टन	14.7	19.5
2.	तैयार इस्पात	लाख टन	10.4	13.0
3.	सीमेण्ट	लाख टन	27.3	46.7
4.	चीनी	लाख टन	11.3	18.9
5.	कास्टिक सोडा	हजार टन	12.0	36.0
6.	साइकिलें	हजार में	99.0	513.9
7.	रेलवे वैगन	हजार में	2.9	15.3
8.	मशीनी उपकरण	लाख रू० में	30.0	80.0
9.	सूती वस्त्र	करोड़ मी०	421.5	627.0

स्रोत : प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत थी, जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं में 6 प्रतिशत तथा पूँजीगत उद्योग में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) :

औद्योगिक विकास की दृष्टि से महालनोवीस मॉडल पर आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने बड़े पैमाने पर आधारभूत एवं पूँजीगत वस्तु उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा, ताकि भविष्य औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा सके। योजना में युक्ति इस प्रकार है :

"यदि औद्योगीकरण तीब्र गति से होता है तो देश का लक्ष्य मूल उद्योगों का विकास होना चाहिए तथा उन उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, जो भविष्य की आवश्यकता के लिए जरूरी मशीनों को बनाने वाले यंत्रों का उत्पादन कर सकें। अर्थात् लोहा एवं इस्पात, अलौह धातुओं, कोयला, सीमेण्ट, भारी रसायन तथा मूल महत्व के उद्योगों का विस्तार किया जाय।"

सल्फ्यूरिक एसिड, अखबारी कागज, पालिथीन आदि का प्रथम बार देश में उत्पादन हुआ। इस योजना अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक विनियोगक 960 करोड़ रूपये तथा निजी क्षेत्र में 850 करोड़ रूपये का हुआ। योजना अवधि में औद्योगिक विकास का लक्ष्य 10.5 प्रतिशत रखा गया, परन्तु, 7.25 प्रतिशत ही विकास दर को प्राप्त किया जा सका, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका सं० 2.3

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ चुने हुए उद्योगों का विकास

क्रमाँक	उद्योग	इकाई	1955-56	1960-61
1.	कच्चा लोहा	लाख टन	19.5	43.1
2.	तैयार इस्पात	लाख टन	13.0	23.7
3.	सीमेण्ट	लाख टन	46.7	79.7
4.	चीनी	लाख टन	18.9	30.0
5.	कास्टिक सोडा	हजार टन	36.0	101.0
6.	साइकिलें	हजार में	51.3	107.0
7.	रेलवे वैगन	हजार में	15.3	18.2
8.	मशीनी उपकरण	लाख रू० में	80.0	700.0
9.	सूती वस्त्र	करोड़ मी०	626.0	673.0
10.	विद्युत मोटर	हजार एच०पी०	2.7	7.3
11.	नाइट्रोजनयुक्त ख़ाद	हजार टन	80.0	100.0
12.	फॉस्फेट युक्त खाद	हजार टन	12.0	53.0

स्रोत : द्वितीय योजना (1956-61)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कच्चे लोहे का उत्पादन 1956 में 19.5 लाख टन था, जो 1960-61 में बढ़कर 43.1 लाख टन हो गया। इसी प्रकार सीमेण्ट, औजार, रेलवे वैगन, के उत्पादन मे भी वृद्धि हुई। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास की गति सन्तोषजनक रही है। इस योजना में लोहा एवं इस्पात उद्योग, भारी मशीन एवं औजार निर्माण उद्योग, भारी विद्युत आदि उद्योगों की स्थापना हुई, जो एक सफलता का सूचक है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) :

तृतीय पंचवर्षीय योजना में अगले 15 वर्षो में औद्योगिक तथा खनिज विकास में आत्मनिर्भर होने के लिए मशीन निर्माण तथा पंजीकृत उद्योगों की स्थापना, उन उद्योगों के लिए तकनीकीकरण सापेक्षिक कुशलता तथा डिजाइन आदि की क्षमता उपलब्ध

कराने पर विशेष दिया गया। इस योजना में बोकारो इस्पात उद्योग को प्रारम्भ किया गया। इस योजना में संगठित उद्योग एवं खनिज पर सार्वजनिक क्षेत्र में 1500 करोड रूपयें तथा ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर 150 करोड रूपये तथा निजी क्षेत्र में 1350 करोड रूपये विनियोग का लक्ष्य था। 1962 में चीनी आक्रमण, 1965 के पाक आक्रमण के कारण युद्ध सामग्री के निर्माण उद्योगों के विकास पर बल दिया था। योजना के प्रथम चार वर्षो में औद्योगिक उत्पादन 8 से 9.6 प्रतिशत ही बढ़ा और अन्तिम वर्ष में पाक आक्रमण की वजह से 4.3 प्रतिशत ही बढ़ा, जिससे वार्षिक उत्पाद 7.9 प्रतिशत रहा, जबकि वह 11 प्रतिशत अनुमानित किया गया था। अधिकांश उद्योगों के लक्ष्य पूरे नही किए जा सके।

तालिका - 2.4

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ चुने हुए उद्योगों का लक्ष्य एवं प्रगति

क्र.सं.	उद्योग	इकाई	1955-56 लक्ष्य	1965-66 प्रगति
1.	इस्पात पिण्ड	लाख टन	92.0	65.3
2.	पेट्रोलियम पदार्थ (शोधित)	लाख टन	98.6	94.0
3.	सीमेण्ट	लाख टन	130.0	108.0
4.	नाइट्रोजन युक्त खाद	लाख टन	8.0	0.3
5.	फास्फेट युक्त खाद	लाख टन	4.0	1.2
6.	सल्फ्यूरिक एसिड	लाख टन	15.4	6.6
7.	वनस्पति	लाख टन	5.0	4.0
8.	चीनी	लाख टन	35.0	35.1
9.	एल्युमिनियम	हजार टन	80.0	62.1
10.	रेलवे वैगन (संख्या)	हजार में	33.5	23.5
11.	साइकिल (संख्या)	हजार में	20.0	15.7
12.	मशीन औजार (मूल्य)	करोड रू० में	30.0	25.4
13.	सूती वस्त्र	करोड मीटर	580.0	440.1

स्रोत - तृतीय योजना (1961-66)

उपर्युक्त तालिका को देखने से यह स्पष्ट है कि कुछ उद्योगों को छोड़ बाकी उद्योगों की प्रगति सन्तोषजनक नही रही है, जिसमें लौह एवं इस्पात, रसायन खाद का उत्पादन लक्ष्य से काफी कम रहा है। लेकिन चीनी, सूती वस्त्र, मशीनी औजार, एल्यूमिनियम आदि की गति सन्तोषजनक रही है। योजनावधि में कृषि जन्य कच्चे मालों की कमी तथा विदेशी सहायता में कटौती के कारण भी औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा।

तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69) :

तृतीय योजना के पश्चात चौथी योजना लागू करना सम्भव न था, इसलिए तीन वार्षिक योजनाएँ लागू की गयी। इन वार्षिक योजनाओं का लक्ष्य ओद्योगिक क्षेत्र की उन कमियों को दूर करना था, जो तृतीय योजनावधि में उत्पन्न हो गयी थी। इस योजना में उद्योग एवं खनिज पदार्थो पर सार्वजनिक व्यय 1575 करोड रूपये तथा निजी निवेश पर 580 करोड रूपये था। ग्रामों एवं लघु उद्योगों पर सार्वजनिक तथा निजी व्यय क्रमशः 144.1 करोड रू०, 250 करोड़ रूपये था। 1967 में औद्योगिक उत्पादन 0.2 प्रतिशत एवं 1968 में 0.5 प्रतिशत रहा, लेकिन 1968-69 में 6.2 प्रतिशत वृद्धि रहा। इस प्रकार कुछ उद्योग को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के उत्पादन में सन्तोषजनक वृद्धि रही। [12]

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) :

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में देश को शीघ्र आत्मनिर्भर बनाने के प्रधान लक्ष्य के साथ औद्योगिक क्षेत्र में संतुलित एवं स्वावलम्बी विकास का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में संगठित उद्योगों एवं खनिज पर लगभग 5300 करोड़ रूपये के विनियोग का लक्ष्य था। इसमें से 3050 करोड़ रूपये सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 2250 करोड़ रूपये निजी क्षेत्र के लिए रखे गए थे, जबकि वास्तविक व्यय खनिज एवं उद्योग पर 2864 करोड़ रूपये तथा 243 करोड़ रूपये लघु उद्योगों पर व्यय हुआ। इस अवधि में औद्योगिक प्रगति पूर्णतः सन्तोषजनक थी। चतुर्थ योजना में औद्योगिक विकास दर 8-10 प्रतिशत की लक्ष्य दर की अपेक्षा 4.7 प्रतिशत रही, जिसका प्रमुख कारण मूल्यों

---

12. उद्योग व्यापार पत्रिका , अगस्त 2001

में वृद्धि, पूँजी विनियोग के प्रति उद्यमियों की रूचि में कमी, स्थापित क्षमता का अपूर्ण उपयोग और प्रबन्धकीय व प्रशासनिक अकुशलताएँ रही हैं।

तालिका - 2.5

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उद्योग का लक्ष्य एवं उत्पादन

क्र.सं.	उद्योग का नाम	इकाई	1973-74 उत्पादन लक्ष्य	1973-74 वास्तविक प्रगति
1.	इस्पात पिण्ड	लाख टन	108.0	57.6
2.	तैयार इस्पात	लाख टन	81.0	44.7
3.	नाइट्रोजन युक्त खादें	लाख टन	25.0	10.6
4.	पोटाश युक्त खाद	लाख टन	9.0	3.2
5.	कच्चे खनिज तेल उत्पादन	लाख टन	85.0	74.0
6.	सल्फ्यूरिक एसिड	लाख टन	25.5	13.4
7.	जूट का सामान	लाख टन	14.0	0.7
8.	चीनी	लाख टन	47.0	39.5
9.	वनस्पति घी	लाख टन	63.0	4.5
10.	सीमेण्ट	लाख टन	180.0	47.0
11.	एल्यूमीनियम	हजार टन	220.0	147.9
12.	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)	करोड मीटर	510.0	408.0

स्रोत - चतुर्थ योजना (1969-74)

पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-78) :

पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता के साथ आधारभूत उद्योगों का तेजी से विकास, निर्यातों में वृद्धि, सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण व लघु उद्योगों में बढ़ावा, औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र का विकास, अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर रोक तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करना था। इस योजना में खनिज तथा औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 9660 करोड़ रू०, निजी एवं सहकारी क्षेत्र में 7000 करोड़ रूपये तथा ग्राम व लघु उद्योगों के लिए 635 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी थी। लेकिन सार्वजनिक

में केवल 7264 करोड रू० व्यय हुए। इस योजना में वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 8.9 प्रतिशत था लेकिन औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत ही प्राप्त कर सकी।

तालिका - 2.6

पाँचवी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्योगों का उत्पादन एवं लक्ष्य

क्र.सं.	उद्योग का नाम	इकाई	1977-78 उत्पादन लक्ष्य	1977-78 वास्तविक प्रगति
1.	तैयार इस्पात	लाख टन	91.0	69.7
2.	नाइट्रोजन युक्त खादें	लाख टन	40.0	20.0
3.	पोटाश युक्त खादें	लाख टन	12.5	6.7
4.	खनिज तेल	लाख टन	120.0	193.0
5.	सीमेण्ट	लाख टन	150.0	413.5
6.	चीनी	लाख टन	57.0	57.0
7.	एल्यूमीनियम	हजार टन	370.0	213.7
8.	ताँबा	हजार टन	45.0	21.7
9.	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)	करोड़ मीटर	520.0	64.6

स्रोत - पाँचवीं योजना (1974-79)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि लोहा एवं इस्पाात, भारी रसायन, सीमेण्ट, चीनी, एल्यूमीनियम आदि की प्रगति सन्तोषजनक कही जा सकती है।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) :

छठीं योजना में कई वर्षो की प्रगति को देखते हुए औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी। इसमें स्थापित उद्योगों की क्षमता में वृद्धि करना, पिछड़ें क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करना, इंजीनियरिंग उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि, एवं तकनीक में सुधार लाना आदि को ध्यान में रखा गया था। इस योजना में वास्तविक व्यय 16948 करोड़ रूपये के मुकाबले 15018 करोड़ रूपये व्यय का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में विकास का लक्ष्य 7 प्रतिशत रखा गया था लेकिन 5.5 प्रतिशत ही प्राप्त कर सकी।

तालिका - **2.7**

छठीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्योगों का उत्पादन एवं लक्ष्य

क्र.सं.	उद्योग का नाम	इकाई	1984-85 उत्पादन लक्ष्य	1984-85 वास्तविक प्रगति
1.	कोयला	दस लाख टन	165	147.5
2.	खनिज लोहा	दस लाख टन	60	42.2
3.	इस्पात पिण्ड	दस लाख टन	15	10.8
4.	एल्यूमिनियम	लाख टन	3	2.8
5.	नाइट्रोजन फास्फेट	लाख टन	56	51.8
6.	सीमेण्ट	लाख टन	345	295.0
7.	चीनी	लाख टन	76	61.4
8.	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)	करोड़ मीटर	350	261.9

स्रोत - छठीं योजना (1980-85)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोहा का 600 लाख टन का लक्ष्य था, जब कि 420 लाख टन का वास्तविक उत्पादन रहा। कोयला 1650 लाख टन, एल्यूमिनियम 3 लाख टन, सीमेण्ट 345 लाख टन एवं सूती वस्त्र उद्योग 350 करोड़ रूपये मीटर का लक्ष्य था। जिनका कि वास्तविक उत्पादन 1475 लाख टन, 2.8 लाख टन, 295 लाख टन एवं 261.9 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ। फिर भी यह योजना अपने वास्तविक विकास दर को प्राप्त नही कर सकी। क्योंकि आधारभूत सुविधाओं का अभाव, पुरानी तकनीकी, उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना, श्रम समस्यायें रही थी जिसकी वजह से यह अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकी।

सप्तम् पंचवर्षीय योजना (1985-90) :

सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुख औद्योगिक लक्ष्य उत्पादन और निर्यातोन्मुख उद्योगों में विशेष क्षमता को बढ़ाना, विद्यमान क्षमता का अधिकतम उपयोग तथा स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग एवं खनन पर 22460.8 करोड़ रूपये व्यय की व्यवस्था की गयी थी।

तालिका - 2.8

साँतवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य एवं प्रगति (उत्पादन में)

क्र. सं.	उद्योग	इकाई	1989-90 लक्ष्य	1986-87 प्रगति	1987-88 प्रगति	1988-89 प्रगति	1989-90 प्रगति
1.	कोयला	मि०टन	226.00	165.08	197.07	194.06	137.07
2.	खनिज तेल	मि०टन	34.53	30.48	30.36	32.04	25.99
3.	चीनी	मि० टन	10.20	8.50	9.11	8.71	—
4.	वस्त्र	अरब मी०	14.50	9.52	9.40	9.08	9.08
5.	नाइट्रोजन खादें	मि० टन	6.56	5.41	5.47	6.71	4.93
6.	फास्फो०खा०	मि०ट०	2.19	1.66	1.67	2.25	1.27
7.	सीमेण्ट	मि० टन	49.00	36.59	39.57	44.27	32.48
8.	इस्पात	मि० टन	12.64	8.22	8.51	9.21	6.43
9.	वि०प्रजनन	विलि०कि०वा०	295.40	187.88	201.09	221.01	181.03

स्रोत - साँतवीं योजना (1985-90)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कोयला, इस्पात, सीमेण्ट, वनस्पति तेल, वस्त्र, विद्युत उत्पादन आदि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस योजना में 1985-86 के औद्योगिक विकास दर 8.7 प्रतिशत, 1986-87 में 9.1 प्रतिशत, 19-87-88 में 7.5 प्रतिशत, 1988-89 में 8.8 प्रतिशत तथा 1989 में 5.3 प्रतिशत (अप्रैल से नवम्बर तक) वृद्धि दर रही जबकि इस योजना की विकास दर 8 प्रतिशत रखी गयी थी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) :

औद्योगिक क्षेत्र में अस्सी के दशक के निष्पादन को देखते हुए घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये। इसी परिप्रेक्ष्य में ओद्योगिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की गयी जिसमें ओद्योगिक वित्तीय, व्यापारिक एवं विदेशी विनिवेश नीतियाँ सम्मिलित हैं। आठवीं योजना के प्रथम वर्ष में वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत रही। 1995-96 में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद 1997-98 में घटकर 4.2 प्रतिशत वृद्धि दर रह गयी। कुल मिलाकर आठवीं योजना में औद्योगिक उत्पादन 7.24 प्रतिशत वार्षिक रहा। [13]

13. भारतीय अर्थव्यवस्था - रूद्रदत्त एवं के०पी० एम० सुन्दरम्, पृष्ठ 174

तालिका - 2.9

आठवीं योजना में कुछ उद्योगों का उत्पादन एवं लक्ष्य

क्र.सं.	उद्योग	इकाई	1991-92	1996-97
1.	तैयार इस्पात	लाख टन	145	228
2.	सीमेण्ट	लाख टन	530	760
3.	चीनी	लाख टन	120	155
4.	औद्योगिक मशीनरी	करोड़ रू० में	3148	4355
5.	सूती वस्त्र	करोड़ मीटर	1826	2470
6.	उवर्रक	लाख टन	98	128
7.	वनस्पति	हजार टन	850	1050
8.	कागज एवं गत्ता	हजार टन	2395	3200
9.	एल्यूमीनियम	हजार टन	514	656
10.	साइकिले (संख्या)	लाख	74	90
11.	इलेक्ट्रानिक्स	करोड़ रू०	15070	36000

स्रोत - आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्रगति सन्तोषजनक रही है। इस योजना में उद्योग एवं खनन पर 46922 करोड़ रूपये, विनिर्माण पर 188400 करोड़ रूपये, विद्युत गैस पर 102120 करोड़ रूपये, परिवंहन पर 8790 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2000) :

नौवी पंचवर्षीय योजना की शुरूआत अच्छी नही रही यद्यपि उसके कई कारण थे। विनियोग की मन्दगति, माँग का अभाव, अवस्थापना की अपर्याप्तता, विश्वव्यापी मंदी आदि। नौवीं योजना की विकास दर 8.3 प्रतिशत रखी गयी है। इस योजना को औद्योगिक विकास की नयी व्यापार व्यवस्था विश्व व्यापार संगठन के परिप्रेक्ष्य में भी देखा गया है। नौवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र पर कुल 1181933 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी थी। नौवीं योजना का उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार रहा है

तालिका - 2.10

नौवीं योजना में कुछ उद्योगों का उत्पादन लक्ष्य

क्र.सं.	उद्योग	इकाई	1996-97 उत्पादन	1997-2000 लक्ष्य
1.	कच्चा लोहा	मि० टन	65.13	100.00
2.	सीमेण्ट	मि० टन	76.00	113.00
3.	उवर्रक	लाख टन	111.55	173.00
4.	चीनी	मि० टन	14.50	19.50
5.	वस्त्र	मि० टन	20131.40	44000.00
6.	जूट निर्मित	हजार टन	1401.10	1790.00
7.	कागज	हजार टन	3100.00	4950.00
8.	वनस्पति	हजार टन	994.00	1100.00
9.	मशीन टूल्स	करोड़ रू०	1284.93	2300.00
10.	इलेक्ट्रानिक्स	करोड़ रू०	26640.00	1373450.00

स्रोत - नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

उपर्युक्त तालिका 2.10 से स्पष्ट है कि नौवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। कुछ क्षेत्रों में तो 1996-97 की तुलना में 1997-2000 की अवधि में डेढ़ गुना अधिक बढ़ने की सम्भावना है। लेकिन इलेक्ट्रानिक्स के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि की आशा है।

30 सितम्बर 2000 को नौवी योजना का मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया जिसने सार्वजनिक क्षेत्र में 66% विनियोग का लक्ष्य था, लेकिन 1997-2000 में यह केवल 46.98% ही आंकलित किया गया। औद्योगिक विकास 1997-2000 तक 6% से भी कम रही है। यदि शेष दो वर्षो में यदि 10.5% वार्षिक वृद्धि दर रखा जाय, तब कही जाकर अपने 8.3% के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी। जबकि वर्ष 2000-2001 में यह वृद्धि दर 5.3% रही है। [14]

योजना आयोग. ने शेष अवधि के लिए खनिज एवं उद्योग पर 9279.2 करोड़ रूपये, ग्रामीण विकास पर 5388.5 करोड़ रूपये निर्धारित किए है। [15]

14. कामर्स जर्नल-प्रबल प्रताप सिंह तोमर पृष्ठ, 93, 94 (इला० विश्वविद्यालय)
15. वही

भारतीय नियोजन काल में भारत औद्यागिक विकास की मंजिल की ओर अग्रसर है। भारत ने इस काल में औद्योगिक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए है। नियोजन काल में आधारभूत उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी गयी हैं कृषि आधारित वस्तुओं के स्थान पर निर्माण वस्तुओं का निर्यात में प्रमुख स्थान है। आज भारत अनेक मामलों में आत्मनिर्भर हो चुका है।

नियेाजन काल में कुछ कमियाँ दिखलायी देती है। आज भारतीयों उद्योगों की प्रमुख कमी उत्पादन क्षमता के अल्प प्रयोग की है। उत्पादन क्षमता के अल्प प्रयोग 70-90 प्रतिशत तक भी देखने को मिलता है। भारतीय औद्योगिक विकास में एक बहुत बड़ी कमी आधारभूत सुविधाओं की रही है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में ओद्यागिक विकास की गति को तीव्रता नही मिल पाती है। साथ ही क्षेत्रीय विषमताएँ उत्पन्न होती हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 2002 से प्रारम्भ हो चुकी है। इस योजना में आम जनता के उपभोग की वस्तुओं को आत्मनिर्भर के साथ सामाजिक न्याय और रोजगार में वृद्धि करना है। भारत की पूँजी प्रधान औद्योगिक विकास के साथ स्वदेशी साधन आधारित औद्योगिक विकास पर बल देना है।

अतः भारत के लिए औद्योगिकीकरण तो आवश्यक है, लेकिन औद्योगिक स्वरूप एवं दिशा देश व देशवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा रोजगारोन्मुख होने चाहिए।

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

प्रस्तावना :

वर्तमान में विश्व के बदलते परिदृश्य में देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ बनाने में उद्योग की निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि के बाद सम्भवतः उद्योग सेक्टर ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ रोजगार उपलब्ध कराने की प्रबल सम्भावनायें हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए लघु उद्योगों के विकास में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सुनियोजित ढंग से नीतियों एवं कार्यक्रमों को संचालित करने पर प्राथमिकता दी जाती है तथा राज्य सरकारों द्वारा उद्योगों में अधिकाधिक पूँजी निवेश आकर्षित करने हेतु लगातार प्रयास किया जाता रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश का अपना प्रथम स्थान है। गुजरात व महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक आई०ई०एम० तथा एल०ओ०आई० उत्तर प्रदेश को प्राप्त करने का गौरव है।

जनसंख्या एवं साधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का महत्वपूर्ण प्रदेश है। उद्योग नीति वर्ष 1998 के अन्तर्गत प्रदेश में गतिशील आर्थिक परिदृश्य, औद्योगिक विकास में प्रचुर सम्भावनायें, संसाधनों की उपलब्धता, उदारीकरण की प्रक्रिया एवं बाजार सुधारों से उद्योगों की समृद्धि के लिए अत्यधिक अवसर सृजित हुए है। नियोजित ढंग से औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कई महत्वपूर्ण नीतियों की स्पष्ट रूप से घोषणा की गयी, जिसमें निर्यात नीति एवं खनिज नीति प्रमुख हैं। इन नीतियों में निर्धारित दिशा के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के फलस्वरूप उद्योगों में अधिकाधिक पूँजी निवेश आकर्षित करने हेतु प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है, ताकि उत्तर प्रदेश को "उद्योग प्रदेश" के स्वरूप में देखा जा सके।

वर्तमान में बदलते परिवेश तथा औद्योगिक नीति में की गयी घोषणाओं के अनुसार सरकारी नीतियों में समय–समय पर परिवर्तन कराए गए, ताकि उद्योग इन चुनौतियों का निर्भीक एवं प्रभावी ढंग से सामना कर सके। अधिकाधिक पूँजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अनिवासी भारतीयों को विशेष रियायतें दिए जाने का निश्चय किया गया है। प्रदेश में बड़ी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करने, औद्योगिक गलियारों के विकास, प्रदेश में लघु उद्योगों द्वारा किए जा रहे उत्पादों के विपणन हेतु प्राइवेट कम्पनियों की संरचना, कर्मचारियों की दक्षता में

वृद्धि, एकल मेज व्यवस्था तथा टेक्नोलाजी मिशन के माध्यम से प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक समूहों को विकसित किए जाने पर इस प्रदेश के औद्योगिक स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा, जिससे न केवल वर्तमान औद्योगिक वातावरण सुदृढ़ होगा, अपितु भविष्य में अधिकाधिक पूँजी निवेश की सम्भावनायें प्रबल होंगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से कतिपय उद्योगों के महत्वपूर्ण क्लस्टर कार्यरत हैं। इन क्लस्टरों के सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा इण्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। जिसमें आगरा की फाउण्ड्री, कानपुर का चमड़ा उद्योग, फिरोजाबाद का काँच उद्योग तथा खुर्जा का पॉटरी उद्योग है। इस अध्ययन से जहाँ इस क्षेत्र में लगे उद्योगों का वर्तमान स्तर बढ़ेगा वहीं इन उद्योगों का अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक बाजार में भी प्रवेश होगा।

प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ प्रशासनिक एवं संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट व्यूरो का गठन किया गया है तथा उद्योग निदेशालय का निर्यात सेल सुदृढ़ किया जा रहा है। निर्यात में उपयोग होने वाले कच्चे माल आदि का व्यापार कर की छूट, निर्यातक इकाइयों को विशिष्टता की श्रेणी में रखने, ग्रीन कार्ड जारी किये जाने की व्यवस्था, श्रम कानूनों के पुनरीक्षण आदि से प्रदेश का निर्यात निश्चित रूप से गतिशीलता प्राप्त करेगा।

पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास :

उत्तर प्रदेश में प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थो में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इस मुख्य उद्देश्य के अतिरिक्त औद्योगिक विकास में सफलता अर्जित करना, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना, शक्ति के साधनों को विकसित करना तथा शिक्षण संस्थाओं का विकास करना था। प्रदेश सरकार ने प्रथम योजना में अपने सम्पूर्ण बजट का 8 प्रतिशत उद्योग एवं खनिज पदार्थो के विकास हेतु सुनिश्चित किया था। इस प्रकार इस योजनावधि में मात्र दो कारखानों की स्थापना की गयी थी, जिनमें एक डीजल लोकोमोटिव और केमिकल, मऊडीह में तथा शाहपुरी में, दोनों ही क्रमशः वाराणसी में ही की गयी है। परन्तु इन इकाइयों में उत्पादन कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में तीव्र ओद्योगीकरण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि के माध्यम से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत वृद्धि अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। औद्योगिक विकास की विचारधारा को प्रभावित करने के लिए राज्य की दूसरी योजना में कई कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। जैसे बाजार की दशाओं में सुधार करना, नए उद्योगों की स्थापना करना, सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में। इस योजना काल में यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 13 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जायेगें। इस योजना की कुल निर्धारित धनराशि 248 करोड़ रूपये थी जिसका 17 प्रतिशत भाग औद्योगिक विकास में व्यय किया गया।

इस योजना का उद्‌देश्य प्रान्त में तीव्र औद्योगिक विकास करना था, जिसके अन्तर्गत भारी तथा आधारभूत उद्योगों की स्थापना तथा नए रोजगार के अवसर सृजित करना आदि थे। फलस्वरूप इस योजना काल में सीमेण्ट, रसायन तथा एल्युमीनियम कारखाने, क्रमशः एक डाला, दो रेनूकूट में स्थापित किए गए। इस योजना काल में गोरखपुर में सात, मिर्जापुर में तीन और बस्ती जनपद में एक कारखाना स्थापित किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल उत्तर प्रदेश देश के औद्योगिक मानचित्र में यद्यपि महत्वपूर्ण स्थान नही रखता, फिर भी पिछले दशक में औद्योगिक क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई है। दुर्भाग्य से देश के सीमित संसाधनों तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए कम आवंटन एवं प्रान्तीय सरकार द्वारा स्वयं औद्योगीकरण के लिए कोई विशाल कार्यक्रम न तैयार करने की स्थिति रही है। राज्य में विशाल उद्योगों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार का सहयोग अति आवश्यक है। इसलिए प्रान्त के तीव्र औद्योगीकरण के लिए प्रान्त में निजी उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक दशाएँ उत्पन्न करनी होगी।

तृतीय योजना काल में कुछ योजनाओं पर विचार किया गया है – जैसे मिर्जापुर जनपद में ब्रास कापर उद्योग की स्थापना, चुनार में पॉटरी विकास योजना का विस्तार तथा गोरखपुर जनपद में सेरोकल्चर योजना आदि प्रमुख हैं। वर्तमान समय में सेरोकल्चर योजना देवरिया जनपद में कार्यरत है। टसर उद्योग के विकास हेतु पाइलट योजना 39 लाख रूपये की लागत से प्रारम्भ की गयी। यह योजना मिर्जापुर जनपद के

अहरौरा नामक स्थान पर खोलने के लिए प्रस्तावित थी, जहाँ पर अर्जुन, बेर तथा अन्य ऐसे वृक्ष हैं, जिन पर सिल्क के कीड़े आसानी से पाले जा सकते हैं।

चतुर्थ योजना काल में केवल कार्यशील औद्योगिक इकाइयों के विस्तार एवं उनके विकास पर विशेष दिया गया है। सर्वाधिक वरीयता हैण्डलूम तथा पावरलूम, लघु स्तरीय उद्योगों (सिल्क, खादी तथा ग्रामीण लघु स्तरीय इकाइयाँ) तथा कृषि विकास हेतु अनेक योजनाओं पर एवं नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया है।

इस योजना अवधि में दो बड़े पावर प्रोजेक्टों की स्थापना की गयी है, जिनमें ओबरा में थर्मल पावर स्टेशन तथा रिहन्द बाँध योजना को क्रमशः 57 करोड़ एवं 3.75 करोड़ रूपयों की लागत से तैयार किया गया। इनके अतिरिक्त 4 बड़ी औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना की गयी है : जैसे मेसर्स औद्योगिक वायु गैस, डी०एल०डब्ल्यू०, गैराडील, चीनी मिल औराई वाराणसी तथा सरैया स्टील काम्प्लेक्स गोरखपुर आदि स्थानों पर स्थापित किए गए हैं।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग कृषि पर आधारित रहा है, फिर भी खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र की आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस क्षेत्र की आय जो वर्ष 1960-61 में 10.2 प्रतिशत थी, वही वर्ष 1970-71 में बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गयी। फिर भी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक लाख व्यक्ति पर कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या जहाँ वर्ष 1970-71 में 475 थी, वहीं भारत में उसी समय प्रत्येक लाख पर कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 901 थी। सकल घरेलू उत्पाद में वृहद, मध्यम् एवं लघु उद्योगों का 61 प्रतिशत था। प्रान्त के परम्परागत उद्योग जैसे – सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, तेल आदि खराब स्थिति में थे।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगिक विकास में वृद्धि 8 से 10 प्रतिशत आँकी गयी। राज्य की दो प्रधान औद्योगिक ईकाइयाँ, सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी उद्योग दोनों में रही है। इस योजना काल में चीनी उद्योग के विकास हेतु राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रान्तीय सुगर निगम की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप 4 नयी

चीनी मिलों की स्थापना की गयी, जो पैकोली, रसड़ा (बलिया), नन्दगंज (गाजीपुर) तथा साथीन (आजमगढ़) आदि है। पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य के हैण्डलूम कारखाने राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे बनारस की रेशम की साड़ियाँ, विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

राज्य में औद्यागिक क्षेत्र का विस्तार हेतु द्विउद्देशीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी, जिसका उद्देश्य रोजगार के नए अवसरों का सृजन, उत्पादित वस्तुओं का उचित एवं समान वितरण रहा है। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे :

(1) सहायक औद्योगिक ईकाइयों के विकास हेतु योजनायें
(2) पिछड़े हुए जनपदों का विकास
(3) शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजनाएँ
(4) उत्पादित सेलों की स्थापना आदि

काँग्रेस के तीन दशक शासनकाल के पश्चात् केन्द्र तथा राज्य दोनों जगह जनता पार्टी की सरकार का शासनकाल आया। जनता पार्टी सरकार की औद्योगिक नीति काँग्रेस सरकार की औद्योगिक नीति से भिन्न थी। जनता सरकार ने अपनी घोषित औद्योगिक नीतियों में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास को प्राथमिकता प्रदान किया क्योंकि इन उद्योगों के माध्यम से नए रोजगार के अवसरों का सृजन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार ने कानूनी रूप से यह घोषणा की कि वृहद् स्तरीय उद्योगों को लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयों से प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए।

योजना आयोग ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को अलग करके रोलिंग प्लान की विचारधारा को घोषित किया। यह योजना 31 मार्च 1978 को समाप्त कर दी गयी।

छठीं एवं सातवीं योजनाकाल में उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण कार्यव्यवस्था मिश्रित विनियोग पर आधारित अर्थव्यवस्था है। राज्य में नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रारम्भ होने के बाद से प्रान्तीय सरकार तीव्र औद्योगीकरण हेतु वचनबद्ध हो गयी। नियोजन काल में सार्वजनिक क्षेत्र में (संगठित उद्योग क्षेत्र, खनिज उद्योगों में कुटीर एवं लघु उद्योगों) औद्योगिक विकास के लिए अधिक व्यय किया गया। परिणामस्वरूप राज्य में औद्योगिक रूचि में तीव्रता से परिवर्तन आया।

छठीं योजनाकाल में (1980-85) सर्वप्रमुख वरीयता शक्ति के क्षेत्र को प्रदान की गयी। इस क्षेत्र में कुल विनियोग का 30.59 प्रतिशत विनियोजित किया गया। तत्पश्चात् सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण को द्वितीय प्राथमिकता प्रदान की गयी। तत्पश्चात् यातायात एवं संचार, औद्योगिक एवं ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों को क्रमशः प्राथमिकताएँ प्रदान की गयी। सम्पूर्ण योजना काल में उद्योग एवं खनन क्षेत्र को छठाँ स्थान प्राप्त किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में प्रदेश के त्वरित एवं समन्वित आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बड़े–बड़े उद्योगों की स्थापना के साथ–साथ लघु, लघुतर, ग्रामीण एवं दस्तकारी उद्योगों का तेजी से विकास किया गया। छठीं योजना के अन्त तक् जहाँ प्रदेश में 1,10,710 लघु औद्योगिक ईकाइयाँ स्थापित हो चुकी थी। उनकी संख्या बढ़कर सातवीं योजना काल में 2,16,251 हो गयीं। इस प्रकार वृहद् एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। छठीं योजना के अन्त में 690 वृहद्! एवं मध्यम इकाईयाँ रू० 3,575 करोड़ के पूँजी निवेश से स्थापित हुई थीं, उनकी संख्या सातवीं योजनाकाल में बढ़कर 939 हो गयी, जिनमें कुल पूँजी निवेश रू० 7,842.98 करोड़ हो गया। सातवीं योजना काल में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, उद्यमिता विकास, उद्यमियों को प्राप्त सुविधाओं को आकर्षक बनाना एवं त्वरित औद्योगीकरण के लिए आवश्यक साधनों, जैसे विद्युत, कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने सम्बन्धी योजनाओं पर विशेष बल दिया गया जिसके फलस्वरूप इस येाजना काल में औद्योगिक विकास दर 10.9 प्रतिशत हो गयी।[1]

सातवीं योजना काल के अंत में प्रदेश में 107 औद्योगिक क्षेत्र तथा 115 औद्योगिक स्थानों की स्थापना की जा चुकी थी। विकास खण्ड को भारी औद्योगीकरण का केन्द्र बनाने के उद्देश्य से ब्लाक स्तर पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया। 67 मिनी औद्योगिक उन स्थान विकसित किए गए। इसके अतिरिक्त 105 अन्य स्थानों के विकास का कार्य विभिन्न चरणों पर था। भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत देश में 8 विकास केन्द्र विकसित किए गए। हर केन्द्र में एक से दो हजार एकड़ क्षेत्रफल प्रस्तावित था और लगभग 30 करोड़ रूपये की लागत की अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया।

---

1. वार्षिक योजना, वाल्यूम I (भाग II) 2000 पृष्ठ 95, नियोजन प्रभाग, उत्तर प्रदेश

देश के कुंल हस्तशिल्प उत्पाद का छठां भाग उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। उत्तर प्रदेश में काली, आर्कमेटल वेयर, काष्ठ कला, चिकन, जरी, कलात्मक पॉटरी व चर्मकला वस्तुएँ देश ही नहीं वरन् विदेश में भी ख्याति अर्जित कर चुकी है। इस योजनाकाल में इस क्षेत्र में लगभग 7,00,000 कारीगर कार्यरत थे, जिनके द्वारा प्रतिवर्ष 510 करोड़ रूपये मूल्य का हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। इसमें से प्रतिवर्ष 400 करोड़ से अधिक का निर्यात होता था। चर्म उद्योग में भी इस योजना काल में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले यह उद्योग कुटीर उद्योग तक ही सीमित था परन्तु अब इस योजना काल में आधुनिक लघु व मध्यम क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हुई, जिनमें चमड़ा टेनिग, फिनिशिंग, क्रामटेनिंग इत्यादि होता है। वर्ष 188-89 में उत्तर प्रदेश जल विकास एवं विपणन निगम का कुल टर्नओवर 253.89 लाख रूपये था। वहीं 1989-90 में बढ़कर 275.30 लाख हो गया। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र की परिधि में पहले केवल 26 उद्योग थे, परन्तु इस योजना काल से कोई भी उद्योग, चाहे वह विद्युत या बिना विद्युत से उत्पादन करता हो, जो ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाय, जहाँ की आबादी 10,000 से अधिक न हो तथा प्रति रोजगार के अवसर पर कुल स्थाई पूँजी निवेश 15,000 रूपये से अधिक न हो, ग्रामोद्योग की श्रेणी में आये। ऐसे उद्योगों को विभिन्न विशिष्ट सुविधाएँ, जैसे बहुत कम ब्याज दर पर ऋण आदि उपलब्ध कराना, दी गयी। हथकरघा उद्योग के क्षेत्र में, प्रदेश में लगभग 15 लाख बुनकर इस उद्योग से जीविकोपार्जन करते हैं। वर्ष 188-89 में जहाँ 653.96 मिलियन मीटर वस्तु का उत्पादन हुआ था, वही 1989-90 में बढ़कर 660.88 मिलियन मीटर हो गया। वर्ष 1988-89 में हथकरघा निगम का वार्षिक टर्नओवर 92.77 करोड़ रूपये था, जो 1989-90 में बढ़कर 105 करोड़ रूपये हो गया।[2]

प्रदेश में त्वरित औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शासन द्वारा इस योजना काल में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी। इस नयी औद्योगिक नीति में सन्तुलित औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। पहली बार समाज के ऐसे वर्ग, जो आर्थिक विकास की मुख्य धारा से दूर हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएँ एवं भूतपूर्व सैनिक इत्यादि को विशेष सुविधायें देकर औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

---

2. उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास, 1992-93, नियोजन एवं समन्वय प्रभाग, कानपुर, पृष्ठ 14

सातवीं योजना के पश्चात् प्रदेश में दो वार्षिक योजनाएँ (1990-92) लागू की गयीं। इसका कारण राजनैतिक तथा आर्थिक अस्थिरता थीं इन दो वर्षों में औद्योगिक विकास की दर बहुत ही निम्न रही, जो कि 1.1 प्रतिशत थी। इन दो वार्षिक योजनाओं के अन्त में वृहद् तथा लघु ईकाइयों की संख्या 279543 थी, जिसमें लघु इकाईयों में 1679.64 करोड़ रूपये पूँजी विनियोजित की गयी तथा 1729674 व्यक्तियों को रोजगार मिला। 1990-92 की अवधि में 1295 वृहद इकाईयाँ स्थापित की गयी तथा 4.85 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। इसी अवधि में वृहद ईकाइयों द्वारा 1472 करोड़ रूपये की वस्तुओं का उत्पादन किया गया। [3]

आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की औद्योगिक विकास दर मात्र 4.2 प्रतिशत रही। इस योजना के अन्त तक (1992-97) कुल 1656 वृहद् इकाईयाँ थीं, जिनमें 29199 करोड़ रूपये की पूँजी विनियोजित थी तथा 7.23 लाख व्यक्ति सेवायोजित थे। इसी प्रकार लघु औद्योगिक ईकाइयों की वर्ष 1997 में कुल संख्या 4.11 लाख थी, जिनमें 2714.42 करोड़ रूपये की पूँजी लगी थी। इन लघु ईकाइयों में 21.64 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। इस प्रकार आठवीं योजना अवधि में 1.31 लाख लघु स्तरीय ईकाइयाँ तथा 661 वृहद् स्तरीय इकाईयाँ स्थापित हुई, जिनमें क्रमशः 1679 करोड़.रूपये तथा 20956 करोड़ रूपये की पूँजी विनियोजित थी। इसी प्रकार रोजगार के क्षेत्र में क्रमशः 4.34 लाख तथा 1.27 लाख व्यक्ति इन इकाईयों में कार्यरत थे। 1996-97 में विनिर्माण क्षेत्र की कुल आय में पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत उद्योगों का योगदान क्रमशः 59.53 प्रतिशत तथा 40.47 प्रतिशत था। [4]

नवीं पंचवर्षीय योजना का काल 1997 से 2002 तक का है। औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाओं, प्रचुर संसाधनों की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के दृष्टिगत प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने तथा उद्योगों में अधिकाधिक पूँजी निवेश आकर्षित करने हेतु प्रदेश सरकार ने वर्ष 1998 में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, सुरक्षित औद्योगिक वातावरण बनाने, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने अनिवासी भारतीयों को पूँजी निवेश हेतु आकर्षित करने, सहभागिता एवं सम्वेदनशील आर्थिक व्यवस्था कायम करने तथा उद्योगों को विशिष्ट प्रोत्साहन पैकेज तथा पुराने उद्योगों को जीवन्त बनाने की

---

3. ऐनुअल प्लान, 1999-2000, पृष्ठ 95, नियोजन विभाग, उ०प्र०
4. वही।

रणनीति अपनायी गयी। इस नीति में उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की गयी। उत्तर प्रदेश में बड़ी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन्फ्रास्ट्रक्चर इनीशियएटिव फण्ड की स्थापना की गयी है। प्रदेश की औद्योगिक सम्भावनाओं के पूर्ण उपयोग के लिए औद्योगिक गलियारों का विकास, उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति, वितरण में निजी क्षेत्र को दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। उद्योगों से सम्बन्धित विभागों में बेहतर तालमेल, एकरूपता, उचित अनुश्रवण, पर्यवेक्षण तथा नीतियों में सामंजस्य लाने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास आयुक्त का पद सृजित किया गया है। जिसके अन्तर्गत औद्योगिक विकास विभाग, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, वस्त्र उद्योग विभाग, हथकरघा विभाग, रेशम विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी विभाग एवं खादी विभाग थे। ग्रामोद्योग को थ्रस्ट सेक्टर चिन्हित करते हुए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। पारम्परिक उद्योगों के विकास के लिए टेक्नॉलाजी मिशन 10 क्षेत्रों में प्रारम्भ किया गया है। लघु उद्योगों के विपणन सहायता हेतु भी समुचित नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाए गए।

प्रदेश की निर्यात नीति, निर्यात स्तर में तत्परता एवं सतत् वृद्धि हेतु तथा इसके फलस्वरूप प्रदेश के औद्योगिक विकास में गति लाने के लिए संकल्प के साथ घोषित की गयी। उत्तर प्रदेश से वर्तमान में 7500 करोड़ रूपये का निर्यात हो रहा है, जिसे वर्ष 2002 तक 20,000 करोड़ रूपये करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए प्रशासनिक एवं संस्थागत व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्यात में उपयोग होने वाले कच्चे माल आदि पर व्यापार कर की छूट, निर्यातक इकाईयों को ग्रीन कार्ड जारी करने सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं को विकास एवं उच्चीकरण, श्रम सम्बन्धी कानूनों के पुनरीक्षण आदि निर्यात नीति के प्रमुख बिन्दु हैं। निर्यात नीति में सेक्टर स्पेसिफिकेशन प्लान प्रस्तावित है।

नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रतिपादित एकलमेज व्यवस्था, स्वरोजगार बन्धु एवं टेक्नोलॉजी मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश की औद्योगिक गति को नयी दिशा मिली है। वर्ष 2000-01 के माह दिसम्बर 2000 तक प्रदेश में कुल 20042 लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई, जिनमें 21775 लाख रूपये का पूँजी

निवेश हुआ तथा 45 हजार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।[5] भारत सरकार द्वारा जारी आई०ई० एम० एवं एल०ओ०आई० की क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा रहा है तथा संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के पश्चात् तीसरा स्थान है।

तालिका संख्या 3.1

उत्तर प्रदेश में योजनाकाल में औद्योगिक वृद्धि दर

योजना	योजनाकाल	औसत वार्षिक वृद्धि दर
प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951-1956	2.3%
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956-1961	1.7%
तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961-1966	5.7%
तीन वार्षिक योजनाएँ	1966-1969	1.2%
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1969-1974	3.4%
पाँचवी पंचवर्षीय योजना	1974-1979	9.4%
छठीं पंचवर्षीय योजना	1980-1985	9.4%
सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985-1990	10.95%
दो वार्षिक योजनाएँ	1990-1992	1.1%
आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992-1997	4.2%
नवीं पंचवर्षीय योजना (लक्ष्य)	1997-2002	12%

1. एनुअल प्लान 1999-2000, पृष्ठ 93, नियोजन प्रभाग, उत्तर प्रदेश

प्रस्तुत तालिका के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति धीमी रही है। पाँचवी पंचवर्षीय योजना तक वार्षिक वृद्धि दर 5.7% को पार नहीं कर सकी है। जबकि लक्षित वृद्धि दर 8-10 प्रतिशत थी। औद्योगिक क्षेत्र में वास्तविक तेजी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात् आयी हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में सर्वाधिक औद्योगिक वार्षिक दर 11 प्रतिशत रही है, जो फिर से घटकर आठवीं योजना में 4.2 प्रतिशत रह गयी।

---

5. प्रगति समीक्षा, 2000-01, उद्योग निदेशालय, कानपुर, उ० प्र०, पृष्ठ 8

यदि वृद्धि दर की धीमी गति को छोड़ दिया जाए, तो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान, जो 1950-51 में 6 प्रतिशत था, 1996-97 में बढ़कर 15.7% हो गया। यह दर 1980-81 के मूल्यों पर आधारित है। इसी प्रकार विनिर्माण क्षेत्र की आय में पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत उद्योगों का योगदान क्रमशः 39 प्रतिशत तथा 61 प्रतिशत था, जो 1996-97 में बढ़कर क्रमशः 59.53 प्रतिशत तथा 40.47 प्रतिशत हो गया, जो तीव्र विकास को प्रदर्शित करता है।[6]

वृहद् एवं मध्यम उद्योग :

प्रदेश के समुचित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए सुनियोजित औद्योगिक योजनाएँ बनायी गयी हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में वर्तमान कार्यरत उद्योगों को सुचारू रूप से कार्य करते रहने के साथ–साथ नयी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु प्रयास करना है। प्रादेशिक औद्योगिक नीति को इस प्रकार बनाया गया है, जिससे प्रदेश के उद्यमियों के साथ– साथ प्रदेश के अन्य प्रान्तों के उद्यमी तथा प्रवासी भारतीय उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित एवं आकर्षित किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है।

शासन ने क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए कुछ विशेष सुविधायें प्रदान की है, जिनके अन्तर्गत पायनियर एवं प्रेस्टिज इकाइयों को उपादान दिए जाने की घोषणा की गयी है। उद्योग शून्य तहसीलों में 1 करोड़ रूपये या उससे अधिक के अचल पूँजी विनियोजन से सर्वप्रथम स्थापित की जाने वाली इकाई पायनियर इकाई कहलाएगी, तथा उसे 15 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश के किसी भी जनपद में 25 करोड़ रूपये या उससे अधिक अचल पूँजी विनियोजन से स्थापित की जाने वाली इकाई प्रस्टिज कहलाएगी एवं उसे 15 लाख अनुदान दिया जाएगा। प्रेस्टिज इकाई को 15 लाख रूपये अतिरिक्त अनुदान उस स्थिति में देय होगा जबकि यह इकाई पूरक उद्योगों को भी पर्याप्त सीमा तक लगाने हेतु प्रोत्साहित करेगी। वर्ष 1989-90 के मार्च माह तक कुल 17 पायनियर तथा 2 प्रेस्टिज इकाईयाँ पंजीकृत की

---

6. एनुअल प्लान 1999-2000, पृष्ठ 93, नियोजन प्रभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

गयी थी, जिनमें योजना के आरम्भ काल से 15 पायनियर तथा 1 प्रेस्टिज इकाई को 170 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।[7]

उद्योग शून्य जिलों में विकास गति को तीव्र करने के लिए इन जिलों में उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना को उच्च वरीयता दी जा रही है। राज्य में स्थापित ऐसे सभी उद्योग, जो दिनांक 1 अक्टूबर 1982 से 31 मार्च 1982 तक लग गए हैं तथा उत्पादन में आ गए हैं, उन्हें उद्योग शून्य जिलों में 7 वर्ष, पिछड़े जिलों में 6 वर्ष तथा साधारण जिलों में 5 वर्ष के लिए बिक्रीकर छूट आस्थगन की सुविधा प्रदान की गयी है। सरकार की इस नीति का प्रदेश के उद्योगों में पूँजी विनियोजन की दिशा में रचनात्मक प्रभाव पड़ा है तथा इस आकर्षण में बहार से उद्यमी उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए सम्पर्क कर रहे हैं।[8]

भारत सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 42 जिलों के लिए केन्द्रीय पूँजी उपादान योजना घोषित की है। इन 42 जिलों को तीन श्रेणी "ए" "बी" "सी" श्रेणी के जिलों में पूँजी उपादान 15 प्रतिशत एवं "सी" श्रेणी के जिलों में पूँजी उपादान 10 प्रतिशत की दर से उद्योग स्थापना में होने वाले अचल पूँजी विनियोजन में किया जाता है। इस उपादान की अधिकतम धनराशि सीमा क्रमशः 25 लाख, 15 लाख तथा 10 लाख रूपये निर्धारित की गयी है।[9]

भारी एवं मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति पर है। सातवीं योजना के अन्त तक इस श्रेणी की 939 इकाईयाँ स्थापित की जा चुकी थी जिनमें विनियोजन 7843 करोड़ रूपये तथा रोजगार सृजन 448968 था, जबकि वर्तमान कुल 2616 वृहद् एवं मध्यम स्तरीय उद्योग स्थापित हो चुके हैं, जिनमें 41266.20 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश एवं रोजगार सृजन के रूप में 738582 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर के रूप में सुलभ होगें।[10]

भारत सरकार उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक शिथिलीकरण नीति, 1991 के तहत मध्यम एवं वृहद स्तरीय उद्योगों की स्थापना हेतु अगस्त 1991 से 31 दिसम्बर 2000 तक 3966 इच्छापत्र (आई०ई०एम०) उद्यमियों के पक्ष में जारी किए गए हैं।

---

7. उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास, 1988-89, पृष्ठ 1, उद्योग निदेशालय, उ०प्र०
8. वही
9. प्रगति समीक्षा, 1988-89, पृ० 1, उद्योग निदेशालय, कानपुर, उ० प्र०
10. प्रगति समीक्षा 1989-90, पृष्ठ 4, उद्योग निदेशालय, कानपुर

जिनमें 68740 करोड़ रूपये का पूँजी विनियोजन एवं 632586 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है। [11]

उक्त जारी इच्छापत्रों के तहत उद्यमियों द्वारा उंद्योग स्थापना हेतु अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु उद्योग निदेशालय/उद्योग बन्धु की स्थापना की गयी है। उद्योग बन्धु ने औद्योगिक विकास की नयी गति में उद्यमियों तथा औद्योगिक संगठनों के साथ निकट एवं निरन्तर सम्पर्क बनाए रखकर औद्योगिक प्रगति की मैत्रीपूर्ण एवं साझेदारी की व्यवस्था बनाए जाने का प्रयास किया है। त्वरित निर्णय, सरल प्रक्रिया, अविलम्ब समस्या निवारण तथा पारदर्शी प्रशासन के आधार पर 31-12-2000 तक जारी 3066 इच्छापत्रों के विरूद्ध 2056 उद्योग प्रस्तावों से उद्योग स्थापित किए गए। 162 परियोजनाएँ क्रियान्वयन के अन्तिम चरण में है तथा 1168 आई०ई०एम० उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापना में विभाग द्वारा प्रयास के बावजूद रूचि नहीं ली गयी एवं 580 आई०ई०एम० भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। [12]

भारत सरकार उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक शिथिलीकरण नीति 1991 के तहत मध्यम एवं वृहद् उद्योगों की स्थापना हेतु अगस्त 1991 से 31 दिसम्बर 2000 तक 360 आशय पत्र प्राप्त हुए। जिनमें पूँजी विनियोजन 9,919 करोड़ रूपये तथा 103100 व्यक्तियों को रोजगार सृजन प्रस्तावित है।

तालिका - 3.2

विगत वर्षो में इच्छापत्रों का पूँजी विनियोजन तथा रोजगार सहित तुलनात्मक विवरण

वर्ष	जारी इच्छापत्र	पूँजी विनियोजन (करोड़ रूपये में)	रोजगार संख्या
1996	520	6504	81698
1997	403	5155	51723
1998	273	3244	41028
1999	228	5403	27794
2000	260	2011	21767

स्रोत : उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, 2000-01, पेज 5 उद्योग निदेशालय, कानपुर

11. प्रगति समीक्षा, 2000-2001, पृ०५, उद्योग निदेशालय, कानपुर,
12. वही

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि विगत् 5 वर्षो में जारी इच्छापत्र, पूँजी विनियोजन तथा रोजगार सृजन की दृष्टि से वर्ष 1996 अग्रणी रहा है। परन्तु, इसके बाद इनमें निरन्तर गिरावट आयी है जो 1998 में न्यूनतम थी। जबकि जारी इच्छापत्र की दृष्टि से वर्ष 1999 सबसे नीचे रहा है।

तालिका - 3.3

उत्तर प्रदेश में विभिन्न मदों द्वारा अगस्त 1991 से 31 दिसम्बर 2000 तक पूँजी निवेश प्रस्ताव

क्र.सं.	मद	संख्या	पूँजी निवेश (करोड़ रू० में)	रोजगार सृजन
1.	आई०ई०एम०	3966	68740	632586
2.	एल०ओ०आई०	360	9919	103100
3.	एफ०डी०आई	436	41348	—
4.	एफ०टी०सी०	267	—	—
5.	ई०ओ०यू०	204	2042	35955

स्रोत : उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, 2000-01, पेज 7 उद्योग निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर

1. आई०ई०एम० – उद्यमी इच्छा पत्र
2. एल०ओ०आई० – लेटर ऑफ इन्डेंट या आशय पत्र
3. एफ०डी०आई० – प्रत्यक्ष पूँजी निवेश (फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेण्ट)
4. एफ०टी०सी० – विदेशी तकनीकी समन्वय (फारेन टेक्नीकल कोलैबरेशन)
5. ई०ओ०यू० – शत–प्रतिशत निर्यात मूलक इकाई (100% एक्सपोर्ट ओरिएण्टेड यूनिट)

उपर्युक्त तालिका में उत्तर प्रदेश में अगस्त 1991 से 31 दिसम्बर 2000 क अवधि में विभिन्न योजनाओं द्वारा निवेश प्रस्तावों की संख्या, उनमें पूँजी निवेश की मात्रा तथा सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या का उल्लेख है। उपरोक्त अवधि में आई०ई०एम० की योजना के अन्तर्गत 3966 पूँजी निवेश प्रस्ताव आए जिनमें 68740 करोड़ रूपये की पूँजी लगनी थी तथा 632586 रोजगार अवसर सृजित हुए। एल०ओ०आई० योजना के अन्तर्गत 360 पूँजी निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें 9919 करोड़

रूपये की पूँजी तथा 103100 रोजगार के अवसर सृजित होने थे। प्रत्यक्ष पूँजी निवेश योजना के अन्तर्गत 436 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 41348 मिलियन रूपये की विदेशी भागीदारी होनी थी। विदेशी तकनीकी समन्वय योजना में 267 प्रस्ताव आए। इसी प्रकार शत–प्रतिशत निर्यातमूलक अधिकारियों से 204 प्रस्ताव आए, जिनमें 2042 करोड़ रूपये की पूँजी तथा 35955 रोजगार के अवसर सृजित हुए। इस प्रकार विगत् 10 वर्षो में कुल 5233 प्रस्ताव आए, जिनमें आई०ई०एम० मद के अन्तर्गत कुल निवेश का 75 प्रतिशत प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ।

तालिका - 3.4

उत्तर प्रदेश में में योजनाकाल में वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में रोजगार तथा उत्पादन

क्र.सं.	योजनाकाल	रोजगार	उत्पादन (करोड़ रू० में)
1.	प्रथम पंचवर्षीय योजना	24960	156
2.	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	84480	669
3.	तृतीय पंचवर्षीय योजना	147040	1232
4.	तीन वार्षिक योजनाएँ	168480	1404
5.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	216960	2079
6.	पाँचवी पंचवर्षीय योजना	268800	2800
7.	वार्षिक योजना (1979-80)	280800	3030
8.	छठीं पंचवर्षीय योजना	332580	3575
9.	सातवीं पंचवर्षीय योजना	458650	8243
10.	वार्षिक योजना (1990-91)	464959	9215
11.	वार्षिक योजना (1991-92)	485214	9715
12.	आठवीं पंचवर्षीय योजना	611919	29199
13.	नवीं पंचवर्षीय योजना (लक्ष्य)	600000	70000

स्रोत : वार्षिक योजना, 1999-2000, भाग 2, नियोजन विभाग, लखनऊ, उ०प्र०। पृष्ठ 95

उपरोक्त तालिका में उत्तर प्रदेश में वृहद् एव मध्यम उद्योगों का योजनाकाल में रोजगार तथा उत्पादन प्रदर्शित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में वृहद् उद्योगों से

24960 व्यक्तियों को रोजगार मिला था। दूसरी योजना में 59520, तीसरी में 62560, चौथी में 69920, पाँचवीं में 51840, छठीं में 63700, सातवीं में 126070 तथा आठवीं योजना में 126705 रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। इस प्रकार पिछली पंचवर्षीय योजना से सर्वाधिक वृद्धि आठवीं योजना 126705 व्यक्तियों में हुई। सबसे कम वृद्धि पाँचवी योजना 51840 में हुई।

इस प्रकार वृहद् एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादन में भी प्रत्येक योजना में वृद्धि हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में वृहद् उद्योगों में कुल उत्पादन 156 करोड़ रूपये का हुआ। आठवीं योजना में उत्पादन बढ़कर 291999 करोड़ रूपये का हुआ। इस प्रकार प्रथम योजना से आठवीं योजना में 29043 करोड़ की वृद्धि हुई।

तालिका - 3.5

योजना अवधि में उत्तर प्रदेश में वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की संख्या

पंचवर्षीय योजना	इकाईयों की संख्या	प्रतिशत वृद्धि
प्रथम योजना	62	
द्वितीय योजना	174	180.6%
तृतीय योजना	308	77.01%
तीन वार्षिक योजनाएँ	361	14.68%
चतुर्थ योजना	462	27.98%
पाँचवीं योजना	540	16.88%
वार्षिक योजना	548	1.48%
छठीं योजना	690	23.91%
सातवीं योजना	989	43.33%
आठवीं योजना	1956	97.78%
नौंवी योजना (मार्च 99 तक)	2281	16.61%

स्रोत : वार्षिक योजना, 1999-2000, वाल्यूम 1, (भाग-2), उ०प्र०, पृष्ठ 95

उपरोक्त तालिका में प्रदेश में वृहद् एवं मध्यम उद्योग में पंचवर्षीय योजनावधि (1951-56) में वृहद् औद्योगिक इकाइयों की संख्या 62 थी। वृहद् इकाइयों की संख्या

में लगातार वृद्धि हुई। सबसे अधिक इकाइयों आठवीं योजनावधि में स्थापित हुई। इसमें 967 वृहद् औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गयी। नवीं पंचवर्षीय योजना में मार्च 1999 तक कुल वृहद् औद्योगिक इकाइयों की संख्या 2281 हो गयी।

लघु उद्योग क्षेत्र :

साधारणतः लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कुटीर अथवा गृह उद्योग, ग्रामोद्योग को वृहत उद्योगों के विपरीत अर्थ में समझा जाता है। वृहत उद्योगों में श्रम की अपेक्षा पूँजी अधिक मात्रा में विनियोजन कर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसलिए इसे पूँजी प्रधान उद्योग भी कहा जाता है। जबकि लघु उद्योग में छोटे पैमाने पर उत्पादन होता है तथा श्रम का पूँजी की अपेक्षा अधिक प्रयोग होता है।

1949-50 के तटकर आयोग के अनुसार "लघु या कुटीर उद्योग धन्धे, वे धन्धे हैं, जो अंशतः परिवार के सदस्यों की सहायता द्वारा आंशिक या पूर्णकालिक रूप में चलाए जाते हैं।"

लघु उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जिनमें निम्न दो शर्ते निहित हो :

1. औद्योगिक इकाईयों में शक्ति का प्रयोग होता है, तो उसमें न्यूनतम 50 श्रमिक तथा अधिकतम 100 श्रमिक होने चाहिए।

2. कुल विनियोजित पूँजी 5 लाख रूपये से अधिक न हो, परन्तु केन्द्रीय लघु स्तरीय परिषद् की सिफारिश के आधार पर विनियोग की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 7.5 लाख रूपये कर दी गयी, चाहे श्रमिकों की संख्या जो भी हो।[13]

मई 1975 में लघु एवं सहायक उद्योगों की परिभाषा को संशोधित करते हुए निम्न परिभाषा दी गयी :

"लघु उद्योग वे हैं, जिनकी अचल सम्पत्तियों में 10 लाख रूपये से अधिक पूँजी विनियोजित न की गयी हो तथा सहायक लघु उद्योग वे उद्योग हैं, जिनकी अचल सम्पत्तियों में 15 लाख रूपये से अधिक विनियोग न किया हो"।[14]

---

13. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्र जे० एन०, 2000
14. वही।

दिसम्बर 1977 में जनता सरकार ने अति लघु उद्योग की संकल्पना को जन्म दिया। 1977 को औद्योगिक नीति के अनुसार "अति लघु उद्योग वे हैं, जिनमें विनियोग की गयी पूँजी की मात्रा 1 लाख रूपये या उससे कम हो तथा जो ऐसे क्षेत्र में स्थापित की गयी हो, जिसकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 या इससे कम हो" [15]

वर्ष 1980 में घोषित औद्योगिक नीति में इस क्षेत्र में परिवर्तन किए गए। लघु उद्योगों में अधिकतम पूँजी विनियोग 20 लाख, सहायक उद्योगों में 2 लाख कर दिया गया। वर्ष 1985 में विनियोग सीमा में वृद्धि कर लघु उद्योगों के संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश सीमा 35 लाख रूपये एवं सहायक उद्योगों में 45 लाख रूपये कर दी गयी। [16] वर्ष 1991 तथा 1997 में इस सीमा में पुनः वृद्धि की गयी। वर्ष 1999 की नीति के अनुसार वर्तमान लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा 1 करोड़ रूपये तथा अति लघु उद्योग के लिए 25 लाख रूपये रखी गयी। [17]

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का काफी बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है तथा इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी का बोलबाला है। अतः इस प्रच्छन्न बेरोजगारी का निवारण कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास में निहित है।

लघु उद्योगों के तीव्र विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विविध सुविधायें एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिनमें व्यापार कर योजना के अन्तर्गत छूट, औद्योगिक शिल्पियों को प्रशिक्षण, लघु उद्योग इकाइयों को सरकारी क्रय मूल्य में वरीयता, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें, विकासात्मक व्यवस्था तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना उल्लेखनीय है।

इन सबके फलस्वरूप लघु उद्योग के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुयी है तथा अब इस क्षेत्र के द्वारा आधुनिक वस्तुएँ जैसे इलेक्ट्रानिक एवं इंजीनियरिंग वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है।

---

15. वही।

16. लघु उद्योग क्षेत्र, 2000, पृष्ठ 14, लघु, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली।

17. मेमोरिया एवं जैन, भारतीय अर्थशास्त्र, 2000, पृष्ठ 297

तालिका - 3.6

उत्तर प्रदेश में लघु एवं लघुत्तर इकाइयों की संख्या एवं उत्पादन

क्र.सं.	वर्ष	लघु एवं लघुत्तर इकाइयों की संख्या	उत्पादन (करोड़ रू० में)
1.	1990-91 तक	216251	4186.00
2.	1990-91	30248	258.12
3.	1991-92	33048	347.11
4.	1992-93	32807	448.99
5.	1993-94	32808	484.32
6.	1994-95	6033	321.94
7.	1995-96	29627	512.16
8.	1996-97	30155	581.61
9.	1997-98	30630	1212.41
10.	1998-99	30134	1436.92
11.	1999-2000	32212	1373.62
12.	2000-2001	20042	557.35
	योग	523995	

स्रोत : उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास 2000-2001, पृष्ठ 11, उद्योग निदेशालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त तालिका में उत्तर प्रदेश में वर्षवार स्थापित लघु एवं लघुतर इकाइयों की संख्या एवं उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 1989-90 तक कुल 216251 लघु औद्योगिक इकाइयाँ प्रदेश में स्थापित थीं, जिनके द्वारा 4186 करोड़ रूपये की वस्तुओं का उत्पादन किया गया। वर्ष 1990-91 से 2000-2001 की विगत 10 वर्षों की अवधि में सबसे अधिक संख्या में लघु औद्योगिक इकाइयाँ 1991-92 में स्थापित हुई, जिनकी कुल संख्या 33048 थीं, जबकि उनके द्वारा मात्र 347.11 करोड़ रूपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया गया। विभिन्न वर्षो में स्थापित लघु इकाइयों की संख्या में 500 से 1000 इकाइयों का ही अन्तर रहा। वर्ष 1994-95 इसका अपवाद है। इस वर्ष मात्र 6033 लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो सकी।

इसी प्रकार लघु औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हुई। विगत् वर्षो की अवधि में सबसे अधिक उत्पादन 1436.92 करोड़ रूपये वर्ष 1998-99 में हुआ। उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि वर्ष 1997-98 में हुई जो गत वर्ष की तुलना में 108.05 प्रतिशत थी। वर्ष 1994-95 को छोड़कर उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई। 1994-95 में मात्रा 321.94 करोड़ रूपये की वस्तुओं का उत्पादन हो सका।

तालिका - 3.7

उत्तर प्रदेश में लघु एवं लघुत्तर इकाईयों में पूँजी विनियोजन एवं रोजगार

क्र.सं.	वर्ष	पूँजी विनियोजन (करोड़ रू० में)	सृजित रोजगार
1.	1990-91	153.47	148967
2.	1991-92	208.48	137647
3.	1992-93	206.50	117240
4.	1994-95	205.04	112652
5.	1995-96	249.90	81453
6.	1996-97	266.31	95001
7.	1997-98	403.89	80132
8.	1998-99	399.41	74347
9.	1999-2000	370.25	76671
10.	2000-2001 (दिसम्बर तक)	217.75	45400

स्रोत : उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास 2000-2001, पृष्ठ 11, उद्योग निदेशालय, कानपुर

उपरोक्त तालिका में प्रदेश में लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा सृजित रोजगार तथा उनमें विनियोजित पूँजी दर्शित है। वर्ष 1990-91 में प्रदेश में लघु औद्योगिक इकाइयों में 153.47 करोड़ रूपये की पूँजी विनियोजित की गयी, जिसके द्वारा 148967 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। इस प्रकार लघु औद्योगिक इकाइयों में विनियोग की गयी राशि में लगातार वृद्धि होती रही। वर्ष 1997-98 में लघु औद्योगिक इकाइयों में सबसे अधिक पूँजी (403.89 करोड़ रूपये) विनियोजित की गयी,

जबकि वर्ष 1994-95 में सबसे कम पूँजी विनियोग (104.54 करोड़ रूपये) हुआ। प्रदेश में 1990-91 में 148967 व्यक्तियों को लघु इकाइयों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया। परन्तु, इसके बाद 1994-95 तक रोजगार में लगातार गिरावट आयी। 1994-95 में मात्र 28229 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। इसके बाद लघु इंकाइयों द्वारा रोजगार सृजन में वृद्धि हुई, जो 1999-2000 में 76671 था।

तालिका - 3.8

उत्तर प्रदेश में विगत् वर्षो में दस्तकारी इकाइयों की संख्या एवं उत्पादन

क्र.सं.	वर्ष	स्थापित इकाइयों की संख्या	उत्पादन (करोड़ रू० में)
1.	1990-91	40798	40.41
2.	1991-92	43965	30.77
3.	1992-93	39718	35.35
4.	1993-94	43012	33.79
5.	1994-95	42247	38.29
6.	1995-96	35017	30.56
7.	1996-97	43601	43.54
8.	1997-98	43659	47.50
9.	1998-99	44303	59.57
10.	1999-2000	43788	116.88
11.	2000-2001	28671	29.71

स्रोत : प्रगति समीक्षा, 2000-2001, पृष्ठ 11, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1990-91 से 2000-2001 में मध्य कुल 448779 दस्तकारी इकाइयाँ स्थापित थीं। सर्वाधिक दस्तकारी इकाइयों की स्थापना 1998-99 में हुई। इस वर्ष दस्तकारी इकाइयों की स्थापना हुई जिनके द्वारा 59.77 करोड़ रूपये की वस्तुओं का उत्पादन किया गया। दूसरे स्थान पर वर्ष 1990-91 रहा। इस वर्ष 43965 इकाइयाँ स्थापित हुई, जिनके द्वारा 30.77 करोड़

रूपये की वस्तु का उत्पादन किया गया। वर्ष 2000-2001 के दिसम्बर माह तक 28671 इकाइयाँ स्थापित हुई थी, जिनके द्वारा मात्र 29.71 करोड़ रूपये की वस्तुओं का ही उत्पादन किया जा सका। दस्तकारी इकाइयों द्वारा सर्वाधिक उत्पादन 116.88 करोड़ रूपये का वर्ष 1999-2000 में किया गया। जबकि सबसे कम उत्पादन वर्ष 1995-96 में 30.56 रूपये का रहा।

तालिका - 3.9

उत्तर प्रदेश में दस्तकारी इकाइयों में विगत वर्षों में पूँजी विनियोजन एवं सृजित उत्पादन

क्र.सं.	वर्ष	स्थापित इकाइयों की संख्या	उत्पादन (करोड़ रू० में)
1.	1990-91	27.60	46033
2.	1991-92	24.78	49068
3.	1992-93	28.60	44976
4.	1993-94	23.12	48811
5.	1994-95	28.84	46068
6.	1995-96	22.04	37526
7.	1996-97	40.41	47085
8.	1997-98	34.58	46004
9.	1998-99	35.62	48077
10.	1999-2000	60.87	47345
11.	2000-2001	24.04	30218

स्रोत : उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, 2000-2001, पृष्ठ 11, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1990-91 से 2000-2001 के 10 वर्षो की अवधि में दस्तकारी इकाइयों में 326.46 करोड़ रूपये की पूँजी विनियोजित हुई। वर्ष 1990-91 में 27.6 करोड़ रूपये की पूँजी का विनियोग किया गया। जबकि 1999-2000 में 60.87 करोड़ रूपये की पूँजी दस्तकारी इकाइयों में विनियोजित की गयी, जो विगत् वर्षो में सबसे अधिक रही। सबसे कम पूँजी विनियोजन 22.04 करोड़ रूपये वर्ष 1995-96 में हुआ।

वर्ष 1990-91 में दस्तकारी इकाइयों द्वारा प्रदेश में 46033 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। जबकि वर्ष 1999-2000 में सृजित रोजगार की संख्या 47345 रही। दस्तकारी इकाइयों द्वारा सबसे अधिक रोजगार 486011 वर्ष 1993-94 में दिया गया, जबकि उस वर्ष इन इकाइयों में मात्र 23.12 करोड़ रूपये की पूँजी का विनियोग किया गया। 1995-96 में मात्र 37526 व्यक्तियों को ही रोजगार उपलब्ध करायां जा सका, जो दर्शित वर्षो में सबसे कम है, जबकि उस वर्ष पूँजी विनियोजन 22.04 करोड़ रूपये का रहा। इस प्रकार वर्ष 1995-96 में दस्तकारी इकाइयों के लिए पूँजी विनियोजन तथा उसके द्वारा सृजित रोजगार अवसर की दृष्टि से कमजोर रहा। वर्ष 2001 के दिसम्बर माह तक विनियोजित पूँजी 24.04 करोड़ रूपये थी तथा 30218 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सका।

तालिका - 3.10

उत्तर प्रदेश में योजना काल में लघु स्तरीय इकाइयों में रोजगार एवं उत्पादन

योजना अवधि	सृजित रोजगार	उत्पादन (करोड़ रू० में)
प्रथम पंचवर्षीय योजना	29898	34.50
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	48382	50.16
तृतीय पंचवर्षीय योजना	114431	101.49
तीन वार्षिक योजनाएँ	124738	128.82
चौथी पंचवर्षीय योजना	160027	249.00
पाँचवी पंचवर्षीय योजना	475180	882.00
वार्षिक योजना	538260	1002.00
छठीं पंचवर्षीय योजना	920756	2143.00
सातवीं पंचवर्षीय योजना	1445060	4173.64
वार्षिक योजना 1990-91	1592027	4458.76
वार्षिक योजना 1991-92	1729674	4721.23
आठवीं पंचवर्षीय योजना	2164259	7070.18
नवीं पंचवर्षीय योजना (लक्ष्य)	800000	

स्रोत : वार्षिक योजना, 1999-2000, वाल्यूम 1, भाग , योजना विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पृष्ठ 95।

उपर्युक्त तालिका में पंचवर्षीय योजना अवधि में उत्तर प्रदेश में लघु स्तरीय इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन तथा सृजित रोजगार दर्शित हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 29898 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया, जो लगातार बढ़ता गया। द्वितीय योजना में 61.8 प्रतिशत, तृतीय योजना में 136.8 प्रतिशत की वृद्धि रोजगार में हुई। इस प्रकार लघु स्तरीय इकाइयों से बेरोजगारों को गुणात्मक रूप से रोजगार प्राप्त हुआ। आठवीं पंचवर्षीय येाजना में अन्त तक 2164259 व्यक्तियों को लघु स्तरीय इकाइयों द्वारा रोजगार प्राप्त हुआ।

इसी प्रकार लघु स्तरीय इकाइयों द्वारा किए गए उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हुई। प्रथम पंचवर्षीय येाजना में 34.5 करोड़, द्वितीय योजना में 50.16 एवं तृतीय योजना में 101.49 करोड़ रूपये के मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन लघु स्तरीय इकाइयों द्वारा किया गया। प्रदेश में वास्तविक औद्योगिक विकास चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ। पंचवर्षीय योजना में लघु स्तरीय इकाइयों द्वारा 882 करोड़ रूपये की वस्तुओं का उत्पादन किया गया, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 7070.18 करोड़ रूपये का हो गया।

इस प्रकार चाहे वह लघु उद्योग हो या वृहद उद्योग, दोनों में ही योजना काल में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन में लघु औद्योगिक इकाइयों का विशेष स्थान रहा है। प्रथम योजना काल में लघु इकाइयों द्वारा 29898 था, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढ़कर 2164259 हो गया। इसी प्रकार इन इकाइयों द्वारा उत्पादन में भी आशातीत वृद्धि हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लघु स्तरीय इकाइयों द्वारा 34.50 करोड़ रूपये की वस्तुओं का उत्पादन किया गया, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में 7070.18 करोड़ रूपये का हुआ।

अध्याय 4

औद्योगिक रूग्णता : अर्थ, व्याप्ति, कारण एवं परिणाम

संकल्पना :

औद्योगिक विकास किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी उपलब्धि, उदारीकरण तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के युग में औद्योगिक आधार देश की अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन गया है। विगत् कुछ वर्षो से भारतीय पटल पर संगठित एवं असंगठित औद्योगिक क्षेत्र में रूग्णता की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस प्रकार की रूग्णता न केवल नियोजकों एवं कर्मचारियों को प्रभावित करती है वरन् सम्पूर्ण समाज एवं अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है।

औद्योगिक रूग्णता क्या है? लाभों या उत्पादन में गिरावट अथवा दोनों में गिरावट, जो नकद हानि को उत्पन्न करे। इसके परिणाम स्वरूप अनेक औद्योगिक इकाइयाँ बन्द हो जाती हैं। वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल उत्पादन में ही गिरावट होती जा रही है, बल्कि ऐसी रूग्ण इकाइयों से जुड़े श्रमिकों का भी स्थानान्तरण हो रहा है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी "विशेष प्रावधान" अधिनियम 1985 के पारित होने के पूर्व सम्पूर्ण देश में औद्योगिक रूग्णता की परिभाषा के विषय में मतभेद था। भारतीय रिजर्व बैंक, दीर्घकालीन ऋणदेय संस्थाएँ तथा भारतीय स्टैट बैंक रूग्ण उद्योग की परिभाषा अलग–अलग ढंग से करते थे। परन्तु रूग्ण औद्योगिक कम्पनी "विशेष प्रावधान" अधिनियम 1985 के पारित हो जाने के पश्चात् इस विषय पर कोई मतभेद नही रहा। इस अधिनियम के अनुसार –

"एक औद्योगिक रूग्ण इकाई वह है जो अपने सम्पूर्ण मूल्य में किसी वित्तीय वर्ष में हानि को सहन करती हो तथा जिसमें नकद हानि अगले वित्तीय वर्ष या उस वित्तीय वर्ष में हुई हो।"

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार "एक रूग्ण उद्योग का अर्थ है – एक मध्यम अथवा बड़ी (गैर लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी कम्पनी जो 7 वर्षो से पंजीकृत हो) औद्योगिक कम्पनी, जिसे वित्तीय वर्ष के अन्त में अपने कुल शुद्ध मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक संचित हानि हुई हो तथा उसे उस वित्तीय वर्ष में और उस वित्तीय वर्ष के पूर्व के दौरान नकद हानि हुई हो।"

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लघु औद्योगिक इकाई को तभी रूग्ण माना जाएगा जब कि :—

(क) उसे पिछले लेखा में नकद हानि हुई हो तथा चालू लेखा वर्ष में भी उसे नकद हानि होने की सम्भावना हो तथा इन संचयी नकद हानियों के कारण उसकी निवल सम्पत्ति में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का ह्रास हुआ हो तथा/अथवा

(ख) उससे लगातार ब्याज की 4 तिमाही किश्तों अथवा सावधि ऋण के मूलधन की 2 छमाही किश्तों का भुगतान करने में चूक हई हो तथा बैंक की उसकी ऋण सीमाओं के परिचालन में अनियमितताएँ हों।

बड़ी लघु इकाइयों के विषय में "क" तथा "ख" दोनों शर्ते पूरी होनी चाहिए तथा अति लघु एवं विकेन्द्रीकृत इकाइयों के मामले में किसी एक शर्त "क" या "ख" का पूरा होना पर्याप्त होगा। [1]

प्रारम्भ में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 में केवल निजी क्षेत्र की इकाइयों को शामिल किया गया था, परन्तु दिसम्बर 1991 से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया। 1992 के संशोधन विधेयक द्वारा 1985 के रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम में 2 परिवर्तन किए गए। रजिस्ट्रेशन की अवधि 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गयी तथा नकद हानि को छोड़ दिया गया। [2]

भारतीय औद्योगिक क्रेडिट विनियोग अधिनियम के अनुसार "एक रूग्ण उद्योग वह है, जहाँ वित्तीय कार्यशीलता विपरीत कारकों से प्रभावित होती है जो प्रबन्धकीय, बाजारी वित्तीय भार, श्रम सम्बन्ध आदि के रूप में हैं। जब इन कारकों का प्रभाव ऐसी स्थिति में पहुँचता है तब औद्योगिक इकाई नकद हानि उठाने लगती है, जिससे उसके वित्त में कमी होने लगती है और इसकी वित्तीय स्थायित्वता खतरे में पड़ जाती है, तो इसे औद्योगिक रूग्ण इकाई कहा जाता है।

रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम "विशेष प्रावधान" 1985 अधिनियम के अन्तर्गत किसी औद्योगिक इकाई को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी के रूप में वर्गीकृत करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है :

स्रोत : 1. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास 1999-2000, पृष्ठ 18
2. रूग्ण इकाईयों का पुनर्वासन, दसवीं पंचवर्षीय योजना, पृष्ठ 4

1. लघु स्तरीय/अति लघु इकाइयाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती है।
2. साझेदारी फर्म तथा एकल स्वामित्व वाली संस्थाएँ भी इस अधिनियम के सीमा क्षेत्र से बाहर हैं।
3. कम्पनी का पंजीकरण हुए 5 वर्ष हो गए हो।

कमजोर, मध्यम एवं वृहद् स्तरीय इकाईयाँ :

बहुत सी कमजोर इकाइयाँ, जो रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती हैं एवं ऐसी इकाइयाँ, जिनका संचालन साझेदारी फर्म या एकल स्वामित्व द्वारा हो रहा हो, भी पुनर्वासन के योग्य होती हैं। इन इकाइयों को बैंकों द्वारा सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने कमजोर इकाइयों की निम्न परिभाषा दी है :

"कोई भी इकाई कमजोर इकाई मानी जाएगी, यदि किसी वित्तीय वर्ष के अन्त में उसकी कुल संचित हानि उसके शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो गयी हो।"

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि कमजोर इकाइयों के अन्तर्गत लिमिटेड कम्पनियाँ, साझेदारी संस्थाएँ, एकल स्वामित्व आते हैं। यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि रूग्ण एवं कमजोर इकाइयों का वर्गीकरण लघु स्तरीय इकाइयों के सन्दर्भ में लागू नहीं होता है।[3] उपर्युक्त परिभाषाओं में निवल सम्पत्ति से आशय प्रदत्त पूँजी तथा रिजर्व के योग से है। रिजर्व के अन्तर्गत ऐसे रिजर्व शामिल किए जाते हैं जो लाभ तथा शेयर प्रीमियम खाते से क्रेडिट किए गए हों। इसमें ऐसे रिजर्व शामिल नहीं होगें, जो सम्पत्तियों के पुर्नमूल्यांकन, एकीकरण तथा ह्रास के प्रावधान के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हों।

औद्योगिक रूग्णता की परिभाषाएँ मुख्यतः निम्न बातों को समहित करती है :

1. जब औद्योगिक इकाई में सकारात्मक कार्यशील पूँजी हो अर्थात् ऋणों को लेकर वर्तमान दायित्व, वर्तमान आदेयों से अधिक हों।
2. जब इकाई एक वर्ष से लगातार हानि से गुजर रही हो तथा आगे भी नकद हानि की स्थिति बनी रहे।

---

3. रिपोर्ट आफ सब वर्किंग ग्रुप, कान्सटीट्यूटेड वाई यू०पी० गवर्नमेण्ट, पृष्ठ 4

3. जब इकाई की ऋण सेवाओं (लाभ) की तुलना में नकद प्रवाह अधिक हो।
4. औद्योगिक इकाई की क्षमता, अपने पाँच वर्ष की प्राप्तियों का 50 प्रतिशत से कम उपयोग करती हो।
5. औद्योगिक इकाई के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत नष्ट हो गया हो।
6. औद्योगिक इकाई कम से कम छः माह से बन्द चल रही हो।

एक औद्योगिक रूग्ण इकाई को इस रूप में देखा जा सकता है कि वह लगातार हानि के कारण अतिरेक को जन्म देने में असफलत हो तथा वह अपने अस्तित्व के लिए लगातार वाह्य ऋणों पर आश्रित रहती हो। एक रूग्ण औद्योगिक इकाई अपने वाह्य तथा आन्तरिक दायित्वों को निभाने में असफल रहती है।

इस प्रकार किसी भी औद्योगिक इकाई को रूग्णता की श्रृंखला में तभी जोड़ा जाता है, जब वह इकाई विगत 2 वर्षो से लगातार वित्तीय हानि की दशा में उत्पादन कार्य कर रही हो तथा प्रदत्त पूँजी का 50 प्रतिशत से अधिक हानि की राशि हो गयी हो। पुनः रूग्ण औद्योगिक इकाई को इस रूप में देखा जा सकता है :

जब कोई इकाई लगातार लाभ अर्जित करने में असमर्थ हो तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार बाहरी अनुप्रेरणा पर जीवित हो, ऐसी इकाई को रूग्ण औद्योगिक इकाई कहा जाता है। औद्योगिक इकाई में रूग्णता क्रमशः इसके तरलता के कटाव के कारण उत्पन्न होती है। निरन्तर तरलता की हानि के कारण औद्योगिक इकाई अपने दीर्घकालीन दायित्वों को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाती है। इस प्रकार खराब वित्तीय दशा तथा दीर्घता, रख–रखाव का स्तर, कार्यशील पूँजी को "बियर एण्ड टियर" कर देते हैं। इस प्रकार वह इकाई जीवनक्षम खो देती है तथा बीमार इकाई के रूप में जानी जाती है। यदि यही क्रम चलता रहता है तो ऐसी रूग्ण इकाई दिवालिया हो जाती है।

औद्योगिक रूग्णता दिखाई नहीं देती है, न ही सभी रूग्ण इकाईयों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। बैंकिंग व्यवस्था तथा अन्य संस्थाओं का सीमित संसाधनों के सन्दर्भ में अविवेकपूर्ण वादा वित्तीय रूप से स्वस्थ प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार इकाई रूग्णता की शिकार हो जाती है।

1960 के समय से "औद्योगिक रूग्णता" शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय सूती वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन कार्य में कठिनायी का अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात् औद्योगिक रूग्णता ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस कारण रूग्ण इकाइयों की संख्या में दिनोदिन वृद्धि ही नही हो रही थी, बल्कि रूग्ण इकाइयों में लगी पूँजी की मात्रा भी निरन्तर बढ़ रही थी। इन रूग्ण इकाइयों में केवल बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय संसाधन ही अवरूद्ध नही थे, अपितु कार्यशील इकाइयों में वित्तीय आवश्यकता भी अवरूद्ध थी।

उद्योग में रूग्णता का विकास तत्काल नही होता है बल्कि मन्द गति से होता है। वास्तव में औद्योगिक रूग्णता का विकास लगभग 4 दशक पूर्व 1960 में हुआ था, जब देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग धन्धों का विकास हुआ। तभी से उद्योग धन्धों में संरचनात्मक कमजोरियाँ उभर कर सामने आयीं। देश के उद्योग धन्धों में रूग्णता का मुख्य कारण यहाँ पर उत्पादित वस्तुओं की ऊँची लागत है। भारत में संरक्षण की नीति के अन्तर्गत आयातित वस्तुओं पर अत्यधिक उत्पादन शुल्क लगा देने के कारण देश के बहुत से उद्योग धन्धे विदेशी प्रतियोगिता से वंचित रह गए। परिणामस्वरूप उन्हें अपर्याप्तता का सामना करना पड़ा। इस कारण बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ वर्तमान समय की बदलती हुई उदारीकरण बाजार की स्थितियों में स्वयं को समायोजित करने में असमर्थ हो गयी। जैसे विक्रेता बाजार के क्रेता बाजार तथा स्फीतिक स्थिति से मूल्य स्थिरता की स्थिति।

वर्तमान समय में लगभग 3.10 लाख रूग्ण इकाइयाँ हैं, जिनमें अवरूद्ध बैंक साख 19463 करोड़ रूपये से अधिक है। भारत में प्रत्येक वर्ष 29000 इकाइयाँ रूग्णता की शिकार होती हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रतिदिन 90 औद्योगिक इकाइयाँ रूग्ण होती हैं। प्रायः प्रत्येक तीसरी लघु औद्योगिक इकाई तथा प्रत्येक दसवीं मध्यम या वृहद् इकाई बीमार होने के कारण बन्द होने की स्थिति में है। हमारे देश में कुल रूग्ण इकाइयों का 88 प्रतिशत गैर जीवित हैं, 4 प्रतिशत संदेहात्मक स्थिति में है तथा शेष 8 प्रतिशत इकाईयाँ कार्यशील हैं। कुल रूग्ण इकाइयों का लगभग 99 प्रतिशत लघु स्तरीय क्षेत्र में है।

विगत् 4 दशकों के अन्तराल में औद्योगिक रूग्णता का विस्तार देश के प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन कार्यो में वायरस की तरह फैल गया है। जिसके फलस्वरूप हजारों औद्योगिक इकाइयाँ प्रभावित हुई। वर्ष 1976 से भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से औद्योगिक रूग्णता का पता लगा रही है। एकत्रित आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक रूग्णता का आकार निरन्तर बढ़ रहा है।

तालिका - 4.1

रूग्ण इकाइयों की संख्या

वर्ष	रूग्ण इकाइयों की संख्या		
	वृहद् एवं मध्यम इकाई	लघु इकाई	कुल इकाई
दिसम्बर 1980	1401	23149	24550
मार्च 1990	2269	218828	221097
मार्च 1995	2391	268815	271206
मार्च 1996	2374	262376	264750
मार्च 1997	2368	235032	237400
मार्च 1998	2476	221536	224012
मार्च 1999	2792	306221	310081

स्रोत : टाटा सर्विसेज लि०, स्टैटिस्टिकल आउटलाइन ऑफ इण्डिया, 2000-2001, मुम्बई, तालिका 81, पृष्ठ 72

उपरोक्त तालिका में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित किए गए दिसम्बर 1980 से 1999 तक के आँकड़े दर्शित हैं। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि इस अवधि में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों में कई गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 1980 में कुल 24,550 रूग्ण औद्योगिक इकाइयाँ थी, जो वर्ष 1990 में बढ़कर 221097 तथा मार्च 1999 में 310081 हो गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1980 से 1990 की अवधि में औद्योगिक रूग्णता में लगभग 800 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि 1990 से 1999 के मध्य 40.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृहद उद्योग में वर्ष 1980 से 90 की अवधि में 868 इकाइयाँ (62%) तथा लघु उद्योग में 1.95 लाख इकाइयाँ रूग्णता का

शिकार हुयीं, जब कि 1990-99 की अवधि में वृहद उद्योग में 523 इकाइयाँ (23%) तथा लघु उद्योग में 87393 इकाइयाँ रूग्णता का शिकार हुई। दोनों अवधियों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वृहद् तथा लघु उद्योग दोनों में ही रूग्ण इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई। यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। दूसरी तरफ बकाया ऋण की राशि में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो निम्न तालिका में दर्शित है।

तालिका - 4.2

रूग्ण इकाइयों में अवरूद्ध धनराशि

वर्ष	अवरूद्ध बैंक पूँजी (करोड़ रू० में)		
	वृहद् एवं मध्यम	लघु	कुल
दिसम्बर 1980	1502	306	1809
मार्च 1990	6926	2427	9353
मार्च 1996	10026	3722	13748
मार्च 1997	10178	3609	13787
मार्च 1998	11825	3857	15682
मार्च 1999	15150	4313	19463

स्रोत : रिपोर्ट आफ करेंसी एण्ड फाइनेन्स, 1999, तालिका संख्या 9, पृष्ठ iv-25

उपरोक्त तालिका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो राशि रूग्ण औद्योगिक इकाइयों में अवरूद्ध थी, वह प्रतिशत के रूप में बहुत तेजी से बढ़ी है। बकाया ऋणराशि में 1980 से 1990 की अवधि में लगभग 417 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिसम्बर 1980 में रूग्ण इकाइयों में कुल अवरूद्ध राशि 1809 करोड़ रूपये थी जो मार्च 1999 में बढ़कर 19463 करोड़ रूपये हो गयी। लघु इकाई के सन्दर्भ में यह राशि वर्ष 1980 में 306 करोड़ रूपये से बढ़कर 4313 करोड़ रूपये हो गयी। इसी प्रकार मध्यम तथा वृहद् उद्योग में यह राशि 1980 के 1502 करोड़ रूपये से बढ़कर मार्च 1999 तक 15150 करोड़ रूपये हो गयी।

औद्योगिक रुग्णता की स्थिति का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की तुलना में लघु औद्योगिक इकाइयों में रूग्णता अत्यधिक तीव्र गति से फैली। वर्ष 1990 में कुल 221097 रूग्ण इकाइयों में से 218828 रूग्ण इकाइयाँ लघु क्षेत्र से सम्बन्धित थीं। जबकि 1980 में इनकी संख्या मात्र 23149 थीं। वर्ष 1999 में कुल 310081 रूग्ण इकाइयों में से 306221 इकाइयाँ लघु क्षेत्र से थीं। परन्तु बैंकों की बकाया ऋण राशि के सन्दर्भ में वृहद एवं मध्यम स्तरीय उद्योग, लघु उद्योग से आगे थे। रूग्ण इकाइयों में अवरूद्ध बैंक राशि 1990 में 2352 करोड़ रूपये थी, जिसमें से रूग्ण लघु इकाइयों में मात्र 2427 करोड़ रूपये की पूँजी अवरूद्ध थी। जबकि वृहद इकाइयों में यह राशि 6926 करोड़ रूपये थी। 1999 में रूग्ण इकाइयों में अवरूद्ध राशि 19463 करोड़ रूपये थी, जिसमें से लघु क्षेत्र में मात्र 4313 करोड़ रूपये तथा वृहद एवं मध्यम उद्योग 15150 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार इन दो वर्षो 1990 तथा 1999 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि रूग्ण एवं कमजोर इकाइयों की संख्या का लगभग 99 प्रतिशत तथा ऋण राशि का लगभग 22 प्रतिशत लघु औद्योगिक क्षेत्र में था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देश की प्रत्येक ग्यारहवी लघु औद्योगिक इकाई रूग्ण थीं। [4]

बड़े उद्योगों में रूग्णता की समस्या मुख्यतः सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, चीनी, रबर एवं रसायन उद्योगों में अधिक है। यह समस्या कुछ उद्योगों की भाँति कुछ राज्यों में विशेष रूप से केन्द्रित है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एवं तमिलनाडु में यह समस्या अधिक है। इन्हीं राज्यों में वृहद एवं मध्यम स्तर की 75 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयाँ रूग्ण हैं तथा इनमें बकाया राशि का लगभग 80 प्रतिशत अवरूद्ध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वृहद एवं मध्यम क्षेत्र की औद्योगिक रूग्णता उन्हीं क्षेत्रों में अधिक है जहाँ औद्योगिक विकास पहले हुआ था।

---

4. रिपोर्ट आफ करेंसी एण्ड फाइनेन्स, 1999, तालिका संख्या 9 पृष्ठ IV - 25

तालिका - 4.3

भारत में मार्च 1999 तक विभिन्न उद्योगों में लघु रूग्ण इकाइयों की व्यवहार्य स्थिति

क्र.सं.	उद्योग	इकाइयों की संख्या	उत्पादन (करोड़ रू० में)
1.	इंजीनियरिंग	1012	49.48
2.	विद्युत	446	21.74
3.	टेक्सटाइल्स	1670	41.24
4.	जूट	41	1.05
5.	पेपर	373	13.26
6.	रबर	69	9.37
7.	सीमेण्ट	42	4.53
8.	लोहा एवं इस्पात	177	14.23
9.	चीनी	15	0.51
10.	रसायन	342	37.03
11.	धातु एवं धातु उत्पाद	210	14.63
12.	वनस्पति तेल	130	0.91
13.	तम्बाकू	182	0.12
14.	चमड़ा	150	7.29
15.	जवाहरात	9	0.03
16.	खाद्य	3471	7.32
17.	वाहन	10	1.30
18.	विविध	10343	152.92
	योग	18692	376.96

स्रोत : लघु उद्योग समाचार, अप्रैल - सितम्बर 2000, पृष्ठ 125 लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि भारत में मार्च 1999 तक व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयों की उद्योगवार संख्या 18692 थी, जिसमें सर्वाधिक संख्या में रूग्ण इकाइयाँ (3471) खाद्य उद्योग में थीं, जो कुल व्यवहार्य रूग्ण इकाइयों का 18.5

प्रतिशत था। इसके पश्चात् वस्त्र उद्योग 9 प्रतिशत, इंजीनियरिंग 5.4 प्रतिशत, विद्युत 2.4 प्रतिशत, कागज 2 प्रतिशत, रसायन 1.8 प्रतिशत, धातु 1.1 प्रतिशत तथा विविध उद्योग में 52 प्रतिशत इकाइयाँ रूग्ण थीं। सबसे कम व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयाँ (9) हीरा–जवाहरात उद्योग में पायी गयीं, जो कुल संख्या का 0.05 प्रतिशत थीं।

उपर्युक्त व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयों में से 31 मार्च 1999 तक कुल अवरूद्ध राशि 376.96 करोड़ रूपये थी, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में ऋण इंजीनियरिंग उद्योग में था, जो कुल अवरूद्ध ऋण का 13.1 प्रतिशत था। इसके बाद क्रमशः वस्त्र उद्योग 10.9 प्रतिशत, रसायन उद्योग 9.8 प्रतिशत, विद्युत 5.8 प्रतिशत तथा लोहा एवं इस्पात 3.8 प्रतिशत राशि अवरूद्ध थी। सबसे कम बकाया धनराशि हीरा जवाहरात उद्योग में पायी गयी जो व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयों में कुल अवरूद्ध राशि का 0.008 प्रतिशत थी।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयों की संख्या की दृष्टि से तो विविध उद्योग, खाद्य उद्योग तथा वस्त्र उद्योग अग्रणी थे, जबकि सबसे कम लघु रूग्ण इकाइयाँ हीरा–जवाहरात उद्योग में पायी गयी। इस प्रकार बकाया धनराशि की दृष्टि से विविध उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग तथा वस्त्र उद्योग क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर थे।

औद्योगिक रूग्णता की क्षेत्रवार स्थिति :

भारत की औद्योगिक रूग्णता की क्षेत्रवार स्थिति का अध्ययन करने के लिए इसे चार भागों में बाँटा गया है : पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय तथा नागालैण्ड को लिया गया है। पश्चिमी क्षेत्र के अन्तर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, दमनदीव तथा दादरा नगर हवेली हैं। उत्तरी क्षेत्र में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चण्डीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर को सम्मिलत किया गया है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र के अन्तर्गत आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एवं पाण्डिचेरी हैं।[5]

---

5. रिपोर्ट ऑन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स 1997-98 पृष्ठ 40

तालिका - 4.4

मार्च 1999 तक रूग्ण लघु इकाइयों की क्षेत्रवार व्यवहार्य स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	कार्यक्षम व्यवहार्य	
		इकाइयों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रू० में)
1.	पूर्वी क्षेत्र	12552	62.36
2.	उत्तरी क्षेत्र	2267	61.46
3.	पश्चिमी क्षेत्र	1968	80.36
4.	दक्षिणी क्षेत्र	1905	172.76
	योग	18692	376.76

स्रोत : लघु उद्योग समाचार, अप्रैल–सितम्बर 2002, पृष्ठ 123-24, लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि मार्च 1999 तक भारत में रूग्ण लघु व्यवहाार्य इकाइयों की संख्या 18692 थीं, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा पूर्वी क्षेत्र का था। जहाँ कुल रूग्ण इकाइयों का 67.1 प्रतिशत तथा सबसे कम दक्षिणी क्षेत्र में 10.2 प्रतिशत, कार्यक्षम व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयाँ थी।

इसी प्रकार इन रूग्ण इकाइयों में कुल अवरूद्ध राशि 376.96 करोड़ रूपये थी, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा दक्षिणी क्षेत्र का था, जहाँ कुल बकाया राशि की 45.8 प्रतिशत थी। इसके पश्चात् पश्चिमी क्षेत्र में 21.3 प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र 16.5 प्रतिशत तथा सबसे कम उत्तरी क्षेत्र 16.3 प्रतिशत राशि इन इकाइयों में अवरूद्ध थीं।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्वी क्षेत्र, कार्यक्षम व्यवहार्य रूग्ण लघु इकाइयों की संख्या सर्वाधिक होते हुए भी बकाया राशि में मामले में लगभग सभी क्षेत्रों से नीचे हैं। अवरूद्ध राशि के मामले में दक्षिण क्षेत्र सबसे अग्रणी है। अवरूद्ध राशि, दक्षिणी क्षेत्र की इकाइयों में सर्वाधिक होते हुए भी इकाइयों की संख्या की दृष्टि से सबसे कम है।

तालिका - 4.5

मार्च 1999 तक रूग्ण लघु इकाइयों की क्षेत्रवार अव्यवहार्य स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	कार्यक्षम अव्यवहार्य	
		इकाइयों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रू० में)
1.	पूर्वी क्षेत्र	178773	809.65
2.	उत्तरी क्षेत्र	39781	964.58
3.	पश्चिमी क्षेत्र	22136	920.17
4.	दक्षिणी क्षेत्र	30503	1051.67
	योग	291193	3746.07

स्रोत : लघु उद्योग समाचार, अप्रैल-सितम्बर **2000,** पृष्ठ **123-24,** लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका के अनुसार भारत में अव्यवहार्य रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या मार्च 1999 तक 291193 थी, जिसमें पूर्वी क्षेत्र की रूग्ण इकाइयों की संख्या सर्वाधिक थी, जो कुल रूग्ण इकाइयों का 61.3 प्रतिशत तथा सबसे कम पश्चिमी क्षेत्र में 7.6 प्रतिशत अव्यवहार्य रूग्ण औद्योगिक इकाइयाँ थी।

तालिका में प्रदर्शित तथ्यों के आधार पर मार्च 1999 तक अव्यवहार्य रूग्ण लघु इकाइयों में अवरूद्ध बैंक राशि 3746.07 करोड़ रूपये की राशि थी, जिसमें दक्षिणी क्षेत्र की बकाया धनराशि 1051.67 करोड़ रूपये सर्वाधिक थी, जो कुल अवरूद्ध राशि का 28 प्रतिशत थी। इसके बाद उत्तरी क्षेत्र में 25.7 प्रतिशत, पश्चिमी क्षेत्र में 24.6 प्रतिशत तथा पूर्वी क्षेत्र में 21.6 प्रतिशत राशि अवरूद्ध थी।

इस प्रकार अव्यवहार्य रूग्ण लघु इकाइयों की संख्या पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक तथा पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम रही। बकाया धनराशि सर्वाधिक दक्षिणी क्षेत्र में तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र की अव्यवहार्य रूग्ण लघु इकाइयों में थी।

तालिका - 4.6

मार्च 1999 तक रूग्ण लघु इकाइयों की संख्या तथा बकाया राशि

क्र.सं.	क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रू० में)
1.	पूर्वी क्षेत्र	206168	917.54
2.	उत्तरी क्षेत्र	42595	1060.72
3.	पश्चिमी क्षेत्र	24604	1053.31
4.	दक्षिणी क्षेत्र	32854	1281.91
	योग	306221	4313.48

स्रोत : लघु उद्योग समाचार, अप्रैल–सितम्बर 2000, पृष्ठ 123-24, लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका के अनुसार 31 मार्च 1999 तक भारत में लघु स्तरीय इकाइयों की कुल संख्या 306221 थी। जिसमें पूर्वी क्षेत्र में (67.3%) सर्वाधिक इकाइयाँ थीं। इसके बाद क्रमशः उत्तरी क्षेत्र में 13.9 प्रतिशत, दक्षिणी क्षेत्र में 9.5 प्रतिशत तथा सबसे कम पश्चिमी क्षेत्र में 8.03 प्रतिशत रूग्ण लघु इकाइयाँ अवस्थित थी।

इसी प्रकार इन रूग्ण इकाइयों में अवरूद्ध राशि की दृष्टि से दक्षिणी क्षेत्र प्रथम स्थान पर था। जहाँ कुल अवरूद्ध राशि का 29.7 प्रतिशत राशि अवरूद्ध थी। इसके पश्चात् क्रमशः उत्तरी क्षेत्र में 24.6 प्रतिशत, पश्चिमी क्षेत्र में 24 प्रतिशत तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में 21.3 प्रतिशत राशि अवरूद्ध थी।

इस प्रकार लघु रूग्ण इकाइयों की संख्या की दृष्टि से पूर्वी क्षेत्र सबसे अग्रणी रहा, जबकि इसमें अवरूद्ध राशि, कुल अवरूद्ध राशि का मात्र 21.3 प्रतिशत थी। सर्वाधिक बकाया राशि दक्षिणी क्षेत्र में 29 प्रतिशत थी, जबकि इकाइयों की संख्या की दृष्टि से 10.7 प्रतिशत के साथ यह क्षेत्र तीसरे स्थान पर रहा।

औद्योगिक रूग्णता की व्याप्ति :

उत्तर प्रदेश प्रान्त क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। आर्थिक रूप से यह भारत के सबसे पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। इस राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास की गति इतनी धीमी है, कि इस राज्य की वर्तमान प्रगति दर भारत की वर्तमान दर से एक योजना पीछे है। उत्तर प्रदेश, जिसका राष्ट्रीय आय में योगदान योजना के पूर्व 17.5 प्रतिशत था, वह लगातार घटता जा रहा है। इसका मुख्य कारण राज्य की प्रगति की अपेक्षा राष्ट्र की प्रगति का तीव्र होना है। उत्तर प्रदेश प्रान्त की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण संतुलित औद्योगिक विकास नही कर पा रही है। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से सबसे पिछड़ा राज्य है। प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के कारण विनियोग क्षमता भी निम्न होती है। परिणामतः विनियोग का निम्न स्तर संतुलित औद्योगिक विकास को समुचित आधार नही प्रदान कर पाता है।

प्रथम योजनावधि में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सम्पूर्ण विनियोग का 4.1 प्रतिशत भाग औद्योगिक क्षेत्र में विनियोजित किया, जो अपर्याप्त था। दूसरी योजना अवधि में प्रदेश सरकार ने अपने कुल व्यय का 5.4 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में विनियोजित किया, जो प्रथम योजना से अपेक्षाकृत अधिक रहा। प्रदेश में वृहद स्तरीय उद्योगों का विकास द्वितीय योजना से ही प्रारम्भ हुआ। तीसरी योजना में कुल बजट का मात्र 3.50 प्रतिशत ही इस क्षेत्र में विनियोजित किया गया, जिसके कारण द्वितीय योजना में स्थापित किए गए उद्योग वित्तीय अभाव के कारण प्रारम्भिक दौर में ही रूग्णता से ग्रसित होने लगे। रूग्णता की समस्या वास्तव में प्रदेश में 1960 से प्रारम्भ हुई। प्रारम्भ में इसका प्रभाव कुछ वृहद उद्योगों तक सीमित रहा। परन्तु बाद में यह सभी उद्योगों में फैल गया। पाँचवी योजना काल में औद्योगिक विनियोग की राशि कुल आउटले का 6.15 प्रतिशत थी, जो अभी तक एक रिकार्ड रहा। इसी प्रकार प्रदेश में छठीं, सातवीं एवं आठवीं योजनाओं में भी औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग की जाने वाली राशि पर्याप्त नहीं है। प्रदेश के औद्योगिक विकास में केन्द्रीय सरकार की भूमिका सन्तोषजनक नही रही है। प्रथम दो योजना अवधि में प्रदेश को केन्द्र सरकार की ओर से कोई विशेष औद्योगिक विनियोग नही किया गया, जबकि अन्य राज्यों में औद्योगिक

क्षेत्र में 694 करोड़ रूपये की राशि विनियोजित की गयी। इसी प्रकार तृतीय योजना में कुल औद्योगिक विनियोग की 1114 करोड़ रूपये की राशि में से मात्र 72 करोड़ रूपये प्रदेश के औद्योगिक विकास में विनियोजित किए गए।

इस प्रकार पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में उत्तर प्रदेश में एक ओर तो नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गति अत्यन्त धीमी है, दूसरी ओर वे औद्योगिक इकाइयाँ, जो पहले से कार्यरत हैं, पर्याप्त वित्त की कमी, प्रबन्धकीय अकुशलता, कच्चे माल की कमी, विपणन सुविधाओं का अभाव तथा इकाइयों की आपसी प्रतिस्पर्द्धा के कारण रूग्णता से ग्रसित होती जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक इकाइयों में रूग्णता एक वायरस की भाँति में फैल रही है। वर्ष 1971 के प्राप्त आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में रूग्ण वृहद एवं मध्यम स्तरीय इकाइयों की संख्या 49 तथा लघु क्षेत्र की रूग्ण इकाइयों की संख्या 1152 थी। वर्ष 1999 में प्रदेश में रूग्ण वृहद एवं लघु इकाइयों की संख्या बढ़कर क्रमशः 170 तथा 37293 हो गयी। सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक ऐसी रूग्ण इकाइयाँ हैं, जिनमें उत्पादन कार्य बहुत पहले बन्द कर दिया गया था।

प्रदेश की औद्योगिक इकाइयाँ मुख्य रूप से वित्त के अभाव में दिनोदिन रूग्ण इकाइयों के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता के निम्न कारण हैं :

1. औद्योगिक इकाइयों के सामने सर्वप्रमुख समस्या कच्चे माल की होती है, जो उचित मूल्य पर नही मिल पाता है। लघु औद्योगिक इकाइयों को कम मात्रा में कच्चे माल खरीदने के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है। यदि कम मात्रा में कच्चा माल क्रय किया जाता है तो उसकी किस्म भी अच्छी नही होती है।

2. इन उद्योगों के सामने एक अन्य समस्या यह है कि मशीने तथा उपकरण पुराने हैं। जिससे अधिक लागत में कम माल का उत्पादन होता है तथा बाजार में यह इकाई प्रतिस्पर्द्धा इकाइयों के सामने नहीं टिक पाती है। परिणामतः उसके उत्पादों की बिक्री नही हो पाती और इस प्रकार वह रूग्णता से ग्रसित होने लगती है।

3. इन उद्योगों के सामने एक अन्य ज्वलन्त समस्या वित्त की प्राप्ति है। भारतीय उद्यमियों की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वे अपने कार्यो को अबाधित रूप से चला सके। अब तक इन इकाइयों के लिए वित्त प्राप्ति की कोई सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं है। वित्त के अभाव के कारण रूग्णता से ग्रसित होकर उत्पादन कार्य बन्द कर देती है।

4. विद्युत शक्ति का अभाव

5. अकुशल प्रबन्धकीय व्यवस्था

6. नियोजकों एवं कर्मचारियों के मध्य सामंजस्य का अभाव

7. उपभोक्ताओं द्वारा भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की अपेक्षा विदेशी इकाइयों की वस्तुओं को प्राथमिकता प्रदान किया जाना।

8. इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वर्तमान समय में इन उद्योगों में कोई उचित व्यवस्था नहीं है। उपरोक्त समस्याओं का उचित प्रकार से निराकरण न हो पाने के कारण उद्यामियों की समस्या अनवरत रूप से बढ़ती जा रही है।

तालिका - 4.7

उत्तर प्रदेश मार्च 1999 तक रूग्ण लघु इकाइयों की स्थिति

विवरण	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रू० में)
कार्यक्षम अव्यवहार्य इकाइयाँ	1846	32.88
अव्यवहार्य इकाइयाँ	15171	367.37
ऐसी इकाइयाँ जिनकी व्यवहार्यता का निर्णय किया जाना था	303	13.84
कुल रूग्ण इकाइयों की संख्या	17320	414.09
अपव्यवहार्य के अधीन इकाइयाँ	254	9.49

स्रोत : लघु उद्योग समाचार, अप्रैल-सितम्बर 2000, पृष्ठ 123-24, लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका में मार्च 1999 तक उत्तर प्रदेश में लघु रूग्ण इकाइयों की स्थिति प्रदर्शित है। मार्च 1999 को कुल रूग्ण इकाइयों की संख्या 17320 थीं जिसमें व्यवहार्य कार्यक्षम इकाइयाँ 1846, अव्यवहार्य इकाइयाँ 15171 तथा ऐसी इकाइयाँ जिनकी विनिमय व्यवहार्यता का निर्णय लिया जाना था, 303 थी। जो कुल इकाइयों को क्रमशः 10.7 प्रतिशत, 87.6 प्रतिशत तथा 1.7 प्रतिशत थी। मार्च 1999 तक प्रदेश में ऐसी रूग्ण इकाइयाँ जो उपचर्या के अधीन थी, की संख्या 254 थी।

मार्च 1999 तक उत्तर प्रदेश में रूग्ण लघु इकाइयों में कुल अवरूद्ध बैंक राशि 414.09 करोड़ रूपये थी, जिसमें कार्यक्षम व्यवहार्य इकाइयों में अवरूद्ध राशि 32.88 करोड़ रूपये, अव्यवहार्य इकाइयों में 367.37 करोड़ रूपये एवं ऐसी इकाइयाँ जिनकी व्यवहारिकता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना था, में 13.84 करोड़ रूपये थी, जो कुल अवरूद्ध बैंक राशि का क्रमशः 7.9 प्रतिशत, 88.7 प्रतिशत तथा 3.3 प्रतिशत थी। मार्च 1999 तक ऐसी रूग्ण इकाइयाँ, जो उपचर्या के अधीन थी, में बकाया राशि 9.49 करोड़ रूपये थी।

तालिका - 4.8

भारत में मार्च 1999 तक विभिन्न उद्योगों में लघु रूग्ण इकाइयों की संख्या तथा बकाया राशि

क्र.सं.	उद्योग	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रू० में)
1.	इंजीनियरिंग	17529	483.67
2.	विद्युत	8150	202.56
3.	टेक्सटाइल्स	24306	425.03
4.	जूट	32	25.46
5.	पेपर	4128	106.15
6.	रबर	1987	68.56
7.	सीमेण्ट	988	36.39
8.	लोहा एवं इस्पात	5013	235.19
9.	चीनी	354	9.76
10.	रसायन	18446	364.07
11.	धातु एवं धातु उत्पाद	7022	291.57
12.	वनस्पति तेल	1224	28.95
13.	तम्बाकू	2637	12.13
14.	चमड़ा	2304	63.48
15.	जवाहरात	203	5.53
16.	खाद्य	44045	132.08
17.	वाहन	2516	34.42
18.	विविध	164612	1788.48
	योग	306221	4313.48

स्रोत : लघु उद्योग समाचार, 2000, पृष्ठ 125

उपरोक्त सारणी में कुल लघु रूग्ण इकाइयों की संख्या तथा उनमें अवरूद्ध बैंक राशि प्रदर्शित की गयी है। मार्च 1999 तक कुल रूग्ण लघु इकाइयों की संख्या 306221 तथा बकाया राशि 4313.48 थी। सबसे अधिक रूग्ण इकाइयाँ खाद्य उद्योग में 44045 पाई गयी, जो कुल इकाइयों का 14.38 प्रतिशत है। इसके पश्चात् कुल लघु रूग्ण इकाइयों का वस्त्र उद्योग में 8 प्रतिशत, रसायन उद्योग में 6 प्रतिशत, इंजीनियरिंग उद्योग में 5.7 प्रतिशत, विविध उद्योग में 53.7 प्रतिशत इकाइयाँ रूग्ण पाई गयी। रूग्णता की दृष्टि से सबसे कम लघु इकाईयाँ जूट उद्योग (32) में पाई गयीं, जो कुल रूग्ण इकाइयों का 0.01 प्रतिशत थीं।

इसी प्रकार अवरूद्ध बैंक राशि के दृष्टिकोण से इंजीनियरिंग उद्योग में 11.2 प्रतिशत, वस्त्र उद्योग में 10 प्रतिशत, रसायन उद्योग में 8.4 प्रतिशत, धातु उद्योग में 6.8 प्रतिशत, लोहा एवं इस्पात उद्योग में 5.5 प्रतिशत, विविध उद्योग में 41.4 प्रतिशत बैंक राशि अवरूद्ध थीं। सबसे कम बकाया राशि रत्न एवं जवाहरात उद्योग में थी, जो कुल अवरूद्ध राशि का 0.12 प्रतिशत थी।

वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में रूग्णता :

विगत् दो दशकों से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूग्णता तीव्र गति से फैल रही है। रूग्णता से केवल परम्परागत उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जूट, चीनी आदि उद्योग ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण उद्योग जैसे इंजीनियरिंग, सीमेण्ट, पेपर तथा कैमिकल्स उद्योग भी रूग्णता से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित सूचना के आधार पर मार्च 1980 के अन्त तक वृहद तथा मध्यम क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों में कुल रूग्ण इकाइयों की संख्या 382 थी, जो मार्च 1997 में बढ़कर 1948 हो गयी। इसी प्रकार अवरूद्ध बैंक राशि मार्च 1980 के अन्त में 1221 करोड़ रूपये थी, जो 1997 में बढ़कर 8613.95 करोड़ रूपये हो गयी। वृहद तथा मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाइयों में रूग्ण इकाइयों की संख्या मार्च 1999 में बढ़कर 2792 हो गयी तथा इन रूग्ण इकाइयों में अवरूद्ध बैंक साख बढ़कर 19464 करोड़ रूपये हो गयी।[6] इन आँकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वर्ष 1980 से वर्ष 1999 के मध्य रूग्ण इकाइयों की संख्या में की वृद्धि हुई। इसी अवधि में अवरूद्ध बैंक राशि में की वृद्धि हुई।

---

6. इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, 2000-2001

तालिका - 4.9

प्रान्तीय स्तर पर विभिन्न वर्षो में रूग्ण इकाइयों में अवरूद्ध राशि (करोड़ रू० में)

क्रमाँक	राज्य	रूग्ण इकाइयों में अवरूद्ध राशि		
		1980	1987	1997
1.	महाराष्ट्र	461.40	491.34	1614.88
2.	पश्चिम बंगाल	467.06	475.48	1033.43
3.	उत्तर प्रदेश	20.19	240.30	915.85
4.	कर्नाटक	176.46	194.22	556.06
5.	गुजरात	170.82	192.81	583.67
6.	तमिलनाडु	183.31	150.88	622.93
7.	उड़ीसा	553.00	365.39	260.57
8.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	1060.67

स्रोत : जी०एस०सूद, औद्योगिक रूग्णता योजना, भारत सरकार प्रकाशन, 1 से 15 सितम्बर 1987, पृष्ठ 7 - 8, तथा रिपोर्ट आन करेंसी एण्ड फाइनेन्स 1997-98, पृष्ठ 39

तालिका संख्या 4.9 में औद्योगिक रूग्णता से ग्रसित प्रमुख भारतीय राज्यों में रूग्ण वृहद औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न वर्षों में अवरूद्ध बैंक राशि प्रदर्शित है। वर्ष 1980 में सर्वाधिक अवरूद्ध राशि पश्चिम बंगाल में 467.06 करोड़ रूपये थी। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र में 461.4 करोड़ रूपये, उड़ीसा में 353 करोड़ रूपये तथा सबसे कम उत्तर प्रदेश में 20.19 करोड़ की राशि अवरूद्ध थी। इसी प्रकार वर्ष 1987 अवरूद्ध राशि महाराष्ट्र में 491.34, पश्चिम बंगाल में 475.48 करोड़ रूपये, उड़ीसा में 365.39 करोड़ रूपये तथा उत्तर प्रदेश में 240.30 करोड़ रूपये थी। यह राशि वर्ष 1997 में बढ़कर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में क्रमशः 1614.88, 1033.43 तथा 915.85 करोड़ रूपये हो गयी।

वर्ष 1980 से 1987 के रूग्ण इकाइयों में अवरूद्ध राशि के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि महाराष्ट्र में 6.5 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 6.8 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 1090 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1987 से 1997 की अवधि में महाराष्ट्र में 228.7 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 117.3 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 281 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो चिन्ता का विषय है।

तालिका - 4.10

प्रान्तीय स्तर पर विभिन्न वर्षों में रूग्ण इकाइयों की संख्या

क्रमाँक	राज्य	रूग्ण इकाइयों की संख्या		
		1980	1987	1997
1.	महाराष्ट्र	100	100	340
2.	पश्चिम बंगाल	112	114	216
3.	उत्तर प्रदेश	54	57	170
4.	कर्नाटक	29	28	110
5.	गुजरात	54	51	174
6.	तमिलनाडु	44	46	141
7.	उड़ीसा	107	117	55
8.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	225

स्रोत : जी०एस०सूद, औद्योगिक रूग्णता योजना, भारत सरकार प्रकाशन, 1 से 15 सितम्बर 1987, पृष्ठ 7 - 8, तथा रिपोर्ट आन करेंसी एण्ड फाइनेन्स 1997-98 पृष्ठ 39

तालिका संख्या 4.10 में भारत में कुछ प्रमुख राज्यों की औद्योगिक रूग्णता से ग्रसित इकाइयों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 1980 में सबसे अधिक वृहद एवं मध्यम औद्योगिक रूग्ण इकाइयाँ पश्चिम बंगाल में पाई गयीं, जिनकी संख्या 112 थी। पश्चिम बंगाल के बाद क्रमशः महाराष्ट्र में 100 तथा उत्तर प्रदेश में 54 इकाइयाँ रूग्ण पायी गयीं। वर्ष 1987 में पश्चिम बंगाल में 114, महाराष्ट्र में 100 तथा उत्तर प्रदेश में 57 इकाइयाँ रूग्ण थीं। वर्ष 1997 तक रूग्ण इकाइयों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। महाराष्ट्र में 340, आन्ध्र प्रदेश में 225, पश्चिम बंगाल में 216, उत्तर प्रदेश में 170, गुजरात में 174 तथा तमिलनाडु में 141 इकाइयाँ रूग्ण पायी गयीं।

इस प्रकार वर्ष 1980 से 1997 की अवधि के आँकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि रूग्ण औद्योगिक इकाइयों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें महाराष्ट्र में 240 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 92.8 प्रतिशत, गुजरात में 222 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 214 प्रतिशत की वृद्धि रूग्ण इकाइयों की संख्या में हुई।

तालिका - 4.11

भारत में मार्च 1997 तक वृहद एवं मध्यम उद्योग में रूग्ण इकाइयों की संख्या तथा उनमें अवरूद्ध बैंक राशि

क्रमाँक	उद्योग	इकाइयों की संख्या	अवरूद्ध बैंक राशि (करोड़ रू०)
1.	इंजीनियरिंग	212	1181.54
2.	विद्युत	88	905.87
3.	वस्त्र	380	1418.20
4.	जूट	27	162.95
5.	कागज	111	226.69
6.	रबर	33	93.52
7.	सीमेण्ट	52	299.73
8.	लोहा एवं इस्पात	137	677.98
9.	चीनी	21	99.01
10.	रसायन	190	837.57
11.	धातु	75	429.39
12.	वेजीटेबिल आयल	60	174.47
13.	तम्बाकू	4	21.0
14.	चमड़ा	27	70.89
15.	रत्न एवं जवाहरात	4	3.87
16.	खाद्य	63	175.58
17.	वाहन	38	399.16
18.	विविध	426	1442.04
	योग	1948	8613.95

स्रोत : औद्योगिक निर्यात एवं साख विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट आन करेंसी एण्ड फाइनेन्स 1997-98, पृष्ठ 39 -40

तालिका संख्या 4.11 में मार्च 1997 तक भारत में वृहद एवं मध्यम उद्योगों में रूग्ण इकाइयों की संख्या तथा उनमें अवरूद्ध राशि प्रदर्शित है। मार्च 1997 तक भारत में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या 1948 तथा उनमें अवरूद्ध राशि 8613.95 करोड़ रूपये थी। सर्वाधिक संख्या में रूग्ण इकाइयाँ वस्त्र उद्योग में पायी गयी, जिनकी कुल संख्या 380 तथा उनमें अवरूद्ध राशि 1418.20 करोड़ रूपये थी। जो कुल रूग्ण इकाइयो का 24.1 प्रतिशत तथा कुल अवरूद्ध राशि का 16.46 प्रतिशत थी। इसी प्रकार भारत में 212 इकाइयाँ इंजीनियरिंग उद्योग में रूग्ण थीं, जिनमें 1181.54 करोड़ रूपये की राशि फँसी थी। इसके बाद क्रमशः रसायन उद्योग में 180, लोहा एवं इस्पात उद्योग में 137, कागज उद्योग में 111, विद्युत में 88 तथा विविध उद्योग में426 इकाइयाँ रूग्ण थीं, जिनमें क्रमशः 837.57, 671.98, 226.69, 605.87 तथा 1442.04 करोड़ रूपये की राशि अवरूद्ध थी।

इस प्रकार सबसे अधिक रूग्ण इकाइयाँ वस्त्र उद्योग में तथा सबसे कम तम्बाकू तथा रत्न एवं जवाहरात उद्योग में (चार) पायी गयीं। अवरूद्ध राशि की दृष्टि से सबसे अधिक वस्त्र उद्योग में (1418.20 करोड़ रूपये) तथा सबसे कम रत्न एवं जवाहरात उद्योग में (3.87 करोड़ रूपये) की राशि फँसी थी।

तालिका - **4.12**

उत्तर प्रदेश में वृहद् उद्योगों में मार्च 1997 तक रूग्ण इकाइयों की संख्या तथा बकाया राशि

क्र०सं०	उद्योग	रूग्ण इकाइयों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रू०)
1.	इंजीनियरिंग	11	36.35
2.	विद्युत	8	144.98
3.	वस्त्र उद्योग	34	215.67
4.	जूट	1	4.58
5.	पेपर	13	11.15
6.	रबर	5	3.83
7.	सीमेण्ट	3	38.76
8.	लोहा एवं इस्पात	7	19.36
9.	चीनी	5	55.43
10.	रसायन	16	49.47
11.	धातु	6	19.07
12.	बेजिटेबल आयल	6	23.80
13.	चमड़ा	2	1.54
14.	रत्न एवं जवाहरात	1	0.73
15.	खाद्य पदार्थ	8	43.31
16.	मोटर वाहन	3	15.30
17.	विविध	41	232.81
	योग	170	915.85

स्रोत : इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड एक्सपोर्ट डिपार्टमेण्ट, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स, 1997-98, पृष्ठ 36-39।

उपरोक्त तालिका में मार्च 1997 तक उत्तर प्रदेश में वृहद एवं मध्यम उद्योगों में रूग्ण उद्योगो की संख्या तथा अवरूद्ध राशि प्रदर्शित है। मार्च 1997 तक प्रदेश में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या 170 थी तथा उसमें 915.85 करोड़ रूपये

की राशि अवरूद्ध थी। सर्वाधिक संख्या में रूग्ण इकाइयाँ विविध उद्योग में थी, जिनकी कुल संख्या 41 तथा उसमें अवरूद्ध राशि 232.81 करोड़ रूपये थी, जो कुल रूग्ण इकाइयों का 24.11 प्रतिशत तथा कुल अवरूद्ध राशि का 25.4 प्रतिशत था। इसी प्रकार प्रदेश में 34 रूग्ण इकाइयाँ वस्त्र उद्योग में पायी गयीं, जिनमें 215.67 करोड़ रूपये की राशि फँसी हुई थी। इसी प्रकार रसायन उद्योग में 16, विद्युत में 8, इंजीनियरिंग में 11, लौह एवं इस्पात उद्योग में 7 इकाइयाँ रूग्ण थी, जिनमें अवरूद्ध राशि क्रमशः 49.47, 144.98, 36.35 तथा 19.36 करोड़ रूपये थी। सबसे कम रूग्ण इकाइयाँ रत्न एवं जवाहरात उद्योग (1) में थी, जिनमें अवरूद्ध राशि 0.73 करोड़ रूपये थी।

रूग्ण इकाइयों का चिन्हाँकन :

औद्योगीकरण के क्रम में विशेषकर लघु उद्योग के क्षेत्र में कुछ लघु औद्योगिक इकाइयाँ अनुभव के अभाव, प्रबन्धन एवं तकनीकी कारणों से रूग्ण हो जाती है। इसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के वित्तीय संस्थानों की पूँजी निष्प्रयोज्य हो जाती है तथा उद्यमी को वित्तीय हानि तथा अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए शासन ने 1998 की औद्योगिक नीति में रूग्ण इकाइयों के चिन्हॉकन के पश्चात् पुनर्वासन की योजना बनायी।

इस योजना के अधीन ऐसी समस्त लघु औद्योगिक इकाइयाँ, जो रिजर्व बैंक के निर्धारित मान के अनुसार रूग्ण हो गयी हैं तथा सहायता के फलस्वरूप जिनके पुनर्वासन की सम्भावना है, लाभ के लिए अर्ह होती हैं। चिन्हॉकन एवं पुनर्वासन के लिए रूग्ण औद्योगिक लघु इकाइयों के लिए निम्न शर्त रखी गयी है :

(क) जिसका कोई ऋण खाता संदिग्ध हो गया हो अर्थात् इसी ऋण खाते का मूलधन या ब्याज ढाई वर्ष से अधिक देय रहा हो।

(ख) संचित नगद हानियों के कारण पूर्ववर्ती 2 लेखा वर्ष के दौरान इसके वास्तविक मूल्य में इसके अंकित मूल्य के 50 प्रतिशत का क्षरण हुआ हो। [7]

---

7. उद्योग निदेशालय, कानपुर।

तालिका - 4.13

उत्तर प्रदेश में चिन्हित रूग्ण इकाइयों की संख्या

क्र०सं०	मण्डल	रूग्ण चिन्हित इकाइयों की संख्या
1.	आगरा मण्डल	63
2.	मेरठ मण्डल	95
3.	सहारनपुर मण्डल	12
4.	कानपुर मण्डल	114
5.	बरेली मण्डल	351
6.	मुरादाबाद मण्डल	1
7.	झाँसी मण्डल	233
8.	चित्रकूट धाम मण्डल	7
9.	लखनऊ मण्डल	61
10.	इलाहाबाद मण्डल	76
11.	फैजाबाद मण्डल	13
12.	देवी पाटन मण्डल	5
14.	गोरखपुर मण्डल	29
15.	बस्ती मण्डल	40
16.	वाराणसी मण्डल	1
17.	मिर्जापुर मण्डल	—
	योग	1123

स्रोत : उद्योग निदेशालय, कानपुर।

उपरोक्त तालिका में उत्तर प्रदेश में मई 2000 तक चिन्हित रूग्ण इकाइयों का मण्डलवार विवरण प्रदर्शित है। मई 2000 तक रूग्ण इकाइयों की कुल संख्या 1123 थी, जिसमें सबसे अधिक रूग्ण इकाइयाँ बरेली मण्डल में 351 चिन्हित की गयी, जो कुल चिन्हित रूग्ण इकाइयों का 31.3 प्रतिशत थीं। इसके बाद कुल चिन्हित इकाइयों का झाँसी मण्डल 20.8 प्रतिशत, कानपुर मण्डल में 10.2 प्रतिशत, मेरठ मण्डल में 8.5 प्रतिशत, इलाहाबाद मण्डल में 6.8 प्रतिशत, आगरा मण्डल में 5.6 प्रतिशत तथा

लखनऊ मण्डल में 5.4 प्रतिशत थी। सबसे कम रूग्ण इकाइयाँ वाराणसी तथा मुरादाबाद मण्डल में थीं। मिर्जापुर मण्डल में कोई इकाई रूग्ण नही पायी गयी।

इकाइयों को रूग्ण घोषित करने की प्रक्रिया :

किसी लघु औद्योगिक इकाई को अपने को रूग्ण घोषित करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना पड़ता है। इकाई को आवेदन पत्र के साथ विगत् तीन वर्षो की चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा परीक्षित की हुई अन्तिम खाते की प्रतियाँ भी प्रस्तुत करनी पड़ती है। आवेदन पत्र एवं अपेक्षित अन्तिम खाते की एक प्रति अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को भी उपलब्ध करायी जाती है। इस सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जाँच पड़ताल करके अपना विस्तृत निष्कर्ष क्षेत्रीय निदेशक (उद्योग) के माध्यम से मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देता है।

इकाई से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गयी परिभाषा के आधार पर रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई का परीक्षण करेगा।

मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति उक्त संस्तुतियों पर सम्यक विचार विमर्श करने के पश्चात् संदर्भित औद्योगिक इकाई को रूग्ण घोषित करने सम्बन्धी निर्णय लेती है। समिति द्वारा रूग्ण घोषित की गयी इकाई के पुनर्वासन की सम्भावना का परीक्षण करने हेतु किसी वित्तीय संस्था को "आपरेटिंग एजेंसी" को नामित करती है, जो रूग्ण घोषित की गयी इकाई का प्राथमिक ऋणदाता हो। सम्बन्धित वित्तीय संस्था निर्धारित किए जाने के तीन माह के भीतर परीक्षण करने के पश्चात् यह बताती है तो इसी तीन माह के भीतर पुनर्वासन पैकेज बनाते हुए समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। जिन संस्थाओं द्वारा पुनर्वासन पैकेज तैयार करने अथवा अपेक्षित सुविधाओं के बारे में सहमति प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, ऐसी दशा में समिति ऐसे मामले को उद्योग निदेशक के माध्यम से राज्य स्तरीय स्टैंन्डिंग समिति को संदर्भित करेगी। [8]

---

8. उद्योग निदेशालय, कानपुर।

पुनर्वासन योग्य रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई को विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सुविधायें :

रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई को पुनर्वासन योग्य मानते हुए यदि पुनर्वासन पैकेज बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाती है तो इस दौरान किसी भी विभाग द्वारा इस इकाई के विरूद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जाती है तथा बकाए की वसूली पुनर्वासन पैकेज तैयार होने तक स्थगित रहती है। रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई को निम्न सुविधायें दी जाती है :

1. रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत 5 लाख रूपये तक के मार्जिन मनी ऋण स्वीकृत करने का अधिकार मण्डल स्तरीय समिति को दिया गया है।
2. बिक्रीकर की वर्तमान तथा भावीदेय के सम्बन्ध में 10 लाख रूपये की सीमा तक 5 वर्षो के लिए स्थगन।
3. 1 करोड़ रूप्ये तक की सीमा के व्यापार कर. के वर्तमान व भावी देयों के सम्बन्ध में अ–स्थगन की सुविधा 5 वर्ष के लिए किए जाने का अधिकार संस्थागत वित्त विभाग का है।
4. रूग्ण इकाइयों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाएगा, परन्तु, यह सुविधा तभी मिलेगी जब इस सुविधा का प्रावधान पुनर्वासान पैकेज में किया गया हो। यदि इकाई बन्द रहने के अन्तराल हेतु कंजम्शन गारण्टी से मुक्त हो जाने की कार्यवाही की जा सकेगी तथा विद्युत पुनर्वासन हेतु रूग्ण इकाई से सिस्टम लोडिंग चार्ज नही लिया जाएगा।
5. इकाई बन्द होने की तिथि से रूग्ण होने के पश्चात् पुनर्वासान पैकेज की स्वीकृत इकाई पर कोई विद्युत चार्ज नहीं लगाया जाता है। पिछली बकाया विद्युत देयों की वसूली 10 समान वार्षिक किस्तों में की जाती है।
6. आबकारी करों का स्थगन 5 वर्षो के लिए किया जाता है तथा इसकी वसूली पैकेज में उल्लिखित अवधि तक या 5 वर्ष जो भी पहले हो, की जाती है।
7. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन के सम्बन्ध में समय–समय पर वित्तीय सुविधायें इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाती है। [9]

---

9. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, कानपुर।

तालिका - 4.14

उत्तर प्रदेश में पुनर्वासन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र तथा रूग्ण घोषित इकाइयों की संख्या

क्रमाक	मण्डल	चिन्हित रूग्ण इकाइयों से पुनर्वासन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	रूग्ण घोषित इकाइयो की संख्या
1.	आगरा	34	08
2.	मेरठ	23	23
3.	सहारनपुर	10	06
4.	कानपुर	96	50
5.	बरेली	06	03
6.	मुरादाबाद	01	—
7.	झाँसी	11	06
8.	चित्रकूट धाम	07	01
9.	लखनऊ	16	14
10.	इलाहाबाद	36	—
11.	फैजाबाद	12	09
12.	देवीपाटन	02	01
13.	गोरखपुर	12	11
14.	आजमगढ़	—	—
15.	बस्ती	25	25
16.	वाराणसी	01	01
17.	मिर्जापुर	—	—
	योग	292	157

स्रोत : उद्योग निदेशालय, कानपुर।

उपर्युक्त तालिका में उत्तर प्रदेश में मई 2000 तक चिन्हित रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र तथा घोषित रूग्ण इकाइयों की संख्या मण्डलवार दी गयी है। पुनर्वासन के लिए सबसे अधिक आवेदन पत्र कानपुर मण्डल (95) से प्राप्त हुए,

जो पूरे प्रदेश से प्राप्त आवेदन पत्रों को 35 प्रतिशत था। इनमें 50 इकाइयाँ रूग्ण घोषित की गयीं, जो कुल रूग्ण घोषित इकाइयों का 52 प्रतिशत था। इसके पश्चात् इलाहाबाद मण्डल रहा, जहाँ 36 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, परन्तु कोई भी इकाई रूग्ण घोषित नहीं की गयी। आगरा मण्डल से 34 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 8 इकाइयों को रूग्ण घोषित किया गया। बस्ती तथा मेरठ मण्डल से क्रमशः 11.25 तथा 23 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से क्रमशः 25 तथा 23 इकाइयों को रूग्ण घोषित किया गया। सबसे कम आवेदन पत्र वाराणसी (1) तथा मुरादाबाद (1) मण्डल से प्राप्त हुआ, जिसमें से वाराणसी से एक इकाई रूग्ण घोषित की गयी। मिर्जापुर तथा आजमगढ़ मण्डल से पुनर्वासन हेतु न कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ और न ही कोई औद्योगिक इकाई रूग्ण घोषित की गयी।

इस प्रकार पूरे प्रदेश से 292 आवेदन पत्र पुनर्वासन हेतु प्राप्त हुए, जिनमें से 157 इकाइयों को रूग्ण घोषित किया गया।

तालिका - 4.15

विभिन्न वर्षो में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या

इकाई	दिसम्बर 1990	दिसम्बर 1998	दिसम्बर 1999
मध्यम एवं वृहद् स्तरीय इकाइयाँ	1455 (17.2%)	2476 (1.11%)	2792 (0.91%)
लघु स्तरीय इकाइयाँ	219642 (82.8%)	221536 (98.89%)	306221 (99.09%)
योग	221097	224012	309013

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार प्रकाशन, वर्ष 1991-92, 2000-2001

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि रूग्ण इकाइयों की संख्या लगातार बढ़ी है। दिसम्बर 1990 में 221097 रूग्ण इकाइयाँ थीं, जो 1999 में बढ़कर 309013 हो गयीं। इसमें भी लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। दिसम्बर 1990 में कुल रूग्ण इकाइयाँ 82.8 प्रतिशत लघु स्तरीय क्षेत्र में थीं, जो वर्ष

1998 में बढ़कर 98.89 तथा वर्ष 1999 में 99.09 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार वर्ष 1998 से वर्ष 1999 की अवधि में लघु स्तरीय रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या में लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका - 4.16

विभिन्न वर्षो में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों में अवरूद्ध राशि (करोड़ रू० में)

इकाई	दिसम्बर 1990	दिसम्बर 1998	दिसम्बर 1999
मध्यम एवं वृहद् स्तरीय इकाइयाँ	6924.59 (74.1%)	11825 (75.4%)	15150 (77.8%)
लघु स्तरीय इकाइयाँ	2426 (26%)	3857 (24.6%)	4314 (22.02%)
योग	9352.53	15682	19464

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार प्रकाशन, वर्ष 1991-92, 2000-2001

रूग्ण लघु स्तरीय इकाइयों की संख्या में लगातार वृद्धि तो हुई है परन्तु अवरूद्ध राशि का प्रतिशत वृहद् स्तरीय इकाइयों में अधिक हैं। वर्ष 1999 में कुल अवरूद्ध राशि का 77.8 प्रतिशत वृहद् स्तरीय इकाइयों में तथा 22.20 प्रतिशत लघु स्तरीय इकाइयों में था। जबकि संख्या की दृष्टि से वर्ष 1999 तक 99 प्रतिशत लघु स्तरीय इकाइयाँ तथा 01 प्रतिशत वृहद् एवं मध्यम स्तरीय इकाइयाँ रूग्ण थीं।

औद्योगिक रूग्णता के कारण :

औद्योगिक रूग्णता के कारणों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है :

1. उद्यमिता कारण
2. उत्पाद सम्बन्धी कारण
3. प्रक्रिया सम्बन्धी कारण
4. वित्तीय कारण
5. प्रबन्धकीय कारण
6. विपणन सम्बन्धी कारण
7. व्यवसायिक संकल्पना सम्बन्धी कारण
8. अन्य कारण

उद्यमिता सम्बन्धी कारण :

(I) उद्यमी इकाई को चलाने में असमर्थ है।

(II) उद्यमी ईमानदार नहीं है अथवा उद्यमी में ईमानदारी का अभाव है तथा इकाई के कोष का दुरूपयोग करता है।

(III) उद्यमी को कोई भी तकनीकी अनुभव नहीं है या उद्यमी के ऐसे साझेदार, जिनकों तकनीकी ज्ञान था, ने इकाई को छोड़ दिया है।

उत्पाद सम्बन्धी कारण :

(I) गलत उत्पाद का चुनाव

(II) इकाई अपने उत्पाद को प्रतियोगी बाजार में बेचने में असमर्थ है।

(III) इकाई की उत्पाद की माँग फैशन या अन्य किसी कारण से कम जो गयी है तथा उत्पाद बाजार में पुराना पड़ गया है।

(IV) व्यवसाय के आकार के हिसाब से उत्पाद उपयुक्त नहीं है। या तो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा।

(V) सरकारी नीतियों तथा नियमों के कारण उत्पाद लाभदायक नहीं रह गया है।

वित्तीय कारण :

(I) इकाई में बहुत अधिक हानि एकत्रित हो गयी है।

(II) अत्यधिक ऋण भार

(III) वित्तीय इकाइयों से रूग्ण इकाई द्वारा बहुत अधिक मात्रा में ऋण लिया गया है जिससे यह डर है कि किसी भी समय वह वित्तीय संस्था अपने सारे ऋण को माँग सकती है।

(IV) इकाई नकद हानि के चक्र में इस प्रकार फँस गयी है कि उससे बाहर निकलना असम्भव है।

(V) वित्तीय संस्थाओं द्वारा कम मात्रा में साख देना।

(VI) इकाई द्वारा खातों का न बनाया जाना।

प्रक्रिया सम्बन्धी कारण :

(I) मूल उत्पादन प्रक्रिया/प्लाण्ट एवं मशीनरी का गलत चुनाव।

(II) उत्पाद प्रक्रिया के उपकरणों की अनुपलब्धता।

(III) गुणवत्ता के प्रति बहुत अधिक या बहुत कम सावधानियाँ।

(IV) नयी खोज, जिसके फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया का अनार्थिक हो जाना।

विपणन सम्बन्धी कारण :

(I) उत्पाद का बाजार में सफलतापूर्वक विपणन नहीं हुआ है।

(II) उत्पाद का उपयुक्त मूल्य नहीं रखा गया है।

(III) उत्पाद के लिए वितरण के गलत माध्यमों का चुनाव किया गया है।

(IV) खराब वित्तीय स्थिति जिसका उपभोक्ताओं द्वारा खूब उपयोग किया गया है।

(V) इकाई की कुछ उपभोक्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता अर्थात् इकाई द्वारा नए उपभोक्ताओं, क्षेत्रों को नहीं खोजा गया है।

(VI) संविदा की शर्तो का ज्ञान न होना। जिसके कारण इकाई सही ढंग से आदेशों का पालन नहीं कर पा रही है।

(VII) लगान तथा यातायात व्यय का अधिक होना।

प्रबन्ध सम्बन्धी कारण :

(I) प्रबन्ध का कमजोर होना, जिसके परिणामस्वरूप प्रबन्धक मेहनत तो बहुत करते हैं किन्तु उनका प्रबन्ध निष्प्रभावी तथा निष्प्रयोज्य होता है।

(II) इकाई के प्रबन्धन द्वारा प्रबन्ध की गलत नीतियों का अपनाया जाना।

(III) इकाई के प्रबन्ध का निष्क्रिय होना।

(IV) इकाई के उच्च प्रबन्धन द्वारा विभिन्न कार्यात्मक प्रबन्धकों के मध्य समन्वय स्थापित न कर पाना।

अवधारणा सम्बन्धी कारण :

(I) इकाई व्यंवसायिक संकल्पना से अनभिज्ञाहै और न ही उसे उत्पाद की अवधारणा का ज्ञान है। जैसे – कम्पनी को क्या उत्पादन करना चाहिए तथा किसी भी उत्पाद को उपभोक्ता क्यों और कैसे क्रय करेगें।

(II) उपभोक्ता व्यवहार के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में समन्वय नहीं हो पाता है। न तो उत्पाद का और न ही उपभोक्ता के दृष्टिकाण से पर्याप्त व्यवहार कम्पनी कर पाती है।

(III) व्यवसायिक इकाई में नीतियों एवं नियमों का अभाव, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नीतियों का भी अभाव पाया जाता है। इकाई द्वारा निर्णय प्रक्रिया में कोई समुचित कारण का न होना।

अन्य कारण :

(I) कच्चे माल की अनुपलब्धता एवं मूल्य का अत्यधिक होना।

(II) साझेदारी विवाद के कारण इकाई का ढेग से कार्य न कर पाना या बन्द हो जाना।

(III) गलत स्थान का निर्धारण।

(IV) कर्मचारियों एवं श्रमिकों की संख्या का अधिक होना।

(V) कुशल कर्मचारियों एवं श्रमिकों का अभाव।

इस प्रकार कोई भी इकाई चाहे वह वृहद् स्तरीय हो या लघु स्तरीय, उपरोक्त में से किसी एक या अधिक कारक के काहने पर रूग्ण हो जाती है। वह कारण प्रबन्धकीय, वित्तीय, विपणन सम्बन्धी, संकल्पना या उत्पाद सम्बन्धी कोई भी हो सकता है। परन्तु, इन सभी कारणों में किसी भी इकाई के रूग्ण होने का सबसे बड़ा कारण प्रबन्धकीय होता है।

औद्योगिक रूग्णता के परिणाम :

औद्योगिक रूग्णता, चाहे वह विकासशील देश हो या विकसित देश, सभी को बुरी तरह प्रभावित करती है। भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसी अर्थव्यवस्था में जहाँ पर श्रम की अधिकता है, वहाँ पर रूग्णता के फलस्वरूप गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। औद्योगिक रूग्णता अर्थव्यवस्था के एक नहीं बल्कि अनेक पक्षों को विपरीत दिशा में प्रभावित करती है। औद्योगिक रूग्णता द्वारा उत्पन्न परिणाम निम्न है :

(1) संसाधनों का दुरूपयोग :

औद्योगिक इकाई के रूग्ण होने की स्थिति में यदि उत्पादन कार्य बन्द हो जाता है तो उस इकाई में लगे हुए सम्पूर्ण संसाधन बेकार हो जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय क्षति होती है। वृहद उद्योगों में यह समस्या अत्यधिक भयावह एवं जटिल हो जाती है क्योंकि वृहद उद्योगों में अत्यधिक मात्रा में परिसम्पत्तियों में पूँजी निवेश होता है। विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में जब यह स्थिति होती है जहाँ कि संसाधनों की कमी है, तो यह अन्य पक्षों को विपरीत दिशा में प्रभावित करने लगती है।

(2) निवेशकों एवं उद्यमियों पर प्रभाव :

औद्योगिक इकाई की रूग्णता की दशा में विशेषकर जब वह बन्द हो जाती है, तो स्टाक मार्केट में उस औद्योगिक इकाई के अंशों की कीमत गिरने लगती है जिससे अंशधारियों में अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। दूसरी ओर इसका विपरीत प्रभाव अन्य उद्यमियों पर भी पड़ता है जो कि उसी उद्योग में कार्यरत हैं।

(3) रोजगार पर प्रभाव :

विकासशील अर्थव्यवस्था वाले भारत जैसे देश में, जहाँ भारी मात्रा में अकुशल श्रम का बाहुल्य है, तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण कृषि क्षेत्र में प्रछन्न बेरोजगारी है, वहाँ पर औद्योगिक रूग्णता के फलस्वरूप समस्या भयानक हो जाती है। यदि वे औद्योगिक इकाइयाँ, जिनमें अत्यधिक मात्रा में श्रमिक नियोजित हैं, रूग्ण होकर बन्द हो जाती हैं तो ये श्रमिक बेरोजगारी की समस्या को और जटिल बना देते हैं।

(4) औद्योगिक अशान्ति :

यदि औद्योगिक इकाई रूग्ण होकर बन्द हो जाती है तो उसमें नियोजित श्रमिकों एवं कर्मचारियों की स्थिति अलग तरह की हो जाती है। श्रमिक एवं कर्मचारी प्रबन्धन से असन्तुष्ट होकर हड़ताल करते हैं और इस प्रकार इकाई को हानि पहुँचाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नियोजक इकाई में तालाबन्दी कर देते हैं। कुल मिलाकर औद्योगिक रूग्णता औद्योगिक अशान्ति का वातावरण सृजित करती है।

(5) वित्तीय संस्थाओं पर प्रभाव :

औद्योगिक इकाई के रूग्ण होने की स्थिति में इकाई द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण की बकाया राशि मिलने की सम्भावना क्षीण हो जाती है। ऐसी स्थिति में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को अत्यधिक मात्रा में वित्तीय हानि उठानी पड़ती है। वर्ष 1990-91 में देश में औद्योगिक रूग्ण इकाइयों की अवरूद्ध राशि सात हजार करोड़ रूप्ये थी जो वर्ष 1999 में बढ़कर 19464 करोड़ रूपये हो गयी। इस स्थिति में रिजर्व .बैंक ऑफ इण्डिया के डिप्टी गर्वनर का यह कथन कि ***"रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की पुनरूद्धार नीति देश के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को भी रूग्ण बना देगी"*** महत्वपूर्ण है।

(6) औद्योगिक रूग्णता के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय एवं राज्य सरकार पर अत्यधिक वित्तीय भार पड़ता है तथा राजस्व घाटे में वृद्धि होती है।

(7) औद्योगिक इकाई के रूग्ण होने के परिणाम स्वरूप सम्बन्धित औद्योगिक इकाई से जुड़ी हुई अन्य इकाइयाँ भी विपरीत दिशा में प्रभावित करती हैं।

अध्याय 5

औद्योगिक रूग्णता को दूर करने में वित्तीय संस्थाओं का योगदान

प्रस्तावना :

वित्तीय संस्थाओं से अभिप्राय ऐसी संस्थाओं से है, जो उद्योगों के विकास के लिए उद्योग के प्रारम्भ से तथा दीर्घकाल तक वित्तीय सहायता हेतु विशेषरूप से सृजित की जाती है। रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरूत्थान के लिए योगदान के संदर्भ में सरकार द्वारा काफी घोषणाएँ की गयी हैं। परन्तु, किसी भी स्पष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक रूग्णता नीति का निर्माण नहीं हो सका है।

जब कोई औद्योगिक इकाई रूग्ण इकाई के रूप में चिन्हित की जाती है तो उस इकाई का यह अध्ययन किया जाता है कि एक निश्चित समयावधि में उसका पुनरूद्धार सम्भव है या नहीं? यदि इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि इकाई का पुनरूद्धार उपयुक्त योजना द्वारा हो सकता है तो इकाई के पुनरूद्धार के लिए योजना को लागू किया जाता है। इस योजना को लागू करने में सबसे बड़ा योगदान वित्तीय संस्थाओं का होता है। इस अध्याय के अन्तर्गत निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं का अध्ययन करेगें :

1. भारतीय रिजर्व बैंक
2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
3. राज्य वित्त निगम
4. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक
5. उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम
6. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
7. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

वित्तीय संस्थाओं का योगदान :

औद्योगिक रूग्ण इकाइयों की रूग्णता को दूर कने में वित्तीय संस्थायें किस प्रकार उपयोगी है। इसे निम्न सोपानों के माध्यम से अवलोकित किया जा सकता है :

1. औद्योगिक रूग्ण इकाइयों के सर्वेक्षण हेतु वित्तीय संस्था को एक अध्ययन दल का गठन करना चाहिए। इस अध्ययन दल को बैंकों से उन सभी इकाइयाँ का विवरण प्राप्त करना चाहिए, जो छः माह या इससे अधिक समय से रूग्ण हो।

2. ऐसी सभी इकाइयाँ जो लगातार हानि में चल रही हों, उनमें वित्तीय संस्थाओं को वित्तीयन कार्य नही करना चाहिए।
3. अध्ययन दल द्वारा ऐसी सभी निर्धारित की गयी इकाइयों को उनके रूग्णता के कारणों के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए।
4. ऐसी इकाइयाँ, जिनमें रूग्णता का मुख्य कारण मशीनों तथा उत्पादन सुविधाओं का पुराना होना हो, उनमें सबसे पहले विनियोग व्यय का पूर्वानुमान करना चाहिए, जिसके आधार पर इन इकाइयों को पुनरूत्थान हो सके।
5. इसी प्रकार किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध वित्त के निर्धारण के सम्बन्ध में रूग्ण उद्योगों के अनुसार उनका विभाजन किया जाना चाहिए।
6. रूग्ण उद्योगों को उद्यम के अनुसार निर्धारण किया जाना चाहिए। एक उद्योग में प्रत्येक उद्यम को इस प्रकार श्रेणीबद्ध करना चाहिए, जो पुनरूत्थान और रोजगार सृजन एवं संरक्षण के अनुपात पर आधारित हों। यह अनुपात जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक उस उद्यम को वित्त का आवंटन होगा।
7. प्रत्येक उद्यम को प्राप्त होने वाला वित्तीय सहयोग हो सकता है कि उसकी कुल आवश्यकता को पूरा न कर सके। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों का सहयोग लेना चाहिए। बैंकों का योगदान रूग्ण इकाइयों को वित्तीयन हेतु इन इकाइयों के कुल औद्योगिक उद्यमों और आधुनिकीकरण के व्यय के 15 से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
8. औद्योगिक रूग्णता का अन्य कारण कच्चे माल की अपर्याप्तता तथा शक्ति की अनुपलब्धता है। अतः अध्ययन दल को इकाई को उचित मूल्य पर इन साधनों की पूर्ति के लिए सम्बन्धित क्षेत्र में संस्तुत करना चाहिए। इस विषय में महत्वपूर्ण कच्चे माल के सन्दर्भ में बैंकों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए।
9. औद्योगिक रूग्णता यदि क्षमता के अनुपयोग के कारण हो, तो वहाँ स्थापित क्षमता के विकल्पों का उपयोग करना चाहिए।
10. यदि औद्योगिक रूग्णता घटिया माल, सुपुर्दगी का देर से होना या न होना, बाजारी माँग में कमी, ऊँची लागत के कारण हो तो यहाँ पर फण्ड के स्थान पर तल पूँजी फण्ड की समस्या हो जाती है।

अध्ययन दल का यह सुझाव है कि बैंकों की कार्यशैली पूँजी का वित्तीयन वित्तीय संस्थाओं के मार्गदर्शन में होना चाहिए। अध्ययन दल को रूग्ण इकाईयों के वित्तीय नीतियों के प्रभागों का निरीक्षण लगातार करते रहना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए।

पुनरूत्थान नीतियाँ :

यदि औद्योगिक इकाई रूग्ण इकाई के रूप में चिन्हित की गयी है तो उसके रूग्णता के कारणों का विश्लेषण करने के बाद एक उपयुक्त पुनरूत्थान नीति बनायी जानी चाहिए जो उसके रूग्णता के कारणों पर आधारित हो। ये नीतियाँ सामान्यतः निम्न हो सकती है :

1. लेनदारों से सामंजस्य :

एक रूग्ण औद्योगिक इकाई अत्यधिक ब्याज के भार तथा ऋण के पुनर्भुगतान के दबाव में कार्य नहीं कर सकती। रूग्ण इकाई से यदि वित्तीय संस्था अपने द्वारा दिए गए ऋण को माँगती है तो ऐसी स्थिति में उसमें और वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए या तो इकाई के लिए पुनरूद्धार वित्तीय सुविधाएँ बनाई जाएँ जिनमें ऋण के अधिभार सम्मिलित हो या इकाई अपने सम्पूर्ण दायित्वों से छुटकारा ले लें। यह छुटकारा रूग्ण इकाई को अपने लेनदारों को पूर्ण भुगतान के द्वारा मिल सकता है। अनेक ऐसी इकाइयाँ हैं, जिनका पुनरूद्धार लेनदारों को पूर्ण भुगतान के द्वारा हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत एक निश्चित रकम वित्तीय संस्थाओं द्वारा निश्चित कर दी जाती है। वित्तीय संस्थायें इन इकाइयों के पुनरूत्थान में ऋण के भुगतान द्वारा सहायता करती है। निम्न तालिका में पिछले पाँच वर्षो में पिकअप तथा यू०पी०एफ०सी० द्वारा दिए गए योगदान का उल्लेख है।

तालिका - 5.1

विभिन्न वर्षों में रूग्ण इकाइयों में वित्तीय संस्थाओं का योगदान

क्र. सं०	वर्ष	यू०पी०एफ०सी संख्या	धनराशि (ला०रू०में)	पिकअप संख्या	धनराशि (ला०रू०में)
1.	1997-1998	319	2904.04	07	215.61
2.	1998-1999	163	2081.50	05	508.43
3.	1999-2000	689	13738.19	16	1268.19
4.	2000-2001	257	4964.29	21	1580.70
5.	2001-2002	139	4841.23	24	3248.14

स्रोत : रूग्ण इकाइयों का पुनरूद्धार दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007, पेज संख्या 18

अतः रूग्ण इकाइयों के पुनरूद्धार हेतु वित्तीय संस्थाओं के साथ खातों को पूर्ण समायोजन सबसे अच्छा विकल्प है। इस क्रम में यू०पी०एफ०सी० को अपनी आय को जो ब्याज के रूप में है, छोड़ना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप उसे भारी हानि हुई है। इस छोड़े गए ब्याज के भार को बड़ी वित्तीय संस्थाओं जैसे सिडबी तथा आई०डी०बी०आई० के साथ 50 प्रतिशत तक बाँटना चाहिए।

2. पुनरूद्धार पैकेज :

विगत् वर्षों में विभिन्न पुनरूद्धार योजनाओं के अन्तर्गत रूग्ण इकाइयों को सुविधायें दी गयीं हैं। परन्तु यह अनुभव किया गया है कि सुविधा प्राप्त इकाइयों में से मात्र 5 से 10 प्रतिशत इकाइयों का ही पुनरूद्धार हुआ, इससे बैंक तथा वित्तीय संस्थाएँ रूग्ण इकाइयों में पूँजी विनियोग करने से कतराने लगीं।

तालिका - 5.2

वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	यू०पी०एफ०सी०	पिकअप
1.	1997-98	5	6
2.	1998-99	4	4
3.	1999-2000	2	9
4.	2000-2001	4	6
5.	2001-2002 (अगस्त तक)	3	7

स्रोत : रूग्ण इकाइयों का पुनरूद्धार, दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007, पेज संख्या 19

3. प्रबन्ध में परिवर्तन :

यदि इकाई अकुशल प्रबन्धन विवादों के कारण रूग्ण हो तो प्रबन्ध में तुरन्त पारस्परिक स्थानान्तरण द्वारा रूग्ण इकाई के पुनरूद्धार में सहायता प्राप्त होती है।

4. विनिवेश तथा विक्रय :

पुनरूद्धार योजना जोखिम वाली इकाइयों की ऐसी सम्पत्ति, जो लाभदायक न हो, का विनिवेश तथा एकत्रित स्टाक का विक्रय सम्मिलित करती हैं। इन क्रियाओं द्वारा रूग्ण इकाई की तरलता की स्थिति में सुधार होता है तथा संसाधनों के पुनर्उपयोग में सहायता मिलती है।

5. प्लाण्ट एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण :

रूग्ण इकाई की उत्पादन क्षमता में सुधार हेतु प्लाण्ट एवं मशीनरी की आधुनिकीकृत खोज एवं मरम्मत की जानी चाहिए। यह चरण मानक लागत तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक है।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक

(भारतीय औद्योगिक पूँजी निवेश बैंक लि०)

विगत वर्षो में बहुत से औद्योगिक उपक्रम, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, अत्यधिक वित्तीय कठिनाई में थे। ये उपक्रम अपना उत्पादन कार्य बन्द करने वाले थे। उपक्रमों को इस स्थिति में लाने के लिए पर्याप्त उत्पादित वस्तु की माँग का अभाव, कुशल प्रबन्धकीय व्यवस्था का अभाव, कच्चे माल का अभाव, श्रम विवाद, आयातित वस्तुओं का प्रतिबन्ध आदि कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे। इन औद्योगिक उपक्रमों की अर्थव्यवस्था के महत्व को परिलक्षित करते हुए तथा रोजगार के स्तर को ध्यान में रखते हुए इन औद्योगिक इकाइयों की सहायता करना आवश्यक समझा गया। अतः इकाइयों को कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1971 में औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना भारतीय औद्योगिक बैंकों के अनुसंधान के आधार पर की। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का मुख्य उद्देश्य रूग्ण इकाइयों तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों की उत्पादन क्षमता को गतिशील बनाना है। बैंक की अधिकृत पूँजी 25 करोड़ रूपये की है। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जीर्ण तथा बन्द औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ–साथ उनकी प्रबन्धकीय तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की अड़चनों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1985 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की है। यह बैंक पुनरूत्थान हेतु कार्य करता है, जिसमें आधुनिकीकरण व्यय, उद्योगों का विविधीकरण, पुनर्वित्त व्यवस्था तथा विवेकीकरण आदि शामिल हैं। औद्योगिक पुनर्वित्त बैंक की अधिकृत पूँजी 200 करोड़ रूपये तथा प्रदत्त पूँजी 50 करोड़ रूपये हैं, जो पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी है।

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक निम्न उद्योगों को सहायता प्रदान करता है :

इनमें कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, रसायनिक उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रबर के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग, मशीन निर्माण, परिवहन संयन्त्र, रेलों के वैगन तथा साइकिल उद्योग आदि प्रमुख हैं। औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने टेक्सटाइल

कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० की स्थापना की है, जिसमें औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूँजी लगायी गयी है।

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, औद्योगिक उपक्रमों तथा अन्य औद्योगिक संयंत्रों की पुनर्संरचना हेतु परियोजना तैयार करती है तथा इसे केन्द्र सरकार के पास भेजती है। यह बैंक औद्योगिक प्रतिष्ठान की उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियों को तीव्र करती है तथा कम्पनी अधिनियम के अनुसार अन्य कार्यवाहियों पर शीघ्र निपटारा करती है। इस बैंक का सलाहकार तथा व्यपारिक बैंकिंग सेल बहुत अधिक मजबूत है, जिससे रूग्ण इकाइयों की रूग्णता के निवारण साथ-साथ उसकी प्रक्रिया को भलीभाँति सम्पन्न करता है। वर्तमान समय में इसकी गम्भीरता तथा औद्योगिक रूग्णता की समस्या के कारण सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है जब औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त सहयोग लें। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक मुख्यतः पुनर्निर्माण बैंक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह बैंक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करता है। इसकी सहायक क्रियाओं में विकासात्मक सहयोग, व्यवसायिक बैंकिंग सेवाएँ तथा प्रबन्धकीय सेवाएँ आदि शामिल है। वर्ष 1987-88 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा स्वीकृत तथा वितरित धनराशि 186 करोड़ तथा 102 करोड़ रूपये थी, जो वर्ष 1997-98 में बढ़कर क्रमशः 2061 करोड़ रूपये तथा 1153 करोड़ रूपये हो गयी।[1]

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को अपने कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए अनेक अधिकार तथा सुविधाएँ सरकार द्वारा दी गयी हैं। इस बैंक को यह अधिकार है कि वह किसी भी औद्योगिक इकाई का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लें तथा उन प्रतिष्ठानों को स्वयं नियन्त्रित करे। यह केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि ऋण समझौते तथा अन्य माध्यम से 2 वर्ष तक स्थगित किए जा सकते हैं, जिन्हें बढ़ाकर 8 वर्ष तक किया जा सकता है। ये बैंक लाभकर, आयकर तथा अन्य आय प्रतिकर से मुक्त होते हैं। इन पर एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम नहीं लागू होता है। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में प्रबन्ध कुशल बनाने तथा औद्योगिक पुनरूत्थान सम्बन्धी सभी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

---

1. भारतीय अर्थशास्त्र मिमोरिया एवं जैन, 2001, पृष्ठ 335

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के सन्दर्भ में सरकार का निर्णय है कि कुल वितरित अनुदान में से 40 प्रतिशत अनुदान ऐसी इकाइयों को दिया जाए जो रूग्ण न हों। सरकार का यह निर्णय बैंक के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति में सन्देह उत्पन्न करता है। यह सर्वविदित है कि क्षेत्रीय रूग्णता की संकेन्द्रता देश के ऐतिहासिक तथा औद्योगिक ढाँचे से मेल खाती है। इसलिए यह आश्चर्यजनक नही है कि पाँच राज्य ही अधिक ऋण प्राप्त करें, जिनमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात आदि प्रमुख है। कपड़ा उद्योग, औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का लाभ अर्जित करने वाला क्षेत्र रहा है। खाद्य, कागज, आधारभूत मशीनरी आदि कुल इकाइयों का दसवाँ भाग तथा कुल ऋण का पाँच प्रतिशत प्राप्त करते हैं। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों को कुल स्वीकृत धनराशि का दो प्रतिशत भाग ही दिया जाता है। बैंक के द्वारा औद्योगिक इकाइयों के वित्तीयन में कुल स्वीकृति का 86 प्रतिशत आधुनिकीकरण तथा औद्योगिक क्षमता के विविधीकरण हेतु किया जाता है। इस प्रकार किसी रूग्ण इकाई का कार्यरत रहना उसके लाभ पर आधारित है। बैंक के अनुसार एक रूग्ण इकाई वह है जो इस प्रक्रिया से छूट जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इकाई की क्षमता 10 वर्ष की अवधि में प्राप्त किए गए ऋण के भुगतान की होनी चाहिए। औद्योगिक रूग्णता की समस्या के सन्दर्भ में इस बैंक की भूमिका स्पष्ट रही है। प्राप्त कारणों से पता चलता है कि औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक से लाभ प्राप्त कर्ताओं में 30 प्रतिशत रूग्ण इकाइयाँ, 28 प्रतिशत बकाया साख प्राप्त करने वाली गैर कार्यरत है, इन आँकड़ों को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

मार्च 1997 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का नाम बदलकर भारतीय औद्योगिक पूँजी निवेश बैंक लि० कर दिया गया है तथा इसकी अधिकृत पूँजी 200 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रूपये कर दी गयी है। वर्ष 1997-98 में भारतीय औद्योगिक पूँजी निवेश बैंक लि० द्वारा 2061 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए, जिसमें से 1153 करोड़ रूपये के ऋण का वितरण हुआ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक :

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास अधिनियम 1964 की शर्तो के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने पूर्णतः स्वामित्व वाली संस्था के रूप में उद्योगों के विकास के लिए ऋण एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा उससे सम्बन्धित कार्यों के लिए की गयी है। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना था। देश में बढ़ते हुए औद्योगीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु इस बैंक की स्थापना की गयी। यह बैंक मुख्य रूप से खनन उद्योग, जहाजरानी उद्योग, विनिर्माण उद्योग, होटल उद्योग, परिवहन उद्योग आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना के उद्देश्य निम्न है :

(I) वित्तीय संस्थाओं को औद्योगिक संस्थाओं के अंशों तथा बाण्ड को क्रय करना एवं उनका अभिगोपन करना।

(II) औद्योगिक संस्थाओं को ऋण देना।

(III) औद्योगिक संस्थाओं के बिलों को बट्टे पर भुनाना।

(IV) भावी औद्योगिक विकास के लिए प्राथमिकताओं का क्रम निर्धारित करना।

(V) दीर्घकालीन एवं मध्यमकालीन औद्योगिक वित्त की माँग एवं पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करना।

(VI) भारत में वित्तीय संस्थाओं के लिए केन्द्रीय समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करना।

(VII) औद्योगिक विकास सम्बन्धी अनुसंधान तथा सर्वेक्षण करना।

(VIII) तकनीकी औद्योगिक अध्ययनों को सम्पन्न करना।

इसका प्रबन्ध एक संचालक मण्डल करता है जिसमें अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, एक पूर्णकालिक निदेशक, केन्द्र सरकार के दो अधिकारी, तीन व्यवसाय निदेशक तथा अंशधारियों के चार प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान समय में एक मुख्य निदेशक तथा नौ अन्य निदेशक कार्यरत हैं।

फरवरी 1976 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्गठन किया गया जिसके फलस्वरूप इसके कार्यों में कुछ परिवर्तन आए :

(I) यह बैंक विशिष्ट संस्थाओं जैसे आई०एफ०सी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई०, आई०आर०सी०आई०, जीवनबीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यों को समन्वित करता है।

(II) बैंक की समस्त पूँजी जो पुनर्गठन के पूर्व रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास थी, उसे पनुर्गठन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित कर दी गयी। इसके संचालन मण्डल के गठन का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है, परन्तु उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा नामांकित होता है।

(III) यूनिट ट्रस्ट की अंश पूँजी में जो हिस्सा रिजर्व बैंक का था, उसे बैंक के पुनर्गठन के पश्चात् औद्योगिक बैंक विकास के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया, जिससे यह बैंक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य कर सके।

(IV) समस्त वित्तीय संस्थाओं के संचालक मण्डल में औद्योगिक विकास बैंक अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता है। प्रत्यक्ष सहायता में यह बैंक प्रोजेक्ट ऋणों, उदार ऋणों, प्रत्यक्ष अभिसूची, उपकरणों के वितरणों एवं तकनीकी भुगतान द्वारा सहायता प्रदान करता है। इन ऋणों को स्कन्ध तथा अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह बैंक औद्योगिक संस्थाओं के लिए ऋण की उपलब्धि, खुले बाजार, जैसे राज्य सहकारिता बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा अनुसूचित बैंक की सहायता से करते हैं। इस प्रकार यह बैंक प्रत्यक्ष ऋणों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम से मेल खाते हैं।

अप्रत्यक्ष सहायता के अन्तर्गत यह विकास बैंक, औद्योगिक संस्थाओं को निम्न प्रकार से सहयोग करते हैं :

(I) यह बैंक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा अन्य संस्थाओं से दिए गए ऋणों पर तीन से पच्चीस वर्षो के अन्दर भुगतान के लिए सावधि ऋणों का पुनर्वित्तीयन कर सकते हैं।

(II) यह बैंक, व्यापारिक बैंकों अथवा राज्य सरकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के तीन से दस वर्षो के भुगतान तथा उनका पुनर्वित्तीयन कर सकते हैं।

(III) यह बैंक व्यापारिक बैंक अथवा राज्य वित्त निगम, राज्य सरकारी बैंकों द्वारा दिए गए निर्यात साख का पुनर्वित्तीयन कर सकते हैं।

इस प्रकार यह बैंक वित्तीय संस्थाओं तथा बैंको द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्वित्तीयन करता है। इसी के साथ राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगत तथा अनुसूचित वित्तीय संस्थाओं के अंश, बाण्ड तथा ऋण पत्रों को यह बैंक अनुबन्धित करता है। इस प्रकार अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उत्पन्न करके यह विकासात्मक बैंक उद्योगों की सहायता करता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रत्यक्ष ऋणों द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को साख, निर्यात ऋण, पुनर्वित्तीयन ऋण, शेयर एवं ऋण पत्र को अनुबन्धित तथा बिलों का पुनर्भुगतान करता है। जुलाई 1964 से मार्च 1990 तक औद्योगिक विकास बैंक ने लगभग 34000 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी, जिसमें से 24700 करोड़ रूपये का वितरण किया गया। वर्ष 1999-2000 में 28308 करोड रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए तथा 17059 करोड़ रूपये के ऋणों का वितरण किया गया।[2]

इस प्रकार औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से औद्योगिक विकास बैंक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में सामने आया है। यह बैंक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अन्य प्रकार से भी सहायता उपलब्ध कराता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के अधीन एक विशेष फण्ड के सृजन का प्राविधान है, जिसे विकास सहायता फण्ड कहते हैं। इस फण्ड का प्रयोग औद्योगिक विकास बैंक उन औद्योगिक बैंकों की सहायता के लिए करता है, जो अपने निम्न प्रतिफल के कारण अन्य स्रोतों से सहायता प्राप्त करने में असफल रहे हैं। औद्योगिक विकास तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने के लिए वर्ष 1970 से इस बैंक ने

2. आई०डी०बी०आई०, एनुअल रिपोर्ट, 1999-2000

विकासात्मक कार्यों को प्रारम्भ किया है। अन्य सावधि ऋण संस्थाओं के साथ–साथ औद्योगिक विकास बैंक ने राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। इस संयुक्त औद्योगिक अध्ययन दल ने 389 परियोजनाओं को 2465 करोड़ रूपये विनियोग के लिए चुना। वर्ष 1976 में औद्योगिक विकास बैंक ने सीमेण्ट उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग एवं जूट उद्योग की उत्पादन इकाइयाँ हेतु उदार ऋण योजना का प्रारम्भ किया है। इस योजना के द्वारा ये इकाइयाँ अपने आधुनिकीकरण के भार एवं परियोजना के उपकरणों में नवीनीकरण हेतु उदार शर्तों पर ऋण प्राप्त कर सकती है। इस योजना में औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक साख निगम का सहयोग विकास बैंक द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य इकाइयों की पुरानी मशीनों में परिवर्तन करना है। इस परियोजना में ब्याज की दर 7.5 प्रतिशत तथा ऋण की अदायगी 15 वर्षों की है। वर्ष 1978 तक यह योजना काफी धीमी गति से चली, तथा उदार ऋण परियोजना निजी क्षेत्र की इकाइयों को आकर्षित नहीं कर पा रही थी। जनवरी 1984 में उदार ऋण परियोजना में प्रत्येक प्रकार के आधुनिकीकरण को सम्मिलित किया गया। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता उन उत्पादक इकाइयों को मिलती है, जो उत्पादन प्रक्रिया के उत्थान हेतु तकनीकी परिवर्तन, आयात, प्रतिस्थापक, निर्यातमूलक तथा शक्ति से सम्बन्धित है। इस प्रकार इस परियोजना को आकर्षक बनाया गया।

भारत में वर्ष 1964 में स्थापित विकासात्मक बैंक ने एक प्रधान संस्था के रूप में सहयोगी कार्यों में दीर्घ तथा मध्यकालीन वित्तीयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किन्तु कुछ आलोचक विकास बैंक के कार्यों एवं उपलब्धियों से सन्तुष्ट नहीं थे। उनके अनुसार यह विकासात्मक बैंक एक उत्पादक तथा प्रभावकारी बैंक के रूप में राष्ट्र के औद्योगीकरण की गति को तीव्र करने में सफल रहा है, इसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास बैंक का एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्यरत न होना था। यह बैंक रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर की प्रबन्धन सम्बन्धी असमर्थता थी। इसी के परिणाम स्वरूप विकास बैंक को वर्ष 1976 से स्वतंत्र संस्था के रूप में मुक्त कर दिया गया। 1986 में परिवर्तित अधिनियम के अनुसार ये विकासात्मक बैंक औद्योगिक इकाइयों जैसे सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य, शक्ति, सूचना एवं जनसम्पर्क के विस्तार के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं।

30 जून 2001 तक औद्योगिक विकास बैंक ने अपने कार्यकारी जीवन के 37 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। वर्तमान में यह बैंक राष्ट्र की सबसे बड़ी वित्त संस्था के रूप में कार्यरत है। इसकी वित्तीय सहायता से 45 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय आय, रोजगार तथा निर्यात में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही साथ आयात प्रतिस्थापन भी हुआ है। [3] 31 मार्च 1976 को समाप्त वित्तीय वर्ष में निगम को 12 करोड़ रूपये का लाभ प्राप्त हुआ था, जो 31 मार्च 2000 को बढ़कर 497 करोड़ रूपये हो गया। [4]

राज्य वित्त निगम :

उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा पिकप उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएँ हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवम्बर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1954 के अन्तर्गत की गयी है। यू०पी०एफ०सी० ने लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों के माध्यम से प्रदेश के सर्वागीण विकास का सुदृढ़ आधार बनाने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में यू०पी०एफ०सी० सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देने हेतु देश के प्रमुख राज्य वित्तीय निगम के रूप में उभर रहा है।

यू०पी०एफ०सी० में 31 मार्च 2000 तक 41734 मामलों में 27.87.47 करोड़ रूपये की धनराशि दीर्घ अवधि ऋण के रूप में वित्तपोषित है। [5] परन्तु विपरीत आर्थिक वातावरण तथा मन्दी के कारण इन वित्तीय संस्थाओं की स्थिति असन्तोषजनक है। यह दोनों संस्थाएँ भारी हानि में चल रही हैं। उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा पिकप दोनों ही वित्तीय संस्थाएँ स्वयं को इस असन्तोषजनक स्थिति से उबारने में लगी हुई हैं। इस प्रक्रिया में इन दोनों संस्थाओं को ध्यान मुख्यतः दिए गए ऋणों की अदायगी पर है। 31 मार्च 2001 तक उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा पिकप की कुल हानि क्रमशः 460.04 करोड़ रूपये तथा 172 करोड़ रूपये थी। इस दृष्टिकोण से इन वित्तीय संस्थाओं को नए ऋणों की अदायगी में कठिनाई महसूस हो रही है। ये दोनों वित्तीय संस्थाएँ रूग्ण इकाइयों को दिए गए ऋणों के ब्याज को माफ करने या उनमें रियायत देने में भी कठिनाई का अनुभव कर रही हैं। अध्ययन दल द्वारा उपरोक्त समस्याओं का

---

3. भारतीय अर्थव्यवस्था, डा० जे०एन० मिश्र, पृष्ठ 529
4. आई०डी०बी०आई०, ऐनुअल रिपोर्ट, 1999-2000, द्वारा भारतीय अर्थशास्त्र, मेमोरिया एवं जैन 2001, पृष्ठ 335।
5. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, प्रगति समीक्षा 2000-2001 उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, पृष्ठ 114

मुख्य कारण इन दोनों संस्थाओं में बढ़ती हुई गैर उपयोगी सम्पत्तियाँ (N.P.A.) है। अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया कि राज्य सरकार को दसवीं पंचवर्षीय योजना में हानियों का 50 प्रतिशत का सहयोग पूँजी प्रदान करके इन संस्थाओं को करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने यह योजना बनायी है कि वह भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की हानियों को पूरा करने एवं वित्तीय संस्थाओं के सुधार के लिए 1000 करोड़ रूपये का ऋण देगी। इसी प्रकार राज्य सरकार को भी राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं की स्थिति में सुधार के लिए कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को वर्तमान स्थिति से उबारने के लिए राज्य सरकार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से उसके 445 करोड़ रूपये के ऋण को 20 वर्ष की दीर्घकालीन अवधि में परिवर्तित करे, जिसकी ब्याज दर 5 प्रतिशत वार्षिक हो। इस प्रक्रिया के द्वारा वित्त निगम की हानि की खाई पाटने में काफी सहायता मिलेगी।

अध्ययन दल ने वित्तीय संस्थाओं (उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा पिकप) की वित्तीय स्थिति में सुधार तथा रूग्ण इकाइयों के पुनरूत्थान के लिए कुल पूँजी आवश्यकता का अनुमान लगाया है जो 43,338 लाख रूपये है। वर्षवार पूँजी आवश्यकता की स्थिति निम्न प्रकार है :

तालिका - 5.3

वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आवश्यकता का अनुमान

वर्ष	कुल पूँजी आवश्यकता (लाख रू० में)
2002-03	7762.50
2003-04	8215.00
2004-05	8667.50
2005-06	9120.00
2006-07	9572.50
योग	43337.50

स्रोत : रूग्य इकाइयों का पुनरूत्थान, उत्तर प्रदेश सरकार 2002-2007, पेज 33

उत्तर प्रदेश राज्य में रूग्ण इकाइयों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमानित रजिस्ट्रेशन के आधार पर अध्ययन दल का यह अनुमान है कि पुनर्वासन गतिविधियों में और तेजी आनी चाहिए, जिससे निर्धारित समयावधि में रूग्ण इकाइयाँ अपने घाटे से उबर सकें। वर्ष 2002 से 2007 की अवधि में पुनर्वासित इकाइयों की वर्षवार संख्या निम्न है :

तालिका - 5.4

वित्तीय संस्थाओं द्वारा रूग्ण इकाइयों के भावी वित्तीयन का अनुमान

वर्ष	अनुमानित रूग्ण इकाइयों की संख्या		
	यू०पी०एफ०सी द्वारा वित्तीयन	पिकप द्वारा वित्तीयन	बैंक द्वारा वित्तीयन
2002-2003	30	15	50
2003-2004	40	20	60
2004-2005	50	25	70
2005-2006	60	30	80
2006-2007	70	35	90

स्रोत : रिपोर्ट आफ सब-वर्किंग ग्रुप, उत्तर प्रदेश सरकार 2002-2007 पेज 30

भारतीय रिजर्व बैंक तथा रूग्ण इकाइयाँ :

औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता को रोकने तथा रूग्ण इकाइयों के पुनरूत्थान के दृष्टिकोण से भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके दो कारण है :

1. एक तो उत्पादन तथा रोजगार बनाये रखने की चिन्ता।
2. रूग्ण औद्योगिक इकाइयों में बहुत बड़ी मात्रा में बैंक साख अवरूद्ध है।

औद्योगिक रूग्णता की दिशा में प्रथम संगठित प्रयास 1976 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक संगोष्ठी के आयोजन के माध्यम से किया गया। इसमें निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :

1. बैंकों की एक विशेष संगठन इकाई स्थापित करनी चाहिए, जो रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के प्रमाणीकरण के विभिन्न पक्षों को देखें तथा उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठायें।
2. रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक को समाशोधन गृह की स्थापना करनी चाहिए, इसके माध्यम से बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सरकार एवं अन्य एजेन्सियों में समन्वय स्थापित करके रूग्ण इकाइयों के वित्तीय सहयोग का निपटारा किया जाय।
3. टण्डन समिति की सिफारिशों के अनुसार सूचना व्यवस्था के तहत बैंकों को रूग्ण एवं रूग्णता के सन्निकट इकाइयों का प्रमाणीकरण करना चाहिए, जिससे शीघ्रातिशीघ्र इस दिशा में प्रभावी कदम उठाये जा सके।
4. रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक चेतावनी संकेत हेतु सूचना व्यवस्था के अधार पर आँकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए।
5. बैंकों को केवल उन्हीं रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरूत्थान के सम्बन्ध में कदम उठाने चाहिए, जो पुनर्वासन के बाद स्वस्थ होने योग्य हो।

इस संगोष्ठी के परिणामस्वरूप रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरूत्थान के सम्बन्ध में बैंको तथा अन्य एजेन्सियों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष

प्रबन्ध क्षेत्र स्थापित किया। इस क्षेत्र का कार्य पुनरूत्थान सम्बन्धी प्रयासों में बैंकों के लिए दिशा निर्देश तथा नीतियाँ सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त इसका यह भी कार्य है कि बैंकिंग व्यवस्था के प्रयासों का पुनर्निरीक्षण करे तथा प्रारम्भिक रूग्णता के सम्बन्ध में जो इकाइयाँ कार्यशील हो सके, उन इकाइयों के लिए वित्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1976 में सभी व्यापारिक बैंकों से रूग्णता के आकार का विस्तृत विवरण देने को कहा गया। इसमें उन सभी इकाइयों को विवरण माँगा गया, जो नकद हानि में कार्य कर रही हो या जो वर्तमान या आगामी वर्षों में हानि होने की आशंका हो। इस प्रकार से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार मार्च 1976 में ऐसी रूग्ण इकाइयों में 882 करोड़ रूपये की बैंक साख अवरूद्ध थी। उपलब्ध आँकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि इंजीनियरिंग उद्योग, इस्पात उद्योग तथा लौह उद्योग रूग्णता से सबसे अधिक प्रभावित हुए है। इन उद्योगों में 160 रूग्ण इकाइयाँ तथा 265 करोड़ रूपये की बैंक साख अवरूद्ध थी। इनमें जूट उद्योग में 31 रूग्ण इकाइयाँ तथा 88 करोड़ रूपये, रसायन उद्योग में 19 रूग्ण इकाइयाँ तथा 99 करोड़ रूपये, चीनी उद्योग में 28 रूग्ण इकाइयाँ तथा 67 करोड़ रूपये की बैंक साख अवरूद्ध थी। यह आँकड़े उन इकाइयों से सम्बन्धित है, जिनमें बैंक साख की सीमा एक करोड़ रूपये या उससे अधिक थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के सन्दर्भ में समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किए है। इनकी मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है :

I. वृहद एवं मध्य रूग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में :-

1. रूग्णता दूर करने के सन्दर्भ में व्यवसायिक जीवन योग्य क्षमता को मुख्य आधार माना गया है।

2. रूग्ण इकाइयों को निम्न सुविधायें तथा रियायतें दी गयी है :

(क) अवधि ऋणों के ब्याज के सन्दर्भ में बैंक अपने वर्तमान ब्याजदर से दो प्रतिशत की रियायत रूग्ण इकाई को दे सकते हैं। इस प्रकार की रियायत बैंक द्वारा रूग्ण इकाई को देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक है।

(ख) नगद साख अनुपात में अनियमितता के कारण क्षति तथा दण्ड को बैंक माफ कर सकता है।

(ग) रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के समय नगद हानि होने पर उसे इकाई के पुनरूत्थान के बाद ऐसी नगद हानि को बैंक तथा ऋण दाता संस्था के मध्य 50.50 के आधार पर वहन करेगें। ऐसी स्थिति में जहाँ संस्थाएँ उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में नकद हानि को बैंकों तथा आई०आर०बी०आई० द्वारा वहन किया जाएगा।

(घ) नकद साख का अनियमित भाग, जो क्षति तथा अर्थदण्ड को घटाने के बाद आता हो, को एक निश्चित अवधि के लिए कार्यशील पूँजी, अवधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ऐसी कार्यशील पूँजी, टर्मलोन पर ब्याज की दर 13.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के मध्य रहेगी।

(ड.) जब टर्मलैण्डिंग संस्थाएँ रूग्ण इकाई के पुनर्वासन के सन्दर्भ में दीर्घ अवधि नकद आवश्यकता का निर्धारण कर रही हों, तो उन्हें वैधानिक दायित्वों तथा लेनदारों के भुगतान के सन्दर्भ में उपयुक्त प्रावधान बनाने चाहिए।

(च) रूग्ण इकाई के पुनर्वासन की अधिकतम अवधि 10 वर्ष होती है। अतः ऋणों का भुगतान 10 वर्षो के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए।

(छ) रूग्ण इकाईयों के प्रवर्तकों से नए आन्तरिक कोष का निर्माण करने के लिए कहा जाना चाहिए, जिससे प्रवर्तकों का योगदान निम्न प्रकार से हो :

i. जहाँ पर प्रबन्ध में परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पर प्रवर्तकों द्वारा अतिरिक्त दीर्घकालीन कोष आवश्यकता का 15 प्रतिशत लाना चाहिए।

ii. जहाँ पर प्रबन्ध परिवर्तन नहीं हो रहा है, वहाँ पर प्रवर्तकों द्वारा अतिरिक्त कोष पूँजी आवश्यकता का 20 प्रतिशत लाया जाना चाहिए। प्रवर्तकों को उपरोक्त वर्णित राशि का 10 प्रतिशत तुरन्त लाया जाना चाहिए तथा शेष रकम अगले छः माह के अन्दर भुगतान कर देना चाहिए।

रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत दिशा निर्देश

1. इकाई को व्यवसायिक रूप से जीवन योग्य होना चाहिए। इकाई तभी जीवन योग्य मानी जाएगी, जबकि पुनर्वासन योजना के लागू होने के 5 वर्ष के अंदर बिना किसी सुविधा या रियायत के वह इकाई अपने ऋणों का भुगतान कर सके। अति लघु इकाइयों के संदर्भ में यह अवधि दो वर्षो की है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न सुविधाएँ एवं रियायतें दी गयी हैं :

(क) बैंक द्वारा दिए गए टर्मलोन का ब्याज अति लघु इकाइयों के संदर्भ में अधिकतम 3 प्रतिशत तथा किसी अन्य स्थिति में 2 प्रतिशत की रियायत दी जा सकती है। यह ब्याज दर आई०आर०डी०पी० योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण की ब्याज दर से कम नहीं होनी चाहिए। कार्यशील पूँजी टर्मलोन की ब्याज दर 10 प्रतिशत वार्षिक होनी चाहिए।

(ख) कार्यशील पूँजी टर्मलोन का पुनर्भुगतान 5 वर्ष के अंदर होना चाहिए।

(ग) गारण्टी शुल्क को डी०आई०सी०जी०सी० को रूग्ण इकाई के पुनर्वासन काल में बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा भुगतान करना चाहिए।

(घ) आवश्यकता आधारित कार्यशील पूँजी सुविधाओं पर ब्याज की दर 15 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. प्रवर्तक का अंशदान अतिलघु इकाई की स्थिति में पुनर्वासन लागत का 5 प्रतिशत होना चाहिए, जबकि लघु स्तरीय इकाई में यह अंशदान 10 प्रतिशत होना चाहिए। [6]

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इकाई के रूग्ण होने पर बैंक उससे अलग न हो जाय, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने 1989-90 में यह निर्देश निर्गत किया है कि जो बैंक इकाई की स्वस्थता के समय उससे सम्बद्ध थे, वही बैंक उस इकाई के पुनर्वासन के समय उससे सम्बद्ध रहेगें।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका औद्योगिक रूग्णता के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक के अनुमोदन पर प्रत्येक व्यापारिक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक

---

6. बैंकिंग ला एण्ड प्रैक्टिस, एस०एन० महेश्वरी, पृष्ठ 731-740

केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकते हैं, जो औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता पर विशेष नजर रख सकते हैं। इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि यदि प्राप्त आँकड़ों के आधार पर विश्लेषण विपरीत होता है, तो वे ऋण प्राप्तकर्ताओं से सीधे सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। जिससे इस प्रकार की प्रवृत्ति का पता लगाया जा सके। विभिन्न उद्योगों को सामान्य समस्याओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे स्वस्थ तथा रूग्ण इकाइयों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को औद्योगिक विकास तथा रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझात देती है। उस स्थिति में जहाँ रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वयं हस्तक्षेप नहीं किया, वहाँ वह अपने अधिकारियों को वित्तीय संस्थानों की बैठक में भेजती है। इस प्रकार रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका निम्न रूप में रही है :

1. रूग्ण इकाइयों के प्रति तन्मयता से ध्यान देने के संदर्भ में बैंक की प्रवृत्ति को पुर्नस्थापित करना।
2. व्यवस्था को विकसित करना तथा प्रारम्भिक रूग्णता के प्रमाणीकरण हेतु बैंकों को दिशा निर्देश देते रहना।
3. रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के संदर्भ में सरकार तथा अन्य सुधारात्मक संस्थानों के मध्य समन्वय स्थपित करना।

भारतीय रिजर्व बैंक ने टर्मलोन संस्थाओं तथा बैंकों के प्रतिनिधियों से सम्बन्धित समन्वय की समस्याओं का अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि समन्वय के सम्बन्ध में भविष्य में समस्याएँ तभी कम होगी, जब कि बैंक तथा टर्मलोन संस्थाओं के मध्य उपयुक्त प्रवृत्तियों से समस्या का स्वरूप समझें। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों को यह सलाह दी है कि वे जब भी ऐसी स्थिति का सामना करें कि रूग्ण इकाई को पर्याप्त वित्तीय सहायता न दे सकें, तो ऐसी इकाइयों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सन्दर्भित करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनः यह सुझाव दिया कि बैंक अपने यहाँ उद्यमियों को सलाह देने के लिए परामर्श अनुभाग खोलें। समस्त

वित्तीय संस्थाओं को साथ लेकर चलने तथा रूग्ण इकाई के पुनर्वासन की किसी एक योजना की स्वीकृति का कार्य बहुत बड़ा कार्य है। ऐसी कुछ स्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहल की है तथा सभी संस्थाओं को साथ मिलाकर समस्याओं के समाधान में समायोजित किया है। इस प्रकार की समस्याओं के भविष्य में निराकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसी इकाइयों को वित्तीयन करने वाले बैंकों की संख्या कम से कम होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम :

इस निगम की स्थापना 1958 में की गयी। इस निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लघु औद्योगिक इकाइयों को ऐसे कच्चे माल की उपलब्धता प्रदान करना है, जिसे वे आसानी से प्राप्त नही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस निगम का मुख्य उद्देश्य उच्च क्रय के माध्यम से लघु औद्योगिक इकाइयों को मशीनों की व्यवस्था करना, लघु औद्योगिक इकाइयों की ओर से विदेशों से कच्चे माल का आयात करना, पिछड़े क्षेत्रों में संयुक्त प्रोजेक्ट की स्थापना करना, पिछड़े क्षेत्रों में खिलौने के सामान छोटे–मोटे कारखानों एवं लकड़ी के उत्पादन से सम्बन्धित इकाइयों की स्थापना था।

लघु रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक निगम का कार्य पुनर्वासन पैकेज की सहायता के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों को सस्ती ब्याजदर पर ऋण उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही साथ रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी की व्यवस्था करना तथा इन इकाइयों को समयानुसार वित्त प्रदान करना भी इस निगम का उद्देश्य है।

प्राप्त आँकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार इस निगम का कार्य दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस निगम का व्यापार वर्ष 1981-82 में 2647.25 लाख रूपये था। वह वर्ष 1982-83 में 2761 लाख रूपये तथा वर्ष 1998-99 में बढ़कर 97.23 करोड़ रूपये हो गया। [7]

इस प्रकार उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक निगम ने औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है तथा आज भी लघु औद्योगिक इकाइयों को

---

7. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास 2000, कानपुर पृ० 115

अनेक सुविधायें उपलब्ध करा रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के रूग्णता निवारण में इस निगम ने सराहनीय भूमिका अदा की है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक :

लघु क्षेत्र को बड़े पैमाने पर वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकान ने 1 अप्रैल 1990 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की। लघु इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस बैंक का उद्देश्य विद्यमान इकाइयों को तकनीकी विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाना, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लघु इकाइयों के उत्पादन के लिए माँग प्रोत्साहित करना तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में वृद्धि करना है।

इस बैंक की स्थापना के समय इसकी प्रदत्त पूँजी 250 करोड़ रूपये थी। इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लघु क्षेत्र खातों में रकम भी उसे प्राप्त हुई। यह राशि 31 मार्च 1990 तक 4200 करोड़ रूपये थी। बैंक की स्वीकृत पूँजी वाद में बढ़ाकर 500 करोड़ रूपये तथा प्रदत्त पूँजी 450 करोड़ रूपये कर दी गयी। 1997-98 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पास कुल 13912 करोड़ रूपये के वित्तीय साधन थे।

लघु उद्योग विकास का विद्यमान साख वितरण माध्यमों जैसे राज्य वित्तीय निगम, व्यापारिक बैंक, राज्य औद्योगिक विकास बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बैंक की मुख्य गतिविधियाँ निम्न हैं :

1. सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करना।
2. पट्टेदारी व अन्य सुविधाएँ प्रदान करना।
3. ऋणों को पुनर्वित्तीयन सुविधा प्रदान करना।
4. बिलों का बट्टा तथा पुनः बट्टा प्रदान करना।
5. राज्य लघु उद्योग विकास निगमों को सहायता प्रदान करना।

1998-99 की अवधि में सिडवी ने 8875 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की, जिसमें से 6285 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता का वितरण किया गया। मार्च

1998 के अन्त में सिडबी द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय सहायता 362664 करोड़ रूपये थी जिसमें से 26702 करोड़ रूपये की सहायता दी गयी थी। [8]

31 मार्च 1999 तक उत्तर प्रदेश में कुल 357660 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण था, जिसमें कुल 3488 करोड़ रूपये की पूँजी विनियोजित थी। इन इकाइयों में से 37293 इकाइयाँ रूग्ण थीं, जिनमें 448.72 करोड़ रूपये की पूँजी अवरूद्ध थी। इन रूग्ण इकाइयों में से मात्र 6521 इकाइयों में ही जीवनयोग्य क्षमता पायी गयी, शेष बन्द करने योग्य थी। [9]

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड :

वर्तमान समय में औद्योगिक रूग्णता के निवारण में रूग्ण औद्योगिक इकाइयाँ भी 1985 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी 'विशेष प्रावधान' अधिनियम 1985 के अन्तर्गत भारत सरकार ने जनवरी 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है। इस बोर्ड का कार्य वृहत एवं मध्यम रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों के सम्बन्ध में वे सभी उपाय करना है, जिनसे रूग्णता तो दूर किया जा सके। अस्वस्थ तथा कमजोर होती कम्पनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी स्थिति के बारे में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को लिखें, लेकिन जहाँ अस्वस्थ इकाइयों की समस्या के विषय में जाँच करना आवश्यक हो तो कमजोर इकाइयों के लिए ऐसी अनिवार्यता की आवश्यकता नही।

रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन पैकेज को लागू करने की जिम्मेदारी औद्योगिक एवं पुनर्वित्तीय निर्माण बोर्ड की हैं बायफर ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 12 आपरेटिंग एजेंसियों को चिन्हित किया है। इनमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एवं इनवेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, भारतीय पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया तथा इण्डियन बैंक हैं। [10]

---

8. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रा के०एस० एवं पुरी वी०के०, संस्करण 2000 पृष्ठ 482
9. लघु स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र 2000 एस०एल०आई०सी तथा सिडबी की रिपोर्ट
10. चार्टर्ड सेकेटरी, अगस्त 1986-87 पृष्ठ 601

रूग्ण औद्योगिक क़म्पनी अधिनियम 1985 का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक रूग्णता का निर्धारण करना तथा अनुमान लगाना है कि वह औद्योगिक इकाई पुनर्वासन के योग्य है या उसे बन्द कर देना चाहिए, इस अधिनियम के अन्तर्गत बायफर की स्थापना अर्द्धवैधानिक संस्था के रूप में उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गयी। यह संस्था विशेषज्ञों के माध्यम से औद्योगिक कम्पनियों की रूग्णता का निर्धारण करती है तथा पुनर्वासन पैकेज के लिए योजना बनाती है अथवा उस इकाई को बिना किसी अन्य अधिनियम के हस्तक्षेप के बन्द कर देती हैं। बायफर के आदेश के खिलाफ अपील अपीलिएट अथारिटी फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकान्सट्रक्शन में की जाती है।

इस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र ऐसी वृहद एवं मध्यत स्तरीय इकाइयों तक है, जिनमें 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं तथा जिनका वर्णन भारतीय औद्योगिक नियमन अधिनियम की अनुसूची प्रथम में किया गया है। वर्ष 1992 से इसका क्षेत्र विस्तारित करके सरकारी क्षेत्र भी इसके अन्तर्गत कर दिया गया है। यह अधिनियम लघु इकाइयों, जिनकी सीमा 1 करोड़ रूपये है, को सम्मिलित नही करता है।

रूग्ण इकाई के संदर्भ में को बायफर का प्रबन्ध मण्डल निर्धारित करता है। इस कार्य को सम्बन्धित कम्पनी के सम्बन्धित वर्गों के निरीक्षत खातों का अध्ययन करके 60 दिन के अन्दर अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिए। रूग्ण औद्योगिक इकाई के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ बायफर को सन्दर्भ भेज सकती हैं।

बायफर को दिए गए संदर्भ रजिस्टर्ड तथा निरीक्षित किए जाते हैं बायफर का चेयरमैन इन रजिस्टर्ड मामलों को बायफर के किसी एक बेंच को सौंप देता है। वह बेंच सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित करती है तथा निपटारा करती है। यदि कम्पनी को बायफर द्वारा रूग्ण नहीं घोषित किया जाता, तो उसका नाम बायफर से हटा दिया जाता हैं यदि कम्पनी को रूग्ण चिन्हित किया जाता है तो उसके लिए एक या अधिक व्यक्तियों को विशेष निदेशक बायफर की ओर से वित्तीय तथा अन्य हितों के संरक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके पश्चात् यदि जनहित में औद्योगिक रूग्णता का

निवारण आवश्यक होता है तो पुनर्वासन पैकेज की घोषणा की जाती है अन्यथा नही।

औद्योगिक रूग्णता की स्थिति निश्चित हो जाने पर बायफर औद्योगिक रूग्णता की समस्या के निदान के लिए पर्याप्त समय दे सकता है। इसके अतिरिक्त इस बोर्ड को यह भी अधिकार दिया गया है कि रूग्ण औद्योगिक इकाई के प्रबन्धतंत्र में परिवर्तन कर सकता है। इसके अतिरिक्त अंशपूँजी का पुनर्निर्माण, औद्योगिक इकाइयों के संयंत्र का कुछ या पूरा भाग का विक्रय कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह बोर्ड यदि आवश्यक समझे तो वह रूग्ण औद्योगिक इकाई को किसी लाभकारी इकाई के साथ सह–सम्बन्धित अथवा उस औद्योगिक रूग्ण इकाई का कार्यशील इकाई में विलय कर सकता है। इस बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों के जाँच कार्य को पूरा किया है। जून 2001 तक इस बोर्ड ने अपने कार्यकाल के 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तथा वर्ष 2000 तक इस बोर्ड ने 4575 रूग्णता से सम्बन्धित इकाइयों को पंजीकृत किया है, जिसमें से 557 मामलों पर बोर्ड ने निर्णय देकर पुनर्वासन का प्रयास किया है।[11]

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड वर्ष 1987 में अपनी स्थापना से लकर अब तक मध्यम एवं वृहद स्तरीय रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन का कार्य कर रहा है।

---

11. रिहैबिलिटेशन आफ सिक यूनिट्स, उत्तर प्रदेश सरकार, 2002 से 2007

अध्याय 6

औद्योगिक रूग्णता को दूर करने के सम्बन्ध में सरकारी नीति

सरकारी नीति :

औद्योगिक रूग्णता के निवारण में सरकार तथा सरकारी नीतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार रूग्णता का निवारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, यदि वह औद्योगिक नीतियों में तात्कालिक परिवर्तन न करें। सरकार की औद्योगिक नीतियों में यदि लगातार परिवर्तन होता रहता है, तो इससे न केवल नए विनियोग हतोत्साहित होते हैं, बल्कि इन औद्योगिक इकाइयों के भविष्य के प्रतिफल भी प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में स्थापित इकाइयों में रूग्णता जन्म ले लेती है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में रूग्णता की स्थिति, आकर तथा मात्रात्मक विवरण एवं रूग्णता निवारण के सम्बन्ध में वित्तीय संस्थानों की भूमिका के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि हम रूग्णता निवारण में सरकार के योगदान एवं नीतियों का परीक्षण करें। सरकारी नीतियों की अपेक्षा के साथ–साथ प्रबन्धकीय कुशलता तथा वितरण सम्बन्धी उपयुक्त वातावरण रूग्णता निवारण के लिए महत्वपूर्ण है।

वर्तमान नीति के तहत सावधि ऋणदाताओं को औद्योगिक इकाइयों की प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। जबकि ये संस्थाएँ इस बात से सुनिश्चित रहती है कि बिना प्रबन्धकीय व्यवस्था में परिवर्तन के ये इकाइयाँ निश्चित रूप से रूग्ण हो जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इन रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार सरकार दे दे, जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करती है। इस सम्बन्ध में रूग्ण इकाइयों में औद्योगिक विकास बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पूर्णकालिक वित्तीय, तकनीक तथा वितरण सम्बन्धी निदेशकों को नियुक्त कर सके। ऐसे निदेशक विकास बैंक को समय–समय पर रूग्ण इकाई की स्थिति के विषय में सूचना देते रहते हैं। इस प्रकार यदि एक बार इन इकाईयों में विश्वास उत्पन्न हो जाएगा तो उसके रूग्णता निवारण हेतु भावी नीतियाँ तैयार की जा सकती है।

उन दशाओं में जहाँ वित्तीय संस्थायें या राज्य सरकार इकाइयों के राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश करते हैं तथा जहाँ ऐसा राष्ट्रीयकरण राष्ट्रहित में आवश्यक हो, वहाँ की प्रबन्धकीय व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण के बाद इकाइयों को एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में विक्रय कर देना चाहिए।

इस नीति का मुख्य लक्ष्य प्रबन्धकीय दुर्व्यवस्था या अव्यवस्था तथा रूग्णता को कम करना है। इस सरकारी नीति की घोषणा के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने रूग्ण इकाइयों का एक विशेष सेल बनाया, जो रूग्ण इकाइयों के निष्पादन का निर्देश देती है तथा उनके पुनर्वासन हेतु कार्रवाई करती है। इस प्रकार क्षेत्रीय स्तर पर भी ऐसे निर्देश सेल बनाए गए।

इससे स्पष्ट है कि वृहद तथा मध्यम उद्योगों में रूग्णता संरचानात्मक रूप से लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में विद्यमान रूग्णता से भिन्न है। वृहद तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों में रूग्णता की समस्या मूलतः कम्पनी अधिनियम के लागू करने के कारण हुई है। इनके वार्षिक वित्तीय विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कोई विशेष उद्यम कितना स्वस्थ अथवा रूग्ण है। चूँकि वित्तीय आलेखों में परिवर्तन करने की सम्भावना बहुत अधिक है, इसलिए वित्तीय अंकेक्षण से इस परिवर्तन का ढूँढ़ना आसान नही है। कमजोर औद्योगिक इकाइयों को रूग्ण होने से रोकने के दृष्टिकोण से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अपने राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंको को यह सुझाव दिया कि वे औद्योगिक इकाइयाँ, जिनकी 50 प्रतिशत शुद्ध पूँजी का ह्रास हो चुका है, उनके पुनर्वासन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाँय। इसी प्रकार सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि रूग्ण इकाइयों में लगातार वित्त प्रवाह को नही करते रहना चाहिए। यह ऐसी इकाइयों के सम्बन्ध में निर्णय है, जो जल्दी या विलम्ब से रूग्णता का शिकार होकर समाप्त होने वाली हैं।

सरकार ने रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 के तहत औद्योगिक रूग्णता की समस्या को दूर करने के लिए बायफर की स्थापना की। सरकार ने 1992 में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 में संशोधन करके उसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लोक क्षेत्र को भी ला दिया है। इसके पूर्व यह अधिनियम निजी क्षेत्र पर ही लागू होता था। केन्द्रीय लोक उपक्रमों में 104 उद्यम हानि में तथा 53 उद्यम कार्रवाइयाँ रूग्ण हैं। 31 मार्च 1997 तक 60 लोक उपक्रमों को बायफर के पास संदर्भित किया गया था। बायफर की कार्रवाइयाँ अत्यधिक समय लेने वाली तथा असन्तोषजनक थीं। अधिक संख्या में ऐसे लोक उपक्रम हैं, जिनका पुनर्वासन सम्भव नही है तथा वे बन्द किए जाने योग्य हैं। दिसम्बर 2000 तक बायफर के पास कुल 4575 मामले सन्दर्भित

किए गए हैं, जिनमें निजी क्षेत्र के 4324 मामले थे। शेष 251 मामले लोकक्षेत्र से थे, जिनमें 90 मामले केन्द्र सरकार तथा 161 मामले राज्य सरकार से सम्बन्धित थे। इनमें से 3296 मामलों का पंजीकरण किया गया, जिनमें निजी क्षेत्र के 3121 मामले थे तथा शेष 175 मामले लोक उपक्रम क्षेत्र से थे। इसमें से 688 मामलों को रद्द कर दिया गया तथा 557 मामलों को पुनर्वासन योग्य पाया गया, जिनमें 535 मामले बायफर द्वारा तथा 24 मामले ए०ए०आई०एफ०आर० द्वारा स्वीकृत किए गए। बायफर द्वारा 824 मामलों में उपक्रमों को बन्द करने का निर्देश दिया गया। जिसमें 789 निजी क्षेत्र से तथा 35 सार्वजनिक क्षेत्र से थे। इन 35 सार्वजनिक उपक्रमों में 13 केन्द्र सरकार के उपक्रम तथा 22 राज्य सरकार के उपक्रम थे।[1]

31 मार्च 1998 तक रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 3148 संदर्भ पंजीकृत थे, जिनमें से बायफर द्वारा 625 मामलों के लिए पुनर्वासन योजनाएँ अनुमोदित की गयी तथा 579 मामलों में कम्पनी को बन्द करने की सिफारिश की गयी। 202 कम्पनियाँ, ज़िनमें 4 लोक उपक्रम शामिल है, बायफर की पुनरूत्थान योजना के फलस्वरूप स्वस्थ घोषित की गयीं हैं।[2]

लघु उद्योग तथा सरकारी नीति :

भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय संतुलन तथा निर्यात में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की 32.25 लाख लघु इकाइयाँ लगभग 6 लाख करोड़ रूपये मूल्य का उत्पादन करती हैं। इनमें एक करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है तथा लगभग 54 हजार करोड़ रूपये मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया जाता है। लघु उद्योग का विनिर्माण क्षेत्र के कुल व्यवसाय में 40 प्रतिशत, उत्पाद निर्यात में 45 प्रतिशत तथा कुल निर्यात में 35 प्रतिशत का योगदान है। लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा लगभग 8 हजार वस्तुएँ तैयार की जाती है।[3]

1987-88 की अखिल भारतीय लघु उद्योग गणना के अनुसार 95 प्रतिशत लघु उद्योग बहुत छोटे स्तर के हैं। इनकी पूँजी सीमा को 3 करोड़ रूपये से घटाकर एक करोड़ रूपये कर देने के बाद भी इस क्षेत्र को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

---

1. रूग्ण इकाइयों का पुनर्वासन 2002-07, पृष्ठ 3, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2001
2. भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2000, पृष्ठ 78
3. भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रा जे०एन०, पृष्ठ .....

समस्याओं के होते हुए भी सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। 1996-97 में लघु उद्योग क्षेत्र में 4.2 प्रतिशत के लक्ष्य से भी ज्यादा 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1996-97 तक लगभग 62.02 प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयाँ पिछड़े क्षेत्रों, जैसे असम, बिहार, मणिपुर, सिक्किम, नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदशे, अण्डमान निकोबार, गोवा, दमन, द्वीप तथा पाण्डिचेरी में स्थापित थीं। [4]

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की अधिकता को देखते हुए इसकी अर्थव्यवस्था में लघु औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश सरकार ने लघु उद्योग के विकास के लिए विशेष प्रयास किए हैं। मार्च 1998 तक प्रदेश में कुल 4717.37 लघु औद्योगिक इकाइयाँ थी, जिनमें 3519.29 करोड़ रूपये की पूँजी लगी हुई थी तथा 2318949 व्यक्तियों को इन इकाइयों से रोजगार प्राप्त था। [5]

लघु उद्योग को कई प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के प्रमुख कारण ऋण प्रवाह की कमी, विपणन समस्याएँ, बोझिल प्रक्रियाओं का अनुपालन, सरकारी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न, उन्नत प्रक्रियाओं का न अपनाना, कठोर श्रम अधिनियम आदि हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई बीमार इकाइयाँ हैं। 31 मार्च 1999 तक देश में 306 लाख लघु उद्योग इकाइयाँ थीं, जिनमें 4313 करोड़ की पूँजी निवेश था। इन इकाइयों में 18692 इकाइयाँ ही बैंकों द्वारा जीवनक्षम मानी गयी। जिनकों बैंको का 377 करोड़ रूपये अदा करना था। बैंको ने 271193 इकाइयों की पहचान अक्षम इकाइयों के रूप में की, जिन पर बैंक का कुल बकाया 3746 करोड़ रूपये था। [6]

---

4. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, 1999 पृष्ठ 10
5. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, 2000 पृष्ठ 12
6. रूग्ण इकाइयों का पुनरूत्थान, दसवीं पंचवर्षीय योजना, पृष्ठ 2

बीमार लघु उद्योग इकाइयों के सन्दर्भ में दो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं :

1. बड़ी संख्या में अक्षम बीमार इकाइयों की मौजूदगी।
2. सम्भावित जीवनक्षम इकाइयों को पुनर्वास।

सुरक्षित संस्थागत ऋण अधिकतर लघु उद्योग इकाइयों के लिए एक समस्या बन गयी है। नायक समिति के रिपोर्ट के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र 20 प्रतिशत की मानक आवश्यकता के विपरीत अपने कुल वार्षिक निर्गत का मात्र 8.1 प्रतिशत कार्यशील पूँजी ही प्राप्त कर पा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी के लिए 50 प्रतिशत उधारी में से लघु उद्योग क्षेत्र को मात्र 15 प्रतिशत प्रदान किया गया। वित्तीय प्रबन्धन में लघु उद्योगों की आन्तरिक क्षमता तुलनात्मक रूप से काफी कमजोर है तथा इस प्रबन्धन की कमी को दूर करने के प्रबन्ध अपर्याप्त हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में बैंकर को एक परीक्षक के रूप में देखा जाता है, न कि एक विकास सहयोगी के रूप में। इस क्षेत्र में निर्यात के लिए वित्तीय रचनातंत्र को पूर्णतया नहीं अपनाया गया है। मालों की लदान के पहले तथा बाद में ऋण सुविधा देकर, निर्यात साख गारण्टी की व्यवस्था करके तथा बीमा व विनिमय की दरों को प्रतिस्पर्धी बनाकर इस क्षेत्र की प्रतियोगी क्षमा को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

लघु इकाइयों का तकनीकी आधार काफी कमजोर है। साथ ही लघु इकाइयों के तकनीकी ग्रहण क्षमता के बारे में भी कोई स्पष्ट आकलन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की इकाइयाँ बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने में अक्षम हैं। लघु इकाइयों के लिए विपणन एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। अधिकतर लघु उद्योग असंगठित क्षेत्र में है। अतः इनमें तकनीकी सुधार तथा गुणवत्ता नियंत्रण के प्रति उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। अधिकतर बड़े उद्योग साबुन, टूथपेस्ट जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने लगे हैं।, जिससे लघु उद्योगों के लिए विपणन एक जटिल समस्या बन गयी है। लघु उद्योगों को मिलने वाले राजकीय प्रोत्साहनों का प्रायः दुरूपयोग किया जाता है। यद्यपि ऐसे प्रोत्साहन अच्छी भावना से ही किए जाते हैं, किन्तु इनसे विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ कुछ इकाइयाँ आगे बढ़ना नही चाहती तथा प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए लघु उद्योग की श्रेणी में बने रहना चाहती हैं।

लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ वस्तुओं का उत्पादन विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा आरक्षित कर दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए लगभग 837 मदों को आरक्षित किया गया था। इसका उद्देश्य छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों से मिलने वाली प्रतिस्पर्द्धा से बचाना था। लघु व मध्यम उद्योगों पर गठित 'आबिद हुसैन समिति' की संस्तुतियों के आधार पर ही 15 मदों जैसे आइसक्रीम, सिरका, चावल मिलें, दाल मिलें, बिस्कुट, कागज इत्यादि के उत्पादन को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया था। 1997 में इन 15 मदों से आरक्षण हटा दिया गया। अतः अब लघु उद्योग क्षेत्र के लिए मात्र 822 मद ही आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों की कीमत में 15 प्रतिशत प्राथमिकता दी गयी है। इसी प्रकार 409 वस्तुओं की खरीद पर भी प्राथमिकता दी जाती है।

लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए ऋण एक प्रकार से महत्वपूर्ण निवेश है। अतः सरकार लघु इकाइयों की ऋण आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान दे रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के अुनसार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उपलब्ध कोष में से 40 प्रतिशत ऐसी इकाइयों को, जिनका संयंत्र व मशीनरी में अधिकतम निवश 5 लाख से 25 लाख रूपये के मध्य हो तथा शेष 40 प्रतिशत अन्य लघु इकाइयों को देना अनिवार्य है।

औद्योगिक विस्तार में समन्वय तथा एकल क्षेत्रीय सेवा संस्थान के रूप में कार्य करने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गयी है। सितम्बर 1997 में लघु उद्योग इकाइयों के लिए मिश्रित ऋण सीमा को 50000 रूपये से बढ़ाकर 2,00000 लाख रूपये कर दिया गया। तकनीकी विकास व आधुनिकीकरण कोष का विस्तार करके अनिर्यातक लघु इकाइयों को भी इसके दायरे में लाया गया।

1997-98 के केन्द्रीय बजट में लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट योजना का और सरलीकरण किया गया तथा उत्पाद शुल्क की छट सीमा को 75 लाख रूपये से बढ़ाकर 100 लाख कर दिया गया। 30 लाख रूपये तक की निकासी को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त रखा गया है, जबकि 30 से 50 लाख के मध्य तथा 50 से 100 लाख रूपये के मध्य की निकासी पर क्रमशः 3 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लिया जा रहा है। ऐसी लघु इकाइयाँ, जो समान दर पर कर चुकाना चाहती हैं, माडवैट के योग्य नहीं हैं, जून 1997 में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए माडवैट प्रणाली को बरकरार रखा

गया है। इसके तहत 50 लाख रूपये तक की निकासी पर सामान्य दर का 60 प्रतिशत तथा 100 लाख रूपये तक की निकासी पर 80 प्रतिशत छूट वाली दर रखी गयी है।

1996 में 'एस०एल० कपूर समिति' की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसने एक लघु उद्योग अधिसंरचना विकास कोष की स्थापना का सुझाव दिया। समिति ने बीमार इकाइयों को पुर्नस्थापित करने तथा राज्य स्तरीय अंतर सांस्थानिक समितियों को वैधानिक शक्ति प्रदान करने का भी सुझाव दिया। समिति ने भारतीय लघु विकास बैंक की भूमिका व स्थिति को बढ़ाकर नाबार्ड के स्तर तक लाने, एक अलग प्रत्याभूति संगठन की स्थापना करने तथा सिडवी के एक हजार अतिरिक्त विशेषीकृत शाखाएँ खोलने का भी सुझाव दिया। समिति के कुछ प्रमुख सुझाव निम्न हैं :

1. सिडवी के कम से कम 40 प्रतिशत संसाधन को लघु क्षेत्र के लिए पृथक करना।
2. लघु उद्योग क्षेत्र को कार्यशील पूँजी व अवधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्तीय निगमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मध्य घनिष्ठ सहयोग स्थापित करना।
3. नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय भागीदारी कोष के समान एक विशेष कोष की स्थापना करना, जिससे 10 लाख तक की परियोजना लागत वाली ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों को सरलता से इसका लाभ प्राप्त हो सके।

श्री एस०पी० गुप्ता की अध्यक्षता में लघु उद्योगों के विकास पर एक समूह अध्ययन किया गया है, जिसने अपनी रिपोर्ट 26 मई 2001 को प्रस्तुत की। समूह ने सुझाव दिया कि लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं को उत्पादन अन्य वर्गों के उद्योगों द्वारा भी करने की छूट दी जाय। परन्तु, इसके लिए 30 प्रतिशत निर्यात बाध्यता हो। इसके साथ ही निर्यातोन्मुख उद्योगों के लिए उच्चतम निवेश सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ करने की संस्तुति की गयी। समूह ने ऋण प्रत्याभूति कोष योजना का संग्रह 125 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 25000 करोड़ रूपये करने की संस्तुति की, जिसमें केन्द्र सरकार व सिडवी का योगदान 4:1 के अनुपात में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त समूह ने अमेरिका के स्माल विजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन एड की तर्ज पर लघु उद्योगों के लिए एक व्यापक कानून बनाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही अति लघु इकाइयों को पर्यावरण व सुरक्षा मानको के अतिरिक्त सभी प्रकार के विनियमों से छूट दिए का

सुझाव दिया। समूह के अनुसार सरकारी विभागों तथा केन्द्र व राज्य स्तरीय सार्वजनिक इकाइयों को अपनी कुल खरीददारी का 33 प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र से करना चाहिए। इसके साथ ही लघु क्षेत्र की कीमत प्राथमिकता योजना को वैधानिक समर्थन दिया जाना चाहिए।

प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में रूग्णता की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है तथा अब एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ग्रहण कर लिया है। यदि विभिन्न अवसरों पर इस समस्या को प्रभावशाली ढंग से नहीं निपटाया गया तो औद्योगीकरण की वर्तमान नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक उद्योग की रूग्णता दूसरे उद्योग को भी प्रभावित करती है। औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होने के बाद कुछ अपरिहार्य कारणों से रूग्ण हो जाती हैं। जैसे : कार्यशील पूँजी न मिलना, अनियमित विद्युत आपूर्ति, इकाई को समय से विद्युत कनेक्शन न दिया जाना, समय से वित्तीय संस्थाओं द्वारा सावधि ऋण का भुगतान न किया जाना तथा प्रबन्धकीय अकुशलता। रूग्ण होने के कारण इकाई अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है। औद्योगिक इकाइयों को पुनर्स्थापित कराया जाना अति आवश्यक है। यदि बीमार इकाइयों को पुर्नस्थापित नहीं कराया जाता है तो प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से दिया गया ऋण वसूल नहीं हो पाएगा। उद्योगों में कार्यरत व्यक्ति बेरोजगार हो जायेगें, उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की कमी होगी तथा बीमार इकाइयों में लगी पूँजी अनुत्पादक हो जाएगी। इसलिए बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करना अति आवश्यक है।

रूग्ण इकाइयों की परिभाषा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'नायक कमेटी' की रिपोर्ट की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए 1993 में संशोधन किया गया है, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। वर्तमान में रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा निम्न है :

1. इकाई का कोई ऋण खाता संदिग्ध हो गया हो अर्थात् इसके किसी ऋण खाते का मूलधन या ब्याज ढाई वर्ष से अधिक अति देय रहा हो।
2. सम्भावित नगद हानियों के कारण पूर्ववर्ती दो लेखा वर्षों के दौरान इसके वास्तविक मूल्य में अधिकतम वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण हुआ हो।

रूग्ण इकाइयों को सुविधा प्रदान करने तथा समस्याओं के निराकरण करने के लिए मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार द्वारा मण्डलीय पुनर्वासन समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर रूग्ण इकाइयों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। मण्डलीय पुनर्वासन समिति के कार्यकलापों का अनुश्रवण करने हेतु सचिव, लघु उद्योग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।

लघु औद्योगिक इकाइयों के रूग्ण होने के मुख्य कारण प्रबन्धकीय अकुशलता तथा वित्तीय अव्यवस्था है। इसके अतिरिक्त विपणन सम्बन्धी समस्याएँ, श्रमिक विवाद, मालिकों के आपसी झगड़े, श्रम समस्याएँ तथा प्राकृतिक विपदाएँ इत्यादि मुख्य कारण हैं। लघु औद्योगिक इकाइयों के बन्द होने में वित्तीय समस्याओं का 34.7 प्रतिशत, विपणन समस्याओं का 14.4 प्रतिशत, कच्चे माल की समस्याओं का 5.6 प्रतिशत, मालिकों के मध्य विवाद का 3.7 प्रतिशत, प्राकृतिक विपदा 3.4 प्रतिशत, श्रम समस्याएँ 2.2 प्रतिशत, एक से अधिक कारण 16.5 प्रतिशत तथा 19.5 प्रतिशत अन्य कारण है।

प्रदेश में 1978-79 में उद्यमिता विकास योजना लागू की गयी। यह योजना मुख्यतः शिक्षित बेरोजगार युवकों तथा युवतियों को स्वरोजगार दिलाने में विशेष उपयोगी है। इस योजना में प्रदेश सरकार द्वारा 2.4 तथा 6 सप्ताह का निरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा प्रदेश सरकार द्वारा 40:60 के अनुपात में प्रायोजित किया जाता है।

प्रदेश में लघु उद्योगों में प्रदूषण नियन्त्रण के लिए केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। यह वित्तीय सहायता औद्योगिक प्रदूषण यन्त्र की लागत का 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 25 हजार रूपये है।

उदारीकृत अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार के स्तर में सुधार के लिए ग्लास तथा सैरेमिक उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर तथा बोन चाइना उत्पाद के विकास तथा आधुनिकीकरण पर प्रदेश सरकार प्रयासरत है। दुग्ध आधारित कृषि यंत्रों तथा उपकरणों के क्रय के लिए सरकारी सहायता दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता के रूप में विनियोजित राशि

का 20 प्रतिशत तथा अधिकतम एक लाख रूपये दिया जाता है। अन्तर्विभागीय समस्याओं, जो कि विभिन्न योजना तथा सहायता के रूप में लम्बित रहती है, के लिए लघु उद्योग बन्धु की स्थापना की गयी है। यह योजना औद्योगिक इकाइयों को एक निश्चित समय में विभिन्न सहायता तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है। 1999-2000 में 15 लाख रूपये का आउटले प्रस्तावित था। यह योजना एकलमेज व्यवस्था के नाम से जानी जाती है।[7]

पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत गैर लाभकारी इकाइयों का विनिवेशीकरण सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए प्लाण्ट एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण तथा मरम्मत की जाती है। आधुनिकीकरण एवं मरम्मत किसी भी इकाई के लिए मानक लागत का स्तर तथा गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जिससे कि उस इकाई का उत्पाद आज के प्रतियोगी बाजार में अन्य विदेशी तथा घरेलू इकाइयों के उत्पादों के सामने टिक सके।

लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन के लिए मार्जिन मनी योजना लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार प्रत्येक रूग्ण इकाई को 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। यह योजना अब बन्द हो गयी है। लघु औद्योगिक इकाइयों की क्षमता तथा कार्यशीलता, उत्पादन की गुणवत्ता में कमी एवं रूग्णता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण, उत्पादकता एवं गुणवत्ता के सुधार हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग, आधुनिकीकरण योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इकाइयों का आधुनिकीकरण करके उनके उत्पादन की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि, ऊर्जा की बचत, प्रदूषण नियंत्रण, दुर्लभ कच्चे माल को नष्ट होने से बचाना, निर्यात मूलक उत्पादों का उत्पादन तथा आयात को रोकने हेतु अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद तैयार करना है। इस योजना को गठित निधि हेतु सरकार से प्राप्त धनराशि को ब्याज देयों संस्था में जमाकर उस पर अर्जित ब्याज की धनराशि से संचालित किया जाना प्राविधानित है।

लघु उद्योग क्षेत्र प्रत्येक प्रकार के प्रोत्साहन का अधिकारी है। इसे एकमुश्त सहायता तथा भारी निवेश एवं सेवाओं की आवश्यकता है। इन सभी आवश्यकताओं की

---

7. आर्थिक सर्वेक्षण, 2000-2002

पूर्ति सही समय तथा सही क्रम में ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र को अपनी उत्पादकता एवं कार्यक्षमता में सुधार कर अपने को घरेलू एवं विदेशी कम्पनियों से मिलने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सरकार को इसे मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए।

मध्यम एवं वृहद उद्योग तथा भारत सरकार की नीति :

रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के लिए भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के साथ मिलकर कई कदम उठाए हैं। कुछ प्रमुख उपाय निम्नवत् हैं :

1. लघु औद्योगिक प्रतिष्ठान सेल की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के अंग के रूप में की गयी है। यह सेल समाशोधन गृह की भाँति होगा, जो रूग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में बैंक को सूचना उपलब्ध कराएगा तथा इसके अतिरिक्त सरकार, बैंको, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य ऐजंसियों के मध्य विभिन्न बिन्दुओं पर समायोजन का कार्य भी करेगा। ये सेल बैंकों द्वारा रूग्ण इकाइयों के चिन्हांकन तथा उनके द्वारा किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों का नेतृत्व भी करता है। यह सेल किसी भी औद्योगिक रूग्णता से सम्बन्धित बैंकों को कोई भी निर्देश दे सकता है। बैंकों को भी अपने यहाँ रूग्ण इकाइयों के संदर्भ में एक विशेष सेल खोलने का निर्देश दिया गया है, जिससे यह सेल रूग्ण इकाइयों को सलाह दे सके। ऐसी स्थिति में जहाँ पर बैंक सहायता उपलब्ध कराने में समर्थ नही हैं, उस स्थिति में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की समस्या को देखने के लिए कहा जाएगा।
2. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के बैंकिंग तथा विकास विभाग में समन्वय समितियों की स्थापना की गयी है। इन समितियों की स्थापना का उद्देश्य बैंकों, केन्द्र तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं, राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों को औद्योगिक विकास में प्रवृत्त करना है। ये कमेटियाँ वृहद तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयों एवं लघु उद्यमियों की समस्याओं का सुलझाने में भी सहायता प्रदान करती है। ये समस्याएँ बैंको तथा वित्तीय संस्थानों के मध्य समन्वय की हो सकती है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों को आधारभूत सुविधाओं के

लिए प्रावधान तथा इन इकाइयों के साथ में आने वाली सामान्य समस्याओं को सुलझाने में भी ये कमेटियाँ काफी सहायता प्रदान करती है।

3. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में स्टैण्डिंग समन्वय समिति की स्थापना की गयी है। यह समिति वाणिज्यिक बैंकों तथा टर्म लेन्डिंग संस्थाओं के मध्य उठने वाले विभिन्न बिन्दुओं पर समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्वास वित्त प्रभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। यह प्रकोष्ठ रूग्ण इकाइयों द्वारा जो समस्याएँ, बैंकों को उत्पन्न होती है, उनकी सुनवाई करता है। इसके अतिरिक्त रूग्णता के कारणों का चिन्हांकन तथा विभिन्न पुनर्वास योजनाओं को भलीभाँति लागू करता है।

5. उद्योग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, जो रूग्ण इकाइयों के संदर्भ में सरकार द्वारा किए गए उपायों में समन्वय स्थापित करती हैं। इस समिति में कम्पनी मामलों के सचिव, अतिरिक्त सचिव, बैंकिंग विभाग, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर तथा अन्य सदस्य आते हैं। यह समिति रूग्ण इकाइयों तथा वित्तीय संस्थाओं की विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है।

6. रूग्ण इकाइयों से सम्बन्धित एक तिमाही रिपोर्ट, जिसमें लघु उद्योग क्षेत्र भी शामिल है, सभी वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि ऐसे वृहद तथा मध्यम उद्योग, जिनमें 1000 या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, तथा बैंक ने उसमें ऋण दिया है, वह उद्योग रूग्ण होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उस इकाई से सम्बन्धित रिपोर्ट रिजर्व बैंक को तथा उद्योग एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्तुत करें।

7. संसद विशेष अधिनियम द्वारा औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गयी है। यह बैंक पुनर्निर्माण एजेंसी के रूप में औद्योगिक पनर्वासन के लिए कार्य करता है। यह बैंक अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करता है। पूर्व में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अपने कुल वित्तीय सहयोग का 60

प्रतिशत रूग्ण इकाइयों को तथा 40 प्रतिशत स्वस्थ इकाइयों को देता था तथा बाद में जनवरी 1992 से यह निर्देश वापस ले लिया गया। 27 मार्च 1997 से यह बैंक एक कम्पनी के रूप में भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक के नाम से जाना जाता है। [8]

8. उपरोक्त सभी उपायों के अतिरिक्त कानूनों तथा एजेन्सियों में विभिन्नताओं के कारण विभिन्न संस्थाओं तथा रूग्ण इकाइयों के मध्य समन्वय का अभाव पाया गया। अतः लोकहित में जनवरी 1985 में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रूग्णता का चिन्हांकन तथा इकाइयों के जीवनक्षम या उनके बन्द होने के सम्बन्ध में निर्णय लेना था। इस अधिनियम के अन्तर्गत इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु औद्योगिक एवं पनुर्वित्तीय निर्माण बोर्ड की स्थापना की गयी। इस बोर्ड के आदेश के विरूद्ध अपील ए०ए०आई०एफ०आर० में की जा सकती है। इस बोर्ड का क्षेत्राधिकार वृहद तथा मध्यम उद्योग तक सीमित है, जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हों तथा जो औद्योगिक विकास नियम अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दर्शित हों। यह अधिनियम लघु औद्योगिक इकाई तथा अति लघु औद्योगिक इकाई को शामिल नहीं करता है। [9]

---

8. नवीं पंचवर्षीय योजना, 1997-2002, अंक 2, पृष्ठ 585
9. भारतीय अर्थव्यवस्था 2000, दत्ता एवं सुन्दरम्, पृष्ठ 538

रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता के निवारण के लिए स्वस्थ इकाइयों में उनका विलय

भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक इकाइयों में रूग्णता की समस्या को बाजार की शक्तियों के अधीन नही छोड़ा जा सकता है क्योंकि इसका सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। रूग्ण औद्योगिक इकाइयों में बेरोजगार श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नही है। अतः यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि रूग्णता के प्रारम्भ में ही रूग्णता निवारण हेतु उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। यह उपाय प्रबन्धकीय व्यवस्था, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से होना चाहिए। कई ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा प्रबन्धकीय व्यवस्था किसी औद्योगिक इकाई में रूग्णता के प्रारम्भिक खतरे को पहचान सकती है, जो निम्न है :

1. जब इकाई की कार्यशील पूँजी नकारात्मक हो अर्थात् जब वर्तमान आदेय वर्तमान दायित्व से कम हो तथा बैंकों का उधार आदि से इकाई लगातार हानि में चल रही हो।
2. जब कुल हानि, पूँजी तथा आरक्षित आय से अधिक हो जाय।
3. जब इकाई का कार्यशील व्यय, व्यवस्था तथा ऋण सेवाओं की तुलना में नकद प्राप्ति प्रवाह कम हो।
4. जब सम्पूर्ण व्ययों के पश्चात् लाभ, ब्याज दायित्वता के बराबर अथवा उससे कम हो अर्थात् जब सम्बन्धित इकाई की ऋण सेवा दायित्वता का अनुपात एक से कम हो।
5. रूग्ण इकाई का नकद प्रवाह विगत् 3 वर्षों से लगातार आय की तुलना में कम हो रहा हो।

उपर्युक्त संदर्भो को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धकीय व्यवस्था रूग्णता निवारण हेतु उपचारात्मक कदम उठा सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि बजट नियंत्रित, रहतिया नियंत्रण तथा उत्पादन नियोजन हेतु न केवल प्रबन्धकीय व्यवस्था के लिए सहयोगी होगा बल्कि आँकड़ों एवं सूचना व्यवस्था द्वारा मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

परम्परागत उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, सीमेण्ट उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग सम्बन्धी महत्वपूर्ण समस्या उनके आधुनिकीकरण तथा पुरानी मशीनों के नवीनीकरण से सम्बन्धित है। अतः 1967 में सरकार द्वारा कुछ चुने हुए उद्योगों के लिए आधुनिकीकरण हेतु उदार ऋण योजना का आरम्भ किया गया है। इसका उद्देश्य मशीनों में बदलाव, ऊँचे स्तर के उत्पादनों के लिए उपकरणों के नवीनीकरण तथा सम्बन्धित इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता उदार शर्तों पर दिया जाना था। परिणामतः भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इन उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता बढ़ सके। यह योजना भारतीय औद्योगिक एवं विनियोग निगम, औद्योगिक वित्त निगम के सहयोग से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी जा रही है। भारतीय औद्यागिक विकास बैंक, कपड़ा उद्योग तथा सीमेण्ट उद्योग की प्रधान वित्तीय संस्था है। चीनी तथा जूट उद्योग में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा इंजीनियरिंग उद्योग में भारतीय साख तथा विनियोग निगम प्रधान वित्तीय संस्था है। परन्तु, उदार ऋण योजना पर्याप्त सफलता नही प्राप्त कर सकी। वर्ष 1978 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 41.40 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किए गए थे जबकि माँग 778 करोड़ रूपये की थी।[10]

रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की अनेक गम्भीर समस्याएँ हैं। लगातार होने वाली वित्तीय हानि के परिणामस्वरूप इन इकाइयों में तरलता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में इनके पास कच्चे माल के क्रय, मजदूरी के भुगतान तथा वस्तुओं के विक्रय हेतु पर्याप्त मात्रा में धन का अभाव रहता है। दूसरी ओर बैंक तथा वित्तीय संस्थायें इन इकाइयों के लिए सावधि ऋण देने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इन रूग्ण इकाइयों के पास पर्याप्त कोष का अभाव है। अतः ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को यह निर्देश दिया जाए कि जिन रूग्ण इकाइयों का पुनर्वासन सम्भव है, उन इकाइयों का वित्तीय सहयोग किया जाए। इसका विकल्प यह है कि बैंक इन इकाइयों में नकद साख के एक भाग को सावधि ऋण के रूप में बदल दे एवं उनकी तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर नया साख प्रदान करें। वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस सावधि ऋण का पुनर्वित्तीयन किया जाए। औद्योगिक वित्त रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन सम्बन्धी एक अन्य व्यवस्था यह हो सकती है कि रूग्ण

---

10. श्राफ एम०आर०, प्रास्पेक्ट आफ पालिसी कन्सर्निंग सिक यूनिट्स, पृष्ठ, 260 से 266

इकाइयों का स्वस्थ इकाइयों में विलय कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रबन्धकीय व्यवस्था लेने के बाद किसी को या तो बेच सकती है अथवा इसे किसी सार्वजनिक उपक्रम के साथ विलय कर सकती है।

ऐसी दशाओं में जहाँ इकाइयाँ अकुशल प्रबन्धकीय व्यवस्था के कारण रूग्ण हैं, वहाँ वित्तीय संस्थाएँ संयुक्त रूप से ऐसी कम्पनियों में कार्यवाहक निदेशकों को नामित करेगीं।

उपर्युक्त नीति से स्पष्ट होता है कि सरकार ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को रूग्ण इकाइयों की प्रबन्धकीय व्यवस्था हेतु निदेशकों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त अधिकार प्रदान किए हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कुछ दशाओं में सरकारी नीति ही औद्योगिक इकाइयों में रूग्णता के लिए उत्तरदायी हैं। उदाहरण हेतु कपड़ा उद्योग में सरकार की नियन्त्रित कपड़ा नीति ने कई इकाइयों को रूग्ण बना दिया है। अतः यह आवश्यक है कि बड़े बैंकों के साथ वित्तीय संस्थाएँ रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासान हेतु पूर्ण रूप से अनुदान दें। जहाँ तक सम्भव हो, ऐसे अनुदान बोर्ड का चयन बैंकों की तकनीकी कर्मचारियों में से होना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों की उम्र 50 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए जो इस बोर्ड में कार्यरत हों।

तीव्र औद्योगिक विकास की समयावधि में, जहाँ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध है, वहाँ सम्बन्धित इकाई में रोजगार संरक्षण के लिए अधिक दबाव नही होना चाहिए। दूसरी ओर निम्न औद्योगिक विकास तथा सुस्ती की दशा में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की समस्या के समाधान में रोजगार संरक्षण विशेष सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न बन जाता है, चूँकि रूग्णता सर्वप्रथम बैंकिंग संस्थाओं को प्रभावित करती है, इसलिए बैंकों की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि प्रारम्भिक दशा में बैंक इन इकाइयों का उपचार करें। इसी प्रकार रूग्ण इकाई की वित्तीय कठिनाइयों के तात्कालिक रूप से उत्पन्न होने के संदर्भ में बैंकों का यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि सम्बन्धित इकाई में साख सीमा द्वारा इसकी कठिनाई को दूर करे। इसकी असफलता से समस्या और गम्भीर हो सकसती है। जबकि उद्योगों द्वरा रूग्णता के बारे में यह जिम्मेदारी बैंकों की साख अवरोधों के कारण की जाती है। यहाँ यह स्वीकार करना होगा कि अत्यधिक कम

मात्रा तथा अत्यधिक विलम्ब रूग्णता के कई कारणों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसकी कार्यशील पूँजी में लगातार सहयोग आवश्यक है, परन्तु रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन में जहाँ वित्तीय आवश्यकता दीर्घकालीन है, वहाँ उदार शर्तों पर यह सहायता नही की जा सकती है। यह उत्तरदायित्व टर्मलोन संस्थाओं का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संरचानात्मक तथा प्रबन्धकीय रूप से कई सुधार होने चाहिए, जिससे सावधि ऋण संस्थाओं के लिए यह आवश्यक हो जाय कि सुधार सम्बन्धी उपयुक्त नीतियों का निर्माण कर सकें। पुराने दायित्वों के सम्बन्ध में वित्तीय संस्थायें यह सुझाव दे सकती है कि ऐसे दायित्वों को कुछ समय के लिए समाप्त कर देना चाहिए। यह देखा जा सकता है कि इस प्रकार का प्रयास बहुत सुगम तथा शीघ्रगामी नही हो सकता है।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि वित्तीय एजेन्सियों के लिए औद्योगिक रूग्णता एक अल्पकालिक समस्या है तथा यह समस्या स्थायी हो तो इसका समाधान वित्तीय संस्थाओं के हाथ में नही है। सभी तरह के समाज में आर्थिक समृद्धि तथा तकनीकी परिवर्तन ऐसी स्थितियों को उत्पन्न करते हैं, जिसमें नयी वास्तविकता के सन्दर्भ में औद्योगिक इकाइयाँ अपने को समायोजित करती हैं। वित्त इस समायोजन का एक अंग है। यह औद्योगिक संरचना में आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन नही ला सकता है। इसके लिए अन्य उपायों की आवश्यकता है। इनमें स्थान निर्धारण, नए विनियोग निर्णय, तकनीकी चुनाव की समस्या एवं भारी माँग प्रभाव आदि से सम्बन्धित निर्णय हैं। यह आवश्यक है कि अत्यधिक दृढ़ता को समाप्त किया जाय तथा पूँजी एवं श्रम के सहयोग का पर्याप्त विवेकीकरण किया जाए। इस प्रकार औद्योगिक रूग्णता एक समस्या है तथा सामान्य रूप से औद्योगिक नियोजन के साथ इसको जोड़ने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक नियोजन तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के नाम पर अनेक गलत निर्णयों को क्रियान्वित किया गया है। प्रायः व्यक्तिगत इकाइयाँ कच्चे माल का मूल्य, मजदूरी को निर्धारण, श्रमिकों के अन्य प्रकार के लाभों एवं निर्मित मूल्य के नियंत्रण आदि से सम्बन्धित भ्रमित नीतियों के कारण रूग्ण हो जाती हैं। यह उन स्थितियों से सम्बन्धित रहता है, जिसमें कच्चे माल का मूल्य अधिक तथा निर्मित उत्पाद का मूल्य कम हो। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में गन्ना उत्पादकों को भुगतान गन्ने के गुण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तथा मूल्य में विभिन्नता इस क्षेत्र में विद्यमान है।

इसी प्रकार सामाजिक आर्थिक नीति भी लघु उद्योग इकाइयों के प्रोत्साहन को इस प्रकार करती है, जिसमें दीर्घकाल में कार्यरत होने वाली इकाइयों तथा गैर कार्यरत इकाइयों में भेद किया जाता है। निःसंदेह नए साहसियों तथा उद्यामियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जो वृहद, मध्यम एवं लघु इकाइयों में उपयुक्त अनुपात में हो। यद्यपि यह एक धीमी प्रक्रिया है, इसके लिए पुनर्वासन तथा संरचनात्मक रूप में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के विकास की आवश्यकता है। रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के सम्बन्ध में पूरक सहायता दी जानी चाहिए। परन्तु यह वित्तीय सहायता ऐसी रूग्ण इकाइयों को दी जानी चाहिए, जिनमें पुनर्वासन की सम्भावना हो।

पुनर्वासन का कार्य शान्ति, दृढ़ता तथा संयोग से सम्बन्धित है। दो रूग्ण इकाइयों में न तो एक जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, और न ही प्रबन्धकीय व्यवस्था। अतः पुनरूत्थान प्रक्रिया में लगी हुई संस्थाओं को एक इकाई के पुनर्वासन के बाद ही दूसरी इकाई को लेना चाहिए। इकाई की कार्य पद्धति सम्बन्धी निम्न बातों को ध्यान में रखा जा सकता है :

1. क्या सम्बन्धित इकाई के अन्तिम उत्पाद के कार्य को बन्द कर देना चाहिए तथा मध्यस्थ उत्पाद को खरीदना चाहिए? इस प्रकार अधिक अच्छा उत्पादन करना चाहिए।
2. क्या कच्चे माल को पूरी तरह बदल देना चाहिए?
3. क्या उत्पादन प्रक्रिया में पूर्णतः परिवर्तन की आवश्यकता है?
4. क्या पुनर्वासन सम्बन्धी कार्य पूरी औद्योगिक इकाइयों में अथवा ऐसे कुछ क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। यदि पूरी औद्योगिक इकाइयों में पुनर्वासन करना हो, तो वर्तमान उपकरणों के बदलने से कोई लाभ नही होगा।

पुनर्वासन कार्य के लिए वित्तीय संस्थाओं तथा कुछ दशाओं में सरकार को व्यवस्था करनी होगी। राज्य सरकारें अपने निर्णय राजनीतिक सन्दर्भ में देती हैं। बिना रूग्ण इकाइयों के तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षणों को ध्यान में लिए हुए कार्य करती हैं। अतः राज्य स्तर पर संरचनात्मक ढाँचे का होना वांछनीय होगा। प्रत्येक राज्य में एक संस्था, जो औद्योगिक पुनर्वासन से सम्बन्धित हो, का गठन किया जाय, जिसमें वित्तीय विशेषज्ञ, विपणन तथा वैयक्तिक विशेषज्ञ एवं इंजीनियर हों, जो औद्योगिक रूग्णता के सम्बन्ध में पुनर्विवेचन कर सकें। भारत में औद्योगिक रूग्णता की समस्या के पुनरूत्थान के लिए अधिकतर वित्तीय दृष्टिकोण से देखा गया है। परन्तु किसी भी रूग्ण इकाई के

पुनर्वासन के लिए जब तक पर्याप्त विपणन तथा बाजारी दशाओं पर विचार नही किया जाता है तब तक इन इकाइयों में रूग्णता की समस्या बनी रहेगी। इस सम्बन्ध में दो विपणन आगतों, बाजारी विश्लेषण तथा भविष्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जा सकता है। सम्बन्धित रूग्ण इकाई में बाजारी विश्लेषण के सन्दर्भ में इसके महत्व को दिखाया जा सकता है। इसके साथ–साथ अनेक चरों का सुझाव भी दिया जा सकता है। जहाँ तक भविष्य की प्रवृत्तियों के विश्लेषण का प्रश्न है, वहाँ विधियों का सुझाव दिया जा सकता है, जिसमें विशेषकर भविष्य का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। [11]

लागत, उत्पादन क्षमता, श्रम उत्पादकता की आवश्यकता, ऋण देने के सन्दर्भ में पड़ती है। बाजारी शक्तियाँ किस प्रकार कार्यशील हैं, यह एक स्वस्थ इकाई के लिए आवश्यक है। बाजारी विश्लेषण के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं :

1. यह सम्बन्धित व्यवस्था के प्रबन्ध हेतु आवश्यक है।
2. यह नियोजन अवधि के निष्पादन हेतु आवश्यक है।

यद्यपि इस सम्बन्ध में बहुत से चर हो सकते हैं, परन्तु मोटे तौर पर बाजार का आकार तथा समृद्धि दर दो महत्वपूर्ण चर हैं। किसी भी संस्थान की भविष्य की सम्भावनायें तथा विगत् वर्षों के निष्पादन को बाजार के आकार पर निर्णय करना चाहिए। समृद्धि दर के साथ बाजार का आकार इसी इकाई के भविष्य की सम्भावनाओं को स्पष्ट करता है। अतः उत्पाद विक्रय को बढ़ावा देने के लिए बाजार सम्बन्धी ज्ञान अति आवश्यक है। इस प्रकार बाजारी विश्लेषण में बाजार का आकार, बाजारी संरचना, बाजार का विभाजन तथा समृद्धि दर आदि आते हैं। भविष्य की प्रवृत्तियों का जितना उपयुक्त आकलन किया जा सकता है, उतना ही सम्बन्धित इकाई का प्रभावी निष्पादन होगा। इस सम्बन्ध में पूर्व आकलन विधियों को प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार के पूर्व अनुमानों से अधिक विश्वसनीयता उत्पन्न होगी। इस विश्लेषण को प्रधानतया कुछ विशिष्ट अनुगमों तथा उनके संरचनात्मक निष्पादन हेतु प्रयोग किया गया है। एक प्रबन्धकीय प्रक्रिया में रूग्ण इकाई के लिए इन सभी बातों का समायोजन करना चाहिए।

---

11. स्रोत : इण्डस्ट्रियल सिकनेस एण्ड रिहैबिलिटेशन, पेज 280, सिन्हा, एस०एल०एन०।

औद्योगिक इकाइयों में रूग्णता की समस्या के निदान के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। औद्योगिक रूग्णता तथा रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के सन्दर्भ में अनके महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उद्योगों में रूग्णता के लक्षण परिलक्षित होते ही इसके निदान के लिए उचित समय पर उचित सहायता वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। फिर भी यदि इकाई रूग्ण हो गयी है, तो उसको स्वस्थ इकाई मे संविलयन कर देना चाहिए। यदि रूग्ण इकाई का संविलयन नही किया जाता है, तो इकाई का प्रबन्ध सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। [12]

वर्तमान उदारीकृत अर्थव्यवस्था में भारतीय उद्योगों को रूग्णता से बचाने के लिए एक अन्य उपाय किया जा रहा है, जिसे विनिवेश प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि सरकारी प्रबन्ध में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही आदि कमियाँ विद्यमान हैं। अतः विनिवेश के द्वारा सार्वजनिक उद्योगों को निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है। विगत् वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विनिवेश की प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट होती है :

तालिका - 6.1

विगत् वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विनिवेश

वर्ष	वास्तविक प्राप्ति (करोड़ रूपये में)
1991-92	3038
1992-93	1913
1993-94	—
1994-95	4843
1995-96	362
1996-97	380
1997-98	902
1998-99	5371
1999-2000	1829

स्रोत : द जनरल ऑफ इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज, वाल्यूम 24, 1 & 2 (2001), पृष्ठ 49

12. स्रोत : मार्केटिंग इनपुट फार सिक इण्डस्ट्रीज, प्रदीप कक्कड़, पृष्ठ 163-170

औद्योगिक रूग्णता के निवारणार्थ सरकार द्वारा समय-समय पर गठित समितियाँ

रूग्ण उद्योगों से सम्बन्धित समस्या भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है। उद्योगों के रूग्ण हो जाने से उनमें लगी करोड़ो रूपये की पूँजी ही नही डूबती, बल्कि उनमें कार्यरत हजारों श्रमिक बेराजगार हो जाते हैं तथा अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता का ह्रास होता है। परिणामस्वरूप इसका केवल देश के औद्योगिक क्षेत्र पर ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक रूग्णता के कारणों में अकुशल प्रबन्ध, पर्याप्त पूँजी का अभाव, पुरानी प्रौद्योगिकी तथा प्रतिकूल बाजार परिस्थितियाँ मुख्य हैं। औद्योगिक रूग्णता की समस्या पर विचार विमर्श करने तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक सुझाव देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक समितियाँ गठित की गयी हैं, जो निम्न हैं :

1. **टण्डन समिति** :- भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1975 में बैंक ऋण कार्यवाही का दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 'टण्डन समिति' का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि बैंकों को रूग्ण तथा औद्योगिक पुनर्वास के लिए धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समिति के अनुसार औद्योगिक रूग्णता का मुख्य कारण प्रबन्ध सम्बन्धी विफलताएँ हैं। समिति ने इस बात पर विशेष ज़ोर दिया कि रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के प्रबन्ध के लिए उनका वित्तीय तथा संरचानात्मक पुनर्गठन किया जाए तथा उन्हें बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाय। इस प्रक्रिया के द्वारा रूग्ण इकाइयों का पुनर्वास सम्भव होगा तथा रूग्णता को रोक जा सकेगा।

2. **राय समिति** :- भारत सरकार ने मई 1976 में वित्त मंत्रालय के सचिव श्री एच०एन० राय के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया। इस समिति को वित्तीय संकट में फँसे अथवा रूग्ण उत्पादक प्रतिष्ठानों को स्वस्थ एवं लाभप्रद इकाइयों में विलय करने की सम्भावनाओं के अध्ययन का कार्य सौंपा गया। जिससे विलय के बाद सम्मिलित इकाइयाँ अधिक कारगर तरीके से कार्य कर सकें।

इस समिति ने यह सिफारिश की है कि राजकोष पर पड़ने वाले भारी बोझ से बचने के लिए उन उपायों का पता लगाना आवश्यक है जिन्हें अपनाकर फिर से सक्रिय की जा सकने वाली रूग्ण मिलों का स्वेच्छा से स्वस्थ एवं लाभप्रद मिलों में विलय करके रूग्ण मिलों को पुनः चालू किया जा सकता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण सुझावों में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत विलय एवं पुनर्गठन की वर्तमान व्यवस्थाओं को अतिरिक्त कानून बनाकर अधिक कारगर बनाया जाय। इसीलिए रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार को कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा उत्पादन सुधारने के लिए मशीनों को आयात शुल्क से छूट, आयकर से छूट, अनुकूल मूल्य नीति तथा केन्द्र सरकार द्वारा बिक्री की पर्याप्त व्यवस्था है।

राज्य सरकार द्वारा सुविधाओं तथा रियायतों के अन्तर्गत रियायती दरों पर प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति, बिक्रीकर, चुँगी तथा अन्य शुल्कों एवं करों में रियायत, औद्योगिक विवादों का शीघ्र निपटारा, औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत कारखाने को बन्द करने की शीघ्र अनुमति तथा पर्याप्त बिक्री की व्यवस्था आदि है।

फर्नाडीज फार्मूला :-

भूतपूर्व केन्द्रीय उद्योग मंत्री जार्ज फर्नाडीज ने औद्योगिक रूग्णता के निवारण हेतु 15 मई 1978 को एक नीति पत्र प्रेषित किया। इस नीति के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं :

(i) सरकार को प्रारम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक रूग्णता का पता लगाने तथा उसकी मार्केटिंग करने के लिए समुचित प्रबन्ध करना चाहिए।

(ii) वित्तीय संस्थानों को संयुक्त रूप से पेशे व निदेशकों के एक समूह का गठन करना चाहिए। समूह के सदस्य उन संस्थानों के पूर्णकालिक कर्मचारी होने चाहिए तथा उनका नामांकन कम्पनी के निदेशक मण्डल की सिफारिश पर ही होना चाहिए। जब समूह को यह ज्ञात हो कि किसी संस्थान का प्रबन्धन अयोग्यपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है अथवा किसी गलत कार्य में संलग्न है तो

वह समूह उस प्रबन्धन व संस्थान को वित्तीय सहायता तब तक न देने की सिफारिश कर सकता है, जब तक कि पूरे प्रबन्ध को बदल न दिया जाय।

(iii) सरकार को एक जाँच समिति का गठन करना चाहिए ताकि वह निम्न आधार पर रूग्ण उद्योगों से सम्बन्धित सिफारिशें कर सकें।

(क) यह समिति इस बात की सिफारिश कर सकती है कि किसी भी रूग्ण उपक्रम को अधिग्रहीत कर लेने के उपरांत उपक्रम को उसी प्रबन्धन को वापस नही किया जाय।

(ख) यदि वित्तीय संस्थान या राज्य सरकारें किसी इकाई को अधिग्रहीत करने की सिफारिश या उनका अधिग्रहण राष्ट्रहित में आवश्यक हो तो वहाँ के प्रबन्धन को भी अधिग्रहीत कर लेना चाहिए।

(ग) प्रबन्धन के अधिग्रहण के उपरांत इकाई को एक चालू संस्थान के रूप में बेच देना चाहिए या उसका पुनर्निर्माण करना चाहिए। पुनर्निर्माण प्रक्रिया में शेयर के मूल्य गिराना, ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना तथा शेयरों का सरकार द्वारा अधिग्रहण एवं नए निदेशक मण्डल का गठन आदि शामिल होना चाहिए।

3. **तिवारी समिति :-** जून 1981 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वृहद एवं मध्यम रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जा रहे ऋणों पर नजर रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मई 1981 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष श्री टी० तिवारी की अध्यक्षता में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के संदर्भ में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के समक्ष उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की जाँच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार औद्योगिक रूग्णता के प्रभावी समाधान हेतु रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हुई।

औद्योगिक रूग्णता की समाप्ति के लिए इस समिति द्वारा पेश विभिन्न विकल्पों में राष्ट्रीयकरण, देनदारियों की पुर्नसंरचना, परिसमापन के साथ बिक्री तथा इकाइयों को बंद कर देना शामिल था।

4. **गोस्वामी समिति :-** औद्योगिक रूग्णता की समस्या पर विचार विमर्श करने तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक सुझाव देने के उद्देश्य से भारत सरकार के वित्त मंत्रलय ने मई 1993 में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के डा० ओंकार गोस्वामी की अध यक्षता में छः सदस्यीय एक समिति गठित की। इस समिति ने दो महा बाद ही 13 जुलाई को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी। इस समिति के अन्य सदस्यों में डा० टी०सी०ए० अनन्त, श्री हनुमन्ताचार्य, श्री नवल भाटिया तथा श्री कीर्ति उपल थे।

इस समिति ने रूग्णता की समस्या से निपटने के लिए 5 महानगरों में 5 फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल की स्थापना किए जाने का सुझाव दिया है, जिससे कानूनी कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूरा करके रूग्ण उद्योगों को बंद किया जा सके। इसके साथ ही छटनी किए गए कर्मचारियों को दुगुना मुआवजा दिए जाने का सुझाव दिया है। समिति ने जमानती कम्पनी ऋणों के भुगतान के लिए 5 रिकवरी ट्रिब्यूनल भी स्थापित किए जाने का सुझाव दिया है। इससे सुरक्षित ऋणदाताओं के 50 लाख रूपये से अधिक के कम्पनी ऋण वसूलें जा सकेगें। समिति के अनुसार उपरोक्त 5 रिकवरी ट्रिब्यूनलों तथा 5 फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनलों को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा बंगलूर में स्थापित किया जाना चाहिए।

गोस्वामी समिति ने बीमार औद्योगिक कम्पनी अधिनियम में भी आमूल–चूल परिवर्तन किए जाने की सिफारिश की है। समिति का मत है कि बायफर की भूमिका में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि वह बीमार उद्योगों को समेटने में सहायता करे, न कि पुनर्वास संस्था की तरह व्यवहार करे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि रूग्ण इकाइयों में प्रबन्ध परिवर्तन को सम्भव बनाने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। वर्तमान कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत साधारण पुनर्गठन भी सम्भव नही हैं। जब कि बीमार इकाइयों के श्रमिकों द्वारा संरक्षित ऋणदाताओं को भविष्य मे अधिकाधिक लाभ पहुँचाने के लिए इन इकाइयों की प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है।

समिति के अनुसार प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उन समस्त बाधाओं को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए, जो बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की ऋण की राशि को शेयर पूँजी में नही बदलने देती है। समिति का सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे ऋण अदायगी में विलम्ब अथवा अदायगी न होने की स्थिति में वह प्रबन्धकों के बोर्ड में परिवर्तन कर सके।

समिति का सुझाव है कि नगरीय भूमि सीमा कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिए। चूँकि यह औद्योगिक रूग्णता का एक प्रमुख कारण है। समिति के अनुसार भूमि बेचकर कम्पनी संसाधन जुटा सकती है तथा वे कम्पनियाँ, जिन्हें चला पाना सम्भव न हो, उनकी भूमि बेचकर उनकी अच्छी कीमत प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के पुनर्संयोजन से सम्बन्धित राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नही होनी चाहिए। चूँकि वर्तमान व्यवस्था के कारण रूग्ण इकाई को बन्द करने अथवा श्रमिकों की छँटनी करने में विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त बायफर को यह अधिकार होना चाहिए कि वह बन्द कारखाने की सम्पत्ति बेचकर उसका मूल्य उच्च न्यायालय में जमा करा सके और बाद में उच्च न्यायालय उसका वितरण दावेदारों के मध्य कर सके।

समिति का विचार है कि उद्योगों का गठन एवं विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे भविष्य में श्रमिकों व कर्मचारियों को नियमित तथा अधिकतम भुगतान किया जा सके। इसके साथ ही उद्योगों में विनियोजित धन सुरक्षित रहे या उसमें अभिवृद्धि हो।

गोस्वामी समिति के निष्कर्ष के अनुसार देश की औद्योगिक इकाइयाँ प्रतिवर्ष तेजी से बीमार हो रही हैं। निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ 18.6 प्रतिशत के हिसाब से रूग्णता की ओर अग्रसर है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में रूग्णता की दशा अत्यन्त दयनीय है। सार्वजनिक क्षेत्र में घाटे में चल रही 43 इकाइयों का कुल घाटा 9511 करोड़ रूपये था। 1982 से 1989 की अवधि के दौरान रूग्ण अवस्था के दौर से गुजर रही इकाइयों का घाटा 2585 करोड़ रूप्ये से बढ़कर 9511 करोड़ रूपये हो गया। इस

प्रकार उक्त अवधि में घाटा प्रतिवर्ष 18.4 प्रतिशत की दर से बढ़ता रहा। घाटे में चल रही छः बड़ी इकाइयों उवर्रक निगम, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स, इस्को, बी०टी०सी० तथा राष्ट्रीय जूट निगम का अकेले घाटा 54 प्रतिशत था।

समिति ने घाटे में चल रही इकाइयों की रूग्ण अवस्था पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा है कि औद्योगिक इकाइयों के घाटे में चलने का प्रमुख कारण दयनीय वित्तीय ढाँचा, उत्पादन क्षेत्र में अपर्याप्त माल का उपयोग तथा कमजोर बाजार व्यवस्था का होना है। निष्कर्षतः रूग्ण उद्योगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में समिति ने सिफारिशों के माध्यम से सार्थक प्रयास किया है।

6. **इराडी समिति :-** कम्पनियों के दिवालियापन के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करने के लिए बी० बालककृष्ण इराडी की अध्यक्षता वाली गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी है।

   समिति ने कम्पनियों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में सरकारी नीतियों में आमूल–चूल परिवर्तन का सुझाव दिया है। इनमें राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव शामिल है, जिसे कम्पनी लॉ बोर्ड समस्त अधिकार प्राप्त है। समिति ने प्रस्तावित न्यायाधिकरण के माध्यम से वह सारे कार्य निपटाने की संस्तुति की थी, जो रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के तहत फिलहाल औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड एवं औद्योगिक तथा पुनर्गठन अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निपटाए जा रहे हैं। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के साथ–साथ इन दोनों निकायों को समाप्त करने के सुझाव समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है।

लघु उद्योग की रूग्णता दूर करने के लिए सरकार द्वारा गठित समितियाँ

लघु औद्योगिक क्षेत्र में रूग्णता के कई कारण उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ दोषपूर्ण नियोजन, प्रबन्धात्मक कमियाँ, अदक्ष वित्तीय नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास पर अपर्याप्त ध्यान, अप्रचलित मशीनरी, अपर्याप्त माँग, कमजोर औद्योगिक सम्बन्ध, कच्चे माल तथा अन्य पुनर्निवेश की कमी, कार्यकारी पूँजी की अपर्याप्तता, विद्युत अनापूर्ति, कार्यकारी पूँजी की मंजूरी से विलम्ब तथा अन्य आधारभूत संरचनात्मक बाधायें हैं। लघु एवं वृहद औद्योगिक इकाइयों की समस्या उनकी वित्तीय तथा संगठनात्मक संरचना में कतिपय अन्तर्निहित कमियों, जो उनके व्यापार तथा आर्थिक परिवेश के परिवर्तन को संदेहास्पद बनाते हैं, के कारण जटिल हो जाती है। सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्णता की आरम्भिक अवस्था में पहचान करने तथा रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की पुनर्स्थापना के लिए समय–समय पर अनेक उपाय किए हैं :

1. **राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति** :- भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु तथा मझोली इकाइयों की समस्याओं पर विचार–विमर्श तथा सूचना को आदान–प्रादान करने के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करने हेतु सभी राज्यों के सम्बन्धित राज्य सरकारों के सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता मेंराज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों का गठन किया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण नियोजन तथा ऋण विभाग के स्थानीय प्रभारी संयोजक हैं। समिति में लघु उद्योग सेवा संस्थान, लघु उद्योग विकास संगठन, राज्य वित्त निगम, तथा सम्बन्धित राज्य में मुख्य रूप से सम्मिलित बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की तीन माह में एक बार बैठक होती है तथा जीवनक्षम रूग्ण इकाइयों की पुर्नस्थापना के विभिन्न पक्षों को एक साथ विमर्श प्रदान करती है, जिसमें आम सहमति के आधार पर पुर्नस्थापना के लिए विस्तृत मानदण्ड उभर सकें।

2. **नायक समिति** :- लघु उद्योग क्षेत्र के ऋण की पर्याप्तता तथा सम्बन्धित पहलुओं की जाँच करने के लिए नायक समिति का गठन किया गया। इसने रूग्णता के मुद्दों की विस्तार से जाँच की तथा समस्या को हल करने के लिए कई उपायों को अपनाये जाने की सिफारिश की। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही की है।

रूग्ण लघु इकाइयों की पुर्नस्थापना हेतु इसकी परिभाषा को संशोधित किया गया था तथा पुर्नस्थापना पैकेज के भाग के रूप में कार्यकारी पूँजी, आवधिक ऋण के लिए लागू ब्याज की रियायती दर, जहाँ भी लागू हो, को मौजूदा न्यूनतम ऋण प्रदायी दर से डेढ़ से तीन प्रतिशत बिन्दु कम रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को, बैंक अग्रिम को चार श्रेणियों में अर्थात् मानक, उप–मानक, संदेहास्पद तथा हानि में वर्गीकृत करने के साथ–साथ परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण करने की व्यवस्था पर संशोधित अध्यादेश जारी किए। अग्रिम के संदेहास्पद श्रेणी में आते ही सम्बन्धित इकाई को प्रदान किए जाने वाले समस्त अग्रिमों से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इकाई को रूग्ण इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जाय। यदि इकाई निवल मूल्य में अपर्दन की शर्त को पूरा करती है। रूग्ण इकाई के रूप में चिन्हित किए जाने से जीवनक्षम के पोषण कार्यक्रम को तीन से छः माह की अवधि में प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए।

3. **कपूर समिति :-** भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योगों के साख वितरण व्यवस्था की कार्य प्रणाली की समीक्षा, व्यवस्था को अधिक प्रभावी करने, सरल एवं प्रशासक की कार्यकुशलता के साथ–साथ लघु उद्योगों में रूग्णता की समस्या के लिए कपूर समिति की स्थापना की थी। लघु उद्योगों की रूग्णता में शीघ्र निदान हेतु समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं :

(i) रूग्ण लघु इकाइयों की परिभाषा में नान परफारमिंग समय को ढाई वर्ष से घटाकर एक वर्ष करना।

(ii) राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति को संवैधानिक शक्तियाँ प्रदान करना ताकि वह रूग्ण लघु उद्योगों के पुर्नस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

(iii) अधिक रूग्ण लघु उद्योगों वाले जिलों में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति की शाखाएँ स्थापित करना।

(iv) जीवक्षम संभाव्य रूग्ण लघु उद्योगों के पुर्नस्थापन में बैंकों को उत्साहित करने हेतु आम पहचान तथा परिसम वर्गीकरण में छूट प्रदान करना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समिति की सिफारिशों का परीक्षा किया जा रहा है।

4. **अध्ययन समूह का गठन :-** लघु क्षेत्र के विकास तथा उन्नति के लिए विद्यमान नीतियों में संशोधन करने, तथा लघु उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग ने, योजना आयोग के सदस्य डा० एस०पी० गुप्ता की अध्यक्षता में अध्ययन समूह का गठन किया है। इस समूह के अधीन चार उप–समूह भी निम्न प्रकार गठित किए गए हैं, जिसमें से एक उप–समूह लघु उद्यमों के लिए वित्तीय तथा राजकोषीय उपायों पर विचार करने के लिए श्री देवीदयाल, विशेष सचिव, बैंकिंग की अध्यक्षता में गठित किया गया है। यह उपसमूह लघु उद्योगों में रूग्णता की समस्या पर भी गम्भीरता पूर्वक विचार करेगा।

निष्कर्षतः यह कहा जा रहा है कि रूग्णता पर भारतीय रिजर्व बैंक के आँकड़े सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। परन्तु सम्पूर्ण सूचना नही है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के आँकड़े उन इकाइयों से सम्बन्धित है, जो बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं, बहुत अधिक संख्या में ऐसी लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो ऋण हेतु बैंकिंग क्षेत्र में नही जाती है। ये इकाइयाँ स्वयं के साधनों जैसे – स्वयं की बचत, मित्रों एवं सम्बन्धियों से उधार आदि के माध्यम से जुटाते हैं। ऐसी इकाई पर उदारीकरण के प्रभाव की विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः मामले को सम्पूर्ण रूप से देखने की आवश्यकता है।[13]

---

13. स्रोत : हसीजा मदन मोहन, लघु उद्योगों की रूग्णता तथा लघु उद्योग समाचार, लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। 30 अगस्त 2002, पृष्ठ -

औद्योगिक रूग्णता के समाधान के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन

रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुर्नजीवन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा श्रमिक हितों की सुरक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 में संशोधन हेतु अगस्त 2001 में प्रस्तुत नए अधिनियम में एक "इनसाल्वेंसी फण्ड" के साथ–साथ नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इस कानून के प्रभावी होने से कम्पनी की रूग्णता, पुर्नसंरचना, इनके दिवालिया होने तथा इन्हें बन्द कर देने सम्बन्धी सभी मामलो में वर्तमान प्रभावी सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनी एक्ट 1985 निष्प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ–साथ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड, अपीलिएट अथारिटी फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेंसियल रिकान्स्ट्रक्शन तथा कम्पनी ला बोर्ड का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसके सभी दायित्व नए गठित किए जाने वाले नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल के दायरे में आ जाएगें। इस ट्रिब्यूनल की सम्पूर्ण भारत में 10 पीठें होंगी, जबकि इसकी अपीलीय पीठ दिल्ली में स्थापित की जाएगी। अपीलीय पीठ के निर्णयों के विरूद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकेगी।

नए अधिनियम के तहत किसी कम्पनी को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी तभी कहा जाएगा, जब विगत् लगातार चार वर्षों में से किसी एक या अधिक वर्षों में वित्तीय वर्ष के अन्त में इसकी संचित हानि इसकी नेटवर्थ का 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा/अथवा जो लगातार तीन तिमाहियों तक अपने ऋण दाताओं को अपने देयों को भुगतान करने में असफल रही हो।

अधिनियम के तहत गठित किए जाने वाले इनसालवेंसी फण्ड के भरण के लिए बड़ी कम्पनियों पर उनके वार्षिक टर्नओर का 0.005 प्रतिशत अधिभार लगाने का प्राविधान आरम्भ में किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर अधिभार को 0.1 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा। प्रस्तावित इनसालेंसी फण्ड का उपयोग रूग्ण कम्पनियों की पुर्नसंरचना करने या उन्हें बन्द करने की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों के देयों का भुगतान करने तथा रूग्ण कम्पनी की परिसम्पत्तियों का संरक्षण करने के लिए किया जा सकेगा। चक्रीय किस्म कें इस फण्ड का संचालन नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाएगा।

औद्योगिक रूग्णता तथा प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था

जहाँ तक वर्तमान प्रबन्धकीय व्यवस्था का सम्बन्ध है, उसमें रूग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनरूत्थान बैंको, वित्तीय संस्थाओं तथा कुछ स्थितियों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सम्मिलित सहयोग से किया जाता है। इस सम्बन्ध में जहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप हैं, वहीं पर इन उद्योगों के प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है। दोनों प्रकार की प्रबन्धकीय अव्यवस्था किसी भी इकाई के लिए भिन्न–भिन्न अर्थ रखती है। प्रथम स्थिति में सम्बन्धित बैंक या संस्था, बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति करतीं है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी प्रबन्धकीय व्यवस्था में परिवर्तन करती है। दूसरी ओर यदि सरकारी अधिनियम के तहत उद्योगों को राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है, तो प्रचलित प्रबन्धकीय व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर नयी प्रबन्धकीय व्यवस्था स्थापित की जाती है। इस प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत भारत सरकार या राज्य सरकार कम्पनी की सभी इकाइयों के संचालन हेतु व्यक्तियों की नियुक्ति करती है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी प्राविधान है कि प्रबन्धकीय व्यवस्था सम्बन्धी कोई भी निर्णय जिसको शेयर धारक के साथ लिया जाएगा, वे तब तक नही लिए जाएगें, जब तक सरकार का अनुमादन न प्राप्त हो। संक्षेप में राष्ट्रीयकरणं के अन्तर्गत प्रबन्धकीय व्यवस्था में निम्न परिवर्तन किए जाते हैं :

1. सरकार तथा नियुक्ति अधिकृत व्यक्ति, निदेशकों के अधिकार ले लेते हैं।
2. शेयर धारक इस दशा में सुषुप्त हो जाते हैं।
3. वर्तमान निदेशक तथा प्रबन्धक अपने कार्यकलापों को छोड़ देते हैं।
4. लेखा व्यवस्था को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया जाता है तथा अधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के द्वारा पुनर्वासन के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व इकाइयों तथा संस्थाओं पर होती है। इस सम्बन्ध में नयी वित्त व्यवस्था में परिवर्तित प्रबन्धकीय व्यवस्था प्रारम्भ की जाती है। ऐसी प्रबन्धकीय व्यवस्था की समस्याओं को स्पष्ट कर लिया जाता है। इसमें इकाई की विपणन समस्याओं तथा तकनीक पर विचार नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित समस्याएँ निम्नलिखित हैं :

1. संगठनात्मक अकुशलता।
2. आन्तरिक एवं वाह्य सूचनाओं का अभाव।
3. अनेक कार्यशील क्षेत्रों में समन्वय का न पाया जाना।
4. उत्प्रेरकों का अभाव।

एक रूग्ण औद्योगिक इकाई की व्यवस्था तथा यह पद्धति वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नही होती है। अतः नए प्रबन्धकीय व्यवस्था में प्रत्येक कार्य में परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कार्यरत व्यक्तियों की प्रवृत्तियों में परिवर्तन हो। परन्तु, अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि नयी प्रबन्धकीय व्यवस्था में जब यह उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो समस्याओं की अधिकता के कारण अथवा प्रबन्धकीय अकुशलता के कारण महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त नही हो पाते हैं। किसी भी संगठन विशेषकर रूग्ण इकाइयों में परिवर्तन करना, प्रायः असम्भव नही तो बहुत कठिन अवश्य होता है। अतः इकाई को प्रभावी रूप से कार्यरत बनाने के लिए परिवर्तन न होने की स्थिति में ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति में वास्तविक स्थिति के सन्दर्भ में मानवीय संसाधनों का भी ध्यान रखना चाहिए। जबकि अभी तक इस दिशा में कोई विशेष ध्यान नही दिया गया है। जहाँ तक प्रबन्धकीय व्यवस्था में वैकल्पिक उपागमों का सम्बन्ध है, वहाँ विशेष दशाओं के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध की उपयुक्तता को देखा जा सकता है। इस उद्देश्य से औद्योगिक इकाइयों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है :

1. ऐसी इकाइयाँ, जिनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या 250 से कम हो, में कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी शिथिल है। प्रायः एक ही अधिकारी इन क्षेत्रों के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार इकाई में यह सम्भव है कि एक ही व्यक्ति व्यवहारिक कार्यों के लिए उत्तरदायित्व निभाये तथा इस प्रकार अकेले प्रबन्धकीय व्यवस्था से सम्बन्धित इकाई को पुनर्वासन हो सकता है।
2. ऐसी इकाइयाँ, जिनमें श्रमशक्ति 250 से 1000 के मध्य हो, को पुनर्वासन के लिए एक दल से सम्बन्धित कर दिया जाए। प्रायः यह देखा जाता है कि केवल उच्चाधिकारी के परिवर्तन से महत्वपूर्ण परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसे अकेले ही आन्तरिक तथा वाह्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः इन समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास करना चाहिए। इसका

अभिप्राय यह है कि प्रबन्धकीय व्यवस्था, प्रबन्धकीय समस्याओं का सुव्यवस्थित उपागम रखे। ऐसी स्थिति में प्रबन्धकीय व्यवस्था का कार्य क्रियात्मक एवं तकनीकी स्तर पर इकाई को सुव्यवस्थित करना है। एक रूग्ण इकाई में एक समस्या दूसरी समस्या से सम्बन्धित होती है। अतः प्रबन्धकीय व्यवस्था का कार्य लगातार समस्याओं के समाधान से सम्बन्धित होना चाहिए। उच्च स्तरीय पदों पर प्रबन्धकीय व्यवस्था में परिवर्तन विभिन्न पदों के लिए नियुक्तियों द्वारा अथवा इसी प्रकार की स्वस्थ इकाइयों के व्यक्तियों के एक दल द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार सम्बन्धित उद्योग के प्रबन्ध दल द्वारा समन्वय तथा व्यवस्था होनी चाहिए। यदि इस प्रकार के उत्तरदायित्व को बड़ी औद्योगिक कम्पनियाँ अपने हाथों में ले लें तो इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयों की प्रबन्धकीय व्यवस्था का समाधान किया जा सकता है।

3. ऐसी इकाइयाँ जिनमें श्रम शक्ति 1000 से अधिक हो, उनमें रूग्णता सम्बन्धी प्रबन्धकीय व्यवस्था प्रथम तथा दूसरे प्रकार की इकाइयों के आधार पर नही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में निर्णय अप्रयुक्त बेरोजगार श्रमिकों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार जहाँ यह बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए सम्भव है कि वे लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की पुनर्वासन योजना से अपने को बाहर कर सकें, वहीं दीर्घ स्तरीय औद्योगिक इकाइयों में यह सम्भव नही है। वृहद् सामाजिक, आर्थिक ढाँचों में विशिष्ट प्रकार की प्रबन्धकीय व्यवस्था का प्रश्न दूसरे स्तर का होता है क्योंकि ऐसी इकाई की सहायता वित्तीय विनियोग के अतिरिक्त भी होती है। अतः नयी प्रबन्धकीय व्यवस्था के निष्पादन को अवलोकन नही किया जा सकता है। लघु तथा छोटे आकार की इकाइयों में बैंकों में वित्तीय संस्थाओं के लिए यह सम्भव है कि उनके पुनरूत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करें। परन्तु, वृहद स्तरीय इकाइयों के सम्बन्ध में ऐसा सम्भव नही है। ऐसे कार्यों के लिए संस्थाओं में न तो पर्याप्त वित्त है और न ही प्रबन्धकीय कुशलता। अतः ऐसी इकाइयों की कार्यशीलता को बनाए रखने के लिए सरकार एवं बड़े निगमों को क्षेत्र में आना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्र में स्वस्थ इकाइयों के साथ विलय करना होता है। इस प्रकार औद्योगिक इकाइयों को तीन वर्गों में विभाजन पूर्णतया दृढ़ नही है। फिर भी इसके माध्यम से प्रबन्धकीय व्यवस्था के स्वरूप को अवलोकित किया जा सकता है।

अध्याय 7

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के विभिन्न अध्यायों के शोध अध्ययन में प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख किया जा सकता है। अध्ययन में यह पाया गया कि प्रायः रूग्ण औद्योगिक इकाइयाँ वे इकाइयाँ हैं जो सम्पूर्ण मूल्य में किसी वित्तीय वर्ष में हानि को वहन करती हैं तथा नगद हानि उस वर्ष तथा अगले वित्तीय वर्ष में हुयी हो। इसी प्रकार यह भी पाया गया कि रूग्ण औद्योगिक इकाइयाँ लगातार नगद हानि में चलती रहती हैं तथा उनमें बैंक साख का बकाया लगातार बना रहता है। ऐसी इकाइयाँ अतिरेक को उत्पन्न करने में असफल रहती हैं तथा अपने अस्तित्व के लिए बाह्य ऋणों पर आश्रित रहती हैं।

उत्तर प्रदेश भारत का सीमान्त प्रदेश है, जो 25° - 31° उत्तरी अक्षाँश तथा 77° - 84° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 236 वर्ग किमी है, जो सम्पूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 8.9 प्रतिशत है। वर्ष 2001 के अनन्तिम आँकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 16.6 करोड़ है, जो भारत की जनसंख्या का 16.17% है। 17 मण्डल, 70 जिलों तथा 300 तहसीलों वाले इस प्रदेश में 8.74 करोड़ पुरूष तथा 7.85 महिलायें निवास करती हैं। प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 898 महिलायें तथा जनसंख्या घनत्व 689 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जहाँ देश के कुल कृषि योग्य भूमि का 20% प्रदेश है, जिस पर कुल राष्ट्रीय कृषि का 18.6% खाद्यान्न उत्पादित किया जाता है। सिंचाई की स्थिति इस प्रकार है :

नहर 30%, नलकूप 60%, कुएँ 5%, तालाब 2% तथा अन्य से 3% सिंचाई होती है। वर्ष 1991 के जनगणना अनुमानों के अनुसार प्रदेश का साक्षरता स्तर 41.6% था, जो भारत के 52.2% से कम रहा। इसमें 55% पुरूष तथा 251% स्त्री साक्षर थे। साक्षरता स्तर में सुधार हेतु शिक्षण संस्थाओं में अभिवृद्धि तथा जनसामान्य में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का समुचित विकास हुआ है। प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में चीनी, हथकरघा, जूता, सीमेण्ट, शराब, चर्म, कपड़ा, कागज,

कृषि उपकरण तथा काँच उद्योग हैं। प्रदेश के उद्योग मुख्यतः कानुपर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, मोदीनगर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा बरेली जनपदों में अवस्थित हैं। प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली है। शासन तीन प्रमुख अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका में विभक्त है। प्रदेश का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्ष या उसके प्रसाद पर्यन्त तक के लिए की जाती है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति विधानसभा में बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल में निहित होती है।

भारतीय उद्योग का इतिहास बहुत पुराना है। सिन्धु घाटी की सभ्यता में रँगाई करना, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषणों एवं गुरियों का निर्माण करना प्रमुख उद्योग था। इसी प्रकार वैदिक युग में बढ़ईगीरी, लकड़ी की सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण, वस्त्र उद्योग तथा चर्म उद्योग के विकसित अवस्था में होने का प्रमाण मिला है। जातक ग्रन्थों से पता चलता है कि मौर्य काल में बढ़ईगीरी तथा पत्थर तराशने की कला अपने चरम स्तर पर थी। भारत पर समय–समय पर हुए आक्रमण के फलस्वरूप सभ्यता एवं संस्कृति में परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन के तारतम्य में उद्योगों में भी परिवर्तन होने लगे। 1367 ई० में विजय नगर व बहमनी शासकों के मध्य युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ, जिसका असली प्रयोग बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया। मुगलकाल लघु उद्योगों का स्वर्णिम युग था। सोने एवं चाँदी के समान, ताँबे के पात्र, कपड़ा, कालीन तथा हाथी दाँत के काम में मुगल काल की मिसाल नही मिलती है। 17 वीं शताब्दी के अन्त तक शाही कारखानों की संख्या 69 थी। इस समय शीरा, चीनी व खाण्डसारी तथा धातु उद्योग उन्नत अवस्था में थे। इन बड़े उद्योगों के अतिरिक्त लघु उद्योगों में हाथी दाँत, लकड़ी का काम, धातु व मिट्टी की मूर्तियाँ, कागज, सुगन्धित इत्र, काँच, चमड़ा तथा आभूषण बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता था।

18 वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप औद्योगीकरण का जन्म हुआ। इसका सबसे अधिक प्रभाव वस्त्र उद्योग पर पड़ा। 1701 में ड्रिल मशीन, 1733 में फ्लाइंग, शटल, 1764 में स्पिनिंग जेनी 'चरखा', 1807 में वाष्पचालित नौका

तथा 1814 में वाष्पचालित रेल का अविष्कार हुआ। औद्योगीकरण का विकास काफी सीमा तक कृषि के विकास पर निर्भर करता है। पं० जवाहर लाल नेहरू के अनुसार "बिना कृषि के औद्योगिक प्रगति नही की जा सकती है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से पृथक नही किया जा सकता है।"

भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास 1850 ई० के बाद प्रारम्भ हुआ। लार्ड डलहौजी के समय मे औद्योगीकरण में काफी प्रगति हुई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय औद्योगीकरण में अवरोध उत्पन्न हुआ। परिणामस्वरूप आर्थिक परिस्थितियाँ दिनों–दिन बिगड़ी तथा लघु उद्योग की दशा और भी दयनीय हो गयी। कारखाना उद्योग की वास्तविक उन्नति 1875 में हुई जब सूती एवं जूट उद्योग की विशेष प्रगति हुई। 19 वीं सदी में गाँधीजी के भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण के साथ लघु उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उद्योगों, विशेषतः धातु उद्योग का विकास तेजी से हुआ। वर्ष 1930 की मन्दी से उद्योगों की स्थिति पुनः खराब हो गयी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप औद्योगिक वस्तुओं की माँग में वृद्धि हुई तथा अनेक उद्योग स्थापित हुए। वर्ष 1945 में देश में उद्योगों की संख्या बढ़कर 14859 हो गयी, जिनकी प्रदत्त पूँजी 384 करोड़ रूपये थी, जबकि वर्ष 1939 में इनकी संख्या 11114 तथा प्रदत्त पूँजी 290 करोड़ रूपये थी।

15 अगस्त 1947 को भारत को लम्बे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता मिली। यह स्वतंत्रता राजनैतिक थी, परन्तु भारत को अभी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी। वर्ष 1948 में भारत सरकार द्वारा औद्योगिक नीति घोषित की गयी। इसके पूर्व वर्ष 1923 तक भारतीय औद्योगिक नीति स्वत्रंत व्यापार की थी, परन्तु वर्ष 1923 से कुछ देशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनायी गयी। अप्रैल 1948 में तत्कालीन उद्योग मंत्री डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा घोषित प्रथम औद्योगिक नीति में उद्योगों को चार वर्गों सैन्य, वृहत, आधारभूत तथा निजी क्षेत्र में विभाजित करने के साथ ही कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारे को सौंपा गया। वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना के पश्चात अप्रैल

1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना में औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 6.5% थी, जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं में 6% तथा पूँजीगत उद्योग में 134.4% की वृद्धि दर्ज की गयी। 30 अप्रैल 1956 में पी०सी० महालनवीस की उद्योग माडल पर दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गयी। इस नीति उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित करने के साथ ही आर्थिक विकास व औद्योगीकरण की गति को तेज करना, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास, भारी उद्योगों की स्थापना, आपसी असमानताओं को कम करना शामिल किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास का लक्ष्य 10.5% रखा गया, परन्तु 7.25% ही विकास दर को प्राप्त किया जा सका। इस योजना में लोहा एवं इस्पात उद्योग, भारी मशीन एवं औजार निर्माण उद्योग, भारी विद्युत आदि की स्थापना की गयी। तीसरी योजना में अगले 15 वर्षो में औद्योगिक विकास तथा खनिज विकास में आत्मनिर्भर होने के लिए उद्योगों के तकनीकीकरण पर ध्यान दिया गया। तालिका 2.4 से यह स्पष्ट होता है कि 1962 में चीन आक्रमण तथा 1965 के पाकिस्तान के आक्रमण के कारण कुछ उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों की प्रगति सन्तोषजनक नही रही है। इस योजना में वार्षिक उत्पाद 7.9% रहा, जबकि लक्ष्य 11% रखा गया था। इस योजना के पश्चात् तीन वार्षिक योजनायें (1966-69) लागू की गयी जिसमें कुछ उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों की प्रगति सन्तोषजनक रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में देश को शीघ्र स्वावलम्बी बनाने के साथ आद्योगिक क्षेत्र में संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया। इस योजनावधि में औद्योगिक विकास दर 8-10% की अपेक्षा 4.7% ही रही, जिसका प्रमुख कारण मूल्यों में वृद्धि, पूँजी विनियोग के प्रति उद्यमियों में रूचि न होना, स्थापित क्षमता का अपूर्ण उपयोग तथा प्रबन्धकीय अकुशलता थी।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इस योजना में वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 8.9% रखा गया, परन्तु वास्तविक वृद्धि 5.9% ही रही। तालिका संख्या 2.6 से स्पष्ट है कि लोहा एवं इस्पात, चीनी, एल्युमिनियम तथा सीमेण्ट उद्योग की प्रगति सन्तोषजनक थी। छठीं योजना (1980-85) में औद्योगिक

विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी। इस योजनावधि में विकास लक्ष्य 7% के स्थान पर 5.5% ही प्राप्त किया जा सका। सातवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य निर्यातोन्मुखी (1985-90) उद्योगों को बढ़ावा देना तथा स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। तालिका संख्या 2.8 से यह स्पष्ट होता है कि इस योजनावधि में कोयला, इस्पात, सीमेण्ट, वनस्पति तेल, वस्त्र, विद्युत उत्पादन आदि में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी। इस योजना में विकास दर 8% रखा गया। 24 जुलाई 1991 को संसद ने लीक से हटकर उदारीकृत औद्योगिक नीति घोषित की। इस औद्योगिक नीति में 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों को लाइसेन्स से मुक्त कर दिया गया। एम०आर०टी०पी० अधिनियम में कम्पनियों की अधिकतम सम्पत्ति सीमा समाप्त कर दी गयी। इसके अतिरिक्त विदेशी पूँजी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गयी। इसमें प्रतिरक्षा सम्बन्धी कुछ उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। आर्थिक सुधारों की श्रृंखला में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) लागू की गयी, जिसमें वित्तीय, औद्योगिक एवं विदेशी निवेश को शामिल किया गया। इस योजना में औद्योगिक उत्पादन 7.24% वार्षिक रहा। तालिका संख्या 2.9 से स्पष्ट है कि इस योजना में प्रगति सन्तोषजनक रही। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) की शुरूआत अच्छी नही रही, जिसका कारण विनियोजन की धीमी गति, माँग की कमी आदि थे। इस येाजना में विकास दर 8.3% रखी गयी। तालिका संख्या 2.10 से स्पष्ट है कि इस योजनावधि में औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दसवीं पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता के साथ सामाजिक न्याय के लक्ष्य के साथ वर्ष 2002 से प्रारम्भ हो चुकी है।

तालिका संख्या 2.1 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक विनियोग प्रथम पंचवर्षीय योजना में 97 करोड़ रूपये था, जो नवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 65148 करोड़ रूपये हो गया। इससे स्पष्ट है कि योजनाओं में पूँजी निवेश लगातार बढ़ा है, जो औद्योगीकरण में सहायक है।

उत्तर प्रदेश भारत का मुख्य प्रदेश है जहाँ पर भूत, वर्तमान और भविष्य अत्यन्त सुन्दर ढंग से मिले हुए हैं। इस प्रदेश की एक विशेष औद्योगिक नीति है। राज्य का सामाजिक ओर सांस्कृतिक वातावरण इसके प्राचीन समय के वैभव को प्रकट करता है। तालिका 3.1 से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वृद्धि दर 2.3% रही। इसी प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कृषि सम्बन्धी बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और उर्जा, यातायात, संचार इत्यादि में सहायक रचानात्मक सहयोग देकर 1.7% की वृद्धि दर प्राप्त किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के औद्योगीकरण के क्षेत्र में 5.7% की वृद्धि दर अंकित की। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (19669-74) में वृद्धि दर 3.4% रही। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक सेक्टर की वृद्धि दर (9.4%) में अत्यधिक वृद्धि हुई, छठीं योजना में 11.8% की बढ़ोत्तरी हुई। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में सामान्यतः छोटे प्रकार की इकाइयों की संख्या वर्ष 1988-89 के अन्त तक 1,10,000 से बढ़कर 1,96,220 से ऊपर हो गयी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यकता से अधिक की 10.9% वृद्धि हुई। केवल सातवीं योजना के मध्य तक 4616 करोड़ रूपये तक का अतिरिक्त विनियोजन के लिए ख्याति प्राप्त हुई। इस दौरान दो बड़े फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट बाम्बे हाई गैस के आधार पर, छोटे व्यापारिक सवारियाँ, फोटोग्राफी के समान, अनेक प्रकार के रसायनिक, पालियस्टर रेशा, पालियस्टर करतन, ट्यूब, घड़ियाँ, हवाई जहाज के टुकड़े बनाने वाले शिल्पी स्पोर्ट के लिए सवारी, स्विच गेयर, मिश्रित रूप से चादर, लोहे के टुकड़े इत्यादि सम्मिलित हई।

आठवीं पंचवर्षीय येाजना में औद्योगिक सेक्टर में सर्वत्र 7.3% की वृद्धि दर का लक्ष्य के मुकाबले 4.2% ही प्राप्त किया जा सका। नवीं पंचवर्षीय योजना में की वृद्धि का लक्ष्य है। तालिका 3.4 तथा 3.5 से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के अन्त में प्रदेश में वृहद इकाइयों की संख्या 62 थी, जिनके द्वारा 1566 करोड़ रूपये का उत्पादन किया गया, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर क्रमशः 1956 तथा 29199 करोड़ रूपये हो गया। नवीं योजना के मार्च 1999 तक 2281 वृहद

इकाइयों की संख्या 2281 पहुँच चुकी थी। तालिका संख्या 3.6 से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1990-91 से 2000-2001 के मध्य (वर्ष 1994-95 को छोड़कर) प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 लघु औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई। तालिका संख्या 3.10 के अनुसार लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रथम योजना के अन्त तक 28898 व्यक्तियों को रोजगार तथा 34.5 करोड़ रूपये का उत्पादन किया गया, जो आठवीं योजना के अन्त में बढ़कर क्रमशः 2164259 व्यक्ति तथा 7070.18 करोड़ रूपये हो गया। तालिका संख्या 3.3 के अनुसार अगस्त 1991-2000 के मध्य आई०ई०एम० 3966, एल०ओ०आई० 360, एफ०डी०आई० 436, एफ०टी०सी० 267 तथा 100% निर्यातोन्मुखी द्वारा 204 पूँजी निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आये।

इस प्रकार प्रदेश में योजनावधि में वृहद तथा लघु उद्योग दोनों में ही इकाइयों की संख्या, रोजगार तथा उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

औद्योगिक रूग्णता से आशय लाभ या उत्पादन में गिरावट अथवा दोनों में गिरावट से है, जो नकद हानि को उत्पन्न करे। इसके परिणाम स्वरूप अनेक औद्योगिक इकाइयाँ बन्द हो जाती हैं। वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी "विशेष प्राविधान" अधिनियम 1985 के अनुसार "एक रूग्ण औद्योगिक इकाई वह है जो अपने सम्पूर्ण मूल्य में किसी वित्तीय वर्ष हानि को सहन करती हो तथा जिसमें नकद हानि अगले वित्तीय वर्ष या उस वित्तीय वर्ष में हुई हो।"

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार "एक रूग्ण उद्योग से आशय एक मध्यम अथवा वृहद औद्योगिक कम्पनी, (गैर लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी कम्पनी जो सात वर्षो से पंजीकृत हो) जिसे वित्तीय वर्ष के अंत में अपने कुल शुद्ध मूल्य के बराबर या उससे अधिक संचित हानि हुयी हो तथा उसे उस वित्तीय वर्ष में और उस वित्तीय वर्ष के पूर्व के दौरान नकद हानि हुयी हो।"

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लघु औद्योगिक इकाई को तभी रूग्ण माना जाएगा जब कि :

(क) उसे पिछले लेखा वर्ष में नगद हानि हुयी हो तथा चालू लेखा वर्ष में भी उसे नकद हानि होने के सम्भावना हो एवं इन संचयी नकद हानियों के कारण उसकी निवल सम्पत्ति में पचास प्रतिशत या इससे अधिक का ह्रास हुआ हो तथा/अथवा

(ख) उसे लगातार ब्याज की चार तिमाही किस्तों अथवा सावधि ऋण के मूल धन की दो छमाही किस्तों का भुगतान करने में चूक हुई हो तथा बैंक की उसकी ऋण सीमाओं के परिचालन में अनियमितताएँ हो।

बड़ी लघु इकाइयों के विषय में "क" तथा "ख" दोनों शर्ते पूरी होनी चाहिए तथा अति लघु विकेन्द्रीकृत इकाइयों के मामले में किसी एक शर्त का पूरा होना पर्याप्त होगा।

प्रारम्भ में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 में केवल निजी क्षेत्र की इकाइयों को शामिल किया गया था, परन्तु दिसम्बर 1991 से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। वर्ष 1992 में संशोधन विधयक द्वारा 1985 के रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम में दो परिवर्तन किए गए। पंजीकरण की अवधि सात वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दी गयी तथा नकद हानि को छोड़ दिया गया।

इस प्रकार एक रूग्ण उद्योग वह है, जहाँ वित्तीय कार्यशीलता विपरीत कारकों से प्रभावित होती है। जो प्रबन्धकीय, बाजारी वित्तीय भार तथा श्रम सम्बन्ध आदि के रूप में हैं। जब इन कारकों का प्रभाव ऐसी स्थिति में पहुँचता है तब औद्योगिक इकाई नगद हानि उठाने लगती है जिससे इसके वित्त में कमी होने लगती है और इसकी वित्तीय स्थायित्वता खतरे में पड़ जाती है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम "विशेष

प्राविधान" 1985 के अंतर्गत लघु स्तरीय/अति लघु स्तरीय इकाइयाँ, साझेदारी फर्म तथा एकल स्वामित्व वाली संस्थाएँ नही आती हैं। एक रूग्ण औद्योगिक इकाई को इस रूप में देखा जा सकता है कि वह लगातार हानि के कारण अतिरेक को जन्म देने में असफल हो तथा अपने अस्तित्व के लिए लगातार बाह्य ऋणों पर आश्रित रहती हो। निरन्तर तरलता की हानि के कारण औद्योगिक इकाई अपने दीर्घकालीन दायित्वों को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाती है। इस प्रकार वह इकाई जीवन क्षमता खो देती है तथा बीमार इकाई के रूप में जानी जाती है। यदि यही क्रम चलता रहता है तो ऐसी रूग्ण इकाई दीवालिया हो जाती है।

तालिका संख्या 4.3 से यह स्पष्ट होता है कि मार्च 1999 तक भारत में सबसे अधिक व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयाँ (3477) खाद्य उद्योग तथा सबसे कम हीरा–जवाहरात उद्योग (9) में थी, जबकि इनमें अवरूद्ध पूँजी की दृष्टि से सर्वाधिक इंजीनियरिंग उद्योग (49.48 करोड़ रूपये) में थी। तालिका 4.6 के अनुसार भारत में मार्च 1999 तक कुल लघु रूग्ण इकाइयों की संख्या 306221 थी, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में 2.06 (67.3%) लाख सर्वाधिक लघु रूग्ण इकाइयाँ तथा सबसे कम पश्चिमी क्षेत्र में 24604 (8.03) इकाइयाँ थी। इसी प्रकार इन लघु रूग्ण इकाइयों में सर्वाधिक बकाया राशि दक्षिणी क्षेत्र (1281.91 करोड़ रू०) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र (917.4 करोड़ रू०) में थी। तालिका 4.8 के अनुसार सर्वाधिक लघु रूग्ण इकाइयाँ खाद्य उद्योग में 44045 तथा सबसे कम जूट उद्योग (32) में थी, जबकि इनमें अवरूद्ध राशि की दृष्टि से सर्वाधिक राशि इंजीनियरिंग उद्योग (483.67 करोड़ रूपये) तथा सबसे कम जवाहरात उद्योग (5.53 करोड़ रूपये) में थी। तालिका 4.7 के अनुसार उत्तर प्रदेश में मार्च 1999 तक कुल लघु रूग्ण इकाइयों की संख्या 17320 थी, जिनमें व्यवहार्य इकाइयाँ 1846 तथा अव्यवहार्य इकाइयाँ 15171 थीं। इनमें बकाया राशि क्रमशः 414.09, 32.88 तथा 367.37 करोड़ रूपये थी। तालिका 4.11 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वृहद रूग्ण औद्योगिक इकाइयाँ वस्त्र उद्योग में 380 (19.5%) तथा सबसे कम रत्न एवं जवाहरात उद्योग में 4 (0.21%) में थी, जबकि सर्वाधिक अवरूद्ध राशि इंजीनियरिंग उद्योग में

1181.54 करोड़ रूपये तथा सबसे कम जवाहरात उद्योग में 3.87 (16.46%) करोड रूपये थी। तालिका 4.12 के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक वृहद रूग्ण इकाइयाँ वस्त्र उद्योग में 34 तथा सबसे कम जवाहरात उद्योग में 2 थी, जिनमें अवरूद्ध राशि क्रमशः 215.67 तथा 0.73 करोड़ रूपये थी।

अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि मार्च 1999 में उत्तर प्रदेश में 3,57,960 लघु औद्योगिक इकाइयाँ पंजीकृत थीं, जिनमें 3488 करोड़ रूपये की पूँजी विनियोजित थी। इनमें से 37293 इकाइयाँ रूग्ण/कमजोर अवस्था में पायी गयी। इन रूग्ण औद्योगिक इकाइयों में 448.72 करोड़ रूपये की बैंक साख अवरूद्ध थी। इन 37293 रूग्ण इकाइयों में से मात्र 6521 इकाइयाँ ही जीवन योग्य पाई गयीं तथा शेष को बंद करने योग्य पाया गया। इन विवरणों से यह स्पष्ट है कि दिन–प्रतिदिन रूग्ण इकाइयों की संख्या तथा उनमें अवरूद्ध बैंक साख के प्रतिशत में अनवरत वृद्धि हुई है। विभिन्न सर्वेक्षणों से यह प्राप्त हुआ है कि प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक इकाइयाँ रूग्ण हैं, जिनमें से अधिकांश में उत्पादन कार्य बहुत पहले ही अवरूद्ध किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता के कारणों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश रूग्ण इकाइयों की इस स्थिति का कारण कच्चे माल का अभाव तथा समयानुसार उनकी अनुपलब्धता है। इसके साथ–साथ चूँकि लघु औद्योगिक इकाइयाँ अल्प मात्रा में कच्चे माल क्रय कर पाती हैं, इसलिए इन इकाइयों को कच्चा माल ऊँची कीमत पर प्राप्त होता है तथा इनकी किस्म भी अच्छी नही होती है। ऐसा होने के कारण वृहद् औद्योगिक इकाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर कच्चे माल के क्रय का होना है। आयातित कच्चे माल के संदर्भ में इन इकाइयों के समक्ष आनेक समस्याएँ आती हैं परिणामतः औद्योगिक उत्पादन व्यय बढ़ जाता है तथा उत्पादित माल की किस्म घटिया स्तर की होती है। उत्पादन व्यय बढ़ने के कारण उस उत्पाद की कीमत में वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप बढ़ी हुई कीमत एवं घटिया किस्म के कारण उस उत्पाद की बाजारी माँग में कमी आ जाती है। औद्योगिक इकाइयों में रूग्णता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण वित्त की समस्या है। **वित्त किसी भी संस्था का**

रक्त होता है। यह लघु एवं वृहद दोनों ही प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित करता है। भारतीय उद्योगपति एवं लघु उद्यमी इस स्थिति में नही हैं कि वे अत्यधिक पूँजी निवेश के माध्यम से अपने कार्य को चला सकें। यद्यपि समय–समय पर अनेक वित्तीय संस्थाओं ने उद्योगों को ऋण प्रदान किया है, परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। वित्तीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली के सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि देश के संतुलित औद्योगिक विकास में समयानुसार वित्त प्रदान करने में इन संस्थाओं की भूमिका आशानुरूप नही रही है। लघु औद्योगिक इकाइयों के सामने वित्त की समस्या और अधिक गम्भीर हैं औद्योगिक रूग्णता के एक अन्य कारण उत्पादित वस्तुओं का विपणन एवं बाजार की अनुपलब्धता है। वर्तमान उदारीकरण की नीति के कारण बहुत सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ तथा बड़े भारतीय औद्योगिक घराने अन्य भारतीय उद्यमियों के माल को बाजार में नही टिकने देते हैं। इस प्रकार तैयार माल को बेचने के लिए सरकारी तथा अन्य सुविधाओं के अभाव में उद्यमियों को अपने माल को कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें हानि होती है। एक स्थिति ऐसी आती हे, जिसमें उद्यमी हानि से उबरने में अपने को असमर्थ पाता है। यही रूग्णता की स्थिति हैं औद्योगिक रूग्णता सम्बन्धी एक अन्य महत्वपूर्ण कारण मशीनों एवं उपकरणों का पुराना एवं अप्रचलित होना है। मशीनों के पुराने होने के कारण उत्पादित वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ–साथ कम मात्रा में उत्पादन होता है। लागत में वृद्धि होने के कारण उत्पादित वस्तुएँ प्रतिस्पर्द्धी बाजार में नही बिक पाती हैं, जिसके फलस्वरूप कम्पनी में स्टाक जमा हो जाता है तथा कई बार कम्पनी को अपना उत्पादन कार्य बन्द करना पड़ता है। उत्पादन कार्य बन्द करने से लागत में और अधिक वृद्धि हो जाती है। चूँकि स्थाई लागत जैसे किराया आदि को उत्पादन कार्य न होने पर भी औद्योगिक इकाई को वहन करना पड़ता है। लगातार हानि तथा अतिरिक्त लागत में वृद्धि के कारण इकाई रूग्णता का शिकार हो जाती है। जहाँ तक प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों एवं कुटीर उद्योगों का प्रश्न है, ये अभी भी पूर्णतया परम्परागत हैं तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक सुविधाओं से वंचित हैं। प्रायः लघु औद्योगिक इकाइयाँ

अपने माल को साहूकारों को बेच देती हैं। चूँकि यही साहूकार इन लघु औद्योगिक इकाइयों को समय पर आसानी से कठिन शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं और लघु औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों में सौदा करने की क्षमता कम होती है, इसलिए वे अपने माल को अधिक समय तक रोक नही सकते हैं। यहाँ क्षमता से आशय उत्पादित माल के भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने से है। इसी प्रकार औद्योगिक रूग्णता सम्बन्धी एक अन्य प्रमुख कारण, विशेषकर लघु औद्योगिक क्षेत्र में, परिवहन सुविधाओं का न होना है।

वृहद स्तरीय औद्योगिक इकाइयों के रूग्णता के कारणों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि इन इकाइयों की रूग्णता का सबसे महत्वपूर्ण कारण अकुशल प्रबन्धकीय व्यवस्था है। इन इकाइयों में प्रबन्धकों एवं अन्य कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों का अभाव है। इसके अतिरिक्त इन वृहद् औद्योगिक इकाइयों में तकनीकी विशेषज्ञों तथा अनुभवी व्यक्तियों की पर्याप्त मात्रा नही है। इन औद्योगिक इकाइयों में आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके फलस्वरूप अधिक लागत में कम माल का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश सरकारी मिलों के बन्द होने का कारण अकुशल प्रबन्धकीय व्यवस्था, भ्रष्टाचार तथा पुरानी मशीनों का प्रयोग है। इसके साथ-साथ इन औद्योगिक इकाइयों में अतिरिक्त कर्मचारियों का होना भी एक समस्या रहा है। औद्योगिक इकाइयों की विस्तृत योजना तथा कार्य पद्धति को बनाने तथा उसके विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के आभाव में इन इकाइयों में रूग्णता की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रकार औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता के प्रमुख कारणों में अकुशल एवं अक्षम प्रबन्धकीय व्यवस्था, गलत उत्पाद का चयन, मशीनों का पुराना होना, उत्पाद का फैशन के कारण पुराना पड़ जाना, गलत उत्पादन प्रक्रिया का चुनाव, घटिया किस्म, अत्यधिक हानि, अत्यधिक ऋण ब्याज भार, विपणन सम्बन्धी समस्या, जिसमें वितरण के गलत माध्यमों का चयन, प्रबन्धकीय क्षेत्रों में समन्सवय का अभाव, गलत स्थान का चयन, कच्चे माल का आभाव तथा अत्यधिक कर्मचारियों का होना है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक रूग्णता को बढ़ावा

देने में वित्तीय संस्थाओं का भी योगदान है। वित्तीय संस्थाएँ औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करने में बहुत देर करती है। इस प्रकार वित्तीय संस्थाओं द्वारा समुचित मात्रा में समय पर वित्त न उपलब्ध कराए जाने के कारण औद्योगिक इकाइयाँ अपनी परिचालनात्मक व्यवस्था सुचारू रूप से नही चला पाती हैं तथा रूग्णता की शिकार हो जाती हैं।

औद्योगिक रूग्णता के निवारण तथा रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन में वित्तीय संस्थाओं का योगदान, उनकी कार्य पद्धति एवं प्रभावों के संदर्भ में कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। इन वित्तीय संस्थाओं में भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की साख एवं ऋण नीतियों के साथ भारतीय औद्योगिक विकास निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक विकास निगम, भारतीय साख एवं विनियोग निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं राज्य वित्त निगम का योगदान है। वित्तीय संस्थाओं के योगदान में उनकी कार्य पद्धति के संदर्भ में यह परिलक्षित किया गया है कि औद्योगिक इकाइयाँ जो रूग्ण हैं, उनके सर्वेक्षण के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल नियुक्त करने की आवश्यकता है। इस अध्ययन दल को क्षेत्रवार एवं उद्योगवार रूग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो इकाइयाँ लगातार 3 वर्षों से हानि पर चल रही हों एवं उससे उबरने में अपने को असफल पा रही हों, उन इकाइयों का या तो राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए या फिर ऐसी इकाइयों को स्वस्थ इकाइयों में विलय कर देना चाहिए।

वर्ष 1971 में स्थापित औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक निम्न उद्योगों को सहायता प्रदान करता है : कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, रसायनिक उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रबर के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग, मशीन निर्माण, परिवहन संयंत्र, रेलों के वैगन तथा साइकिल उद्योग आदि प्रमुख हैं। औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने टेक्सटाइल कार्पोरेशन आफ़ इण्डिया लि० की स्थापना की है, जिसमें औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूँजी लगायी गयी है। वर्तमान समय

में इसकी गम्भीरता तथा औद्योगिक रूग्णता की समस्या के कारण सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है जब औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त सहयोग लें। वर्ष 1987-88 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा स्वीकृत तथा वितरित धनराशि 186 करोड़ तथा 102 करोड़ रूपये थी, जो वर्ष 1997-98 में बढ़कर क्रमशः 2061 करोड़ रूपये तथा 1153 करोड़ रूपये हो गयी है। कपड़ा उद्योग, औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का लाभ अर्जित करने वाला क्षेत्र रहा है। खाद्य, कागज, आधारभूत मशीनरी आदि कुल इकाइयों का दसवाँ भाग तथा कुल ऋण का पाँच प्रतिशत प्राप्त करते हैं। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों को कुल स्वीकृत धनराशि का दो प्रतिशत भाग ही दिया जाता है। बैंक के द्वारा औद्योगिक इकाइयों के वित्तीयन में कुल स्वीकृति राशि का 86 प्रतिशत आधुनिकीकरण तथा औद्योगिक क्षमता के विविधीकरण हेतु किया जाता है। प्राप्तकर्ताओं में 30 प्रतिशत रूग्ण इकाइयाँ, 28 प्रतिशत बकाया साख प्राप्त करने वाली इकाइयाँ गैर कार्यरत है। इन आँकड़ों को सन्तोषजनक नही कहा जा सकता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास अधिनियम 1964 की शर्तों के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने पूर्णतः स्वामित्व वाली संस्था के रूप में उद्योगों के विकास के लिए ऋण एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा उससे सम्बन्धित कार्यों के लिए की गयी है। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना था। इस प्रकार यह बैंक वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्वित्तीयन करता है। इसी के साथ राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को जुलाई 1964 से मार्च 1990 तक औद्योगिक विकास बैंक ने लगभग 34000 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी, जिसमें से 24700 करोड़ रूपये का वितरण किया गया। वर्ष 1990-2000 में 28308 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए तथा 17059 करोड़ रूपये के ऋणों का वितरण किया गया। यह विकासात्मक बैंक एक उत्पादक तथा प्रभावकारी बैंक के रूप में राष्ट्र के औद्योगीकरण की गति को तीव्र करने में असफल रहा है, इसका मुख्य

कारण औद्योगिक विकास बैंक का एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में कार्यरत न होना था। यह बैंक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के एक अंग के रूप में रखा गया, जिसका कारण भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर की प्रबन्धन सम्बन्धी असमर्थता थी। इसी के परिणामस्वरूप विकास बैंक को वर्ष 1976 से स्वतंत्र संस्था के रूप में मुक्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा पिकप उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएँ हैं। यू०पी०एफ०सी० में 31 मार्च 2000 तक 41734 मामलों में 2787.47 करोड़ रूपये की धनराशि दीर्घ अवधि ऋण के रूप में वित्तपोषित है। परन्तु विपरीत आर्थिक वातावरण तथा मंदी के कारण इन वित्तीय संस्थाओं की स्थिति असन्तोषजनक है। 31 मार्च 2001 तक उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा पिकप की कुल हानि क्रमशः 460.04 करोड़ रूपये तथा 172 करोड़ रूपये थी। इस दृष्टिकोण से इन वित्तीय संस्थाओं को नए ऋणों की अदायगी में कठिनाई महसूस हो रही है। इन वित्तीय समस्याओं का मुख्य कारण इन दोनों संस्थाओं में बढ़ती हुई गैर उपयोगी सम्पत्तियाँ (N.P.A.) हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका औद्योगिक रूग्णता के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। रिजर्व बैंक के अनुमोदन पर प्रत्येक व्यवपारिक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकते हैं, जो औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता पर विशेष नजर रख सकते हैं। इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि यदि प्राप्त आँकड़ों के आधार पर विश्लेषण विपरीत होता है, तो वे ऋण प्राप्तकर्ताओं से सीधे सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं, जिससे इस प्रकार की प्रवृत्ति का पता लगाया जा सके। इस प्रकार रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका निम्न रूप में रही है :

1. रूग्ण इकाइयों के प्रति तन्मयता से ध्यान देने के सन्दर्भ में बैंक की प्रवृत्ति को पुनर्स्थापित करना।
2. व्यवस्था को विकसित करना तथा प्रारम्भिक रूग्णता के प्रमाणीकरण हेतु बैंकों को दिशा निर्देश देते रहना।

3. रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के सन्दर्भ में सरकार तथा अन्य सुधारात्मक संस्थानों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

लघु रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक निगम का कार्य पुनर्वासन पैकेज की सहायता के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करना है। इसके साथ ही साथ रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी की व्यवस्था करना तथा इन इकाइयों को समयानुसार वित्त प्रदान करना भी इस निगम का उद्देश्य है। लघु क्षेत्र को बड़े पैमाने पर वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने 1 अप्रैल 1990 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की। 1998-99 की अवधि में सिडवी ने 8875 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की, जिसमें से 6285 करोड़ रूपये की वितिय सहायता का वितरण किया गया। 31 मार्च 1999 तक उत्तर प्रदेश में कुल 357660 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण था, जिसमें कुल 3488 करोड़ रूपये की पूँजी विनियोजित थी। इन इकाइयों में से 37293 इकाइयाँ रूग्ण थी, जिनमें 448-72 करोड़ रूपये की पूँजी अवरूद्ध थी। इन रूग्ण इकाइयों में से मात्र 6521 इकाइयो में ही जीवनयोग्य क्षमता पायी गयी, शेष बन्द करने योग्य थी। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी 'विशेष प्राविधान' अधिनियम 1985 के अन्तर्गत भारत सरकार ने जनवरी 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है। यह संस्था विशेषज्ञों के माध्यम से औद्योगिक कम्पनियों की रूग्णता का निर्धारण करती है तथा पुनर्वासन पैकेज के लिए योजना बनाती है अथवा उस इकाई को बिना किसी अन्य अधिनियम के हस्तक्षेप के बन्द कर देती हैं। इस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र ऐसी वृहद एवं मध्यम स्तरीय इकाइयों तक हैं, जिनमें 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं तथा जिनका वर्णन भारतीय औद्योगिक नियमन अधिनियम की अनुसूची प्रथम में किया गया है। वर्ष 1992 से इसका क्षेत्र विस्तारित करके सरकारी क्षेत्र भी इसके अन्तर्गत कर दिया गया है। यह अधिनियम लघु इकाइयों, जिनकी सीमा 1 करोड़ रूपये है, को सम्मिलित नही करता है। जून 2001 तक इस बोर्ड ने अपने कार्यकाल के 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा वर्ष

2000 तक इस बोर्ड ने 4575 रूग्णता से सम्बन्धित इकाइयों को पंजीकृत किया है, जिसमें से 557 मामलों पर बोर्ड ने निर्णय देकर पुनर्वासन का प्रयास किया है।

औद्योगिक रूग्णता के निवारण में सरकार तथा सरकारी नीतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार रूग्णता का निवारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, यदि वह औद्योगिक नीतियों में तात्कालिक परिवर्तन न करें। वर्तमान नीति के तहत सावधि ऋणदाताओं को औद्योगिक इकाइयों की प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। इस सम्बन्ध में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों में औद्योगिक विकास बैंक को यह अधिकार है कि वह पूर्णकालिक वित्तीय, तकनीक तथा वितरण सम्बन्धी निदेशकों को नियुक्त कर सके। ऐसे निदेशक विकास बैंक को समय–समय पर रूग्ण इकाई के सम्बन्ध में सूचना देते रहते हैं। उन दशाओं में जहाँ वित्तीय संस्थायें या राज्य सरकार इकाइयों के राष्ट्रीयकरण करने के सिफारिश करते हैं तथा जहाँ ऐसा राष्ट्रीयकरण राष्ट्र हेतु में आवश्यक हो, वहां की प्रबन्धकीय व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। इस नीति का मुख्य लक्ष्य प्रबन्धकीय अव्यवस्था तथा रूग्णता को कम करना है।

कमजोर औद्योगिक इकाइयों को रूग्ण होने से रोकने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अपने राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंको को यह सुझाव दिया कि वे औद्योगिक इकाइयाँ जिनकी पचास प्रतिशत शुद्ध पूँजी का ह्रास हो चुका है, उनके पुर्नवासन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाय। सरकार ने रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 के तहत औद्योगिक रूग्णता की समस्या को दूर करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की। सरकार ने 1992 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसके कार्यक्षेत्र में लोकक्षेत्र को भी ला दिया है। दिसम्बर 2000 तक बायफर के पास कुल 4575 मामले संदर्भित किए गए, जिनमें निजी क्षेत्र के 4324 मामले थे। शेष 251 मामले लोकक्षेत्र से थे, जिनमें 90 मामले केन्द्र सरकार तथा 161 मामले राज्य सरकार से सम्बन्धित थे। इनमें से 3296 मामलों का पंजीकरण किया

गया, जिनमें निजी क्षेत्र के 3121 मामले थे तथा शेष 175 मामले लोक उपक्रम क्षेत्र में से थे। इनमें से 557 मामलों को पुनर्वासन योग्य पाया गया, जिनमें 535 मामले बायफर द्वारा तथा 24 ए०ए०आई०एफ०आर० द्वारा स्वीकृत किए गए। बायफर द्वारा 824 मामलों में उपक्रमों को बन्द करने का निर्देश दिया गया। जिनमें 789 निजी क्षेत्र तथा 35 सार्वजनिक क्षेत्र से थे। इन 35 सार्वजनिक उपक्रमों में 13 केन्द्र सरकार के तथा 22 राज्य सरकार के उपक्रम थे।

भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय संतुलन तथा निर्यात में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की 32.25 लाख लघु इकाइयाँ लगभग 6 लाख करोड़ रूपये के मूल्य का उत्पादन करती हैं। अखिल भारतीय लघु उद्योग की गणना के अनुसार 95 प्रतिशत लघु उद्योग बहुत छोटे स्तर के हैं। इनकी पूँजी सीमा को 3 करोड़ रूपये से घटाकर एक करोड़ रूपये कर देने के बाद इस क्षेत्र को कोई विशेष लाभ प्राप्त नही हुआ है। लघु उद्योग क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई बीमार इकाइयाँ हैं। 31 मार्च 1999 तक देश में 3.06 लाख लघु इकाइयाँ थी, जिनमें 4313 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश था। इन इकाइयों में 18692 इकाइयाँ ही जीवनक्षम मानी गयी, जिनकों बैंकों का 377 करोड़ रूपये अदा करना था। बैंकों ने 271193 इकाइयों की पहचान अक्षम इकाइयों के रूप में की जिनपर बैंक का कुल 3746 करोड़ रूपये बकाया था।

लघु उद्योग क्षेत्र में बैंकर को एक परीक्षक के रूप में देखा जाता है, न कि एक विकास सहयोगी के रूप में। लघु इकाइयों का तकनीकी आधार काफी कमजोर है। अधिकतर लघु इकाइयाँ असंगठित क्षेत्र में हैं। अतः इनमें तकनीकी सुधार तथा गुणवत्ता नियंत्रण के प्रति उचित ध्यान नही दिया जाता है। इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 837 मदों को आरक्षित किया गया है। इसका उद्देश्य छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा से बचाना था। 1997 में इनमें से 15 मदों का आरक्षण हटा लिया गया। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों की कीमत में 15 प्रतिशत प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार 409 मदों की वस्तुओं की खरीद पर

भी प्राथमिकता दी जाती है। सरकार लघु उद्योग की ऋण आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान दे रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उपलब्ध कोष में से 40 प्रतिशत ऐसी इकाइयों को, जिनका संयंत्र व मशीनरी में अधिकतम निवेश 5 लाख से 25 लाख के मध्य हो तथा शेष 40 प्रतिशत अन्य लघु इकाइयों को देना अनिवार्य है। औद्योगिक विस्तार में समन्वय तथा एकल क्षेत्रीय सेवा संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गयी है। 1997-98 के बजट में लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट योजना का सरलीकरण किया गया तथा छूट सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रूपये से 100 लाख रूपये कर दिया गया है। 30 लाख रूपये तक की निकासी को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त रखा गया है, जबकि 30 से 50 लाख के मध्य तथा 50 से 100 लाख की मध्य के निकासी पर क्रमशः 3 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लिया जा रहा है।

रूग्ण इकाइयों की परिभाषा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नायक कमेटी की रिपोर्ट की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1993 में संशोधन किया गया है, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। जो निम्न हैं :

1. "इकाई का कोई ऋण खाता संदिग्ध हो गया हो अर्थात इसके किसी ऋण खाते का मूलधन या ब्याज ढाई वर्ष से अधिक अतिदेय रहा हो।
2. सम्भावित नगद हानियों के कारण पूर्ववर्ती दो लेखा वर्षो के दौरान इसके वास्तविक मूल्य में अधिकतम वास्तविक मूल्य का पचास प्रतिशत या अधिक का क्षरण हुआ हो।"

रूग्ण इकाइयों को सुविधा प्रदान करने तथा समस्याओं के निराकरण के लिए मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार द्वारा मण्डलीय पुनर्वासन समिति का गठन किया गया है। यह समिति विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर रूग्ण इकाइयों की समस्याओं का निराकरण करती है। इस समिति के कार्यकलापों का अनुसरण करने हेतु सचिव लघु उद्योग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन

किया गया है। पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत गैर लाभकारी इकाइयों का विनिवेशीकरण सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए प्लाण्ट एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण तथा मरम्मत की जाती है। जिससे उस इकाई का उत्पाद वर्तमान प्रतियोगी बाजार में अन्य विदेशी तथा घरेलू इकाइयों के उत्पादों के सामने टिक सके। लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन के लिए मार्जिन मनी योजना लागू की गयी। जिसके अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकार प्रत्येक रूग्ण इकाई को 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। रूग्णता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को व्यक्तिगत रखते हुए प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण, उत्पादकता एवं गुणवत्ता के सुधार हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग आधुनिकीकरण योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना को गठित निधि हेतु सरकार से प्राप्त धनराशि को ब्याजदेयों संस्था में जमा कर उस पर अर्जित ब्याज की धनराशि पर संचालित किया जाना प्राविधानित है।

मध्यम एवं वृहद रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन के लिए भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर कई कदम उठाए हैं। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के बैंकिंग तथा विकास विभाग में समन्वय समितियों की स्थापना की गयी है। इनका उद्देश्य बैंकों केन्द्र तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं, राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों को औद्योगिक विकास में प्रवृत्त करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के वित्त विभाग की अध्यक्षता में स्टैण्डिंग समन्वय समिति की स्थापना की गयी है जो वाणिज्यिक बैंकों तथा टर्म लेण्डिंग संस्थाओं के मध्य उठने वाले विभिन्न बिन्दुओं पर समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्वास वित्त प्रभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। यह प्रकोष्ठ रूग्ण इकाइयों द्वारा जो समस्याएँ बैंकों को उत्पन्न होती हैं उनकी सुनवाई करता है। इसके अतिरिक्त रूग्णता के कारणों को चिन्हांकन तथा विभिन्न पुनर्वास योजनाओं को भलीभाँति लागू करता है। उद्योग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, जो रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के सन्दर्भ में सरकार द्वारा किए गए उपायों

में समन्वय स्थापित करती है। रूग्ण इकाइयों से सम्बन्धित एक तिमाही रिपोर्ट, जिसमें लघु उद्योग क्षेत्र भी शामिल हैं, सभी वाणिज्यिक बैंको को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गयी है। यह बैंक पुनर्निर्माण एजेंसी के रूप में औद्योगिक पुनर्वासन के लिए कार्य करता है। यह बैंक अन्य संस्थाओं के कार्यो में समन्वय भी स्थापित करता है। 27 मार्च 1997 से यह बैंक एक कम्पनी के रूप में भारतीय औद्योगिक निवेश के नाम से जाना जाता है।

रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनर्जीवन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा श्रमिक हितों की सुरक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 में संशोधन हेतु अगस्त 2001 में प्रस्तुत नए अधिनियम में एक "इनसाल्वेंसी फण्ड" के साथ–साथ नेशलन कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इस कानून के प्रभावी होने से कम्पनी की रूग्णता, पुर्नसंरचना, इनके दिवालिया होने तथा इन्हें बन्द कर देने सम्बन्धी सभी मामले इसके अन्तर्गत आयेंगे।

वर्तमान प्रभावी रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 निष्प्रभावी हो जाएगा। इस ट्रिब्यूनल की सम्पूर्ण भारत में 10 पीठें होंगी, जबकि इसकी अपीलीय पीठ दिल्ली में स्थापित की जाएगी। अपीलीय पीठ के निर्णयों के विरूद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकेगी। नए अधिनियम के तहत किसी कम्पनी को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी तभी कहा जाएगा, जब विगत् लगातार चार वर्षो में से किसी एक या अधिक वर्षो में वित्तीय वर्ष के अन्त में इसकी संचित हानि इसकी नेटवर्थ का 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा/अथवा जो लगातार तीन तिमाहियों तक अपने ऋण दाताओं को अपने देयों का भुगतान करने में असफल रही हो। इन सभी उपायों के अतिरिक्त सरकार द्वारा औद्योगिक रूग्णता के निवारण समय–समय पर विभिन्न समितियाँ गठित की हैं। इनमें टण्डन समिति, राय समिति, तिवारी समिति, गाडगिल फार्मूला, गोस्वामी समिति तथा इराडी समिति प्रमुख हैं।

परिकल्पना की पुष्टि :-

औद्योगिक रूग्णता की समस्या वर्ष 1960 के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग तथा चीनी उद्योग से प्रारम्भ हुई। वर्तमान समस्या ने देश के अन्य उद्योगों को भी प्रभावित किया है। तालिक संख्या 4.1 से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर वर्ष 1980 में कुल 24550 औद्योगिक इकाइयाँ रूग्ण थीं, जो मार्च 1999 में बढ़कर 3,09,013 हो गयीं। इसी प्रकार वर्ष 1980 में रूग्ण इकाइयों में अवरूद्ध धनराशि 1809 करोड़ रूप्ये थी, जो मार्च 1999 में बढ़कर 19,464 करोड़ रूपये हो गयी। आँकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि लघु औद्योगिक इकाइयों में वृहद् उद्योगों की तुलना में रूग्णता अधिक तेजी से बढ़ी है। लघु औद्योगिक रूग्ण इकाइयों में 4,314 करोड़ रूपये (22.2%) अवरूद्ध थे, जब कि वृहद् एवं मध्यम इकाइयों में यह राशि 15,150 करोड़ रूपये (77.8%) थी। वृहद् एवं मध्यम इकाइयों में, जिनमें निजी, सार्वजनिक तथा संयुक्त/सहकारी क्षेत्र क़ी रूग्ण इकाइयाँ शामिल हैं, में क्रमशः 11,493 करोड़ रूपये, 2,939 करोड़ रूपये तथा 703 करोड़ रूपये/15 करोड़ रूपये की बैंक साख अवरूद्ध थी। संख्या की दृष्टिकोण से लघु औद्योगिक क्षेत्र में 3,06,221 इकाइयाँ तथा वृहद् औद्योगिक क्षेत्र 2,792 इकाइयाँ रूग्ण अवस्था में पायी गयी। मध्यम एवं वृहद् औद्योगिक क्षेत्र की कुल रूग्ण इकाइयों में निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा संयुक्त/सहकारी क्षेत्र में क्रमशः 2,363, 263 तथा 154/12 इकाइयाँ रूग्ण पायी गयी। तालिका संख्या 4.1, 4.2, 4.9, 4.10, 4.15 तथा 4.16 से इस परिकल्पना की पुष्टि होती है कि भारत तथा प्रदेश में औद्योगिक रूग्णता में लगातार वृद्धि हुई है। तालिका संख्या 2.1 से 2.10 तथा 3.1 से 3.10 तक के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि पंचवर्षीय योजनावधि में भारत तथा उत्तर प्रदेश दोनों का, निरन्तर औद्योगिक विकास हुआ है।

6 वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक रूग्णताके निवारण में दिए गए योगदान के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा रूग्णता निवारण के लिए

प्रयास तो किए गए हैं लेकिन वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपर्याप्त मात्रा में विलम्ब से वित्त प्रदान किए जाने से प्रयास अधिक सार्थक नही हो पाए हैं। इसी प्रकार सरकार द्वारा समय–समय पर गठित समितियों तथा लागू योजनाओं, जिनमें संरक्षण आदि प्रमुख हैं, से रूग्ण इकाइयों को लाभ मिला है। परन्तु वर्तमान वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के युग में सरक़ार द्वारा भारतीय उद्योगों से संरक्षण हटाने तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मुक्त व्यापार की छूट देने से रूग्णता में वृद्धि हो रही है। अतः सरकार को उदारीकरण की नीति के रूग्ण उद्योगों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए।

सुझाव :-

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध से प्राप्त उपलब्धियों और रूग्णता सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते हैं। रूग्ण औद्योगिक इकाइयों में उच्च कोटि के प्रतिस्पर्धी उत्पाद के लिए कच्चे माल को समयानुसार उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सरकार तथा वित्तीय संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।

अधिकांश उद्योग वित्त के अभाव में ही रूग्ण हो गए हैं। अधिकांश रूग्ण इकाइयाँ वित्तीय संस्थाओं एवं बैंक द्वारा प्राप्त करने वाली इकाइयाँ हैं। इनकों आवश्यक पूरी पूँजी एक साथ उपलब्ध नहीं की जाती है तथा पूँजी की मात्रा भी कम रहती है। अतः पूर्ण वित्त के अभाव में सक्षम उत्पादन न कर पाने के कारण ये रूग्ण हो जाती हैं। अतः वित्तीय संस्थाओं और बैंको द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण प्रर्याप्त मात्रा में तथा कम समय में ही उपलब्ध कराए जाये तथा वित्त प्राप्त करने वाले प्रावधानों की सरल एवं बोधगम्य बनाया जाय। रूग्णता की स्थिति में पुनर्वासन पैकेज के अन्तर्गत भी एक महीने के निर्धारित समय से कई महीने या वर्ष लग जाते हैं। बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा एक कार्यदल का गठन किया जाय जो समय–समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करें तथा आवश्यक सुझाव दे जिससे इकाइयाँ रूग्ण न होने पाये।

ऊर्जा या शक्ति की कमी उद्योगों को रूग्णता की श्रेणी में खड़ी करती चली जा रही हैं। यदि शक्ति/विद्युत का उचित उपचार नही किया गया तो रूग्णता की स्थिति और अधिक जटिल बना देगी। उद्योगों को रूग्णता से बचाने के लिए विद्युत केन्द्र खोलों जायें ऊर्जा की कमी से रूग्ण होने वाली इकाइयों को तुरन्त ऊर्जा या जनरेटर की व्यवस्था की जाये। लघु उद्योगों को जनरेटर खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन इससे उत्पादन लागत में भी वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप रूग्णता भी बढ़ सकती है। लघु उद्योगों को अदा करने में कोई कठिनायी

न हो। सरकार द्वारा औद्योगिक आस्थानों में अलग विद्युत उत्पादन केन्द्र खोला जाय अथवा सौर ऊर्जा स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उद्योग भी व्यर्थ शक्ति बरबाद न करें। विद्युत की बचत से विद्युत का उत्पादन होगा जो उद्योगों के काम में आएगी। अतः इस प्रकार उद्योगों को रूग्णता से बचाया जा सकता है और भविष्य में विद्युत की कमी से होने वाली रूग्णता से बचा जा सकता है।

माँग के अभाव में इकाइयाँ रूग्ण हो जा रहीं हैं। अतः रूग्णता न होने देने के लिए उद्योगों द्वारा उत्पादित मालों की माँग बढ़ायी जानी चाहिए। इसके लिए निदेशालय द्वारा एक विक्रय संस्थान खोला जाना चाहिए जहाँ ऐसी इकाइयों द्वारा उत्पादित मालों का ही विक्रय हो। उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिए उचित किस्म तथा कम मूल्य निर्धारित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेलों, प्रदर्शनियों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे उद्यमी अपने उत्पादों को सामने ला सके और बिक्री में वृद्धि हो सके।

उत्पादन कम रहने के कारण होने वाली रूग्णता को अधिक क्षमता द्वारा कम किया जा सकता है तथा भविष्य में रोका जा सकता है। कभी–कभी उत्पादन क्षमता में कभी संयंत्रों की कमी, या संयंत्रों के पुराने हो जाने के कारण होती है। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उद्यमियों को अपने संयंत्रों का उचित रख–रखाव करना चाहिए। तथा समय–समय पर जाँच पड़ताल करना चाहिए। यदि उत्पादन में कमी संयंत्रों में कमी के कारण हो रही है तो अविलम्ब उसकी पूर्ति करना चाहिए।

गुण नियंत्रण के अभाव के कारण रूग्ण उद्योगों को बचाने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संचालित गुण चिन्हांकन योजना के द्वारा तुरन्त लाभान्वित किया जाय। इसके अतिरिक्त सभी लघु उद्योगों को चिन्हांकन योजना की तहत लाया जाय या उनके लिए अनिवार्य बनाया जाये। जनपद में एक ही केन्द्र पर सभी प्रकार की वस्तुओं का चिन्हांकन किया जाय। इसके अतिरिक्त निश्चित समय पर उनका पुनः निर्धारण किया जाय और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जाय।

यदि उद्योग के प्रबन्धक के पास प्रबन्धकीय निर्देशन, नियंत्रण, वित्तीय मामलों से सम्बन्धित और कार्यक्षमता नहीं हैं तो उसका उपयोग नहीं कर पाते और इकाई रूग्ण होती चली जाती है। इस प्रकार की रूग्णता की रोकथाम के लिए वित्तीय संस्थाओं एवं बैंको द्वारा केवल उन्हीं उद्यमियों को ऋण दिया जाय, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रबन्धकीय योग्यता प्राप्त हो। उद्यमी प्रबन्धकीय क्षमता का उचित प्रयोग कर अपने उद्योगों में रूग्णता को आने नही देता है। जिला उद्योग निदेशालय द्वारा भी उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उद्यमियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो और निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाय।

समाज में ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं जिससे उद्योगों को भारी क्षति पहुँचती है। इस असम्भावित को टाला नही जा सकता है। इस प्रकार से होने वाली रूग्णता से बचाव के लिए उद्योग निदेशालय या अन्य ऐसी किसी संस्था का निर्माण करे जो केवल लघु उद्योगों का बीमा करायें।

उद्योगों की रूग्णता का मनोवैज्ञानिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक कारण ही सभी प्रकार की रूग्णता का आधार हैं। प्रबन्धकों को दूसरों तथा श्रमिकों के साथ सौहाद्रैपूर्वक सम्बन्ध बनाए रखना चाहिए। मानवीय सम्बन्ध श्रमिकों के मनोबल, कार्य–प्रेरणा एवं सहयोग की भावना को प्रेरित करती है। अतः प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को जीवन निर्वाह हेतु उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुविधाएँ, उचित आचरण, अवकाश आदि की सुविधाएँ देकर इस प्रकार की रूग्णता से बच सकते हैं।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि वित्तीय एजेन्सियों के लिए औद्योगिक रूग्णता एक अल्पकालिक समस्या है तथा यह समस्या स्थायी हो तो इसका समाधान वित्तीय संस्थाओं के हाथ में नही है। सभी तरह के समाज में आर्थिक समृद्धि तथा तकनीकी परिवर्तन ऐसी स्थितियों को उत्पन्न करते हैं, जिसमें नई वास्तविकता के सन्दर्भ में औद्योगिक इकाइयाँ अपने को समायोजित करती हैं। वित्त इस समायोजन का एक अंग है। इस प्रकार औद्योगिक रूग्णता एक समस्या है तथा सामान्य रूप से

औद्योगिक नियोजन के साथ इसकों जोड़ने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक नियोजन तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के नाम पर अनेक गलत निर्णयों को क्रियान्वित किया गया है। जिसका प्रभाव औद्योगिक विकास को कम करने में है। अतः भारत जैसे विकासशील देश में स्वस्थ औद्योगिक विकास का आधार आर्थिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त नीतियाँ, जैसे वित्तीय, मौद्रिक तथा आर्थिक को क्रियान्वित करना चाहिए। प्रायः व्यक्तिगत इकाइयाँ कच्चेमाल का मूल्य, मजदूरी का निर्धारण, श्रमिकों के अन्य प्रकार के लाभों एवं निर्मित मूल्य के नियंत्रण आदि से सम्बन्धित भ्रमित नीतियों के कारण रूग्ण हो जाती हैं।

पुनर्वासन का कार्य शान्ति, दृढ़ता तथा संयोग से सम्बन्धित है। दो रूग्ण इकाइयों में न तो एक जैसी परिस्थितियाँ होती हैं और न ही प्रबन्धकीय व्यवस्था। अतः पुनरूत्थान प्रक्रिया में लगी हुयी संस्थाओं को एक इकाई के पुनर्वासान के बाद ही दूसरी इकाई को लेना चाहिए। इकाई की कार्य पद्धति सम्बन्धी निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

1. क्या सम्बन्धित इकाई के अन्तिम उत्पाद के कार्य को बन्द कर देना चाहिए? तथा मध्यस्थ उत्पाद को खरीदना चाहिए। इस प्रकार अधिक अच्छा उत्पादन को करना चाहिए।

2. क्या कच्चे माल को पूरी तरह बदल देना चाहिए?

3. क्या उत्पादन प्रक्रिया में पूर्णतः परिवर्तन की आवश्यकता है?

4. क्या पुनर्वासन सम्बन्धकी कार्य पूरी औद्योगिक इकाइयों में अथवा ऐसे कुछ क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। यदि पूरी औद्योगिक इकाइयों में पुनर्वासन करना हो तो वर्तमान उपकरणों के बदलने से कोई लाभ नही होगा।

प्रत्येक राज्य में एक संस्था, जो औद्योगिक पुनर्वासन से सम्बन्धित हो, का गठन किया जाय, जिससे वित्तीय विशेषज्ञ, विपणन तथा वैयक्तिक विशेषज्ञ एवं इंजीनियर

हों, जो औद्योगिक रूग्णता के के लिए अधिकतर वित्तीय दृष्टिकोण से देखा गया है। परन्तु किसी भी रूग्ण इकाई के पुनर्वासन के लिए जब तक पर्याप्त विपणन तथा बाजारी दशाओं पर विचार नही किया जाता है तब इन इकाइयों में रूग्णता की समस्या बनी रहेगी।

बायफर की भूमिका में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि वह बीमार उद्योगों को समेटने में सहायला करे, न कि पुनर्वास संस्था की तरह व्यवहार करे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि रूग्ण इकाइयों में प्रबन्ध परिवर्तन को सम्भव बनाने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

नगरीय भूमि सीमा कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिए, जो औद्योगिक रूग्णता का एक प्रमुख कारण हैं भूमि बेचकर कम्पनी संसाधन जुटा सकती है तथा वे कम्पनियाँ, जिन्हें चला पाना सम्भव न हो, उनकी भूमि बेचकर उनकी अच्छी कीमत प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के पुर्नसंयोजन से सम्बन्धित राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नही होनी चाहिए, चूँकि वर्तमान व्यवस्था के कारण रूग्ण इकाई को बन्द करने अथवा श्रमिकों की छँटनी करने में विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त बायफर को यह अधिकार होना चाहिए कि वह बन्द कारखानें की सम्पत्ति को बेचकर उसका मूल्य उच्च न्यायालय में जमा करा सके और बाद में उच्च न्यायालय उसका वितरण दावेदारों के मध्य कर सकें।

औद्योगिक इकाइयों में रूग्णता की समस्या के निदान के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए। औद्योगिक रूग्णता तथा रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के सन्दर्भ में अनके महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उद्योगों में रूग्णता के लक्षण परिलक्षित होते ही इसके निदान के लिए उचित समय पर उचित सहायता वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। फिर भी यदि

इकाई रूग्ण हो गयी है, तो उसको स्वस्थ इकाई में संविलयन कर देना चाहिए। यदि रूग्ण इकाई का संवियलन नही किया जाता है, तो इकाई का प्रबन्ध सरकार को आपने हाथों में ले लेना चाहिए।

वर्तमान उदारीकृत अर्थव्यवस्था में भारतीय उद्योगों को रूग्णता से बचाने के लिए एक अन्य उपाय किया जा रहा है, जिसे विनिवेश प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि सरकारी प्रबन्ध में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही आदि कमियाँ विद्यमान हैं। अतः विनिवेश के द्वारा सार्वजनिक उद्योगों को निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम
1.	जे०एन० मिश्रा	भारतीय अर्थव्यवस्था
2.	दत्ता एवं सुन्दरम्	भारतीय अर्थव्यवस्था
3.	मेमोरिया एवं जैन	भारतीय अर्थशास्त्र
4.	मिश्रा एवं पुरी	भारतीय अर्थव्यवस्था
5.	के०सी० श्रीवास्तव	प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति
6.	विमल चन्द्र पाण्डेय	प्राचीन भारत का इतिहास
7.	हरिश्चन्द्र वर्मा	मध्यकालीन भारत का इतिहास
8.	आर०सी० मजूमदार	आधुनिक भारत का इतिहास
9.	बिपिन चन्द्र	स्वतंत्रता संघर्ष
10.	डॉ० जैन एवं सोलंकी	उत्तर प्रदेश का परिचय
11.	डॉ० बद्रीविशाल त्रिपाठी	भारतीय अर्थव्यवस्था
12.	एस०एन० श्रीवास्तव	भारत का संविधान

पत्र-पत्रिकाएँ एवं जर्नल

1. योजना
2. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास
3. प्रगति समीक्षा, उत्तर प्रदेश
4. एनुअल प्लान, उत्तर प्रदेश
5. लघु उद्योग समाचार
6. करेंसी एण्ड फाइनेन्स
7. भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण
8. चार्टर्ड सेक्रेटरी
9. बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स
10. सााख्यिकीय डायरी
11. टाटा सर्विसेज लिमिटेड
12. कामर्स जर्नल
13. औद्योगिक रूग्णता योजना
14. दि जर्नल आफ इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज
15. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा
16. करेंसी एण्ड फाइनेन्स

रिपोर्ट

1. भारत सरकार – प्लानिंग कमीशन ड्राफ्ट
   प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)
   द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)
   तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)
   वार्षिक योजना (1966-69)
   चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74)
   पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974-78)
   छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-85)
   सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)
   आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)
   नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)
2. भारतीय रिजर्व बैंक, रिपोर्ट आन करैंसी एण्ड फाइनेन्स (1998, 99, 2000, 2001)
3. एनुअल रिपोर्ट आन आई०डी०बी०आई०, 2000
4. रिपोर्ट आफ सबवर्किंग ग्रुप, कान्स्टीट्यूटेड बाई यू०पी० गवर्नमेण्ट, आन रिहैबीलिटेशन आफ सिक यूनिट्स इन यू०पी०, 2002-2007
5. रिपोर्ट आफ एस०एल०आई०सी० एण्ड सिडबी, 2000
6. उद्योग निदेशालय, कानपुर